अष्टम माला, खंड 17, अंक 43

बुधवार, 30 अप्रैल, 1986
10 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 17 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 43, बुधवार, 30 अप्रैल, 1986/10 वैशाख, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 867 से 869 और 871 से 873	1—30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 874 से 886	30—38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8337 से 8409 और 8411 से 8483	38—166
पंजाब की ताजा स्थिति के बारे में वक्तव्य	167
सभापटल पर रखे गए पत्र	167
राज्य सभा से संदेश	168
लोक लेखा समिति	168
34वां, 47वां और 48वां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	168—169
विवरण	
प्राक्कलन समिति	169
33वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	169
10वां एवं 11वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	170
14वां तथा 17वां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति 170

कार्यवाही-सारांश

सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति 170

नौवां प्रतिवेदन

सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति 171

कार्यवाही-सारांश

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 171

19वां प्रतिवेदन

नियम 377 के अधीन मामले 171—176

(एक) सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री मूल चन्द डागा 171—172

(दो) उड़ीसा के कोरापुट जिले में दंडकारण्य परियोजना के कारण विस्थापित हुए आदिवासी परिवारों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु अधिक धनराशि देने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी 172

(तीन) देश में मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता

श्री मदन पांडे 172—173

(चार) जम्मू और कश्मीर में लेह के जंस्कार और लिंगशेड क्षेत्रों के लिए एक बारहमासी सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल 173

(पांच) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता

श्री बीरबल 173—174

(छः) आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में उप्पाड़ा गांव का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थोटा 174

(सात) सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स, मद्रास कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता

श्री ए०सी०षण्मुख 174—175

(आठ) ऐतिहासिक भवन, जिसमें इस समय इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है, को हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपने की आवश्यकता

श्री के०डी० सुल्तानपुरी 175

(नो) ओरियन्ट पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा (राजस्थान) की श्रमिक कॉलोनी

श्री बसुदेव आचार्य 175—176

दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक 176—215

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अब्दुल गफूर 176

डा० डी०एन० रेड्डी 178

श्री के०एस० राव 179

श्री अजित कुमार साहा 182

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 183

श्री राम सिंह यादव 187

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 189

श्री गिरधारी लाल व्यास 191

श्री शान्ताराम नायक 192

श्री अब्दुल गफूर 195

खंड 2 से 27 तथा 1 201—215

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री अब्दुल गफूर 203

श्री मूल चन्द डागा 207

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम सम्बन्धी संकल्प 215—224

श्री राम निवास मिर्धा 215

श्री श्रीहरिराव 217

श्री अमलदत्त 218

श्री पी० नामग्याल 222

श्री सी० जंगा रेड्डी 222

कोल इंडिया लिमिटेड में बढ़ती हुई तथा आवर्ती हानि के सम्बन्ध में चर्चा	224—252
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति	224
श्री के०पी० सिंह देव	229
श्री गिरधारी लाल व्यास	234
श्री अनिल बसु	236
श्री राम प्यारे पनिका	237
श्री राजकुमार राय	238
श्री दामोदर पांडे	240
डा० गौरी शंकर राजहंस	241
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	242
कुमारी ममता बनर्जी	243
श्री वसन्त साठे	245
पंजाब की ताजा स्थिति के बारे में चर्चा	252—290
श्री इन्द्रजीत गुप्त	252
श्री आर०एस० स्पैरो	257
श्री अर्जुन सिंह	260
श्री सी० माधव रेड्डी	262
प्रो० के०के० तिवारी	264
श्री बसुदेव आचार्य	267
श्री शरत कुमार देव	270
श्री श्याम लाल यादव	271
श्री पी० कुलनदईवेलू	271
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	272
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	273
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	276
श्री दिनेश गोस्वामी	277
श्री के०पी० उन्नीकृष्णन	279
श्री शरद दिघे	282
श्री अब्दुल रशीद काबुली	282
श्री पीयूष तिरकी	286
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	287
श्री अमर रायप्रधान	287
श्री पी०वी० नरसिंह राव	288

लोक सभा

बुधवार, 30 अप्रैल, 1986/10 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने सूचना दे दी है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने प्रश्नकाल के निलम्बन के लिए सूचना दी है । यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें तुरन्त विचार करना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान, कृपया प्रश्नकाल को निलम्बित करिये ।

श्री संफुद्दीन चौधरी : हम इस पर बहस करना चाहते हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : राष्ट्र की एकता प्रभावित हुई है···(व्यवधान)

इस सभा को स्थिति की गम्भीरता पर विचार करना चाहिए हम अब केवल नियम तथा विनियमों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं । देश की एकता खतरे में है । सभी नियमों को रद्द कर देना चाहिए । यह राष्ट्र को जीवित रखने का प्रश्न है । हम केवल नियम तथा विनियमों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं । अतः श्रीमान आप प्रश्नकाल को निलम्बित कीजिए । इस संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री जी ।

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : श्रीमान मैं माननीय सदस्यों की चिंता से अवगत हूं । मैं इस संबध में वक्तव्य देने को तैयार हूं । मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इस मामले को प्रश्नकाल के बाद उठाया जाना चाहिए । यह मेरा आपसे अनुरोध है । इसमें एक गुणात्मक अन्तर है । हम कोई गलत काम नहीं होने देना चाहते हैं । हम स्थिति की गम्भीरता को समझते हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे प्रश्नकाल के बाद वक्तव्य देने का अवसर दें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : इससे ज्यादा देश के लिए भयंकर स्थिति क्या हो सकती है ? क्वैश्चर अवर इमीडियटली सस्पैंड किया जाए और डिस्कशन शुरू किया जाए ।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमान, क्या आप वक्तव्य के संबंध में हमें कुछ भी कहने का मौका देंगे ? क्या सभा में वक्तव्य देने के पश्चात् हम कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि इस प्रश्न को 12 बजे के बाद लिया जाए । लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस नियम को निलम्बित कीजिये जो हमें सभा में वक्तव्य देने के बाद किसी प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं देता है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये । मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी ने इस प्रश्न को सही रूप में लिया है । वह स्थिति की गम्भीरता से परिचित हैं और वह सम्पूर्ण सभा की भावनाओं से सहमत हैं । मैं समझता हूं कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सभा होने के नाते, आज जो स्थिति है हमें उसे उसी रूप में लेना चाहिए और हमारी कार्यवाही भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए । हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति से कैसे निबटा जाये । गृह मंत्री जी 12 बजे के पश्चात् इस विषय पर बहस करने को तैयार हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहस ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरा यही अनुरोध है । मैं वक्तव्य देने को तैयार हूं । बहस करना अथवा न करना आपका विशेषाधिकार है और यदि उसके पश्चात् आप बहस करना चाहते हैं तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मैं प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूं । लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस समय, जैसी कि आज स्थिति है, जबकि कुछ कार्यवाही की जा रही है अथवा की जानी है, तो मैं इस समय बहुत कुछ प्रकट नहीं कर सकता (व्यवधान)···मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चूंकि यह एक चिंताजनक मामला है, इसलिए हमने इस मामले को पूर्ण गम्भीरता से लिया है । हम सभा को इस संबंध में सूचित करते रहेंगे और सभा से कुछ भी नहीं छिपायेंगे । लेकिन प्रश्न यह है कि जब कुछ कार्यवाही की जा रही है तो इस संबंध में मैं अनेक प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकता हूं ।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : हाउस की अपनी राय जाहिर करने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए ? (व्यवधान) होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद हाउस को अपनी राय जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है । एक समय में एक सदस्य को ही बोलना चाहिए । मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है । कुछ भी समझना मुश्किल है ।

श्री बसुदेव आचार्य : हम सभी देश की एकता और अखंडता चाहते हैं। अतः हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् इस मामले पर बहस की जाये। इससे सरकार को सहायता मिलेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात कहने अथवा पूछने में रुचि नहीं रखते हैं जिससे सरकार की स्थिति दुविधापूर्ण हो। हम उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से अनुरोध करना चाहते हैं क्योंकि यह एक अभूतपूर्व गम्भीर स्थिति है और सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस विश्व के सभी देशों में इस बात को प्रकाशित करेंगे। हम जानते हैं कि वे क्या करते हैं। अतः सरकार को इस संबंध में कुछ कहना चाहिए और हम सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। आप कृपया हमें वक्तव्य के पश्चात् एक अथवा दो संक्षिप्त प्रश्न करने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मैं आपको पूर्ण बहस करने का मौका दूंगा। आप मुझे नियम 193 के अन्तर्गत तुरन्त सूचना दीजिए और मैं तुरन्त बहस की अनुमति दूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमान हमने सूचना दे दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूर्णरूप से बहस करना बहुत कठिन होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके लिए यह ठीक होगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमान मैंने सारी बातें आप पर छोड़ दीं हैं। यदि आप माननीय सदस्यों द्वारा वक्तव्य दिलाना चाहते हैं, तो उन्हें वक्तव्य देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है और मैं इस प्रकार का कोई नया उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसीलिए मैंने ऐसा कहा है श्रीमान। इस संबंध में किसी चर्चा की अनुमति देना आप पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 193 के अन्तर्गत सूचना दे सकते हैं। डा० प्रभात कुमार मिश्र।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

"कोरबा (मध्य प्रदेश) में प्रदूषण को रोकने के उपाय"

*867. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश का औद्योगिक नगर कोरबा किस सीमा तक प्रदूषण से कुप्रभावित है ; और

(ख) इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) कोरबा में प्रदूषण मुख्यतया हवा में उच्च मात्रा में विविक्त पदार्थ होने के कारण हैं । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, कोरबा में विभिन्न स्थानों पर हवा में निलम्बित विविक्त पदार्थों (एस० पी० एम०) की भिन्नता 25 से 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है ।

निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

—कोरबा, क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है ।

—वायु गुणवत्ता स्तरों के अध्ययन और प्रबोधन हेतु एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है ।

—कोरबा में तीन ताप शक्ति स्टेशनों में से दो ने आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना कर ली है । तीसरे स्टेशन को फिल्टर थैला और स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र लगाने के निदेश जारी किए गए हैं ।

—प्रदूषण नियंत्रण कार्यकलापों के प्रबोधन के लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है ।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट सदन की टेबल पर रखा गया है उसके अनुसार कोरबा में प्रदूषण सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर के कारण हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या कोरबा के वायुमंडल में कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाइ-आक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और आक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जिससे वहां प्राणियों को और पौधों को नुकसान पहुंच रहा है ? क्या इस बात की जानकारी सरकार को है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष जी, कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाइ-आक्साइड की मात्रा वायुमण्डल में कुछ बढ़ी है लेकिन दुष्परिणाम होने की सीमा तक नहीं बढ़ी है । पोल्यूशन में सबसे ज्यादा सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट मैटर है—यह इसके अन्दर कहा गया है ।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह प्रदूषण न सिर्फ हमारे प्राणियों को ही

नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि एक आर्थिक नुकसान भी उससे हो रहा है। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाई-आक्साइड वायुमण्डल मे बढ़ने से वहां के जो साल-बीज वृक्ष हैं वह खत्म होते जा रहे हैं। पिछले साल बिलासपुर सम्भाग में 9 करोड़ रुपए की साल बीजों की रेवेन्यू कलेक्ट की गई थी जिसमें से 3 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए मिला था। इस प्रकार से हमारे साल बीज के वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं। ये दुनिया में केवल 6 देशों में ही होते हैं जिनमें हिन्दुस्तान एक प्रमुख देश है और यह क्षेत्र साल बीज के वृक्षों के लिए मशहूर है। इसका निर्यात चाकलेट के लिए किया जाता है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या वायुमण्डल में प्रदूषण बढ़ने की वजह से उसका असर साल वृक्षों पर भी पड़ रहा है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह बड़ा टेक्निकल प्रश्न है। वायुमण्डल में जो सल्फर डाई-आक्साइड होती है उसका कोई असर साल बीज के वृक्ष पर भी पड़ रहा है या नहीं, उसको तो स्पेसिफीकली देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी कुछ इस प्रकार प्रदूषण होता है उसका थोड़ा सा परिणाम उसके ऊपर होता है ! इसके संबंध में आज तक कोई स्टडी नहीं की गई है और यह कहा गया है कि जो भी प्रदूषण वहां पर है उसका लेवल इतना नहीं है कि उसके दुष्परिणाम इतने अधिक हों।

[अनुवाद]

श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या यह सच है कि थर्मल पावर केन्द्र द्वारा गम्भीर प्रदूषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं और एक सर्वेक्षण के अनुसार 1000 मेगावाट वाला थर्मल पावर केन्द्र प्रतिदिन लगभग 40-80 मिट्रिक टन सल्फर डाइ-आक्साइड छोड़ता है ? वायुमण्डल में अम्लीय मात्रा अधिक होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए गम्भीर रूप से हानिकारक है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है और क्या नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन अथवा अन्य किसी राज्य विद्युत बोर्ड ने इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसा यंत्र लगाया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमान मैंने इस पूरक प्रश्न का उत्तर अपने लिखित विवरण में ही दे दिया है। सरकार द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं उनकी गिनती इस प्रकार है। तीन विद्युत संयंत्र हैं। एक संयंत्र नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के पास है। दूसरा संयंत्र मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास है। तीसरा थर्मल पावर केन्द्र है जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास है। जहां तक नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और सुपर पावर प्लांट का संबंध है, इनमें प्रदूषण रोकने के यंत्र लगे हुए हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : आप प्रदूषण की अधिक मात्रा को कैसे नियन्त्रण में करेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक तीसरे संयंत्र का संबंध है—ये पुराने संयंत्र हैं। यहां पर तीन स्टेशन हैं। एक स्टेशन में इलैक्ट्रो-स्टेटिक प्रिसिपिटेटर नामक संयंत्र है। इलैक्ट्रो-स्टेटिक

प्रिसिपिटेटर सल्फर की मात्रा में संतोषजनक स्तर तक कमी करता है । ये यंत्र दो विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध हैं । तीसरे विद्युत संयंत्र के एक स्टेशन में भी यह यंत्र उपलब्ध है लेकिन अन्य दो स्टेशनों में यह संयंत्र उपलब्ध नहीं है । हमने सरकार से वहां इस प्रकार के यंत्र तथा उपकरण रखने को कहा है ताकि सल्फर की मात्रा में कमी लाई जा सके ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणविक अनुसंधान केन्द्र ने पिछले एक या दो वर्षों के दौरान जल तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु विकिरण स्रोतों को लागू करने के लिए कुछ परीक्षण किए हैं ? यदि हां, तो क्या मैं इस संबंध में किए गए परीक्षणों के परिणामों को जान सकता हूं और क्या इस उद्देश्य के लिए नई प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाना सम्भव हो सकेगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह प्रश्न प्रदूषण से संबंधित है लेकिन जहां तक विकिरण के द्वारा प्रदूषण का संबंध है भाभा परमाणविक अनुसंधान केन्द्र कतिपय स्तरों पर परीक्षण करता है । हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में विकिरण विद्यमान है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या विकिरण की यह मात्रा सामान्य स्तर तक ही है अथवा हानिकारक स्तर तक पहुंच चुकी है । लेकिन इस प्रकार के परीक्षण तथा जांच भाभा परमाणविक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए जाते हैं । थर्मल पावर केन्द्रों द्वारा यद्यपि विकिरण की कुछ मात्रा अवश्य छोड़ी जाती है लेकिन यह हानिकारक स्तर तक नहीं होती है ।

समुद्र स्थित अवशेषों की खोज

\+

*868. **श्री बल्लभ पाणिग्रही :**
श्री चिंतामणि जेना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है ;

(ख) देश में कौन-कौन से समुद्र विज्ञान संस्थान समुद्री अवशेषों की खोज के कार्य में संलग्न हैं ; और

(ग) समुद्री अवशेषों और निक्षेपों की खोज के कार्य में उनकी अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारत ने समुद्र विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है । हमारे देश का समुद्री विज्ञान में एक बहुत विकसित संस्थागत आधार है । इसके पास वैज्ञानिकों का एक बहुत

ही सुप्रशिक्षित दल है और दो अत्यन्त परिष्कृत अनुसंधान जलयान हैं। देश में सब मिलाकर लगभग 25 अनुसंधान संगठनों में 958 समुद्री वैज्ञानिक हैं जो समुद्री वैज्ञानिक अन्वेषणों में लगे हुए हैं।

(ख) समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान एवं खोज कार्य में लगी हुई प्रमुख संस्थाओं के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन संस्थान, भावनगर।
2. केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन।
3. केन्द्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थान, बम्बई।
4. केन्द्रीय समुद्री मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन।
5. केन्द्रीय मत्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन।
6. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, कलकत्ता।
7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास।
8. राष्ट्रीय भूभौतिकी, अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद।
9. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोवा।

(ग) सजीव संसाधनों के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र के लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर भाग का सर्वेक्षण किया जा चुका है और अब तक अप्रयुक्त संसाधनों के प्रचुर क्षमता वाले क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है। निर्जीव संसाधनों के लिए सम्पूर्ण पश्चिमी महाद्वीपीय शेल्फ और पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ के एक तिहाई भाग का सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। भारत 1976 से गहरे समुद्र में खोज कर रहा है और मध्य हिन्दसागर में बहुधात्विक पिंडों के लिए दो खान स्थलों का पता लगाने के लिए अब तक लगभग 48 लाख वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह सूचित किया गया है कि आपने उत्तर को बदल दिया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : वह तो मूल उत्तर था। हम विस्तृत उत्तर देना चाहते थे। अब मैं सदन के सभा पटल पर विवरण रख रहा हूं। कार्यालय द्वारा मुझे बताया गया है कि प्रतियां दे दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह सब ठीक है।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : हमें संशोधित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी मैं अपना पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। हिन्द महासागर की सम्पदा के उपयोग के लिए हमारे पास एक वृहद (बहु-आयामीय) कार्यक्रम है। इसमें गहरी समुद्र-खुदाई, तरंग उर्जा का उपयोग और खारे पानी का खारापन दूर करना और सजीव और निर्जीव तथा समुद्री साधनों का सर्वेक्षण शामिल है। परन्तु,

महोदय, जो हमें विवरण दिया गया है उसमें कहीं भी तरंग उर्जा और खारे पानी का खारापन दूर करने संबंधी किसी कार्यक्रम का उल्लेख ही नहीं है। ये हमारी दो राष्ट्रीय समस्यायं हैं। हमारे पास बहुत से स्थानों में बिजली नहीं है तथा उर्जा और पीने के पानी की अत्यधिक कमी है। जबकि हिन्दमहासागर में स्वच्छ जल उपलब्ध है तथा समुद्र से उर्जा प्राप्त करने की काफी संभावना है। इन क्षेत्रों के बारे में हमारा क्या कार्यक्रम है? इस क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति की गई है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि मैं अपने उत्तर में इस सदन में प्रस्तुत किए गए तरंग उर्जा और पेयजल कार्यक्रम के बारे में पूरा ब्यौरा सभी को बता सकूं। यदि मैं उसे देना भी चाहूं तो वह बहुत पृष्ठों में आयेगा। परन्तु मैं सदस्य को कार्यक्रम के बारे में विवरण भेज सकता हूं। तथापि, संक्षेप में, मैं इस सदन तथा माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रायोगिक उपाय के रूप में हमने कुछ कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। हमने अपनी एक प्रयोगशाला में तरंग उर्जा उत्पन्न करने वाली एक प्रौद्योगिकी का विकास किया है जिसमें हम और विकसित करना चाहते हैं और इसे वाणिज्यिक स्तर पर प्रयोग में लाना चाहते हैं। परन्तु भारत में तथा अन्य बहुत से देशों में तरंग उर्जा का प्रयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी भी पूरी तरह विकसित है। इसे अभी भी विकसित किया जा रहा है। इसमें पारंगत होने में कुछ समय लगेगा और इसमें पारंगत होने के पश्चात्, हम समस्त उपलब्ध उर्जा का प्रयोग करने में सफल होंगे। जहां तक पीने के पानी का संबंध है, कई प्रयोगशालाओं में प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। एक प्रयोगशाला में—वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला में, और भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग की एक प्रयोगशाला में भी तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की भी एक अयोगशाला में खारे पानी से पीने के पानी की व्यवस्था करने की, खोर पानी को पेयजल में बदलने की, प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है और इनका उपयोग भी किया गया है। मद्रास में हमारे पास एक संयंत्र है तथा आजकल उसका उपयोग हो रहा है। एक और संयंत्र की स्थापना की जा रही है। जहां तक वैज्ञानिक विभागों का संबंध हैं, वे प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे ही प्रौद्योगिकी विकसित हो जाती है यह उन एजेंसियों को दे दी जाती है जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती हैं और उन मशीनों और उपकरणों का उत्पादन शुरू कर देती हैं जो बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जा सकते है। विकसित प्रौद्योगिकियां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अंतरित कर दी गई हैं और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड उन संयंत्रों का उत्पादन कर रहा है जिनका प्रयोग भविष्य में किया जा सकेगा। हमने इन प्रौद्योगिकियों का अन्तरण राज्य सरकारों को भी किया है और राज्य सरकारें यदि चाहें तो इनका उपयोग कर सकती हैं। हमारे पास 'रिवर्स ओसमोसिस' प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। हमारे पास दो या तीन अन्य प्रौद्योगिकियां भी उपलब्ध हैं जिनका आजकल उपयोग किया जा रहा है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जैसाकि आप जानते हैं, विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है और अब समय आ गया है जब विभिन्न देशों के वैज्ञानिक इस संकल्पना के बारे में खोज करने में लगे हुए हैं कि समुद्र में लोगों को आवास की

व्यवस्था कैसे की जाए। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब लोग शायद समुद्र में अर्थात् पानी में दो अथवा तीन किलोमीटर लम्बी सुरंग में रहने लगें। तीन वर्ष पहले तिरुपति में हुए एक विज्ञान सम्मेलन में इस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था कि महासागर विकास विभाग को लोगों के लिए समुद्र में आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिशा में भारत में कार्य किया जा रहा है और हमने महासागर विकास में काफी सफलता प्राप्त कर ली है। हमारा एन्टार्टिका का कार्यक्रम भी है। मैं एन्टार्टिका कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानना चाहूंगा और उसमें किस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है और क्या उसका कोई समयबद्ध कार्यक्रम है। मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से यह पता चलता है कि हमारे पास केवल दो अनुसंधान पोत और 958 समुद्री वैज्ञानिक हैं। और अब इस चुनौतीभरे कार्य को मद्देनजर रखते हुए, जो हमारे सामने है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारे पास ये दो पोत और 600 से कम वैज्ञानिक इस कार्य के लिए पर्याप्त हैं और यदि नहीं हैं तो इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए और इन लोगों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए आप क्या कर रहे हैं। इस ओर आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल: महासागर विकास और समुद्र में उपलब्ध साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित विषय पर तिरूपति में 1983 में हुए विज्ञान सम्मेलन में काफी विस्तृत चर्चा की गई थी। अब स्पष्ट रूप में यह मान लिया गया है कि महासागर संसाधनों से परिपूर्ण है और उन साधनों का देशों के आर्थिक विरास के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब देखना यह है कि इन संसाधनों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाए और जैसे ही उन प्रौद्योगिकियों का विकास हो जाता है, इनका उपयोग किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय सगंठन के अन्तर्गत यह कहा जाता है महासागर समस्त मानवजाति की विरासत है और प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कदम उठा रहे हैं। समुद्र तल प्राधिकरण प्रौद्योगिकियों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं; विभिन्न देश भी प्रौद्योगिकियों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं; ऐसे बहुत से बहुराष्ट्रीय निगम हैं जो प्रद्योगिकियों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के विकास का स्तर वास्तव में बहुत सन्तोषजनक नहीं है और इसमें कुछ समय और लगेगा, हो सकता है कि वाणिज्यिक दृष्टि से प्रयुक्त की जा सकने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास में 15 से 20 वर्ष लग जाएं।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, महासागर का विकास, महासागर विकास विभाग में किया जा रहा है, भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग में किया जा रहा है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है, मत्स्य विभाग और कृषि विभाग में किया जा रहा है। हमने हाल ही में दो अति परिष्कृत पोत खरीदे हैं। वे तैरती प्रयोगशालाओं की तरह हैं; एक है सागर कन्या और दूसरा है सागर सम्पदा। सागर कन्या का प्रयोग निर्जीव साधनों का पता लगाने और सागर सम्पदा का प्रयोग सजीव साधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग ने तीन और पोत खरीदे हैं और

उनका प्रयोग इसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। एक अन्य पोत, जिसे गवेषिणी कहते हैं, भी उपलब्ध है। हमारे पास लगभग छः पोत हैं और हम उनका इस्तेमाल विकास के लिए कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मेरे से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की आशा की जाती है जो उठाए गए हैं। यदि आपने कोई प्रश्न पूछा हो और मैंने उसके किसी भाग का उत्तर न दिया हो तो आप आपत्ति कर सकते थे। परन्तु यदि आप नहीं चाहते तो मैं लिखित में जवाब दे सकता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले सदन की इच्छा जान लेने दीजिए कि क्या सदस्य उत्तर को सुनना चाहते हैं या नहीं। यह कानाफूसी क्या हो रही है? मैं सदन में शान्ति बनाए रखना चाहूंगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक अन्टार्टिका का सम्बंध है, हमने पांच अभियान दल भेजे हैं और ये सभी पांचों वापस आ चुके हैं। हमने वहां पर एक स्थायी स्टेशन स्थापित किया है और 14 या 15 वैज्ञानिक सर्दियों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिये वहां रह गए हैं। अंटार्टिका के हालातों और उसके चारों ओर की परिस्थितियों के अध्ययन के लिये हमने एक योजना बनायी है। आते और जाते समय भी ये वैज्ञानिक समुद्र के हालातों का अध्ययन करते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तव से जो कुछ किया जाना है, वह समुद्र सम्बंधित ज्ञान जैसे, महासागर के विभिन्न स्तरों समुद्र-जल, समुद्र तल और उसके निचले स्तरों आदि को समझने और एकत्र करने से है। ज्ञान एकत्र कर लेने के पश्चात्, सर्वेक्षण कर लेने के पश्चात्, और प्रौद्योगिकियों को विकसित कर लेने के पश्चात्, आगामी 15 या 20 वर्षों के समय में हम महासागर का इस प्रकार उपयोग करने में समर्थ होंगे जो कि मानवता के लिये वास्तव में बहुत ही लाभदायक होगा।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं माननीय मन्त्री और उनके मन्त्रालय का आभारी हूं। मैं विशेष रूप से अपने माननीय प्रधान मन्त्री का भी आभारी हूं, जो कि हमारे समुद्रों में उपलब्ध भण्डारों के दोहन में विशेष रुचि ले रहे हैं। महासागर-विज्ञान के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि हिन्द महासागर में बहु धात्विक पिण्ड से परिपूर्ण पाए गये 3 लाख वर्ग किलोमीटर के दो खदान स्थलों के दोहन के लिये सरकार के पास क्या कोई योजना है? यदि हां, तो मैं तत्संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं जुकाम से पीड़ित हूं और जोर से बोलने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही बहुत अधिक समय ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री चिन्तामणि जेना : मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। मैं यह जानना चाहूंगा कि

समुद्र तल के खनिज भण्डारों के दोहन और तरंग उर्जा पैदा करने के लिए, तथा सजीव और निर्जीव समुद्री उत्पादों के सर्वेक्षण के लिये एक अलग तकनीकी बोर्ड या एक निगमित निकाय बनाने की सरकार की कोई योजना है···(व्यवधान)

मैं चिल्ला नहीं सकता हूं क्योंकि मैं जुकाम से पीड़ित हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी आवाज इस शोर में डूब गयी है।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की किसी तकनीकी बोर्ड या निगमित निकाय को स्थापित करने की कोई योजना है···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई वक्तव्य पढ़ रहे हैं ?

श्री चिन्तामणि जेना : समुद्रतल से खनिज सम्पदा के दोहन और तरंग उर्जा प्राप्त करने के लिये···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस दिन आपको कहा था कि पूरक प्रश्न पूछते समय वक्तव्य पढ़ने की अनुमति नहीं है। मैं उस बात का उल्लंघन करूंगा ।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या करना चाहिये ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष **महोदय** : यह उचित तरीका नहीं है । मैं इतने लम्बे प्रश्न की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, मुझे आपकी बात सुनायी नहीं दे रही । मैं पहले ही अपना पूरक प्रश्न पूछ चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : तब आप क्या कर रहे हैं ?

श्री चिन्तामणि जेना : यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसे दोहरा सकता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हिन्द महासागर में खनिज सम्पदा से युक्त 3 लाख वर्ग किमी० के खदान स्थलों का पता लगाया गया है और यदि ऐसा है तो इससे दोहन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं । यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की किसी निगमित निकाय को स्थापित करने की कोई योजना है ।

अध्यक्ष महोदय : हर चीज की एक सीमा होती है । डा० डी०एन० रेड्डी अगला प्रश्न शुरू करें ।

"वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के उपाय"

*869. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी दवाइयों के आयात में वृद्धि होने के कारण प्रदूषण को रोकने के प्रयासों में भी तदनुसार वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वायु-जल और खाद्य पदार्थों आदि के प्रदूषण पर नियंत्रण करने के पैमानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कीटनाशी दवाइयों का आयात कृषि उत्पादन और रोगों तथा वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण के प्राप्त लाभों के अनुरूप है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : एक विवरण सभा-पटल रखा जाता है ।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कीटनाशी दवाइयों का आयात कुल उपयोग का 5 से 7 प्रतिशत के परास में था । प्रदूषण रोधी प्रयासों को उपयुक्त रूप से मजबूत बनाया गया है ।

(ख) नियंत्रण प्राचलों का ब्यौरा **अनुबन्ध 1 से 3** में दिया गया है ।

(ग) और (घ) कृषि उत्पादन के लिए कीटनाशी दवाइयाँ अनिवार्य निवेश हैं ; और कीटनाशी दवाइयों के देशी उत्पादन के लिए आयात इस दिशा में सहायक है । राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन०सी०ए०ई०आर०) द्वारा किए गए एक अनुमान के अनुसार, कपास (40%), धान, ज्वार, ईख, आलू (9 से 12%) जैसी फसलों में नाशीकीटों और बीमारियों द्वारा काफी हानियाँ होती हैं, तथा नाशीकीटों और बीमारियों के कारण औसतन 10 से 30% सामान्य हानियां जो फसल, नाशीकीट, मौसम और स्थान पर निर्भर करती है, से कीटनाशी दवाओं के प्रयोग द्वारा बचा जाता है । इसी प्रकार कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग से मलेरिया, फिलेरिया, मस्तिष्क-ज्वर, काला-ज्वर आदि मानव की रोगवाहक बीमारियों के नियंत्रण में भी महत्व-पूर्ण सहायता मिली है नाशीकीटमार अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग के उपयुक्त तरीके, उनकी मात्रा और बचाव एहतियात वायु और जल प्रदूषण समस्याओं के निवा-रण के लिए तैयार किए जाते हैं ।

अनुबंध 1

भाग I. कीटनाशक दवा अधिनियम के अतंर्गत निर्धारित कीटनाशक दवाओं के हवाई छिड़काव के लिए सुरक्षा उपाय ।

—छिड़काव हेतु क्षेत्र का अंकन करना प्रचालकों का उत्तरदायित्व होगा ।

—प्रचालक केवल स्वीकार्य कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल और उनका प्रतिपाद अनुमोदित सांद्रता और उंचाई के अनुसार ही करेंगे ।

—प्रचालक धोने, शुद्धीकरण और प्रथमोपचार की सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे ।

—सारे हवाई प्रचालनों के बारे में जनता को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कम से कम 24 घन्टे पहले अधिसूचित किया जाएगा।

—निश्चित अवधि के लिए, ऐसे पशुओं और आदमियों को, जिनका इस प्रचालन से किसी प्रकार का संबंध नहीं है ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश की मनाही होगी और

—कीटनाशकों के नैदानिक प्रभावों को शामिल करके चालकों को एक विशिष्टीकृत प्रशिक्षण लेना होगा।

भाग II. हवा में धूमकों की अनुज्ञेय सांद्रता

क्र० सं०	धूमक	हवा में अनुज्ञेय सांद्रत (पी०पी०एम०) 8 घन्टे/दिन/5 दिन
1.	एलम्युनियम फास्फेट	0.3 पी०पी०एस० या 0 0004 मि०गा०/लीटर हवा (0.4 मि०ग्रा०/एम 3) के प्रभाव का सीमा मूल्य
2.	मिथैल ब्रोमाइड	15 पी०पी०एम० (60 मि०ग्रा०/एम 3)
3.	इथेलीन डाइब्रोमाइड	20 पी०पी०एम०

अनुबंध 2

कीटनाशी दवाईयों के बहिस्त्रावों के लिए मानक

प्राचल	सीमान्त सान्द्रता
1	2
तापमान	ग्राही जल का तपमान से ऊपर 5° से. से अधिक नहीं होता।
पी०एच०	6.5 से 8.5
वसा, तेल एवं ग्रीज (एफ०ओ०जी० मूल्य)	10 मि०ग्रा०/1
आक्सीजन अवशोषण परीक्षण (27° से० पर एसिड पोटेसियम परमैग्नेट में चार घण्टे)	60 मि० ग्रा०/1
गैर-कीटनाशीय निलम्बित सोलिड्स (निष्क्रिय संस्पणी पदार्थ, जीवविज्ञानीय मलजल)	30 मि० ग्रा०/1
इसके मेटाबोलिटीज एवं आइसोमरस सहित कुल कीटनाशी दवाइयां	10 माइक्रोग्राम/1

1	2
कार्बनिक विलायक एवं यौगिक (कार्बन क्लोरोफार्म सारसत्त के रूप में वास्तविक अथवा जलीय फेज में)	30 माईक्रोग्राम
कच्चा माल एवं प्रक्रिया के मध्यवर्ती	उनके मूल रूप में प्रस्तुत नहीं होंगे।
भारी धातु	
—ताम्बा	1 मि०ग्रा०/1
—मैंगनीज	1 मि०ग्रा०/1
—जस्ता	1 मि०ग्रा०/1
—पारा	0.01 मि०ग्रा०/1
—टिन	0.1 मि०ग्रा०/1
—निकेल आदि की तरह अन्य कोई	पीने के मानकों में 5 गुणा से अधिक नहीं होगा।
—कार्बनिक क्लोरिन —कार्बनिक नाईट्रोजन —कार्बनिक फास्फोरस —कार्बनिक सल्फर — एसिटेट	कीटनाशी दवाईयों, कार्बनिक विलयकों और यौगिकों का स्वीकार्य विसर्जन स्टाइकियो-मीट्रीक समतुल्य की मात्रा से अधिक नहीं होगी।
—सी^{6} एच^{5} ओएच के रूप में फिनाईल एवं फिनाईल योगिक	1 मि०ग्रा०
अकार्बनिक रसायन	
—ए०एस० के रूप में अरसेनिक	0 2 मि०ग्रा०/1
—सी०एन० के रूप में सायनाइड	2.2 मि०ग्रा०/1
—एनओ^{3} के रूप में नाइट्रेट	50 मि०ग्रा०/1
—पी के रूप में विघटित फास्फेट	5 मि०ग्रा०/1
—एसओ^{4} के रूप में सल्फेट	1000 मि०ग्रा०/1

*यूजी—माइक्रोग्राम
एमजी—मिलीग्राम

अनुबंध 3

खाद्य पदार्थ मिलावट निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्धारित विभिन्न खाद्य पदार्थों, सब्जियों तथा फसलों में कीटनाशी दवाईयों की सह्य-सीमा

क्रम सं०	कीटों का नाम	खाद्य पदार्थ	सह्य-सीमा मिग्रा०/किग्रा० (पी०पी०एम०)	
1	2	3	4	
1.	एलड्रिन, डेलड्रिन (सीमा एलड्रिन तथा डेलड्रिन पर एक-एक करके या किसी समुच्चय में लागू होती है तथा डेलड्रिन के रूप में अभिव्यक्त किये जाते हैं।)	खाद्यान्य	0·01	
		दूध व दूध से बने पदार्थ	0·15	(वसा के आधार पर)
		फल तथा सब्जियां	0.1	
		मांस	0.2	
		अण्डे	0.1	(शैल-फ्री के आधार पर)
2.	कारबरिल	खाद्यान्य	1·5	
		ओकरा और पत्तेदार सब्जियां	10.0	
		आलू	0.2	
		अन्य सब्जियां	5.0	
		बिनौले (सम्पूर्ण)	1.0	
		मेज काब (केरनल्स)	1.0	
3.	क्लोरडेन (सिस प्लस ट्रांस क्लोरडेन के रूप में मापे जाने के लिए अवशेष)	खाद्यान्य	0.05	
		दूध व दूध से बने पदार्थ	1.25	(वसा के आधार पर)
		सब्जियां	0.2	
		फल	0.1	
		चुकंदर	0.3	
4.	डी०डी०टी० (सीमा डी०डी०टी०, डी०डी०डी० तथा डी०डी०ई० पर एक-एक करके या किसी समुच्चय में लागू होती है।)	दूध व दूध से बने पदार्थ	1.25	(वसा के आधार पर)
		आलुओं को सम्मलित करते हुए फल व सब्जियां	3.5	
		मांस, मुर्गा व मछली	7.0	(पूर्ण उत्पादों के आधार पर)
		अण्डे	0.5	(शैल-फ्री के आधार पर)

1	2	3	4
	5. डायजिनॉन	खाद्यान्य	0.05
		सब्जियां	0.5
	6. डाइक्लोरोविस (जहां संभव हो डाइक्लोरोएस्टाइलटिहाइड का अंश बताया जाए)	खाद्यान्य	1.0
		मशीन से तैयार किया गया खाद्यान्य	0.25
		सब्जी	0.15
		फल	0.1
	7. डाइकोफोल	फल और सब्जियां	5.0
		चाय (सूखी तैयार की गई)	5.0
	8. डाइमेथोएट (इसके अवशेष का डाइमेथोएट के रूप में निर्धारण किया जाना है तथा डाइमेथोएट के रूप में अभिव्यक्त किया जाना है)	फल तथा सब्जियां	2.0
	9. एण्डोसोस्युलफेन (अवशेषों का मूल्यांकन किया जाता है तथा एण्डोसोस्युलफेन ए और बी एवं एण्डोसोस्युलफेन सल्फेट के योग के रूप में बताया जाता है)	फल तथा सब्जियां	2.0
		बिनौला	0.5
		बिनौले का तेल – (कच्चा)	0.5
	10. फेंटरोथियान	खाद्यान्य	0 02
		मशीन से तैयार किया गया खाद्यान्य	0.005
		दूध तथा दुग्ध उत्पाद	0.05 (वसा के आधार पर)
		फल	0.5
		सब्जियां	0.3
		मांस	0.03
	11. हेप्टाएक्लोर (हेप्टाएक्लोर तथा उसके इपाक्साइड के मिश्रित	खाद्यान्न	0.01
		मशीन से तैयार किया	

1	2	3	4
	अवशेषों का निर्धारण किया जाना है तथा हेप्टाएक्लोर अभिव्यक्त किया जाना है)	गया खाद्यान्य	0.002
		दूध तथा दुग्ध उत्पाद	0.15 (वसा के आधार पर)
		सब्जियां	0.05
12.	हाइड्रोजन सायनाइड	खाद्यान्न	37.5
		मशीनों से तैयार किया गया खाद्यान्य	3.0
13.	हाइड्रोजन फास्फाइड	खाद्यान्य	0.05
		मशीनों से तैयार किया गया खाद्यान्य	0.01
14.	अकार्बनिक ब्रोमाइड (ब्रोसाइड का निर्धारण एवं अभिव्यक्ति सभी स्रोतों से कुल ब्रोमाइड के रूप में की जानी है)	खाद्यान्य	25.0
		मशीनों से तैयार किया गया खाद्यान्य	25.0
		फल	30.0
		सूखे फल तथा मसाले	100.0
15.	लिंडेन	खाद्यान्य	0.25
		दुग्ध और दुग्ध उत्पाद	0.2 (वसा के आधार पर)
		फल और सब्जियां	3.0
		अण्डे	0.1 (शेल-फ्री के आधार पर)
		मांस और मुर्गा	2.0 (संपूर्ण आधार पर)
16.	मालाथियन (मालाथियन का निर्धारण किया जाना है और मालाथियन तथा मालाआक्सन के संयुक्त अवशेषों के रूप में व्यक्त	खाद्यान्य	
		मशीनों से तैयार किया हुआ खाद्यान्य	1.0
		फल	4.0
		मेवे	8.0
		फल और सब्जियां	0.5
17.	पाराथियन (पाराथियन और पैराक्सन का संयुक्त अवशेष निर्धारण किया जाना है और	फल और सब्जियां	0.5

1	2	3	4
	पाराथियन के रूप में व्यक्त किया जाना है)		
18.	पाराथन मिथाइल (पाराथन-मिथाइल और इसके आक्सीजन समानान्तर तत्वों के संयुक्त अवशेषों का निर्धारण किया जाना है और पराथियन मिथाइल के रूप में व्यक्त किया जाना है)	फल सब्जियां	0.2 1.0
19.	फासफेमिडन अवशेष जो फासफेमिडन और इसके डेसिथिल व्युत्पत्ति निष्कर्ष के रूप में व्यक्त होता है)	खाद्यान्य फल और सब्जियां	0.05 0.2
20.	पारेथ्रिन्स (पाबेथ्रिन्स-I और II का सार और अन्य संरचनात्मक रूप से पारेथ्रम के कीटनाशक अंश से सम्बद्ध)	खाद्यान्य मशीन से तैयार किया हुआ खाद्यान्य फल सब्जियां	1.5 0.5 1.0

डा० डी० एन० रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि सूखी भूमि वाले क्षेत्र में विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुन्ध प्रयोग हो रहा है और इन सूखी भूमि वाले क्षेत्रों में कीटनाशकों के प्रतिरोध को प्रायः देखा गया है ? क्या सरकार को इस बात से सन्तोष है कि रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के आयात पर होने वाला विशाल व्यय, वायु, भोजन और पानी के प्रदूषण विरोधी उपायों या अनाज उत्पादन में वृद्धि से प्राप्त लाभों की तुलना में लाभदायक है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : कीटनाशक दवाइयां बहुत लाभप्रद होती हैं। मुझे बताया गया है कि यदि आप कीटनाशकों पर एक रुपया खर्च करते हैं, तो हम 10 रु० के मूल्य का उत्पाद प्राप्त करते हैं। यह अनुपात है। सामान्यतया शुष्क कृषि में बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि केवल उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर सिंचाई सुविधाओं से कृषि की जाती है। जहां तक कीटनाशकों से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव का सम्बन्ध है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान मत डालिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने यह कहा है कि कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं। उन क्षेत्रों में, जहां शुष्क कृषि की जाती है कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनका प्रयोग उस अनुपात में नहीं किया जाता है जितना किसिंचित भूमि पर किया जाता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इससे उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जाए। सबसे अधिक क्षयकारी या सबसे अधिक जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग समाप्त किया जा रहा है। हम ऐसे कीटनाशकों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि अपेक्षाकृत हानिकारक हैं और कम विषाक्त हैं। हम उन तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिना कीटनाशकों के प्रयोग के अधिक से अधिक अन्न उत्पादन में सहायता कर सकें। जीवनाशक और जैविक नियंत्रण का भी प्रयोग किया जाता है उत्परिवर्तन तथा अनुवांशिक प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह से कीटनाशकों के प्रयोग से जो कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं उनको समझने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस समय ऐसा महसूस किया गया है कि कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यक है।

डा० डी० एन० रेड्डी : श्रीमन्, हरी खाद, गोबर बीम के बीज और इसके अंश आदि जैसे कुछ अन्य स्वदेशी प्राकृतिक कीटनाशक हैं। श्रीमान् जी, मेंढ़क अपने वजन से दोगुने कीड़ों, जो कि फसलों के लिए हानिकारक है, को प्रतिदिन खा जाता है। फिर भी मेंढ़क की टांगों का अन्धाधुन्ध निर्यात किया जाता है। चूहों को, जो कि हानिकारक हैं, नष्ट कर देना चाहिए या यदि उनकी मांग हो, तो निर्यात कर देना चाहिए। क्या सरकार इस समस्या की जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी किसी लिखे हुए वक्तव्य को पढ़ रहे हैं ?

डा० डी० एन० रेड्डी : नहीं, श्रीमन् यह एक पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है कि यह पूरक प्रश्न है किन्तु क्या इसे लिखा गया है ?

डी० डी० एन० रेड्डी : नहीं, श्रीमन्, यह एक पूरक प्रश्न है, मैंने अभी-अभी कुछ मुद्दों को नोट किया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं प्रश्न को नहीं सुन सका हूं।

डा० डी० एन० रेड्डी : महोदय, हरी खाद, गोबर नीम के बीज और इसके अंश आदि जैसे कुछ स्वदेशी प्राकृतिक कीटनाशक और उर्वरक हैं। श्रीमान् जी, मेंढ़क अपने वजन से दो गुने कीड़ों, जो कि फसलों के लिए हानिकारक है, को प्रतिदिन खा जाता है। फिर भी मेंढ़क की टांगों का अंधाधुन्ध निर्यात किया जाता है। चूहों को, जो कि हानिकारक है, नष्ट कर देना चाहिए या यदि उनकी मांग हो तो उनका निर्यात कर देना चाहिए। क्या सरकार इस मुद्दे की जांच करेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमान, हमारा प्रयास यह है कि उन सभी चीजों का प्रयोग किया जाय जो कि अधिक अच्छी फसल दे सकें और जो कि कीटाणुओं के नियंत्रण में भी सहायता

कर सकें। स्वदेशी तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है। नीम के बीज और उससे उत्पन्न उर्वरक का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका कि फसल के कीड़ों पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। हम कुछ अन्य तरीकों को भी अपना रहे हैं और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा जहरीले कीट-नाशकों का प्रयोग न हो और इस प्रकार हम एक ऐसा सन्तुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि अधिक उत्पादन में हमारी सहायता करेगा और साथ ही वातावरण के विषाक्त होने के खतरे को कम करेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : श्रीमन, गुंजाइश-सीमाओं की पूर्ण तालिका देने के लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन मेरी सूचना के अनुसार, कीटनाशकों के संचयी प्रभाव और कीटनाशकों के विषाक्त संचयी प्रभाव के दुष्प्रभाव को आंकने के लिए कोई आंकलन नहीं किया गया है। इसलिए क्या सरकार निम्न तीन कार्यों को शुरू करेगी ? प्रथम, छिड़के जाने वाले विभिन्न कीटनाशकों के संचयी विषाक्त प्रभावों का विस्तृत आंकलन करना। द्वितीय, क्या सरकार विकसित देशों के निर्माताओं से उस प्रकार का सहयोग करेगी जहां पर तीन या चार घंटों के पश्चात कीट-नाशक विखंडित हो जाते हैं ? ये अपने विखण्डन के बाद छः घंटों तक प्रभावी रहते है। इसलिए इनके दुष्प्रभाव स्थायी रूप से मिट्टी में नहीं पहुंच पाते। और तीसरे, जैविकीय नियंत्रण में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुयी है। इन तीन क्षेत्रों में आगे क्या प्रगति की जाएगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, इस समय मेरे लिए 'हां' या 'न' कहना कठिन है। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव प्रशंसनीय है। इसका परीक्षण किया जाना चाहिए और यदि यह सम्भव हो तो उस प्रकार का परीक्षण किया जा सकता है। परीक्षण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, और इसका परीक्षण किए बिना मैं कोई आश्वासन देना नहीं चाहूंगा। लेकिन यह बात हम निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे कि कुछ किया जाना चाहिए। सामने अनुपूरक प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपसे एक प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा की जाती है ?

श्री अजय मुशरान : महोदय, क्या माननीय मन्त्री को यह पता है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ फसलों पर इस समय जो कीटनाशक प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका वातावरण पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है और कीटाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए सूंडी (काटरपिलर्स) को लें। इसके परिणामस्वरूप कृषक वैज्ञानिक निर्देशों का आवश्यकता से अधिक और बार-बार प्रयोग करते हैं। क्या माननीय मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि कृषि मंत्रालय के द्वारा इस दिशा में कुछ कार्य किया गया है या नहीं क्योंकि यह प्रक्रिया पिछले तीन वर्षों से जारी है। इस सदन के भीतर और बाहर कृषि मन्त्री को इस बात की जानकारी दी गयी है, लेकिन कुछ भी किया गया नहीं प्रतीत होता है। क्या माननीय मन्त्री जी कृपया स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, इस बात की रिपोर्टें थी कि कुछ कीटनाशक दवाइयां वास्तव में लाभदायक नही हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कीटनाशक दवाइयां और उनको बनाने की विधि लाभदायक नहीं है। कभी-कभी निर्माताओं द्वारा उनको सही तरह से नहीं

बनाया जाता है। कभी-कभी जब कीटनाशक तैयार किये जाते हैं तब उनमें मिलावट भी कर दी जाती हैं। उनमें पानी मिला दिया जाता है और इसीलिये वे प्रभावकारी नहीं हो पाते हैं। लेकिन जहां तक कीटनाशकों को तैयार करने की तकनीक और प्रक्रिया का सम्बन्ध है इनका प्रयोगशालाओं में पूर्ण परीक्षण किया जाता है और जब यह पाया जाता है कि ये प्रभावशाली हैं तभी उन्हें निर्माताओं को दिया जाता हैं। जिस बात का परीक्षण किया जाता है तथा जिस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी होती है वह यह है तकनीकों और प्रक्रियाओं का सही मिश्रण हो और कीटनाशकों में मिलावट न हो।

बाल सुधार गृहों की कमी

*871. **श्री चित्त महाता** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बाल सुधार गृहों की कमी के कारण 12 से 16 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को देश की विभिन्न जेलों में दण्ड भोग रहे अपराधियों और पागलों के साथ रहने के लिए बाध्य किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों में विभिन्न राज्यों के बाल अधिनियम के विशिष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इन अधिनियमों में, बच्चों को वयस्क अपराधियों से अलग रखकर, उनमें सुधार करने का प्रावधान है। कुछ राज्यों में, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को, बाल अधिनियमों के अन्तर्गत, अवसंरचना के अभाव में, जेलों में रखा जाता है। बाल अधिनियमों के कार्यान्वयन और अपेक्षित अवसंरचना की स्थापना की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों की है। फिर भी, भारत सरकार इनसे, बाल सुधार गृहों समेत समुचित संस्थाओं के जरिए बाल अधिनियमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए आग्रह कर रही है।

[हिन्दी]

श्री चित्त महाता : हमारे देश में सोलह साल से नीचे जो मासूम बच्चे हैं, उनको किसी भी मामूली केस में जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। मंत्री जी ने बताया है कि कुछ राज्यों में रिमान्ड होम नहीं होने के कारण उन लोगों को जेल में रहना पड़ता है। जेल में क्रिमिनल्स के साथ रहने के कारण वे भी क्रिमिनल बन जाते हैं और जेल में रखने का जो लक्ष्य है, वह समाप्त हो जाता है, इसलिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों में इसकी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, इसका क्या कारण है और केन्द्रीय सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : केन्द्रीय सरकार, माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि बच्चों को जेल के अन्दर नहीं रखना चाहिए और इस सिलसिले में जो चिल्ड्रन एक्ट बना उसके तहत हरेक स्टेट को पहले, दूरे और तीसरे प्लान पीरियड में सेन्टल गवर्नमेंट की तरफ से यह जिम्मेदारी ली गई थी, लेकिन बाद में यह समझा गया कि इसे स्टेट को दे दिया जाए और फोर्थ प्लान से स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा यह काम किया जा रहा है। नागालैण्ड को छोड़कर प्राय: सभी स्टेट्स ने चिल्ड्रन एक्ट बनाया और उसके अन्तर्गत इस प्रकार के रिमान्ड होम जहां पर कि बच्चे पकड़े जाते हैं और दूसरे और भी इंस्टीच्युशन्स जिनमें कि करेक्टिव होम्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि बच्चों को रखने की बात है। लेकिन फिर भी जो हमारे पास रिपोर्ट है उससे यह पता चलता है कि अभी भी काफी संख्या ऐसे बच्चों की है जो कि जेलों के अन्दर बड़े क्रिमिनल्स के साथ हैं। गवर्नमेंट् की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को यह आदेश दे दिया गया है कि जल्दी से जल्दी ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएं, रिमान्ड होम तैयार किए जाएं जिससे कि ऐसे डेलीन्क्वेंट बच्चों को जो कि आफेन्स करते हैं, उन्हें बड़े क्रिमिनल्स के साथ न रखा जाए क्यों कि उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर अच्छा नहीं पड़ता है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने सेवन्थ प्लान में इस बात के लिए अलग से धनराशि रखी है जिसको कि रिमान्ड होम बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को उसमें मदद दी जा सकेगी।

श्री चित्त महाता : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सोलह वर्ष से नीचे कितने बच्चे प्रतिवर्ष जेल की सजा भुगतते हैं और उसका परसन्टेज क्या है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : फिगर यह बताता है कि कुछ स्टेट्स को छोड़कर के बाकी स्टेट्स में ज्यादा बच्चे नहीं हैं। जो हमारे पास फिगर है, वह यह बताता है कि बंगाल में लगभग चार-साढ़े चार सौ हैं और महाराष्ट्र में कुछ हैं, बाकी स्टेट्स में एक, दो, तीन या कहीं पर चार, अलग-अलग संख्या है। लेकिन दो-तीन स्टेट्स हैं, जहां पर ज्यादा हैं।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : जहां तक अपराधों से निपटने का सम्बन्ध है हमारे पास दो सिद्धान्त हैं, प्रथम है प्रतिकारी सिद्धान्त और द्वितीय है सुधारात्मक सिद्धान्त। चूंकि अपराध बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो जहां तक वयस्क अपराधों का सम्बन्ध है, हम सुधारात्मक सिद्धान्त को उस सीमा तक नहीं लागू कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है, हमें इस सुधार की नीति पर गहनता से विचार करना है। जहां तक जेल में बन्द बच्चों के सुधारने का सम्बन्ध है क्या आपके पास किसी विशेषज्ञ को लगाने की कोई योजना है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : यह हमारे कार्यक्रम और नीति का एक अंग है, यह प्रमुखतया सुधारात्मक है। उसी वजह से हम अपने बच्चों को जेल में नहीं रखना चाहते हैं और इस निमित्त निरीक्षण गृहों की व्यवस्था है जिसमें से करीब 106 विशेष प्रमाणित विद्यालय, 32 बाल गृह, 142 फिट पर्सन इन्स्टीच्यूट, और 39 निरीक्षण-पश्चात सस्थायें हैं। सभी 246 संस्थाओं की कुल क्षमता 35994 हैं। ये संस्थाएं सुधारात्मक उपायों से लगी हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह केवल उन लोगों का प्रश्न नही है जिन्होंने अपराध किया है लेकिन करीब 4 वर्ष पूर्व मुझे दूसरे सदन में एक प्रश्न उठाने का अवसर मिला था। ऐसे बहुत से मामले होते थे जब माताओं को सजा दी जाती थी और बच्चे मां के पास जेल में जाते थे और शायद जेल में रहने वाले बच्चे बड़े होने तक जेल में ही रहते थे क्योंकि उसके बाहर रहने का उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता था। इस तथ्य के बावजूद कि उस समय सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि प्रश्न के इस पहलू पर विचार किया जायेगा, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं किया गया है। क्या सरकार ने उन बच्चों की ओर कोई ध्यान दिया है जो जेलों में बन्द अपनी माताओं के पास जाते हैं और उन्हें वहां बडे होने तक रहना पड़ता है। तब वे वापस नहीं आ सकते हैं क्योंकि बाहर उनके रहने के लिये कोई भी जगह नहीं होती है। क्या सरकार का ध्यान इस ओर खींचा गया है, यदि हां तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सरकार स्थिति की गम्भीरता को जानती है और पिछली मई 1985 में इस समस्या के विषय में प्रधान मन्त्री ने स्वयं सभी राज्यों को पत्र लिखे थे। उस पत्र में यह कहा गया था कि जिन बच्चों के अपराध कम गम्भीर प्रकृति के हैं उन्हें स्वयंसेवी सुधारवादी अधिकारियों की देखरेख में रखा जाना चाहिये या लाइसेंस पर छोड़ दिया जाना चाहिये या मान्यताप्राप्त व्यक्तियों या संस्थाओं की देखरेख में रखा जाना चाहिये। आपने माताओं और अन्य के सम्बन्ध में पूछा है। इस प्रकार के सुधार गृह हमारे पास हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने प्रश्न पूछा था कि जब एक मां कोई अपराध करती है लेकिन बच्चों को मां के साथ जाना पड़ता है और उन्हें वहां सालों तक साथ रहना पड़ता है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : माताओं और बच्चोंको भी कभी-कभी उसमें रखा जाता है अतः हम सम्पूर्ण समस्या पर विचार कर रहे हैं। यह समस्या एक अलग समस्या नहीं है।

भारत का हिन्द महासागर में गहरे समुद्र में खनन का दावा

*872. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में गहरे समुद्र में खनन के लिए भारत का दावा महासागर विधि संबंधी प्रारम्भिक समिति के समक्ष अभी तक पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दावे को शीघ्र स्वीकार कराने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो खनन कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण तथा समुद्र कानून के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए प्रारम्भिक आयोग को एक अग्रणी क्षेत्र के पंजीकरण और आबंटन के लिए 10 जनवरी, 1984 को भारत का आवेदन-पत्र दिया हुआ है। यह उनके समक्ष अभी तक पड़ा हुआ है।

(ख) भारत अपने आवेदन के शीघ्र पंजीकरण की आवश्यकता के लिए आयोग के प्रत्येक अधिवेशन में बहुत जोर देता रहा है ।

(ग) आयोग द्वारा संबद्ध नियम, विनियम और क्रियाविधि स्थापित किए जाने के पश्चात् भारत के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है । समझौते के लागू होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल का प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक देश की कार्य-योजना अनुमोदित किए जाने के बाद ही वाणिज्यिक खनन किया जा सकता है ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : आवेदन पत्र 10 जनवरी, 1984 को दिया गया था और तब से यह अभी तक लम्बित पड़ा हुआ है । उत्तर यह दिया जाता है कि नियम, विनियम और प्रक्रिया अभी तक तैयार नहीं की गयी है । नियमों, विनियमों और प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने में यह प्रारम्भिक आयोग कितना समय लेगा ? ऐसा क्या अमेरिका के विरोध के कारण है कि इनको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और देरी हो रही है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक समझौते का सम्बन्ध है, इसकी अभी तक पुष्टि होनी बाकी है । 60 देशों को इसकी पुष्टि करनी होगी और केवल तभी इसको लागू किया जा सकता है । जहां तक नियम, विनियम और प्रक्रिया को तैयार करने का सम्बन्ध है, यह उन बातों पर आम सहमति के बाद किया जा सकता है जिन पर कि आज विवाद है । प्रशांत महासागर के उन क्षेत्रों से जहां से समुद्र-पिण्ड निकाले जाते हैं ; आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । एक आवेदन पत्र सोवियत संघ ने दिया है, दूसरा फ्रांस ने दिया है तीसरा एक तीसरे देश द्वारा दिया गया है और ये सभी आवेदन पत्र एक ही से सम्बन्धित हैं । इन क्षेत्रोंके संबंध में कोई आम राय नहीं है । एक आम राय बनाने के बाद ही वे नियम, विनिमय और प्रक्रिया को बनानेमें समर्थ होंगे । ऐसा हो जाने के पश्चात् प्रारम्भिक आयोग के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार करना सम्भव होगा । उसके पश्चात् योजना को स्वीकृति दी जायेगी और कार्यवाही की जाएगी ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या यह सच नहीं है कि ये चार देश जिन्होंने निवेशक देशों के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन किया है, दिसम्बर, 1985 में भी मिले थे और अपने प्रलेखों का आदान-प्रदान किया था । वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ये क्षेत्र एक दूसरे का अतिच्छादित नहीं करते हैं । अतः इस बात पर कोई समस्या नहीं है कि ये क्षेत्र एक दूसरे को अतिच्छादित करते हैं और उसको हल किया जाना है । समस्या यह है कि नियमों और विनियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता था कि अभी कितना समय और लगेगा । समुद्रतल से बहुधात्विक पिण्ड जो कि 6000 मीटर की गहराई पर पाये जाते हैं, निकालने और खनन करने के लिए क्या हम पर्याप्त तैयारी कर रहे हैं ? क्या आपके पास आवश्यक उरकरण हैं या नहीं ? क्या आप यह योजना इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी आपने उत्तर दिया है कि विभिन्न देशों द्वारा और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण द्वारा भी अत्याधुनिक तकनीकों का विकास किया जा रहा है और इसमें 15 वर्ष लगेंगे ? मान लीजिए कि यदि आपको अनुमति दे दी जाए तो क्या आप तुरन्त व्यापारिक स्तर पर बहुधात्विक पिण्ड के खनन की स्थिति में होंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : समुद्री संसाधनों का दोहन मानव-समुदाय द्वारा अब प्रारम्भ किया जा रहा है। इस संबंध में प्रौद्योगिकियां नहीं हैं। इस प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए राष्ट्रों तथा बहुराष्ट्रिकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के अधीन संयुक्त रूप से तथा स्वतन्त्र रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने पहले भी यही बात कही थी। अब जो करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है वह यह है कि अग्रणी निवेशक को दो क्षेत्र निर्दिष्ट करने हैं। एक क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरे क्षेत्र की जानकारी समुद्रतल प्राधिकरण के पास रहेगी। अग्रगामी निवेशक को प्रौद्योगिकी का विकास करने, सर्वेक्षण करने, जानकारी एकत्र करने तथा इसे दूसरों के साथ आदान-प्रदान करने की अनुमति प्राप्त है। वास्तविकता यह है कि हमारे पास ऐसी समुन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक आधार पर किया जा सकता है। हमारे पास पिण्डों को बाहर लाने तथा धातुओं को निकालने के लिए प्रयोगशाला स्तर की प्रौद्योगिकी है। उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। तीसरी अवस्था वाणिज्यिक स्तर की है। वह स्तर किसी भी देश में प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ बहुराष्ट्रिक निगम यह कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी नहीं हुआ है जबकि कुछ अन्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अग्रणी निवेशक स्थल का चयन करेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे पास पूर्वी तट पर दो ऐसे स्थल हैं जहां बहुधात्विक पिन्डों के विशाल भंडार पाये गए हैं। मैं 1976 से किए गए गवेषणा-कार्य के बारे में जानना चाहता हूं जिसका उल्लेख पहले किए गए प्रश्न के उत्तर में किया गया है, जिसमें चालीस लाख वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया है। इस वक्तव्य विशेष के पश्चात्, कि दो स्थानों का पता लगाया गया है, कितने स्थल और खोजे गए हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को ध्यान में रखना है। खुले समुद्र पर हमारा कोई प्रभुत्व नहीं है।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैं खनन स्थलों की नहीं अपितु गवेषणा स्थलों की बात कर रहा हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : खुले समुद्र पर हमारा कोई प्रभुत्व नहीं है। केन्द्रीय हिन्द महासागर में दो स्थल हैं जिनका हमने चयन किया है। हमने इन दो स्थलों की सूचना अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग को दे दी है। उस क्षेत्र में परीक्षण के लिए हमें अनुमति प्रदान करना अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्य है तथा अनुमति मिलने के पश्चात् हम परीक्षण करेंगे। हमने 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है और उसके 1200 चित्र लिये हैं। बारह सौ नमूने एकत्र किए गए हैं। हम अन्य क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम वैसा करना भी चाहें, तो हमें उन क्षेत्रों में एकमात्र अधिकार पाने की अनुमति नहीं दी जाएगी···(**व्यवधान**) और चूंकि हमें उस क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए हम वैसा नहीं कर सकते। इस कारण, अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य का किया जाना निरर्थक है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, पिण्डों का दोहन नहीं किया जा सकता, किन्तु गवेषण-सम्बन्धी कार्य-कलाप 1976 से जारी हैं। दो स्थलों का पता लगाया गया है। और कितने स्थलों का पता लगाया गया है, यही मैंने पूछा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : समुद्र के पिण्डों का पता लगाने का यह कार्य अत्यन्त ही जटिल है और इसके लिए काफी धन की आवश्यकता है। हमने दो क्षेत्रों में वसूली की है। दो में से केवल एक क्षेत्र में ही हमें अनुमति मिलेगी। हिन्द महासागर के अन्य क्षेत्रों, प्रशान्त महासागर तथा एटलांटिक महासागर में भी पिण्ड प्राप्य हैं। हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है वह अपर्याप्त है। प्रश्न यह हैं कि क्या उस अपर्याप्त जानकारी से तथा हमारे पास उपलब्ध धन से, यदि हमें केवल एक क्षेत्र में गवेषणा-कार्य की अनुमति दी जाती है, अन्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना बुद्धिमानी है जबकि एक क्षेत्र के सम्बन्ध में ही कुछ नहीं किया जा रहा है। इसलिए, अब हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जहां गवेषणा-कार्य किया जा चुका है और हम पिण्डों को समुद्र से निकालने तथा धातु निकालने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। हमारी दिशा उसी ओर है। ऐसा नहीं है कि हम सम्पूर्ण महासागर का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं और तत्पश्चात् यह कहें कि पिण्ड कहां-कहां पर उपलब्ध हैं। हमें अन्य क्षेत्रों के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त है।

अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम

+

*873. **श्री अमर सिंह राठवा :**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम शुरू किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए उन राज्यों ने क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं ;

(ग) क्या ऐसे कार्यक्रम उड़ीसा में भी शुरू किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में इन कार्यक्रमों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) उड़ीसा में 1985-86 के दौरान अनुसूचित जाति के 62,000 परिवारों तथा अनुसूचित जनजाति के 75,000 परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता करने के लक्ष्य के मुकाबले में अनुसूचित जाति के 72,248 परिवारों तथा अनुसूचित जाति के 68,983 परिवारों (फरवरी 1986 तक) की आर्थिक रूप से सहायता की गई थी ।

विवरण

नये 20 सूत्री कार्यक्रम की मद 7 के अधीन आर्थिक रूप से सहायता किए जाने के लिए प्रस्तावित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1985-86 के दौरान आर्थिक रूप से सहायता किए जाने के लिए अनुसूचित जातीय परिवारों की संख्या	1985-86 के दौरान आर्थिक रूप से सहायता किये जाने के लिए अनुसूचित जनजातीय परिवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	230000	40500
2.	असम	23000	19725
3.	बिहार	300000	94125
4.	गुजरात	61700	52500
5.	हरियाणा	37600	—
6.	जम्मू और कश्मीर	3500	—
7.	हिमाचल प्रदेश	24000	1973
8.	कर्नाटक	100000	6497
9.	केरल	45000	3375
10.	मध्य प्रदेश	197000	150000
11.	महाराष्ट्र	89876	56250
12.	मणिपुर	400	2892
13.	उड़ीसा	62000	75000
14.	पंजाब	49395	—

1	2	3	4
15.	राजस्थान	120000	45150
16.	सिक्किम	1000	1200
17.	तमिलनाडु	200000	6982
18.	त्रिपुरा	4300	6483
19.	उत्तर प्रदेश	300000	2400
20.	पश्चिम बंगाल	289600	59857
21.	चण्डीगढ़	400	—
22.	दिल्ली	9000	—
23.	गोआ, दमन और दीव	1500	488
24.	पाण्डिचेरी	2000	—
25.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	506
	जोड़	2141271	625903

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट-वाइज अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या तो दी गई है परन्तु उन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी, सातवीं पंच-वर्षीय योजना में, उसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। क्या मंत्री जी वह सूचना भी देंगे।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो सम रखा गया है, वह स्टेट-वाइज नहीं रखा जाता, अलग-अलग स्टेट के लिए सैपरेटली नहीं रखा जाता। प्रश्न में आपने उड़ीसा के सम्बन्ध में जो जानकारी चाही है, उसका समावेश कर दिया गया है। अलग-अलग स्टेट्स का एक साल के लिए फैमलीज को जो एसिस्टैंस मिली, उसका टोटल आता है, शैड्यूल्ड कास्ट में 2141271 तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 625903 तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना की पूरी फीगर्स मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, बीस-सूत्री कार्यक्रम हरिजनों और आदिवासियों के लिए कामधेनु के समान है। इसका लाभ इन लोगों को पूरी तरह से मिल पाता है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए क्या मन्त्री महोदया एक केन्द्रीय जाँच समिति बनाएंगी या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : हां, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्या मन्त्री जी कोई केन्द्रीय समिति बनायेंगी या नहीं, यह बताईये।

श्री मूलचन्द डागा : जांच समिति के बारे में बतायें।

श्री अमर सिंह राठवा : लाभ नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बताएं?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट लैवल, डिस्ट्रिक्ट लैवल और केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी मानिटरिंग का काम किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद हमारे पास रिपोर्ट है करीब-करीब 46 परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को जो एसिस्टैंस दिया गया है, उससे उन्हें लाभ पहुंचा है, लेकिन फिर भी यह समझा जाता है कि अगले प्लान में इसको इस प्रकार से कंटीन्यू किया जाये जिसमें कुछ जिन लोगों को पूरी तरह से लाभ नहीं पहुंचा है, उन्हें सैकिंड डोज दिया जा सके और आगे के लिए फर्स्ट डोज दिया जाये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में न बोलें ! मुझे यह पसंद नहीं हैं। ऐसा कभी नहीं करें। मैंने यह देखा है और मैं तदनुसार निर्णय करूंगा। प्रत्येक समुदाय को अवसर दिया गया है। ये सभी मेरे माननीय सदस्य हैं, उनकी संख्या 544 है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, कोई भी प्रश्न महत्वहीन नहीं होता। कृपया दूसरों को न टोकें।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में पार्टी लाइन से बाहर होने की परिभाषा क्या है ? शिड्यूल्ड कास्ट्स के पास कितने बंगले होने चाहिएं, कितनी प्रापर्टी होनी चाहिए ? मैं जानना चाहता हूं कि उनके पास क्या होना चाहिये ?

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : पावर्टी लाइन के नीचे एक सर्टेन इनकम ग्रुप के लोगों को माना गया है। उसके बाद उनको उस इनकम ग्रुप से ऊपर उठाया जाता है और तब समझा जाता है कि पावर्टी लाइन से ऊपर उठ गए हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे हरिजन, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की जिस तरह से स्थिति है, उसमें अलग-अलग कैटेगरी के लोग भी आते हैं। जो लैंडलैस हैं, जो ऐसे हैं जिनको केवल थोड़ी सी आमदनी में अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। इनके लिए सातवीं प्लान में जो कार्यक्रम हमने बनाया है उसमें ऐसे लोग आते हैं जैसे कैस्वैंजर्स, वीकर्स और जो बहुत ही गरीब लोग हैं। साथ ही साथ देहात में जो लैंडलैस लोग हैं उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए, यह भी इसमें आता है। भूमि सुधार के काम में भी बहुत ज्यादा कोशिश की जायेगी, जिससे उनकी आर्थिक हालत अच्छी बन सके।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कल आपको समय दिया था, अब औरों की बारी भी आने दीजिये।

[अनुवाद]

मैं सदस्यों के चेहरे याद रखता हूं ; मैं सदस्यों के नाम को याद रखता हूं और मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है। केन्द्रीय सहायता से इस सुविधा में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

डा० राजेन्द्र कुमार बाजपेयी : जनजातीय क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए जनजातीय उपयोजना तैयार की गयी है ताकि जनजातियों की आर्थिक समस्याओं का हल किया जा सके। जनजातीय विकास की समस्याओं को विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया गया है। जहां जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है, वहां जनजातीय विकास ब्लाक का निर्माण किया गया है। दूसरे का नाम है संशोधित क्षेत्र विकास सम्पर्क। और तीसरा ऐसा क्षेत्र है जहां जनजातीय जनसंख्या की बहुलता नहीं है। इन योजनाओं के अन्तर्गत, समूचे भारत में जनजातीय आर्थिक विकास कार्य किया जा रहा है। जहां जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है, वहां यह विशेष जनजातीय विकास योजना चलाई जा रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उग्रवादी गतिविधियों से निपटने हेतु केन्द्रीय सहायता

*874. **श्री आर०एस० माने** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रो में बढ़ती हुई उग्रवादी गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) क्या वह सच है कि आन्ध्र प्रदेश ने उन क्षेत्रों में उग्रवादी हिंसात्मक गतिविधियों से निपटने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ग) क्या यह अनुरोध अभी तक विचाराधीन है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर ऐसी हिंसात्मक तथा विघटनकारी गतिविधियों से निपटने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सितम्बर, 1985 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 4 बटालियनें तैनात करने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कुल तैनाती को ध्यान में रखते हुए बल उपलब्ध कराना संभव नहीं हुआ। फिर भी राज्य सरकार को पड़ोसी राज्यों से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गयी थी।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों ने सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, पुलिस बलों और पुलिस एजेंसियों आदि के बीच अधिक कारगर सहयोग और समन्वय स्थापित करने समेत विभिन्न कदम उठाये हैं।

अपात्र व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का दिया जाना

*875. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ ऐसे लोगों को भी स्वतंत्रता सैनानी पेंशन मिल रही है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया था; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के सभी वर्तमान मामलों की जांच करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है, ताकि ऐसे व्यक्तियों की पेंशन रद्द की जा सके जो इसके पात्र नहीं हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) केवल वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने का प्रत्येक प्रयास किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रस्तुत दावे के उचित सत्यापन और दस्तावेजों की सावधानी-पूर्वक जांच करने के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है। सत्यापन साधारणतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जहां आवश्यक होता है वहां राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों की सलाहकार समिति की भी सहयाता ली जाती है।

फिर भी, कुछ पेंशन प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने गलत और झूठी सूचना प्रस्तुत करके धोखाधड़ी के तरीके से पेंशन प्राप्त की है। ऐसी शिकायतों को तुरन्त सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। सत्यापन करने पर यदि शिकायत प्रथम-दृष्टया सच्ची मालूम होती है तो स्वीकृत की गयी पेंशन निलम्बित कर दी जाती है और पेंशन प्राप्तकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। ऐसे मामलों की स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम समीक्षा की जाती है और जैसा भी मामला हो, पेंशन रद्द कर दी जाती है अथवा बहाल कर दी जाती है। यदि यह पाया जाता है कि पेंशन धोखाधड़ी के तरीके से प्राप्त की गई है तो पहले की गई अदायगियों की वसूली भी की जाती है।

भारत-रूस संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान

*876. **श्री एन० टोम्बी सिंह** :

श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक और भारत-रूस संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की योजना बनाई जा रही है;

(ख) भारतीय अंतरिक्ष-यात्रियों को अंतरिक्ष में क्या मुख्य कार्य करने होंगे; और

(ग) पहले की गई अंतरिक्ष यात्रा के, प्रयोगात्मक उपलब्धियों के विशेष संदर्भ में क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) फिलहाल, एक और भारत-रूस संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जैव-चिकित्सा के पहलुओं, द्रव्य विज्ञान और सुदूर संवेदन से सम्बन्धित कई परीक्षण किए गए थे । आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और इन्हें वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित किया गया है । सुदूर संवेदन संबंधी परीक्षण विशेष रूप से मृदा, वानिकी, भूविज्ञान, जल संसाधन, भूमि उपयोग और कृषि सम्बन्धी अध्ययनों में कई एजेंसियों के लिए उपयोगी रहे हैं ।

"नगरों में वायु की शुद्धता सुनिश्चित करना"

*877. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने नगरों/कस्बों में वायु की शुद्धता सुनिश्चित करने के उपाय किये जाते हैं; और

(ख) एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों/शहरों में कितने वायु शुद्धता निगरानी केन्द्र स्थापित हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) और (ख) 17 नगरों और कस्बों में वायु गुणवत्ता का प्रबोधन किया जा रहा है और अब तक 59 स्टेशन स्थापित किये गये हैं । प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये नगरों/कस्बों में से, एक लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक नगर/कस्बे के लिए 3 से 5 स्टेशन हैं ।

[हिन्दी]

गरीबी से त्रस्त लोगों सम्बन्धी अध्ययन

*878. **श्री मेवा सिंह गिल** :
श्री सोमनाथ रथ :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय प्रयोगात्मक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के अध्ययन प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि गरीबी से त्रस्त लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाला है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् की अध्ययन रिपोर्ट की

जानकारी है । संदर्भित अध्ययन, 5 अप्रैल, 1986 को राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् के वार्षिक दिवस के अवसर पर "भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रमुख असंतुलनों पर संकेन्द्रण" पर प्रस्तुत किया पत्र था । राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् के अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1970-71 से 1981-82 के बीच गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात काफी कम हुआ है अर्थात् 1970-71 में 56.90 प्रतिशत से घटकर 1981-82 में 48.54 प्रतिशत रह गया । ये परिणाम, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा 1981-82 में उन्हीं परिवारों के फिर से किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है जिनका 1970-71 में सर्वेक्षण किया गया था । इस अध्ययन से यह पता चलता है कि प्रचलनात्मक असमर्थताओं के बावजूद, गरीबी दूर करने के कार्यक्रम और उनका प्रभाव न केवल सकारात्मक रहा है बल्कि महत्वपूर्ण भी ।

(ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् अध्ययन की रिपोर्ट की जांच की है और यह पाया है कि राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् अध्ययन के परिणाम जैसा कि योजना आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया है, समय-समय पर गरीबी के अनुपात की प्रवृत्ति के प्रतिकूल नहीं है ।

[अनुवाद]

नरोरा परमाणु बिजली घर के लिए उपकरण

*879. **श्री के० राममूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरोरा परमाणु बिजली घर को भारतीय उद्योगों से, जिन्हें प्रमुख परमाणु उपकरणों के लिए निश्चित क्रयादेश दिए गए थे, उन उपकरणों को प्राप्त करने में 3 से 4 वर्षों तक विलम्ब का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की उपकरणों की सप्लाई में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अत्याधुनिक तथा सूक्ष्म परमाणु उपकरणों की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सप्लाई में होने वाले विलम्ब को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) हालांकि नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना को उपस्कर मिलने में तीन से चार वर्ष तक का विलम्ब हुआ है फिर भी निर्माण में लगने वाले कुल समय में एक वर्ष से अधिक विलम्ब नहीं होगा । उद्योगों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि ये मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाएं, अतिरिक्त सुविधाएं लगाएं और निर्माण की ऐसी उचित प्रक्रियाएं खोजने के लिए जिनकी ओक्षाएं अपेक्षाकृत कठोर होती है, विकास-कार्य करें ।

नरोरा संयंत्र के डिजायन का मानकीकरण उसके बाद लगाए जाने वाले 235 मेगावाट क्षमता के यूनिटों के लिए किया जा चुका है और आशा है कि भविष्य की परियोजनाओं में प्रमुख उपस्करों के निर्माण की वजह से कोई विलम्ब नहीं होगा ।

आदिवासियों की समाप्ति को रोकना

*880. **श्री आई० रामा राय : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आदिवासी जातियां स्वास्थ्य संबंधी खतरों और अन्य कठिनाइयों के कारण तेजी से समाप्त होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी समाप्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या यायाबर आदिवासियों का पता लगाने और उनके कल्याण के लिए कोई व्यवस्था की गई है ;

(घ) क्या कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में "कारंग" नामक कबीलों की जिनका व्यवसाय टोकरी बनाना है दयनीय दशा को सुधारने का सरकार का विचार है; और

(ङ) क्या उनके बच्चों के लिए अनिवार्य आवासीय शिक्षा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) आदिवासी समूहों विशेषतः आदिम आदिवासी समूहों की स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है ।

(ग) उनके लिए कोई अलग संगठन नहीं है । सभी जनजाति समूह गरीबी निवारण कार्यक्रमों तथा आदिवासी उपयोजना स्कीम के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

(घ) कर्नाटक तथा केरल में कारंगो पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए उनको आदिम जनजातियों समूहों के रूप में माना गया है ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् । आवासीय स्कूलों और प्रोत्साहनों द्वारा शिक्षा सुविधायें दी जाती हैं ।

पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजली घर

*881. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में परमाणु बिजली (ऊर्जा) घर स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या कलकत्ता स्थित साहा इन्स्टीच्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ-साथ अधिकाधिक कार्यकलापों के लिए साल्ट लेक स्थित परमाणु ऊर्जा एकक का विस्तार करने का विचार है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस विभाग की स्थल चयन समिति ने पूर्वी विद्युत क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत आने वाले राज्यों में पश्चिमी बंगाल भी है, में भविष्य में

लगाए जाने वाले परमाणु बिजलीघरों के लिए विभिन्न स्थलों के बारे में विचार किया है। इस समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) कलकत्ता में साल्ट लेक स्थित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान केन्द्र को इस समय भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों, साहा न्यूक्लियर भौतिकी संस्थान और विश्वविद्यालयों द्वारा काम में लाया जाता है। इस सुविधा का विस्तार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

"केरल में वनों का संरक्षण"

*882. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह सूचना प्राप्त हुई है कि केरल सरकार का केरल बागान निगम वनों के संरक्षण सम्बन्धी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करके कालीकट जिले में पेरुवन्नामूझी के निकट सरकार द्वारा आरक्षित वनों में 1000 एकड़ क्षेत्र में पेड़ काट रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार अथवा उपर्युक्त बागान निगम ने केन्द्रीय सरकार से उचित अनुमति प्राप्त की है ; और

(ग) यदि इस प्रकार की अनुमति दी गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) राज्य सरकार के अनुसार कालीकट वन प्रभाग के पिल्लापेरूवन्ना मालावरम रेंज की 341.34 हैक्टेयर वन भूमि में केरल बागान निगम का रबड़ बागान उगाने का प्रस्ताव है जिसे कि 1973 में अर्थात् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पूर्व अनारक्षित किया गया था, पूर्णतः वृक्षों की कटाई की गयी थी और इसे राजस्व विभाग को सौंपा गया था।

(ख) चूंकि वनभूमि का अंतरण एवं इसमें वृक्षों कटाई उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही की गई थी, अतः केन्द्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रंगीन दूरदर्शन (टी० वी०) का निर्माण

*883. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 40 प्रतिशत तक विदेशी अंश पूंजी वाली कम्पनियों को रंगीन दूरदर्शन (टी० वी० सेटों) का निर्माण करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(क) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके निर्णय से रंगीन टी० वी० सेटों का निर्माण करने वाली वर्तमान स्वदेशी कम्पनियां कुप्रभावित होंगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप ऐसी अनेक कम्पनियां बन्द हो जायेंगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दिनांक 25 फरवरी, 1983 को सरकार ने रंगीन दूरदर्शन नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार, विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) की कम्पनियों को छोड़कर, रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने में उद्योग के सभी क्षेत्र भाग ले सकते हैं। नीति की घोषणा के उपरान्त ही, 1 जनवरी, 1986 के संकल्प के जरिए, जिन कम्पनियों की विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है, वे भी इन उद्योग में भाग लेने की पात्र हैं, लेकिन शर्त यह है कि इन कम्पनियों को, उनकी यूनिट के द्वारा उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए अपने उत्पादन के कम से कम 25 प्रतिशत भाग की आपूर्ति किट के रूप में लघु-उद्योग के यूनिटों को करनी होगी। विनिर्माण तथा दूरदर्शन सेटों की बिक्री में विदेशी ब्रांड नामों की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) यह निर्णय दूरदर्शन नीति को इस सामान्य नीति के अनुरूप लाने के उद्देश्य से किया गया था कि भारतीय कम्पनियों को जिनमें 40 प्रतिशत अथवा उससे कम वाली विदेशी साम्या-पूंजी की कम्पनियां शामिल हैं, इलेक्ट्रानिकी के किसी भी ऐसे क्षेत्र से जो संगठित क्षेत्र के लिए खुला है, महज इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उनमें विदेशी साम्या-पूंजी लगी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खारे समुद्री जल को पेय-जल में बदलना

*884. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

सरदार त्रिलोचन सिंह तुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खारे समुद्री जल को पेय-जल में परिवर्तित करने के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह कार्य आरम्भ किया जा चुका है; और

(घ) इसके विस्तार के लिए सरकार की क्या योजना है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर द्वारा विकसित एवं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित व्युत्क्रम परासरण का प्रयोग करते हुए दो प्रायोगिक संयंत्रों को विकसित किया गया है। एक संयंत्र को पहले ही तमिलनाडु में प्रतिष्ठापित कर लिया गया है और दूसरे को आंध्र प्रदेश में प्रतिष्ठापित किया जा रहा है।

(ग) 50,000 लीटर क्षमता वाले एक संयंत्र को मद्रास के निकट पुथागारम में स्थापित किया गया है तथा 100,000 लीटर क्षमता वाले दूसरे संयंत्र को आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के तुनी तालुक में गिल्लेडु पाडु में स्थापित किया जा रहा है। व्युत्क्रम की प्रक्रिया के अतिरिक्त विद्युत अपोहन को भी खारे जल को पेय-जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इन तकनीकों का प्रयोग करते हुए छोटे संयंत्र राजस्थान, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए हैं।

(घ) विभिन्न सम्बद्ध मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों द्वारा विलवणीकरण प्रौद्योगिकी के विस्तार-कार्य को बड़े पैमाने पर शीघ्र हाथ में लिया जाएगा।

[अनुवाद]

दिल्ली में स्थित ट्रावणकोर हाउस लौटाने के लिए केरल सरकार की मांग

*885. **श्री टी० बशीर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने दिल्ली में स्थित ट्रावणकोर हाउस उसे लौटाये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मामला विचाराधीन है।

"लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नालोजी" द्रव प्रणोदन प्रौद्योगिकी का विकास

*886. **श्री एन० डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जिनमें "लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नालोजी" (द्रव प्रणोदन प्रौद्योगिकी) के विकास की संभावना है;

(ख) इस प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सरकार द्वारा चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थानों का चयन किस आधार पर किया जाता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक ऐसा केन्द्र है, जोकि प्रमोचन राकेट प्रौद्योगिकियों और इससे सम्बद्ध परियोजनाओं के प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार है। चूंकि द्रव नोदन प्रौद्योगिकियों के प्रमोचक राकेटों में मुख्य उपयोग होते हैं, द्रव नोदन प्रौद्योगिकियों का विकास प्रारम्भ में प्रमोचक राकेट के नियन्त्रण के उद्देश्य से किया जाता है और बाद में प्रमोचक राकेटों के खण्डों के लिए किया जाता है, अत: इन्हें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के आसपास केन्द्रित किया गया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट परियोजना (पी० एस० एल० वी०) के संबंध में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र में क्रियाकलापों को वृद्धि के साथ और थुम्बा में स्थान की उपलब्धता में बाधाओं को देखते हुए, त्रिवेन्द्रम से 25 कि० मी० दूर वलियामाला में 1982 में एक उपयुक्त

नए स्थान का चयन किया गया था। द्रव नोदन प्रणालियों से संबंधित क्रियाकलापों में वृद्धि होने पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र में विद्यमान ग्रुपों में से द्रव नोदन प्रणाली यूनिट (एल०पी०एस०यू०) का गठन एक पृथक यूनिट के रूप में दिसम्बर 1985 में वलियामाला में किया गया। चूंकि सुरक्षा और पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण थुम्बा/त्रिवेन्द्रम अथवा वलियामाला के आस-पास द्रव नोदन प्रणालियों और उप-प्रणालियों के लिए जांच सुविधाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता था, अत: त्रिवेन्द्रम से लगभग 100 कि० मी० दूर तमिलनाडु में महेन्द्रगिरि में द्रव नोदन जाँच सुविधाओं की स्थापना के लिए एक स्थल का चयन किया गया। ये सुविधाएं प्रचालन के वि विध चरणों में हैं। चूंकि द्रव नोदन प्रौद्योगिकियों के उपग्रह से संबंधित सहायक नोदन प्रणालियों, जैसे स्थिति अनुरक्षण, प्रतिक्रिया नियन्त्रण प्रणालियां और अप-भू-वर्धक मोटरों में भी उपयोग है, अत: इसरो उपग्रह केन्द्र के समीप बगलौर में सहायक नोदन प्रणालियों के विकास के लिए एक ग्रुप स्थापित किया गया है।

(ग) द्रव नोदन प्रणाली क्रियाकलाप की स्थापना के लिए वलियामाला स्थल के चयन के लिए अपनाये गये मापदण्ड में इसकी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र थुम्बा में स्थित विकास ग्रुपों की समीपता का होना, वलियामाला में पी० एस० एल० वी० परियोजना के साथ सह-स्थापित होना, और थुम्बा/वलियामाला में सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता का होना था।

जांच सुविधाओं के लिए स्थान के रूप में महेन्द्रगिरि के चयन के लिए अपनाए गए मापदण्ड निम्न प्रकार हैं :

1. मुख्य प्राचलों जैसे भूभाग, आबादीरहित भूमि का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना, बिजली, पानी इत्यादि उपलब्ध होना और सड़क/रेल यातायात तथा अन्य सुविधाओं के प्रति समीपता;
2. पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन;
3. थुम्बा/वलियामाला से समीपता;
4. भूमि के अधिग्रहण संबंधी प्रश्न;
5. सिविल, विद्युत, जन-स्वास्थ्य और प्रदूषण नियन्त्रण इत्यादि की लागत;
6. परियोजना कार्मिकों के लिए समुचित दूरी के अन्तर्गत आवास, शिक्षा और अस्पताल सुविधाओं सहित अवसंरचना की उपलब्धता।

सहायक नोदन प्रणाली यूनिट की स्थापना के लिए बंगलौर के चयन का मापदण्ड इसकी बंगलौर स्थित उपग्रह केन्द्र के प्रति समीपता और अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता का होना है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों द्वारा मारे गए अर्द्धसैनिक कर्मियों के परिवारों को केन्द्रीय सहायता

8337. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के दौरान संघ शासित क्षेत्र की

पुलिस/अर्द्ध-सैनिक बल के वर्ष-वार कितने जवान आतंकवादियों द्वारा मारे गए और जिनके परिवारों को केन्द्र या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा सहायता दी गई है;

(ख) क्या दी गई सहायता पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए अर्धसैनिक बलों को कार्मिक/संघ शासित क्षेत्र के पुलिस कार्मिकों की संख्या

	1984	1985	1986 (18-3-1986 तक)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/ सीमा सुरक्षा बल	24	8	4
दिल्ली पुलिस	—	1	—

अन्य अर्ध सैनिक बलों/संघ शासित क्षेत्र पुलिस के बारे में सूचना शून्य है।

ऊपर उल्लिखित कार्मिकों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन, पेंशन में राहत, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान और वर्तमान नियमों के अन्तर्गत यथाग्राह्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा राशि के रूप में पर्याप्त सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के संबंध में पंजाब सरकार ने कुल 5 लाख रुपए का अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्वीकृत किया। पंजाब, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर राज्य सरकारों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों जिनकी जानें क्रमशः उनके क्षेत्राधिकार में गयीं, के लिए 6,43,000 रुपए की धनराशि प्रदान की। निकटतम संबंधी को भी संगठनों द्वारा चलायी जा रही कल्याण बेनवोलेन्ट योजनाओं से सहायता प्राप्त हुई है।

उपलब्ध करायी गयी कुल सहायता पर्याप्त समझी जाती है और इस पर पुनः विचार करने का कोई इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

"पेट्रो-कैमिकल्स उद्योगों द्वारा निस्सारित निस्सरण"

8338. **डा० बी० एन० झैलेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न किस्मों के पेट्रो-कैमिकल्स उद्योगों से निस्सारित निस्सरण के लिए निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय मानक क्या हैं; और

(ख) इन उद्योगों के निस्सरण के तरीके क्या हैं, और निस्सरण के लिए जिन विभिन्न तरीकों की सिफारिश की गई है उन पर कितनी धनराशि खर्च होती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पैट्रो-कैमिकल्स उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं। फिर भी, पेट्रो-कैमिकल्स उद्योगों से निस्सरित को शामिल करके विभिन्न वायु व जल प्रदूषकों के सम्बन्ध में मानकों को निर्धारित किया गया है।

(ख) निस्सरण के तरीकों में भौतिक, रासायनिक तथा जीवविज्ञानीय तरीके शामिल हैं तथा इसके निस्सरण की लागत प्रति क्यूबिक मीटर 1.5 से 2.5 रुपये तक अलग-अलग है।

विकलांगों को सहायता

8339. **श्री अतीश चन्द्र सिंहा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए सहायता देने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र के इस प्रकार के अपंग और विकलांग व्यक्तियों को बहुत बड़ी संख्या को उचित सहायता नहीं मिल रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने शारीरिक रूप से अपंग और विकलांग व्यक्तियों को सहायता तथा सहयोग देने के कतिपय प्रस्तावों को रद्द कर दिया है जिनका सुझाव सोसाइटी फार दी आर्थो पाइडीकली क्रिप्पल्ड एंड हैंडीकैप्ड इंडीविजुअल्स सर्विसेज, पश्चिम बंगाल द्वारा दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य और कारण क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सातवीं योजना के दौरान त्रिपुरा में एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, केवल महिलाओं के लिए ही दो व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल को छोड़, पूर्वी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध संस्थागत सुविधाएं बहुत थोड़ी हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की सोसाइटी फार दि आर्थोपिडिकली क्रिपल्ड एंड हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल्स सर्विसेज नामक किसी भी संगठन से सहायता अनुदान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ और या अस्वीकृत नहीं किया गया है।

अनुसंधान तथा विकास में सांझा कार्यवाही कार्यक्रम

8340. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से अनुसंधान तथा विकास में कोई व्यापक सांझा कार्यवाही कार्यक्रम तैयार किया गया है अथवा तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन का तरीका क्या होगा तथा क्या इसका विस्तार विकासशील देशों को भी किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, और विभिन्न क्षेत्रों की अनुदृष्टि योजनाओं और पंचवर्षीय योजना से निकलने वाली प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। संयुक्त अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) के लिए प्रयोगशालाओं और निजी सार्वजनिक क्षेत्रों के मध्य कोई अलग योजना तैयार नहीं की गई है। उपयोकिर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान और विकास कार्य अनुबंध के आधार पर प्रयोगशाला द्वारा हाथ में लिया जाता है।

(ग) प्रयोगशालाओं में विकसित की गई कुछ प्रौद्योगिकियों को निर्यात किया गया है।

केरल का दौरा करने वाले कुवैती राष्ट्रिक द्वारा दिया गया वक्तव्य

8341. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाल ही में बिना यात्रा दस्तावेजों के केरल का दौरा करने वाले कुवैती राष्ट्रिक ने, कुवैत लौटने पर भारत विरोधी वक्तव्य दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) कुवैत के एक भूतपूर्व मंत्री ने, जो हाल ही में केरल की यात्रा पर गये थे, कुवैत में 25 मार्च, 1986 को एक वक्तव्य दिया था जिसे "द अरब टाइम्स", "अल-कवास" और "अल-सेयासाह" कुवैत के इन तीन दैनिक समाचार पत्रों ने छापा था। इस वक्तव्य में उन्होंने यह कहा है कि उनकी केरल यात्रा के प्रति भारत में प्रतिक्रिया का कारण राजनीतिक है और यह और कुछ नहीं बल्कि वहां "हिन्दुओं के हाथों मुसलमानों की दशा" की ओर से ध्यान हटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक परम्पराओं से "विमुख" हो गई है; साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से कुवैत में जो केरलवासी काम कर रहे हैं, उन्हें कुवैत के धार्मिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन "भारत में मुसलमानों के घर और जायजाद को आग लगाई जा रही है तथा मस्जिदों को मन्दिरों में बदला जा रहा है और साथ ही मुसलमानों को निकालकर पाकिस्तान भेजने की आवाजें भी सुनाई देती हैं।"

श्री रफई एक गैर-सरकारी व्यक्ति हैं और ने इस समय कुवैत में किसी सरकारी पद पर नहीं हैं। उनका वक्तव्य स्पष्ट रूप से बेतुका और व्यक्तिगत रूप से प्रेरित है। मुसलमानों को जो सम्मानजनक स्थान प्राप्त हैं उनसे कुवैत की सरकार और वहां के लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।

"वन कटाव के लिए मंजूरी के अभाव में लम्बित सिंचाई परियोजनाएं"

8342. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन की कटाई के लिए केन्द्रीय सरकार से मंजूरी के न मिलने के कारण कितनी सिंचाई

परियोजनाएं प्रत्येक राज्य में रुकी पड़ी हैं और उनमें से कितनी परियोजनाएं एक वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित हैं; और

(ख) परियोजनाओं तथा राज्यों के नामों सहित इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन भूमियों के दिक्परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश में पांच, बिहार में एक, आन्ध्र में दो, मध्य प्रदेश में छः, महाराष्ट्र में तीन तथा गुजरात में एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं। केन्द्रीय सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय के लिए लम्बित नहीं पड़ा है।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

25-4-1986 तक भारत सरकार के पास सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन भूमि के दिक्यपरिवर्तन हेतु लम्बित पड़े प्रस्ताव

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य	दिक्परिवर्तित किये जाने हेतु वन भूमि
1.	सहारनपुर जिले में उपरी गंगा आधुनिकीकरण परियोजना	उत्तर प्रदेश	354.47 हे०
2.	देहरादून जिले में सोन्धा सिरोली नहर	उत्तर प्रदेश	0.90 हे०
3.	देहरादून जिले में तंगसा पिलांग नहर	उत्तर प्रदेश	0.048 हे०
4.	देहरादून जिले में व्यासी बांध	उत्तर प्रदेश	2.4209 हे०
5.	चमोली जिले में रैन चोखिटा सिंचाई नहर	उत्तर प्रदेश	0.330 हे०
6.	साहिबगंग जिले में फतेहपुर जल वितरिका	बिहार	2.55 हे०
7.	तेलेगु गंगा परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	3229.0 हे०
8.	कृष्णा जिले में नागार्जुन सागर बायीं नहर	आन्ध्र प्रदेश	5.486 हे०
9.	खण्डवा, देवास और होसंगाबाद जिलों में नर्मदा सागर परियोजना	मध्य प्रदेश	35,325.245 हे०
10.	खड़गांव जिले में सरदार सरोवर परियोजना	मध्य प्रदेश	2731.0 हे०
11.	राजनन्द जिले में मतियामोतीनाला टैंक	मध्य प्रदेश	18.66 हे०
12.	बस्तर जिले में भोण्ड टैंक	मध्य प्रदेश	0.63 हे०
13.	धार जिले में मान सिंचाई परियोजना के लिए नहर का निर्माण	मध्य प्रदेश	2.5 हे०
14.	सिहोर जिले में जलपिपली टैंक परियोजना	मध्य प्रदेश	28.13 हे०
15.	अहमद नगर जिले में रिसाव टैंक का निर्माण	महाराष्ट्र	0.15 हे०
16.	धुले जिले में सरदार सरोवर परियोजना	महाराष्ट्र	4781.63 हे०
17.	पुणे जिले में सिंचाई के लिए जैकवेल का निर्माण	महाराष्ट्र	0.02 हे०
18.	भारूच जिले में सरदार सरोवर परियोजना	गुजरात	4165.91 हे०

"परती भूमि विकास के सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित करना"

8343. **श्री के०वी० शंकर गौडा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र ने अहमदाबाद में 30-3-1986 को परती भूमि विकास, सरकारी नीतियां, समस्यायें और अवसरों के सम्बन्ध में एक कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में क्या-क्या मुख्य सुझाव दिए गए;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है;

(घ) क्या परती भूमि वनरोपण के लिए योजनाएं तैयार करने के बारे में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें कब से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र ने 29 और 30 मार्च, 1986 को अहमदाबाद में "परती भूमि विकास समस्यायें और अवसरों" पर एक कार्यशाला आयोजित की थी ।

(ख) कार्यशाला का उद्देश्य पश्चिमी भारत के पत्रकारों को परती भूमि के विकास पर राष्ट्रीय नीतियों के बारे में बताना था । कोई सुझाव अथवा सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चूंकि राज्य सरकारों द्वारा, कुल मिलाकर, परती भूमि पर वनरोपण स्कीम को कार्यान्वित किया जायेगा, स्कीमों के प्रतिपादन में राज्य सरकारों से परामर्श लिया जा रहा है । उन्हें राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों से भी अवगत कराया जाता है । दौरे भी किये जाते हैं तथा राज्यों में विचार-विमर्श किये जाते हैं ।

(ङ) राष्ट्रीय भूमि प्रयोग एवं परती भूमि विकास परिषद् की पहली बैठक 6 फरवरी, 1986 को दिल्ली में हुई थी । परती भूमि विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम, जिसे बैठक में अन्तिम रूप दिया गया था, विवरण के रूप में संलग्न है तथा कार्यान्वित हो रहा है ।

विवरण

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में, 6 फरवरी, 1986 को हुई राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद् की पहली बैठक में लिए गए निर्णय

परती भूमि विकास

1. **परती भूमि का अभिनिर्धारण**

1.1 राज्य सरकारों को वन क्षेत्रों, राजस्व सामूहिक भूमि और निम्नीकृत कृषि क्षेत्र में परती भूमि का अभिनिर्धारण करना चाहिए ।

1.2 वर्ष 1986-87 और सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमशः इन परती भूमियों का कम

से कम 5% से 20% वनरोपण, चरागाहों के विकास और वनों पर आधारित उद्योगों के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिए।

2. **नोडीय अभिकरण**

राज्य में (क) वनरोपण और परती भूमि विकास की विभिन्न स्कीमों को समन्वित करने और वित्त पोषण करने से सम्बन्धित कार्यकलापों और (ख) विभिन्न स्कीमों के प्रबोधन और मूल्यांकन हेतु एक नोडीय अभिकरण/विन्यास का सृजन किया जाना चाहिए।

3. **राज्य बीज निगम**

राज्य बीज निगम के कार्यों में किसानों को वाणिज्यिक आधार पर चारा, घास और फलियों के बीजों का उत्पादन और पूर्ति भी शामिल किया जाना चाहिए।

4. **प्रत्यक्ष बीजरोपण**

4.1 उपयुक्त रूप से गुटकायित बीजों को जो कि उर्वरकों और हाइडोजलस को धारणक्षम हो उन्हें बुवाई के उचित निर्देशों सहित, बोने वालों को वितरित करना चाहिए।

4.2 दूरस्थ और दुर्गय क्षेत्रों, कठिन पनढ़ालों और तंग घाटियों में हवाई बीजारोपण पर भी अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

5. **भूमि को पट्टे पर देना**

वन और गैर वन परती भूमि को ग्रामीण निर्धनों को पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकार स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करें।

6. **शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां**

राज्य सरकार को शहरों और नगरों के इर्द-गिर्द ईंधन की लकड़ियों की हरित पट्टी और चारे के बागान उपलब्ध कराने हेतु एक तन्त्र का गठन करना चाहिए।

7. **निम्नीकृत वन क्षेत्र**

7.1 राज्य वन विभाग को निम्नीकृत झाड़ीदार वन भूमि का अभिनिर्धारण करना चाहिए जो चारे और फलियों के बीजों से भरा-पूरा विस्तीर्ण हो; ताकि स्थानीय लोगों द्वारा परिणामी चारे को उपयोग में लाया जा सके, इस बात को मद्देनजर रखते हुए देश में प्रतिवर्ष अनुमानित 10 लाख हैक्टेयर झाड़ीदार वन का हरित आच्छादन में लाने का लक्ष्य है।

7.2 निम्नीकृत वन क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के उपयोग के लिए उनके सहयोग से ईंधन की लकड़ी का रोपण किया जाना चाहिए।

8. **वन विकास निगम**

राज्य वन विकास निगमों को वन उत्पादों के संदोहन तक ही सीमित नहीं रहना

चाहिए। निम्नीकृत वन क्षेत्र और बाहरी परती भूमि दोनों पर ईंधन की लकड़ी और चारा रोपण के कार्य को सांस्थानिक वित्त की सहायता से वन विकास निगमों के द्वारा सक्रिय रूप से प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

9. **वनों पर आधारित उद्योग**

9.1 वनों पर आधारित उद्योगों को परती भूमि पर वनरोपण के लिए केवल इसलिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए कि उससे उन्हें कच्चा माल प्राप्त होगा, परन्तु उन्हें पट्टे पर दी गई भूमि के कुछ भाग में स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए ईंधन की लकड़ी और चारा रोपण उत्तरदायित्व का वचन भी लेना चाहिए।

9.2 सक्षम आधार पर उनके कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उद्योगों को छोटे किसानों के साथ समझौता भी करना चाहिए।

9.3 इस प्रकार के बागानों को आबादी से दूर परती भूमि पर लगाना चाहिए ताकि विद्यमान समुदाय के लोगों में बाधा न पड़े।

10. **राज्य केन्द्र सरकारों के सरकारी विभाग/सराकरी क्षेत्रों के उपक्रम**

10.1 प्रचुर क्षेत्र जो अनुप्रयुक्त भूमि सरकारी विभागों/उपक्रमों के नियन्त्रण में हैं उन्हें इन क्षेत्रों में पेड़ और चारा रोपण करना चाहिए।

10.2 सम्बन्धित विभागों के खर्चे पर रेल, सड़क और नहरों के किनारों पर वनरोपण का कार्य किया जाये जिन्हें इसके विशेष आबंटन किया जाना चाहिए।

11. **जनता का सम्मिलित होना**

11.1 **नर्सरियां** : सामाजिक वानिकी कार्यक्रयों में जनता के नर्सरी लगाने और फार्म वानिकी लगाने में भाग लेने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। 1987-88 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कुल पौधों का 50 प्रतिशत कम से कम जनता की नर्सरियों जैसे किसानों, स्कूलों, महिलाओं और युवा समूहों द्वारा लगाया जाना चाहिए। फिर ऐसी नर्सरियों का भौगोलिक विकेन्द्रीकरण किया जाये ताकि 10 किलोमीटर के दायरे में एक नर्सरी उपलब्ध हो।

11.2 **बालपौधों का वितरण** : 10 से 20 पैसे की कम से कम दर से बाल पौधों के वितरण की एक समान नीति पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे-धीरे इस दर की वृद्धि इसके वास्तविक मूल्य की ओर होगी। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि नि:शुल्क वितरण बालपौधों की बिक्री के लिए नि:शुल्क बाजार संचालन के आविर्भाव का प्रति-उत्पादन है।

11.3 **कृषि-वानिकी** : किसानों को अपने खेतों के मेढ़ों अथवा खेतों में बाल पौधों को रोपने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

11.4 **वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियां** : वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समतियां, जो निवेश एवं तकनीकी दिशा-निर्देश देते हैं तथा फसल की कटाई और विपणन की भी व्यवस्था करते हैं, को प्रोत्साहन देना चाहिए।

11.5 **वृक्ष पट्टे पर देना** : राज्य को वृक्ष पट्टे पर देने की योजना उन स्थानों पर प्रतिपादित करनी चाहिये जहां कहीं ऐसी योजना पहले से ही लागू नहीं हो। वर्ष के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिये तथा प्राप्त किया जाना चाहिए।

11.6 **भूमि-पट्टियों पर पौधरोपण** : राज्य सरकार को सड़कों के किनारों और नहर के किनारे पर पौधरोपण के लिए दी गयी भूमि की पट्टियों को पट्टे पर देने के लिए वृक्ष पट्टे पर देने की योजना लागू करने पर विचार करना चाहिए।

11.7 राज्य सरकार को वृक्ष पट्टे पर देने की योजना की प्रक्रिया को सरलीकरण करना चाहिए।

12. **माध्यम एवं संचार** : वनरोपण एवं परती भूमि के विकास के लिए जनता को सम्मिलित करने के लिए एक व्यापक आन्दोलन आरम्भ करना चाहिये। किस प्रकार नर्सरियां बढ़ायी जायें, प्रजातियों का चयन, भूमि पट्टे पर प्राप्त की जायें, बैंक से धन प्राप्त किया जाये इत्यादि पर पम्फलेट एवं पोस्टर पंचायतों और क्षेत्र विकास अधिकारियों के माध्यम से जारी किया जाना चाहिये तथा वितरित किया जाना चाहिये। सभी उपलब्ध एवं सम्भव माध्यमों का प्रयोग इसे एक जन-आन्दोलन बनाने की आवश्यकता के लिए है।

13. **आकाशवाणी एवं दूरदर्शन** : नियमित तौर पर प्रसारण करने के लिए आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को उपयुक्त कार्यक्रमों का विकास करना चाहिए तथा संदेशों के प्रचार के लिए जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

14. **स्कूलों में पाठ्यक्रम** : विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भूमि संसाधनों, इसके निम्नीकरण के कारणों, परती भूमि विकास और वनरोपण के बेहतर ज्ञान को सम्मिलित करना चाहिए।

15. **प्रबोधन एवं मूल्यांकन** : आंकड़ा-आधार, जिस पर नीति निरूपण तथा प्रबोधन और कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा सकता है, को मजबूत करने लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

16. **दूरस्थ संवेदन प्रयोग केन्द्र** : संसाधनों जैसे : भूमि, जल, खनिज, वृक्षों आदि पर आंकड़े प्रदान करने के लिए राज्यों में जहां पहले से ही विद्यमान नहीं है, दूरस्थ संवेदन प्रयोग केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये।

17. **निधियां** : वानिकी कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्त के रास्तों सहित सभी सम्भव उपायों का लाभ उठाना चाहिये।

18. **कानून** : वृक्षों को लगाने तथा काटने, भूमि पट्टे पर देने, भोगाधिकार आदि से सम्बन्धित सभी अधिनियमों को संशोधन के संदर्भ में परीक्षण किया जाना चाहिये ताकि गरीब ग्रामीणों तथा अन्य संस्थाओं को वनरोपण के लिए प्रेरित कर सके ।

19. **सरकारी विभागों की भूमिका** :

19.1 नीतियों को सूत्रबद्ध तथा लागू किये जाने की आवश्यकता है ताकि जो निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी ठहराये जाते हैं और जो परती भूमियों को बढ़ाने में योगदान देते हैं, को निम्नीकृत भूमियों पर पुन:वनरोपण के लिए जिम्मेदार ठहराये गये हैं ।

19.2 सिंचाई परियोजनाओं, खनन, जल-विद्युत परियोजनाओं आदि पर तभी विचार किया जाना चाहिये यदि वे समुचित सुरक्षोपाय लगाते हैं ताकि नई परती भूमियों का सृजन न हो । जहां कहीं यह सम्भव नहीं हो, ऐसे परियोजनाओं द्वारा परती भूमियों पर प्रतिपूरक वनरोपण करना चाहिये ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क

8344. **श्रीमती डी०के० भण्डारी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क की कुल कितने किलोमीटर लम्बाई है;

(ख) इस राजमार्ग पर वर्ष के दौरान भू-स्खलनों के कारण कितने स्थानों पर व्यवधान उत्पन्न होता है;

(ग) संचार में इस प्रकार के व्यवधान के दौरान रक्षा मंत्रालय को आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए लगभग कितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है; और

(घ) क्या देश के व्यापक हित में रक्षा मंत्रालय का भार कम करने की सरकार की कोई योजना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) लगभग 93 किलोमीटर ।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 31-क भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर क्षेत्र और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर भी गुजरता है । इस मार्ग में 15 ऐसे मुख्य अस्थिर क्षेत्र/कच्चे स्थान हैं जहां मानसून के दौरान भू-स्खलन, सड़क का कटाव आदि होते रहते हैं ।

(ग) यातायात के लिए ऐसे व्यवधान थोड़े समय के लिए होते हैं और इसके लिए परिवहन के वैकल्पिक उपायों को अपनाने की आवश्यता नहीं है इसलिए इस पर कोई अतिरिक्त खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नौसेना के लिए समुद्रीय सर्वेक्षण

8345. **श्री सी० सम्बु** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नौसेना को नवीनतम समुद्री सर्वेक्षण विमान से लैस करने और इस

दिशा में शीघ्र कदम उठाने जिससे कि हम गोदियों में अपने विमान कैरियरों का निर्माण कर सकें कि आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्द महासागर में संभावित खतरे और सुरक्षा परिवेश को ध्यान में रखते हुए नौसेना को आधुनिक समुद्री सर्वेक्षण विमानों से लैस किया जा रहा है। नौसेना भारत में विमान वाहकों के निर्माण की संभावनाओं का भी पता लगा रही है।

परिस्थितिकीय कृतिक बल का गठन

8346. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को ही नियुक्त कर परिस्थितिकीय कृतिक बलों का गठन करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन अनुरोधों पर क्या निर्णय किया है तथा इन बलों की स्थापना किस तारीख तक कर दिये जाने की संभावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने अपने राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को ही नियुक्त कर पारिस्थतिकीय कृतिक बलों का निम्नलिखित प्रकार से गठन करने की सिफारिश की है :—

(i) हिमाचल प्रदेश—कांगड़ा/किन्नौर जिले के लिए।

(ii) महाराष्ट्र -- सतारा जिले के लिए।

(ख) साधनों की भारी कमी को देखते हुए योजना आयोग इन योजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए राजी नहीं हुआ; फिर भी, मामले की समीक्षा की जा रही है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्रविज्ञान संस्थान की स्थापना

8347. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्र विकास के अध्ययन और अनुसंधान के लिये एक समुद्रविज्ञान संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक पूर्ण समुद्रविज्ञान संस्थान खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की संभावना का उपयुक्त समय पर पता लगाया जायेगा।

परमाणु विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

8348. **श्री मोहन भाई पटेल :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश ने भारत में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अपनी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सोवियत संघ और फ्रांस ने भारत में एक परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है। उस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर सोवियत प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। फ्रांस के साथ भी प्रारंभिक बातचीत हुई है किन्तु वह चर्चा औपचारिक प्रस्ताव को स्थिति तक नहीं पहुँची है।

"खानों में प्रदूषण"

8349. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश मामलों में खानों से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रदूषण का वर्ष-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर लाने तथा प्रदूषण से श्रमिकों के स्वास्थ्य के खतरे को कम से कम करने के लिए खानों तथा खनन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने सहित कोई विशिष्ट मार्ग निर्देश दिए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिय.उर्रहमान अन्सारी) : (क) चूंकि खानों से प्रदूषण का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है अत: गत पांच वर्षों के दौरान प्रदूषण के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, लघु, मझौली तथा बड़ी खानों से संचयी प्रदूषण से गंभीर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहा है।

(ख) जी, हां।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए निवारक उपाय करने और पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने हेतु खनन प्रचालनों सहित सभी सम्बन्धित अभिकरणों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। भारतीय खान विद्यालय, धनबाद में "खान पर्यावरण में उन्नत अध्ययन" के एक केन्द्र की स्थापना पर्यावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा फील्ड इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए की जा रही है।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं

8350. **श्री मुरली धर माने** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवाओं में और अधिक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ख) इस समय किये जा रहे प्रशासनिक सुधारों में महिलाओं को और अधिक सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह स्त्री है या पुरुष है, एक समान सेवा शर्तों से शासित होते हैं। किन्तु, छुट्टी के मामले में महिला कर्मचारी प्रसूति छुट्टी की हकदार हैं जो उनके छुट्टी खाते से नहीं काटी जाती है।

फिर भी, सरकार, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उपायों की पुनरीक्षा करती रही है। ऐसी पुनरीक्षाओं के परिणामस्वरूप इस दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार कार्यालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह "ग" तथा समूह "घ" पदों की भर्ती के लिए ऐसी विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पतियों से अलग हुई महिलाओं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, के मामले में ऊपरी आयु सीमा में छूट 35 वर्ष तक है (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए 40 वर्ष)।

(ii) सरकारी कर्मचारियों की जो विधवाएँ अनुकम्पा के आधार पर चपरासी के रूप में नियुक्त की जाती हैं वे शैक्षिक अर्हताओं की अनिवार्यता से मुक्त होती हैं। ये रियायतें उन्हें समूह "घ" के अन्य पदों में नियुक्ति के लिए भी उपलब्ध हैं परन्तु शर्त यह है कि वे सम्बन्धित पद की ड्यूटियों को सन्तोषप्रद ढंग से पूरा कर सकें।

(iii) इस आशय के भी आदेश जारी किए गए हैं कि विभिन्न पदों/सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन से सम्बन्धित चयन बोर्डों/समितियों में एक महिला अधिकारी को नामित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यदि इन सेवाओं/पदों के लिए पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की सम्भावना हो तो चयन बोर्ड/समिति में एक महिला अधिकारी को शामिल करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। यदि मंत्रालय/विभाग में ही ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हो पाता तो उसी स्थान पर स्थित किसी अन्य कार्यालय से किसी महिला अधिकारी को नामित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(iv) हाल ही में पति और पत्नी को, जहां तक सम्भव हो, एक ही स्थान पर तैनात करने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं ताकि महिलाएँ अपनी नौकरियाँ करती रहें तथा साथ ही अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह भी कर सकें।

"वन अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को
प्राप्त उड़ीसा राज्य के मामले"

8351. **श्री मारिस कुजूर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य से कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने मामलों में आपत्तियां उठाई गई हैं;

(ग) कितने मामलों को रद्द कर दिया गया है; और

(घ) कितने मामले निपटाने के लिए अभी भी लम्बित हैं उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 1983 में चौदह, 1984 में अठारह और 1985 में दस ।

(ख) किसी मामले में आपत्तियां जारी नहीं की गई हैं । 13 मामले जिनमें पूर्ण आंकड़े नहीं दिये गये थे, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण एवं अतिरिक्त सूचना मांगी गई है । यदि मांगी गई सूचना नहीं प्राप्त हुई तो, ये 13 मामले साधारणत: बन्द समझे जायेंगे परन्तु यदि सूचना मुहैया कराई जाती है तो उन्हें पुन: खोल दिया जायेगा ।

(ग) दो ।

(घ) 1985 में प्राप्त केवल एक मामला अभी केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है ।

मलेशिया से भारतीयों का निर्वासन

8352. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेशिया से भारतीयों को निर्वासित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मलेशिया सरकार द्वारा कितने भारतीयों को निर्वासित किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां । निर्वासित भारतीय राष्ट्रीक वे लोग थे जो या तो अपनी वीज़ा की अवधि पूरी होने के बाद भी वहां रहते हुए पाए गए या जिनके पास बीज़ा नहीं था । कुछ मामलों में भारतीय राष्ट्रिकों को इसलिए निर्वासित किया गया क्योंकि अपेक्षित कार्य परमिट के बिना वहां नौकरी कर रहे थे ।

(ग) कुआलालम्पुर स्थित भारत के हाई कमीशन को केवल उन्हीं मामलों के बारे में सूचित किया गया है जिनमें भारतीय राष्ट्रिकों के निर्वासन के लिए यात्रा प्रलेख या टिकटें अपेक्षित थीं । 1985 में इस प्रकार के मामलों की संख्या 85 थी तथा 1986 में अभी तक इस प्रकार के 32 मामलों में कार्रवाई या तो हो चुकी है या की जा रही है । कुछ भारतीय राष्ट्रिकों को मलेशिया के प्राधिकारियों ने सीधे निर्वासित कर दिया है और इस प्रकार के मामलों की मलेशिया स्थित भारत के हाई कमीशन को कोई सूचना नहीं दी गई है ।

कम्प्यूटर जनबल का विकास

8353. **श्री के० एस० राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अधिष्ठापित कम्प्यूटरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो देश में वर्ष 1975 से अधिष्ठापित कम्प्यूटरों के वार्षिक आँकड़े क्या हैं और वर्ष 1990 तक कितने कम्प्यूटर लगाये जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में कम्प्यूटरों के पूर्ण प्रशिक्षित प्रोग्रामों और अन्य व्यावसायिकों की भारी कमी है और यदि हां, तो इस समय ऐसे कितने व्यावसायिक व्यक्ति उपलब्ध हैं और कितने व्यावसायिक व्यक्तियों की जरूरत है तथा मांग में इस अन्तर को पूरा करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) देश में कम्प्यूटर जनबल के विकास कार्य कर रहे दस शीर्ष व्यावसायिक संगठनों के नाम क्या हैं और प्रत्येक संगठन का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां । ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं ।

(ख) जी, हां । ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं ।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं ।

विवरण I

वर्ष 1975 से अब तक प्रतिष्ठापित तथा वर्ष 1990 तक जिनके प्रतिष्ठापित किए जाने की संभावना है, उन कम्प्यूटरों के मूल्य से सम्बन्धित वर्ष-वार ब्यौरे

यह सच है कि देश में प्रतिष्ठापित कम्प्यूटरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ।

चूंकि सूक्ष्म कम्प्यूटरों (माइक्रो-कम्प्यूटरों) से लेकर बड़े मेनफ्रेम के कम्प्यूटरों तक कम्प्यूटरों की रेंज में विभिन्नता है, अत: 1975 से लेकर अब तक प्रतिष्ठापित तथा 1990 तक जिनके प्रतिष्ठापित किए जाने की सम्भावना है, उनके सम्बन्ध में मूल्य के रूप में वर्ष-वार आंकड़े दिए गए हैं ।

वर्ष	प्रतिष्ठापित/जिनकी/प्रतिष्ठापना की जानी है, ऐसी कम्प्यूटर प्रणालियों का अनुमानित : मूल (करोड़ों में)
1	2
1975	28
1976	35
1977	41

1	2
1978	45
1979	52
1980	60
1981	68
1982	75
1983	90
1984	120
1985	200
1986	280
1987	390
1988	550
1989	775
1990	1100

विवरण II

कम्प्यूटर कार्मिकों की उपलब्धता में अन्तराल को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

यह सच है कि उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित प्रोग्रामकों तथा देश में उपलब्ध अन्य कम्प्यूटर व्यवसायविदों की काफी कमी है। जिन व्यवसायविदों ने कम्प्यूटर के विषय में शिक्षा/प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त किया है उनकी संख्या अनुमानित: 5,000 है। इस समय कम्प्यूटर के कार्यकलापों को क्रियान्वित करने के लिए जितने व्यवसायविदों की आवश्यकता है, उनकी अभीष्ट संख्या 12,000 है, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़कर 80,000 हो जाएगी।

जनशक्ति की उपलब्धता के अन्तराल को कम करने की दृष्टि से, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय (रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ संयुक्त रूप से मिलकर अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। मुख्य कार्यक्रम नीचे दिए अनुसार हैं :—

(i) **कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डी०सी०ए०)**

यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही 32 विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है।

(ii) **पालिटेकनीक के पश्चात् डेढ़ वर्षीय कम्प्यूटर अनुप्रयोग डिप्लोमा (डी० सी० ए०)**

यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर चालू किया गया है। यह कार्यक्रम अब तक 85 पॉलिटेकनीकों में शुरू किया गया है।

(iii) **हिन्दी माध्यम से डेढ़ वर्षीय स्नातकोत्तर (डी० सी० ए०)**

इस कार्यक्रम के लिए अब तक आठ केन्द्रों को सहायता प्रदान की गई है।

(iv) **प्रौद्योगिकी-स्नातक (बी० टेक)**

अब तक कम्प्यूटर के क्षेत्र में लगभग 25 केन्द्र प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्यक्रम चला रहे हैं। अन्य तीन केन्द्रों को इस वर्ष सहायता प्रदान की गई है।

(v) **प्रौद्योगिकी-निष्णात् (एम० टेक)**

14 केन्द्र पहले से ही कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-निष्णात कार्यक्रम चला रहे हैं।

(vi) **तीन वर्षीय स्नातकोत्तर (एम० सी० ए०)**

इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 24 केन्द्रों को पहले से ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है।

(vii) **व्यावसायिक पाठ्यक्रम**

कम्प्यूटर के अनुप्रयोग के क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) के स्तर पर एक वर्षीय/अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जाते हैं। यह रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 20 संस्थान पहले से ही इसमें शामिल किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सतत शिक्षा, कम्प्यूटर इंजीनियरी/अनुरक्षण में डिप्लोमा तथा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है।

विवरण III

देश में कम्प्यूटर के क्षेत्र में जनशक्ति का विकास करने में कार्यरत व्यावसायिक संगठनों का मूल्यांकन करना संभवतः उचित न हो। किन्तु, इस कार्यकलाप में दस प्रमुख संगठन कार्यरत हैं जिनको सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। आर्थिक सहायता और संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :

1. **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय**

यह विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी निष्णात् (एम० टेक) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात् (एम० सी० ए०) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा (डी०सी०ए०) कम्प्यूटर प्रोग्रामन आदि जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। विश्वविद्यालय के पास कंप्यूटर के क्षेत्र में संकाय का सुदृढ़ आधार है।

2. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर**

संस्थान के पास कम्प्यूटर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुदृढ़ मूल संरचनात्मक सुविधा उपलब्ध है और यह इस क्षेत्र में उन्नत स्तर के पाठ्यक्रमों का एवं अनुसंधान तथा विकास के कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

3 से 7. बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खडगपुर और मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिसी संस्थान

ये संस्थान कम्प्यूटर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी स्नातक (बी० टेक) तथा प्रौद्योगिकी निष्णात (एम० टेक) के पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। इसके साथ-साथ शिक्षा की अन्य शाखाओं में कम्प्यूटर शिक्षा के एक विषय के रूप में दी जाती है। इन संस्थाओं के पास इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के संबंध में सुदृढ़ ग्रुप कार्यरत है।

8. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन० आई०सी०) इलेक्ट्रानिकी विभाग का एक अंग है और यह सरकारी विभागों एवं संगठनों के कम्प्यूटरीकरण के लिए उत्तरदायी है। अपने कार्यकलापों में कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के लिए सरकारी विभागों तथा संगठनों के लोगों को प्रशिक्षित करने तथा और उनके कम्प्यूटर संस्कृति का निर्माण करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) सरकारी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षिण कार्यक्रम का संचालन करता है।

9. तथा 10. क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र चंडीगढ़ तथा कलकत्ता

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इन केन्द्रों की स्थापना की है ताकि उनके अपने-अपने क्षेत्र में कम्प्यूटर के प्रति जागरुकता पैदा की जा सके और उन्हें कम्प्यूटर के अनुप्रयोगों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ये केन्द्र अल्पावधि के तथा गहन पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं।

खेलों में औषधियों का उपयोग

8354. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम में खिलाड़ियों के नशे के लिए नई मादक प्रणाली का विकास किया गया है जो कि भारत में भी पहुंच गई है जैसा कि 16 अप्रैल, 1986 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या अब उपयोग की जा रही औषधियां उनकी परीक्षण सुविधाओं सहित उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन स्थानों पर उपलब्ध है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैलगाड़ी और साईकल संबंधी अनुसंधान

8355. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलगाड़ी और साईकिल को विकसित करने/सुधार करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है ताकि इन्हें अधिक कार्यकुशल बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। कई संगठनों ने वर्तमान बैलगाड़ियों की कार्यकुशलता को उन्नत करने के लिए अनुसंधान आयोजित किए हैं। साईकिल के डिजायन आधुनिक हैं और इनकी कार्यकुशलता में और अधिक दक्षता लाने हेतु साधारण विकास कार्य हाथ में लिया गया है।

(ख) बैलगाड़ियों की धुरी में नम्य किस्म के अवयव लगाकर कार्यकुशलता को सुधारने के लिए केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी० आर० आर० आई०), नई दिल्ली अनुसंधान और विकास कार्य करता रहा है। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनजमैंट, बंगलूर ने स्थानीय पशुओं के विशिष्ट गुण और जलवायु और धरातलीय परिस्थितियों के अनुरूप बैलगाड़ियों के तीन मॉडल विकसित किए हैं। स्कूल ऑफ एप्लाईड रिसर्च, सांगली ने तनन तीलियों, दो अर्ध-शैफ्टों और हस्तचालित शू-किस्म के ब्रेकों का उपयोग कर बड़े व्यास वाले पहियों की उन्नत किस्म की बैलगाड़ी का विकास किया है।

केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सी०एम० ई० आर० आई), दुर्गापुर और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट, ने साईकिल के लिए बहु-स्पीड गियर्स का विकास किया है जिससे साईकिल की साधारण गति में वृद्धि करने में सहायता मिलती है।

अर्धसैनिक बलों की विद्रोहियों के हमले से सुरक्षा

8356. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोहियों द्वारा किये गये हमलों में केन्द्रीय रिजर्व बल और अन्य अर्ध सैनिक संगठनों के कितने कर्मचारी मारे गये; और

(ख) इन बलों के कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) गत तीन वर्षों (1983 से 1985) में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य अर्धसैनिक संगठनों के 30 कर्मचारियों की विद्रोहियों द्वारा हत्या की गई।

(ख) जो अर्धसैनिक बल इस क्षेत्र में तैनात किए गए हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी के क्षेत्र में और अधिक सतर्क और सावधान रहने के निदेश दिए गए हैं। गश्ती दलों की संख्या बढ़ा दी गई है। सीमाओं पर सतर्कता को भी तेज कर दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करने से पूर्व, अर्ध सैनिक बलों को विद्रोह-विरोधी अभियानों के लिए उचित इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। नई बटालियनें गठित करके अर्ध सैनिक बलों की संख्या भी चरणबद्ध रूप से बढ़ायी जा रही है।

"पेड़-पौधों का काटा जाना"

8357. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में न्यूक्लिअर मिडियम संस्थान के परिसर में कई पेड़-पौधों को काट गिराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुल कितने क्षेत्र से पेड़-पौधों को काटा गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पांच छोटे जामुन के वृक्ष काटे गये हैं।

(ख) आणविक चुम्बकीय संस्पंदन प्रतिरूपण सुविधा (एन० एम० आर०) की स्थापना हेतु एक विशेष भवन के निर्माण के लिए वृक्ष काटे गए हैं।

(ग) लगभग 225 वर्ग फीट।

श्री ललित माकन और श्री अर्जुन दास की हत्या के सुराग

8358. **श्रीमती पटेल रमाबेन :**
रामजी भाई मावणि :
डा० ए० के० पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ललित माकन, संसद सदस्य और अर्जुनदास दिल्ली महानगर पार्षद की हत्याओं के मामले में कुछ नये सुरागों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन मामलों में नवीनतम प्रगति क्या हुई है ;

(घ) क्या अति विशिष्ट व्यक्तियों को हाल ही में आतंकवादियों, असमाजिक और शरारती तत्वों से धमकियां मिली हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अति विशिष्ट व्यक्तियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हत्या के दोनों मामलों में जांच पड़ताल के दौरान, हत्या में अन्तर्ग्रस्त संदिग्ध गिरोह का पता लगा लिया गया है। इस गिरोह द्वारा अन्य जगहों पर इस्तेमाल की गई स्टेनगनों, और पिस्तौलों को, दिल्ली में हुई दोनों हत्याओं के घटना-स्थल से बरामद खाली कारतूसों के साथ तुलना करने के लिए केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया है। जांच-पड़ताल जारी है।

(घ) जी हां। पुलिस के पास इस आशय के समाचार हैं।

(ङ) विवरण प्रस्तुत करना जनहित में नहीं होगा तथापि आतंकवादियों की धमकियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं --

(i) दिल्ली पुलिस में आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संचालन एकक गठित किया जा रहा है।

(ii) आसूचना प्रणाली को सक्रिय और सुदृढ़ बनाया गया है।

(iii) सामरिक महत्वों के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात की गयी हैं।

(iv) आतंकवादियों के संभावित लक्ष्यों का पता लगाने के लिए सशस्त्र गार्ड और अन्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।

(v) आतंकवादियों के हमले के प्रति संवेदनशील अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए और यदि वे हमला करते हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा योजना वाहनों को तैनात किया गया है।

(vi) उग्रवादियों/आतंकवादियों की गतिविधियों का प्रबोधन करने और सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए पड़ोसी राज्यों, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जाती हैं।

आदिवासी शोषणकारी विपणन प्रणाली

8359. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आदिवासी शोषणकारी विपणन प्रणाली की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या उपचारात्मक उपाय अपनाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) आदिवासी क्षेत्रों में विपणन में शोषण के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई गयी है :

(1) संस्थान, जैसे एल० ए० एम० पी० एस०, सहकारी समितियां तथा टी० डी० सी० सी० एस० जो उपभोक्ता वस्तुओं समेत जनजातियों के उत्पादनों की खरीद, विपणन और वितरण में लगे हुए हैं, को सुदृढ़ किया गया है।

(2) सातवीं योजना के दौरान टी० डी० सी० सी० एस० और एल० ए० एम० पी० एस० तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य सहकारी/सरकारी संगठनों को विपणन सहायता देने के लिए ट्राइफेड (जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) के नाम से ज्ञात एक राष्ट्रीय स्तर का संघ स्थापित करने का प्रस्ताव है।

रक्षा सेवाओं में जनसंख्या का प्रतिशत

8360. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी जनसंख्या का केवल 0.10 प्रतिशत ही रक्षा सेवाओं में है जबकि यह प्रतिशत पाकिस्तान में 1.14, चीन में 1.80 तथा सोवियत संघ में 3.70 है;

(ख) यदि हां, तो देश की बेहतर रक्षा तथा सुरक्षा के लिए देश की रक्षा सेनाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) देश की रक्षा सेनाओं के आकार का देश की जनसंख्या से सीधा संबंध नहीं है। रक्षा सेनाओं का आकार सीमाओं की लम्बाई, सुरक्षा परिवेश, उसकी सुरक्षा को होने वाले खतरे आदि को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा रक्षा सेनाओं की कारगरता पर उसके आकार की अपेक्षा उसके आधुनिकीकरण के स्तर का अधिक प्रभाव पड़ता है।

हमारी रक्षा सेनाओं का सही आकार क्या है यह एक वर्गीकृत सूचना है और इसलिए इसे राष्ट्र के हित में प्रकट नहीं किया जा सकता।

तिहाड़ जेल के जेल नियमों में संशोधन

8361. **श्री सुभाष यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गांधी टोपी पहनने वाले लोगों को तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में जाने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जेल नियमों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, लेकिन यह समाचार सही नहीं था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में 24-7-1982 को संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा राजनैतिक प्रतीकों, जैसे गांधी टोपी, काली पगड़ी, पहनने का निषेध करने वाले खंड को समाप्त किया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम नागालैंड सीमा विवाद

8362. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विवादग्रस्त राज्य क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर असम-नागालैंड सीमा पर तनाव बढ़ रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के बीच समझौता कराने के लिए उपाय किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) असम-नागालैंड

सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। दोनों राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने और उत्तेजना को दूर करने के लिए संगठित कदम उठाने हेतु समय-समय पर बैठकें करते हैं। जहां आवश्यक होता है, ऐसी बैठकों में गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि भी हिस्सा लेता है। दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की भी समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में सहायक वातावरण तैयार करने के विचार से 18-2-1986 को बैठक हुई थी।

"उड़ीसा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम"

8363. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या स्विट्जरलैंड सरकार का उड़ीसा में कुछ और जिलों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के किन-किन नये जिलों को सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। स्वीडन सरकार ने उड़ीसा में सामाजिक वानिकी परियोजना के लिए सहायता की पेशकश की है।

उड़ीसा सरकार ने VII पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजना के दूसरे चरण में कोरापुट, कालाहान्दी, फूलवानी एवं सुन्दरगढ़ जिलों में सामाजिक वानिकी परियोजना के विस्तार हेतु प्रस्तावित किया है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा परियोजना के दूसरे चरण के लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

उड़ीसा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

8364. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुरी जिले में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने के संबंध में अब अन्तिम निर्णय ले लिया गया है।

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कुल कितना भू-क्षेत्र अर्जित किए जाने का विचार है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उड़ीसा के पुरी जिले में परमाणु ऊर्जा केन्द्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

8365. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता भी मिल रही है;

(ख) ये स्वयंसेवी संगठन कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन के प्रमुख कार्य क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता के रूप में (वर्ष-वार) कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कल्याण मंत्रालय बच्चों और विकलांगों के कल्याण के लिए तथः समाज रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान दे रहा है। इन संगठनों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है। इन संगठनों द्वारा बाहर से प्राप्त सहायता के बारे में सूचना कल्याण मंत्रालय एकत्र नहीं करता

क्रम सं०	संगठन का नाम	पंजीकरण वर्ष	स्वीकृत अनुदान			संगठन के मुख्य कार्य
			1983-84	1984-85	1985-86	
1	2	3		4		5
1.	बाल निकेतन संघ	1947	—	—	—	
2.	बाल सभा केन्द्र, इन्दौर	1970	—	—	—	
3.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर	1955	7,661.50 रुपए	13,447.50 रुपए	—	
4.	कस्तूरबा महिला उद्योग शिक्षा मंडल, धार	1958	13,459.50 रुपए	14.107.50 रुपए	—	अन्य समाज कल्याण कार्यों के
5.	माधव बाल निकेतन, लस्कर, ग्वालियर	1971	—	—	—	अलावा, केन्द्र प्रायोजित योजना
6.	महिला सभा समिति, डाभरा, रेवा	1978	15,675 रुपए	14,108.50 रुपए	—	अर्थात देखभाल और सुरक्षा की
7.	महिला सभा भवन, खारगांव	1958	—	—	—	जरूरतमंद बच्चों के कल्याण की
8.	मध्य प्रदेश बनवासी सेवा मंडल, मांडला	1945-46	—	—	—	योजना के अन्तर्गत निराश्रित
9.	नगर पालिका, परिषद, सिरोमी	1979	—	—	—	बच्चों के पुनर्वास का भी वे
10.	नगर पालिका परिषद, गुना	1981	—	—	—	कार्य करते हैं।
11.	नगर पालिका परिषद, महासुनन्द रायपुर	1984	—	—	—	
12.	महिला चित्र मंच, भोपाल	1983	—	12.037.50 रुपए	—	
13.	रामकृष्ण आश्रम, ग्वालियर	1961	—	45.877.50 रुपए	—	

1	2	3	4	—	5
14.	एस० ओ० एस० चिल्ड्रेन विलेज आफ इंडिया, भोपाल	1985	—	—	—	
15.	सरस्वती शिशु मन्दिर, दमोली	1969	—	—	—	
16.	स्मृति बाल मंदिर कला जागृत परिवार कलावर्क, बिलासपुर	1977	—	—	—	
17.	श्रीमद् दयानन्द वैदिक मिशन, रायगढ़	1976	32,040/-रुपए	30,604.50 रुपए	—	—तदैव—
18.	श्री श्रद्धानन्द अनाथालय, इन्दौर	1957	13,297.50 ,,	11,947.50 ,,	—	
19.	ऊषा किरण महिला सिलाई खादी और बाल कल्याण केन्द्र, इन्दौर	1970	31,995/- ,,	29,295,00 ,,	—	
20.	वैदिक एजूकेशन सोसायटी, बिलासपुर	1977	14,457.50 ,,	14,161.50 ,,	—	विकलांगों का सहायक यंत्र/
21.	कृत्रिम अंग केन्द्र, इन्दौर	1985	—	—	20,000.00	उपकरण उपलब्ध करना
22.	मध्य प्रदेश अंध कल्याण संघ, इन्दौर	1969	1,26 लाख	3 लाख	4 लाख	—तदैव—
			3,05,403/-	2,00,970/-	1,23,103/-	नेत्रहीनों के लिए विद्यालय चलाना
23.	नेत्रहीन सहायता संघ, भोपाल	1970	30,000.00	—	5,060/-	नेत्रहीन कार्यशाला
24.	नेत्रहीन और विकलांग कल्याण धर्मविन्यास, रीवा	1978	40,000.00	—	—	नेत्रहीन विद्यालय
25.	संजीवनी सेवा संगम, इन्दौर	1981	1 लाख	1 लाख	1 लाख	विकलांगों के लिए कार्यशाला
26.	फुल गोस्पेल चर्च, भोपाल	1979	74,232.00	—	34,504.00	विकलांग विद्यालय
27.	मध्य प्रदेश राष्ट्रीय नेत्रहीन शाखा, इन्दौर	1982	—	—	3,41,124.00	ब्रेल प्रेस चलाना

1	2	3	4			5
28.	सेवा निकेतन, रायपुर	1979	—	—	50,000.00	विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण
29.	हरिजन सेवक संघ, दिल्ली	—	6,76,390.00	7,04,422/-	7,68,218/-	छुआछुत दूर करना सीतामऊ में मेहतरों के बच्चों के लिए आवासीय प्राथमिक विद्यालय भंगी कष्ट मुक्ति कार्य
30.	भारतीय समाज उन्नति मंडल, भिवन्डी	—	37,152/-	79,744/-	79,744/-	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आर्गेनाइजर समाज सेवा केन्द्र (10)/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए बालवाड़ियों (5)
31.	हिन्दी सुपर सेवक समाज, नई दिल्ली	—	8,432/-	—	—	समाज कल्याण और शिक्षा केन्द्र, कटनी
32.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम इन्दौर	—	—	—	3,85,873/-	होस्टल भवनों का विस्तार/निर्माण

"उड़ीसा में चिल्का झील में पक्षी विहार का विकास"

8366. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की चिल्का झील में एक पक्षी विहार और उड़ीसा में मयूरभंज जिले में सिमलीपाल में एक नेशनल पार्क बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उपरोक्त प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में उड़ीसा सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच विचारों का कोई आदान-प्रदान हुआ है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन परियोजनाओं को केन्द्रीय परियोजनाओं के रूप में कार्यान्वित करने का है क्योंकि पर्यटकों को आकर्षित करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजनायें आवश्यक हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारें अभयारण्य और नेशनल पार्क स्थापित करने में समर्थ हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनका चिल्का झील को एक पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने और विद्यमान सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य के क्रोड क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है।

(ग) उस क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् ही चिल्का झील के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना स्कीम के अधीन सिमलीपाल अभयारण्य के विकास हेतु पहले से ही केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

जनजातिय महिलाओं का भू-सम्पत्ति पर कानूनी अधिकार

8367. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में जनजातीय महिलाओं का अपने पतियों या पिताओं की भू-सम्पत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में मौजूदा कानून में संशोधन करने का है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति के समुदायों के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो अन्य बातों के साथ-साथ सम्पत्तियों पर उत्तराधिकार के अधिकारों को नियमित करता है, लागू नहीं है। जनजातीय महिलाओं के पतियों और पिताओं की भू-सम्पत्ति पर उनके कानूनी अधिकार सामान्यत: संबंधित अनुसूचित जनजाति समुदायों के परम्परागत कानूनों द्वारा नियमित होते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"रेंजिन निकालने की पद्धति"

8368. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेंजिन निकालने की मौजूदा पद्धति, अनुचित, अवैज्ञानिक और चीड़ के वृक्षों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है;

(ख) क्या देश के वन अनुसंधान संस्थानों ने इस प्रयोजन के लिए किसी नई पद्धति का पता लगाया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों को निर्देश जारी किए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) रेंजिन निकालने की इन परिवर्धित नई पद्धतियों के पालन किए जाने पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) क्या इन पद्धतियों का पालन न किए जाने पर कोई कार्यवाही की जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार को मालूम है कि रेंजिन निकालने की परम्परागत पद्धति अवैज्ञानिक है जिससे चीड़ पाइन को यथेष्ट मात्रा में क्षति पहुँचती है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को वन अनुसंधान संस्थान एवं कालेज, देहरादून द्वारा विकसित रेंजिन निकालने की उन्नत पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी है तथा पहले अवैज्ञानिक तरीके से निकालने के कारण हुई क्षति के लिए वनों को आराम एवं प्रतिप्राप्ति भी दी जाए।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारें क्षेत्र कर्मचारियों को उचित निदेशों के जरिए मंत्रणा कार्यान्वित करती हैं। भारत सरकार के अधिकारीगण समय-समय पर क्षेत्रीय दौरा करते हैं तथा राज्यों को सलाह देते हैं।

टी० वी० सेटों का उत्पादन

8369. **कुमारी डी० के० तारादेवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वर्ष 1982, 1985 में (क) रंगीन टी० वी० सेटों (ख) ब्लैक एण्ड ह्वाइट टी० वी० सेटों का कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1990 में इनका कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत में दूर दर्शन सेटों का उत्पादन (लाखों में) :

	1982	1985	1990 (अनुमानित :)
श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन	5.7	18.0	30.0
रंगीन दूरदर्शन	*0.7	6.6	10.0

*एशियाड के दौरान आयातित रंगीन दूरदर्शन किटों में से संयोजित

सशस्त्र सेनाओं के कार्यालयों के लिए निजी भवनों को किराए पर लेना

8370. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सशस्त्र सेना मुख्यालयों के कुछ कार्यालय किराये पर लिए गए निजी भवनों में स्थित हैं और वहां पर अस्वास्थ्यकर तथा अनुपयुक्त परिस्थितियों के कारण उन कार्यालयों के कर्मचारियों में अत्यधिक असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौसेना के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यालय चारों ओर से निजी भवनों से घिरे हुए भवनों में स्थित हैं और उन्हें सुरक्षा सम्बन्धी खतरा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थानों का चयन करने के क्या कारण हैं और क्या उन भवनों को खाली करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) सशस्त्र सेना मुख्यालयों के केवल तीन कार्यालयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं जो किराए पर लिए गए निजी भवनों में स्थित हैं । इन कार्यालयों के कर्मचारियों में किसी प्रकार के असंतोष के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है सिवाय इसके कि हाल ही में नौसेना डिजाइन महानिदेशालय के कर्मचारियों ने ए-33 कैलाश कालोनी के आहतों में कार्य की शर्तों के बारे में शिकायत की है ।

(ग) नौसेना डिजाइन कार्यालय ए-33, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली में है । इस भवन का सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों ने निरीक्षण किया है और यह प्रमाणित किया कि यहां नौसेना कार्यालय के कार्य-कलापों के लिए सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है क्योंकि यहां सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। सम्बन्धित अधिकारियों ने यह भी बताया कि भवन अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

किराए में लिए गए भवनों में स्थित कार्यालयों का विवरण

क्रम सं०	निजी/किराए पर लिए गए भवन का नाम	कार्यालय का नाम	मालिक का नाम	किराए की दर	क्षेत्र
1.	कश्मीर हाऊस	थल सेना मुख्यालय का कार्यालय (ई-इन-सी ब्रांच) और रक्षा मंत्रालय (वित्त)	जम्मू और कश्मीर सरकार	1-6-46 से 8,903 रु० प्रति माह	25,721 वर्ग फुट
2.	दिल्ली विकास प्राधिकरण डी०डी०ए० (बिल्डिंग	राडार एण्ड कम्यूनीकेशन प्रोजेक्ट कार्यालय (आर० सी० पी० ओ०)	दिल्ली विकास प्राधिकरण	15-11-71 से बिजली के पंखों के लिए किराए को छोड़कर कारपेट क्षेत्र के प्रति वर्गफुट के लिए 2 रु० प्रतिमाह (32,898 रु० प्रति माह)	16,449 वर्ग फुट
3.	ए-33, कैलाश कालोनी	नौसेना मुख्यालय का कार्यालय	मैसर्स सरदार एक्जीबीटर्स प्राइवेट लिमिटेड	16-9-85 से कारपेट क्षेत्र के प्रति वर्ग फुट के लिए 4 रु० प्रतिमाह (1,75,195 रु० प्रति माह)	43,798 वर्ग फुट

संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति

8371. **श्री राम प्यारे सुमन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य अनुमत अवधि क्या है;

(ख) क्या मूल विभाग में पदभार ग्रहण किये बिना एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी जाने की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो प्रथम और द्वितीय प्रतिनियुक्ति के बीच कितनी न्यूनतम अवधि के लिये मूल विभाग में काम करने की अपेक्षा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) उन पदों को छोड़ कर जहां कार्यकाल की अपेक्षतया लम्बी अवधि निर्धारित की गई हो सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी ।

(ख) और (ग) ऐसे मामलों को छोड़कर जहां एक प्रतिनियुक्ति से दूसरी प्रतिनियुक्ति के बीच मूल संवर्ग में एक न्यूनतम अवधि की सेवा निर्धारित की गई हो, सरकारी कर्मचारी को एक संवर्ग-बाह्य पद से दूसरे संवर्ग-बाह्य पर जाने की अनुमति होती है । मूल संवर्ग में सेवा की यह न्यूनतम अवधि प्रत्येक सेवा में अलग-अलग होती है ।

पिछड़े राज्यों का आर्थिक विकास

8372. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े राज्यों के आर्थिक विकास पर निगरानी रखने के लिए योजना आयोग में कोई कक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) से (ग) पिछड़े राज्यों की आर्थिक प्रगति के प्रबोधन के लिए अलग से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । फिर भी, वर्तमान प्रबन्धों में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राज्यों की सृजन और संचरण परियोजनाओं के प्रबोधन के लिए एक सुविकसित व्यवस्था, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 66 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के प्रबोधन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आदि द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम का प्रबोधन शामिल है । इसके अलावा योजना आयोग ने, सभी राज्यों में, उनके भौतिक (वास्तविक) और वित्तीय दोनों पहलुओं में, विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के त्रैमासिक आधार पर कार्यान्वयन के निमित्त प्रबोधन प्रबन्धों को अंतिम रूप दे दिया है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों की स्मृति में बुक्सद्वार में स्मारक बनाना

8373. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान बुक्सा

शिविर में बन्दी बनाये गये स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में पश्चिम बंगाल के जलपाई गुड़ी जिले में बुक्सद्वार में एक उपयुक्त स्मारक एवं क्रान्तिकारियों के संबंध में एक संग्रहालय और ग्रंथालय बनाने के लिए जनता की पुरानी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि बुक्सद्वार में सरकार ऐसा स्मारक बनाने के पक्ष में नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) इस प्रकार के स्मारकों को स्थापित करने के लिए कारवाई प्रारम्भ करने का कार्य राज्य सरकार का है। पश्चिम बंगाल सरकार से अब तक इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

"सबीरीमाला तीर्थ स्थल के लिए वन भूमि"

8374. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सबीरीमाला तीर्थ स्थल का विकास करने के लिए वनभूमि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सबीरीमाला तीर्थ स्थल का विकास करने के लिए 15·77 हेक्टेयर वन भूमि के दिक्परिवर्तन के लिए केरल सरकार से 1982 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। विभाग में उस पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबन्धों के तहत विचार किया गया था और उसकी स्वीकृति नहीं दी गयी थी।

संयुक्त राज्य अमरीका से सुपर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी प्राप्त करना

8375. **श्री जी० भूपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से कोई करार किया गया है यदि हां, तो तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका से सुपर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है और किन-किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां, मेनफ्रेम कम्प्यूटर की प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी को हासिल करने के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की

कम्पनी के साथ करार हुआ है। कम्प्यूटर प्रणालियों की दो सिरीज अर्थात् साइबर 830 तथा 840 का विनिर्माण करने की दृष्टि से प्रौद्योगिकी का अंतरण करने के लिए कंट्रोल डेटा इंडो एशिया कम्पनी के प्रस्ताव को इलेक्ट्रानिकी विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करेगा।

(ख) जी, नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से सुपर कम्प्यूटर की प्रौद्योगिकी को हासिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, मानसून का अध्ययन करने, विश्वव्यापी मौसम के मॉडल तैयार करने मौसम-विज्ञान सम्बन्धी तथा जलवायु-सम्बन्धी अनुप्रयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से सुपर कम्प्यूटरों की खरीद करने पर विचार किया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने पर व्यय

8376. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका के स्पेस शटल में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने पर भारत सरकार द्वारा कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों को इससे किस क्षेत्र में जानकारी/अनुभव प्राप्त होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका—नासा की अन्तिरिक्ष परिवहन प्रणाली (एस० टी० एस०)/इन्सैट-1 सी० की उड़ान में भारतीय नीतभार विशेषज्ञ को ले जाने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। इसमें नासा के प्रशिक्षण और उड़ान के दौरान उपभोज्य पदार्थों के लिए आने वाले खर्चों को वास्तविक प्रतिपूर्ति के रूप में कुछ सीमित भुगतान रखा गया है। प्रशिक्षण, संचार सुविधाएं, मिशन सहायक परीक्षणों इत्यादि सहित एस० टी० ए०/इन्सैट-1 सी० भारतीय नीतभार विशेषज्ञ उड़ान मिशन पर आने वाले कुल व्यय का अनुमान अस्सी लाख रुपये के लगभग है।

(ख) इन्सैट-1 सी० अन्तरिक्षयान सम्बन्धित कक्षीय जांच-पड़ताल और नियोजन कार्यों के लिए सलाहकार-एवं-पर्यवेक्षक के रूप में अपने मुख्य कार्यों के अलावा, भारतीय नीतभार विशेषज्ञ अन्तरिक्षयात्री भू-पर्यवेक्षण जीवन-विज्ञान और खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ परीक्षण करेगा और इस प्रकार इन क्षेत्रों में अनुभव/ज्ञान प्राप्त करेगा।

बम्बई में नौसेना भवन का ढह जाना

8377. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलाबा, बम्बई में 2 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने नौसेना भवन का कुछ हिस्सा हाल ही में गिर गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप उस भवन के एक फ्लैट में एक कमांडर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी;

(ग) क्या जांच के अनुसार यह पाया गया है कि उक्त दुर्घटना ईंटों की कमजोर दीवार और अनियमित बिजली कार्यों के कारण हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त भवन के ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) कोलाबा बम्बई में 24 आवासीय फ्लैट वाले "अदीति भवन" में, जिसका निर्माण लगभग 75 लाख रुपये की लागत पर हुआ था, नवम्बर, 1985 में एक दुर्घटना हो गई । इस दुर्घटना में इस भवन के फ्लैट नं० 9 के गुसलखाने में लगा गर्म पानी का एक गीजर फट गया । इस विस्फोट से फ्लैट नं० 9 के गुसलखाने और साथ वाले शयन कक्षों की दीवारें टूट गई, जिसकी वजह से कमांडर पी० पी० शर्मा की मृत्यु हो गई । पश्चिम नौसेना कमान ने तत्काल एक जांच बोर्ड बिठा दिया है । इसके अन्तिम निष्कर्षों की प्रतीक्षा की जा रही है । जिस व्यक्ति/फर्म पर इसका उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाएगा उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी ।

"सेंटर फॉर एडवांस्ड टैक्नोलॉजी एलर्ट सिस्टम" की स्थापना

8378. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा "सेंटर फार एडवांस्ड टैक्नोलॉजी एलर्ट सिस्टम" की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बन में आयोजित एडवांस्ड टैक्नोलॉजी एलर्ट सिस्टम की बैठक में कृषि, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अत्यधिक चौकस और योग्य व्यावसायिकों/वैज्ञानिकों को उच्च प्रौद्योगिकी वाले जापान/अमरीका आदि जैसे विभिन्न देशों में तैनात करने और उन्हें भारतीय दूतावासों और खाद्य और कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/यूनेस्को आदि के साथ सम्बद्ध करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) यू० एन० सी० एस० टी० डी० ने 15 से 20 दिसम्बर, 1985 तक पश्चिम बर्लिन में एडवांस्ड टैक्नोलॉजी एलर्ट सिस्टम पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था । बैठक में विभिन्न क्षत्रों में विशेषज्ञों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । बैठक में एडवांस्ड टैस्नोलॉजी एलर्ट सिस्टम के बारे में यू० एन० सी० एम० टी० डी० से सिफारिशें की गयीं ।

(ङ) योग्य वैज्ञानिकों को अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, जापान, एवं संघीय जर्मन गणराज्य में हमारे मिशनों में विज्ञान परामर्शदाताओं के रूप में तैनात किया गया है ।

असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच कंटीले तारों की बाड़ करना

8379. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्यों मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) का मंत्री स्तरीय सम्मेलन

8380. **श्री शरद दिघे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 और 3 अप्रैल, 1986 को इस्लामाबाद में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के दो दिवसीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित घोषणा में मुख्य निर्णय क्या है; और

(ख) इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) दिसम्बर, 1985 में ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के शिखर सम्मेलन में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में अन्तर्राष्ट्रीय दक्षिण मसलों पर इस एसोसिएशन के देशों की स्थिति को समन्वित करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 2 और 3 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई। उन्होंने एक घोषणा पारित की जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा, वित्त, व्यापार, ऋण, विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग आदि के बारे में सिफारिशें की गईं। इस बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों ने यह भी सिफारिश की कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के देशों के प्रतिनिधि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अवसर पर अनौपचारिक रूप से भी अपनी स्थितियों में परस्पर तालमेल कायम कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गुट-निरपेक्ष देशों और विकासशील देशों के दल के अन्दर एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था लाने की दिशा के उन देशों के प्रयत्नों को अधिक समन्वित और सोद्देश्य बनाना है।

(ख) "सार्क" देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किया था जिसके नेता वाणिज्य मंत्री थे।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शिक्षकों के रिक्त पद

8381. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को कब से नहीं भरा गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कैडेटों के प्रशिक्षण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ, भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के कारण 1983 से 7 प्रोफ़ेसरों 8 रीडरों और सैंतीस लेक्चरारों के पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा गया है ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पर किसी तरह का प्रतिकूल असर न पड़े, समय-समय पर अल्पावधि आधार पर, तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं ।

(घ) रिक्तियों को नियमित आधार पर भरने के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है ।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ पैदल पथों का निर्माण पूरा किया जाना

8382. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में अनेक प्रस्तावित पैदल पथों का निर्माण कार्य वन अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित स्वीकृति न मिलने के कारण रुका पड़ा है ;

(ख) क्या पैदल पथ, पहाड़ी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं, के निर्माण तथा उनका विस्तार करने के लिए भारत सरकार से भी स्वीकृति लेना आवश्यक है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कार्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पैदल पथों के निर्माण के लिए वन भूमि के दिक्परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वनों की कटाई एवं वन भूमि के दिक्परिवर्तन में सम्मिलित सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है ।

(ग) कार्य को पूरा करने के लिए उचित कार्यवाही करना राज्य सरकार का कार्य है ।

[अनुवाद]

पारपत्र आवेदनों के पुराने प्रपत्र

8383. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों तथा राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों की सिफारिशों के कालम वाले पारपत्र के लिए पुराने आवेदन प्रपत्रों के अभी भी आवेदकों को जारी किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस कारण आवेदक अभी भी आवेदन पत्र के अनुमोदन के लिए संसद सदस्यों तथा विधानमंडल के सदस्यों के पास जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस तरह की असुविधा को दूर करने हेतु सरकार का विचार भावी आवेदकों को पारपत्र के लिए नए आवेदन प्रपत्र जारी करने की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार मौजूदा पासपोर्ट आवेदन-प्रपत्रों को पहले ही संशोधित कर चुकी है और इन्हें पहले से सरल तथा कम्प्यूटर के अनुकूल बना दिया गया है। संशोधित प्रपत्रों में सत्यापन और वित्तीय गारंटी से सम्बद्ध कालम हटा दिए गए हैं। नए संशोधित प्रपत्रों इस समय भारत सरकार के मुद्रणालयों में छप रहे हैं और इन्हें प्रयोग में लाना शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। इस बीच भारत सरकार मुद्रणालयों द्वारा मुद्रित तथा पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध पुराने फार्म तथा वे प्रपत्र जो यात्रा एजेन्टों, एयरलाइनों आदि जैसी प्राइवेट पार्टियों द्वारा मुद्रित किए गए थे, भावी आवेदकों को वितरित किए जा रहे हैं और उन्हें सत्यापन प्रमाण-पत्र तथा वित्तीय गारंटी के बिना स्वीकार किया जा रहा है।

(ख) इस प्रकार के मामले हमारी जानकारी में नहीं आए हैं। इस बात का व्यापक प्रचार किया गया है कि सत्यापन प्रमाण-पत्र और वित्तीय गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी, हां। भारत सरकार संशोधित आवेदन-प्रपत्र शुरू करने का निर्णय ले चुकी है जैसा कि उपर पैरा (क) में बताया गया है।

बस्तर जिले के लिए योजना

8384. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले के लिए एक पृथक योजना मंजूरी के लिए भेजी है;

(ख) क्या योजना आयोग ने योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो कुल वित्तीय परिव्यय कितना है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने योजना आयोग को बस्तर विकास योजना प्रस्तुत की है। राज्य सरकार को सूचित किया गया कि बस्तर विकास योजना के लिए अपेक्षित कुल निवेश, बस्तर विकास योजना परिकल्पित निवेश के बराबर होना जरूरी नहीं है। सातवीं योजना के लिए राज्य योजना में 84 प्रतिशत वृद्धि होने से राज्य योजना से बस्तर जिले के लिए उस परिव्यय की परिकल्पना करना संभव होना चाहिए जो कि बस्तर जिला विकास योजना में प्रस्तावित व्यय के अनुरूप हो।

(ख) और (ग) योजना आयोग संपूर्ण राज्य के लिए योजना का अनुमोदन करता है और संपूर्ण राज्य के लिए क्षेत्रकवार परिव्ययों का आवंटन किया जाता है न कि जिलेवार राज्य सरकार को पूरे राज्य के लिए अनुमोदित कुल परिव्यय में से अलग-अलग जिलों के लिए दिए जाने वाले परिव्यय का निर्णय करना होता है।

वन्य जीवों का संरक्षण

8385. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) केरल में शांत घाटी (सायलेंट वैली) के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आग लगने से प्रति वर्ष कितने वन नष्ट हो जाते हैं; और

(घ) वनों में आग लगने को रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए जाते हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) केरल राज्य सरकार ने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत नीरव घाटी आरक्षित वनों की 8951.65 हैक्टेयर भूमि को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया है । राज्य सरकार ने नेशनल पार्कों के परिरक्षण और विकास हेतु और उनमें अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए एक योजना भी तैयार की है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में, प्रयेक वर्ष, औसतन 1,15,000 हैक्टेयर के लगभग वन क्षेत्र जल जाता है ।

(घ) वनों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न तरीके अपना रहे हैं जिनमें फायर लाइनों का सृजन, नियन्त्रित रूप से जलाना, आग लगने के मौसम के दौरान अग्नि चौकीदारों की नियुक्ति, और वनों में आग ज्वलनशील सामग्री को हटाना शामिल हैं । इसके अतिरिक्त वन में आग लगने की रोकथाम, पता लगाने और बुझाने के सिद्धांतों और तकनीकों का पता लगाने, जांच करने और प्रदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में अप्रैल, 1984 से एक केन्द्रीय क्षेत्र मार्गदर्शी परियोजना प्रारम्भ की गई है । परियोजना से प्राप्त अनुभव को मार्गदर्शन और प्रयोग के लिए दूसरे राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

विवरण

हाल ही के वर्षों में भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं । महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(क) देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक समान कानून प्रदान करने के लिए वन्य प्राणी) (संरक्षण) अधिनिमम, 1972 नामक एक व्यापक कानून बनाया गया है । तदपि, यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होता जहां कि एक ऐसा ही अधिनियम है जो कि जम्मू एवं कश्मीर वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1978 के नाम से जाना जाता है जिससे कि इसे लागू करने में कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं ।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन भूमि के गैर-वन उपयोग हेतु अन्धाधुन्ध विचलन को रोकता है, जो कि देश में वन्यजीवों के मुख्य वास-स्थल हैं ।

(ग) भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने, जो कि देश में इस क्षेत्र में सर्वोच्च परामर्शदात्री निकाय है, 1980 में प्रधान मंत्री द्वारा इसका अध्यक्ष पद धारण करने के पश्चात् इसने महत्ता एवं प्रभाव प्राप्त किया है ।

(घ) देश में संरक्षित क्षेत्रों का जाल, 1980 में 19 नेशनल पार्कों और 205 अभयारण्यों

से बढ़ाकर 53 नेशनल पार्क और 247 अभयारण्य कर दिया गया है जिसमें देश की कुल भूमि का लगभग 3% क्षेत्र और वन भूमि का लगभग 12% क्षेत्र है।

(ङ) बाघ परियोजना एवं घड़ियाल परियोजना जैसी विशेष परियोजनायें विशिष्ट खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए शुरू की गई हैं और यह सफल सिद्ध हुई हैं।

(च) वन्य पशुओं, पक्षियों, पौधों और उनके उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य के अतिरिक्त निर्यात एवं आयात पर सख्त नियंत्रण रखा जाता है।

(छ) राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों (बाघ संरक्षित क्षेत्रों सहित) और चिड़ियाघरों के विकास में सहायता हेतु तथा संरक्षण, जागरुकता एवं शिक्षा के संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें प्रारम्भ की गई हैं।

(ज) वन्यजीव प्रबंध, वन्यजीव शिक्षा एवं अनुसंधान में प्रशिक्षण के संवर्द्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान नामक एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की गई है।

(झ) वन्यजीव संरक्षण हेतु सामान्य जागरुकता पैदा करने के लिए तथा जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है।

(ञ) भारत पांच अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है : खतरे में पड़ी वन्य वनस्पति और प्राणिजात प्रजतियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (साईटस); आर्द्र भूमि; ह्वेल मछली का शिकार; प्रवासी प्रजाति; और सोवियत संघ के साथ प्रवासी पक्षियों के बारे में अभिसमय।

(ट) हाल ही में एक राष्ट्रीय कार्यकारी योजना अपनायी गई है, जो कि भविष्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के अतिरिक्त कार्य शैली की रूप रेखा प्रदान करेगा। इसके मुख्य घटक ये हैं :—

—संरक्षित क्षेत्र में एक प्रतिनिधि तंत्र की स्थापना।

—संरक्षित क्षेत्रों का प्रबन्ध और वास-स्थलों को पुनःस्थापित करना।

— बहुप्रयोजन उपयोग क्षेत्रों में वन्यजीवों का संरक्षण।

—लुप्तप्राय एवं खतरे में पड़ी प्रजातियों का पुनर्वास।

—बन्दी अवस्था में प्रजनन कार्यक्रम।

—वन्यजीव शिक्षा एवं व्याख्या।

—अनुसंधान एवं प्रबोधन।

—घरेलू कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय।

—राष्ट्रीय संरक्षण नीति।

—स्वैच्छिक निकायों/गैर-सरकारी संस्थाओं से सहयोग।

कार्यकारी योजना का क्रियान्वयम प्रारम्भ किया जा चुका है और पर्याप्त कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। वन्यजीव संरक्षण का केन्द्रीय निदेशालय एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान नोडल एजेंसी हैं जो कि स्वैच्छिक निकायों और अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग के अतिरिक्त राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से सहायता लेती हैं। जबकि कार्यकारी योजना के अधिकांश घटकों पर कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, कुछ अधिक उल्लेखनीय कदम निम्नलिखित हैं:—

— देश में संरक्षित क्षेत्रों के तन्त्र को मजबूत बनाने और बढ़ाने की दृष्टि से समस्त नेशनल पार्कों, संरक्षित क्षेत्रों और संरक्षण प्रदान किए जाने योग्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों की प्रबन्ध योजनाओं को तैयार करने के मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए हैं।

— वन्यजीव संरक्षण के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धनत विकसित किए गए हैं। इन्हें भी सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया है।

—वन्यजीव संरक्षण के लिए विशिष्ट मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा और संशोधन किया जा रहा है।

—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संशोधनों पर विचार किया जा रहा है :—

—भारतीय वन्यजीव संस्थान में प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यकलाप प्रारम्भ किए जा रहे हैं।

—बन्दी अवस्था में प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं (उदाहरणार्थ गैण्डा पुनर्वास कार्यक्रम)।

—अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में सक्रिय हिस्सेदारी जारी है और हाल ही में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए सोवियत संघ से एक समझौता किया गया है।

—कुछ संरक्षित क्षेत्रों और चिड़ियाघरों में माडल व्याख्या सुविधाओं की स्थापना की जा रही है।

—स्वैच्छिक निकाय/गैर-सरकारी संगठन किस प्रकार कार्यकारी योजना के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकते हैं के तरीके को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

—कार्यकारी योजना के क्रियान्वयन को सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों का मुख्य विषय बनाया गया है।

पांचवां अन्टार्कटिका अभियान

8386. **श्री बी० एस० कृष्णाअय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवां अन्टार्कटिका अभियान दल अण्टार्कटिका पहुंच गया है; और

(ख) उक्त अभियान पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां श्रीमान । पांचवां अन्टार्कटिक अभियान दल 24-3-1986 को भारत लौट आया है ।

(ख) पांचवें अन्टार्कटिक अभियान पर खर्च की गई धनराशि को अभी ब्यौरेवार तैयार किया जा रहा है और इसकी लगभग 5 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है जिसमें से लगभग 3.3 करोड़ रुपए जहाज किराए पर लेने में खर्च हुए हैं ।

निर्गुट आन्दोलन देशों की नवीं बैठक

8387. **श्रीमती माधुरी सिंह :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों में निर्गुट आन्दोलन देशों की वर्ष 1989 में होने वाली बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में निर्गुट आन्दोलन के अध्यक्ष के नाते प्रधान मंत्री से ऐसा अनुरोध किया था;

(ग) क्या अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) निकारागुआ की सरकार ने गुट-निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के नौवें शिखर-सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की है । इस पेशकश पर हाल ही में 16-20 अप्रैल को नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि 26 अगस्त से 7 सितम्बर 1986 तक हरारे में होने वाले राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के आठवें शिखर-सम्मेलन द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

वन विभाग की भूमि पर पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र

8388. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निकट वन विभाग की भूमि पर पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम है;

(ख) क्या इस वन भूमि को गैर-वन के उपयोग में बदलने हेतु स्वीकृति दी गई है; और

(ग) क्या इस परियोजना से राष्ट्रीय उद्यान में बहुत बाधा पहुंचेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उल्लिखित प्रस्ताव को अब छोड़ दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाबलीपुरम् परमाणु संयंत्र

8389. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहाबलीपुरम परमाणु संयंत्र से गर्म पानी को समुद्र में डाला जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने समुद्र में डाले जाने वाले गर्म पानी को रेडियो धर्मिता के ग्रेड को मापा है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में मछलियों पर रेडियो धर्मिता का प्रभाव होता है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने निकटवर्ती समुद्रीतट के पानी की जांच की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस क्षेत्र में मछलियों पर बिजलीघर से निकलने वाले रेडियोन्यूक्लिआइडो के विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता।

(घ) से (छ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग की पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशाला तट के समीप के पानी, समुद्र के पानी, निलम्बित गाद, समुद्र की तलछट, जल में पैदा होने वाले जीवों, जिसमें मछलियां भी शामिल हैं तथा समुद्री पानी से बनाए गए नमक में रेडियो-न्यूक्लिआइडों का मामला नियमित रूप से करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग चारों तरफ के आसपास के इलाके में भी जिनके समुद्र-तटों पर स्थित सैरगाह भी शामिल हैं, पानी की जांच भी करता है। यह पाया गया है कि बिजलीघर से निकलने वाले रेडियोन्यूक्लिआइडों की मात्रा समुद्री पर्यावरण के विभिन्न अंगों में, जिनमें मछलियां भी शामिल हैं, नगण्य है।

परमाणु संयंत्रों का बन्द किया जाना

8390. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान परमाणु विद्युत संयंत्रों की औसत आयु (मियाद) कितनी है और क्या उनकी औसत आयु (मियाद) पूरी हो जाने के बाद उन संयंत्रों को बंद करना पड़ेगा;

(ख) इस तरह अपशिष्ट परमाणु ईंधन के निपटान के लिए यदि कोई वर्तमान व्यवस्था है तो वह क्या है; और

(ग) किसी परमाणु संयंत्र को बंद करने में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परमाणु विद्युत संयंत्रों की अपेक्षित आयु 25 वर्ष है किन्तु आशा है कि उनकी आयु इससे कहीं ज्यादा लगभग 40 वर्ष रहेगी। इन संयंत्रों के आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी हो जाने पर ही उन्हें बंद करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

(ख) वर्तमान में भारत द्वारा बनाए गए सभी रिएक्टरों से निकले भुक्तशेष ईंधन को उसके पुनर्संसाधन से पहले एक भंडारण पूल में रखा जाता है जो प्रत्येक बिजलीघर में बनाया जाता है।

(ग) किसी भी बिजलीघर को बंद करने पर होने वाला खर्च उस बिजलीघर की पूंजीगत लागत के 10 प्रतिशत से भी कम रहने की आशा की जाती है।

दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्र में तंग सड़कें

8391. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्र में सड़कें इतनी तंग हैं कि इन पर बढ़े हुए यातायात की सुचारू रूप से, निर्मुक्त और दुर्घटनामुक्त आवाजाही बहुत कठिन हो गई है तथा पटरियों की दशा भी बहुत खराब है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली छावनी बोर्ड में सभी सड़कों को विशेषकर बाजारों से होकर गुजरने वाली सड़कों को निश्चित समय के भीतर चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली छावनी क्षेत्र में सड़कें और पटरियां सामान्यतः अच्छी हालत में हैं। फिर भी, यातायात को अधिक सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित सड़कों को चौड़ा और पक्का करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए कार्रवाई की जा रही है :

(i) थिमैया मार्ग (माउंड रोड)।

(ii) कोतवाली मार्ग।

(iii) पालम मार्ग।

पाकिस्तानी जेलों में बैध पासपोर्ट वाले भारतीय

9392. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अप्रैल, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में 80 इण्डियन्स विद वैलिड, पासपोर्ट्स इन पाक जेल" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में पाकिस्तान सरकार से पूछताछ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने अब इन कैदियों को सेंट्रल जेल, मुल्तान में स्थानान्तरित कर दिया है और 20 अप्रैल, 1986 को हमारे राजदूतावास के अधिकारियों को इन कैदियों से मिलने की अनुमति दी। इन कैदियों की रिहाई और उनके प्रत्यर्पण के संबंध में पाकिस्तान की सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

नदी किनारों पर औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के उपाय

8393. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक बड़े उद्योग बड़ी नदियों के किनारे पर स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में बड़ी नदियों के स्रोतों में प्रदूषण रोकने अथवा उसको कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या राज्यों के लिए आयोजित कम्पलैक्सों को विशेषकर उन यूनिटों को जिन्होंने प्रदूषण निरोधी उपायों को नहीं अपनाया है, नदी किनारे से दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए कोई केन्द्रीय मार्गनिर्देश हैं;

(घ) नदी किनारों पर नई औद्योगिक यूनिटें स्थापित करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है और क्या प्रत्येक औद्योगिक यूनिट के लिए अपने उद्योग में प्रदूषण निरोधी प्रणाली अपनाना आवश्यक बनाने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं अथवा किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कुछ बड़े उद्योग बड़ी नदियों के किनारों पर स्थित हैं।

(ख) उठाये जा रहे उपायों में निम्नलिखित हैं :

—प्रदूषक उद्योगों को अपने स्थान निर्धारण के लिए उद्देश्य पत्र को औद्योगिक लाइसेंन्स में परिवर्तित करने से पूर्व पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है;

—प्रमुख प्रदूषक उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं और उनके चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं;

—समझाने बुझाने के बावजूद भी आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय पूरा न करने वाली दोषी इकाईयों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है;

—बेहतर उपयोग को निर्दिष्ट करने के परिप्रेक्ष्य में सभी 14 प्रमुख नदियों का क्षेत्रीयकरण एवं वर्गीकरण किया गया है;

—प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने वाले उद्योग तथा उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से स्थानान्तरित करने वाले को भी आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं; और

—यू० एन० ग्लोबल एन्वायरन्मेंट मोनिटरिंग सिस्टम और मोनिटरिंग इण्डियन नेशनल अक्वाटिक रिसोर्सेज प्रोग्राम के अधीन बड़ी और मध्यम नदियों का प्रबोधन किया गया है।

(ग) जी, नहीं; तथापि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषक उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए कर प्रोत्साहन दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) नदियों के तटों पर नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से संबंधित कोई विशिष्ट नीति नहीं है तथापि, नीति निदेशपत्र जारी किए गए हैं तथा प्रदूषक उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पूर्व अनुमति हेतु कार्याविधि स्थापित की गयी है। प्रदूषण-रोधी उपायों को निर्दिष्ट करते हुए औद्योगिक विशिष्ट प्रलेख भी प्रकाशित किए गए हैं।

सामाजिक वानिकी में प्रगति

8394. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों में ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ लगाने सहित सामाजिक वानिकी में कुछ प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ईंधन की लकड़ी की कमी रही है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कुल कितने हैक्टेयर भूमि में ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ लगाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। 21 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में छठी योजनावधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आंकलन 2,96,056 हेक्टेयर से अधिक में ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण उगाई गई है।

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत ईंधन की कमी वाले जिलों के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न I है।

(ग) छठी योजनावधि के दौरान "ग्रामीण ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण सहित सामाजिक वानिकी" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण के बारे में सूचना दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है।

विवरण I

गांवों में ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए चुने गए 157 जिलों की सूची

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	चुने गए जिलों के नाम
1. आन्ध्र प्रदेश	1. रंगारेड्डी

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चुने गए जिलों के नाम
	2. गंटूर
	3. मेढ़क
	4. नलगोंडा
	5. कृष्णा
	6. नैल्लोर
	7. प्रकाशम
	8. निजामाबाद
2. आसाम	1. कामरूप
	2. गोलपारा
	3. सिबसागर
	4. कच्छार
3. बिहार	1. सन्थाल परगना
	2. भागलपुर
	3. गिरिडीह
	4. धनबाद
	5. हजारीबाग
	6. गया
	7. औरंगाबाद
	8. नालन्दा
	9. मुंगेर
	10. रोहतास
	11. नवादा
4. गुजरात	1. बड़ोदरा
	2. पंचमहल
	3. कच्छ
	4. सुरेन्द्र नगर
	5. साबरकण्ठा
	6. जामनगर

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चुने गए जिलों के नाम
	7. भावनगर
5. हरियाणा	1. करनाल
	2. महेन्द्रगढ़
	3. गुड़गांवा
	4. कुरुक्षेत्र
	5. सोनीपत
6. हिमाचल प्रदेश	1. कागड़ा
	2. मन्डी
	3. सिरमुर
	4. शिमला
	5. हमीरपुर
7. जम्मू एवं काश्मीर	1. अनन्तनाग
	2. राजोरी
	3. कारगिल
	4. कठुआ
8. कर्नाटक	1. बैंगलोर
	2. गुलबर्गा
	3. कोलार
	4. बेलरी
	5. मन्धया
	6. धरवाद
	7. मैसूर
	8. चिकमंगलूर
9. केरल	1. केन्नानोरी
	2. त्रिवेन्द्रम
	3. कोजीकोडस
	4. कोट्टायाम
10. मध्य प्रदेश	1. रीवा

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चुने गए जिलों के नाम
	2. रतलाम
	3. इन्दौर
	4. भोपाल
	5. ग्वालियर
	6. झबुआ
	7. सियोनी
	8. जबलपुर
	9. बिलासपुर
	10. रायपुर
	11. सतना
	12. सागर
	13. दुर्ग
	14. खण्डवा
	15. पन्ना
11. महाराष्ट्र	1. अहमदनगर
	2. रत्नागिरी
	3. शोलापुर
	4. उसमानाबाद
	5. कोल्हापुर
	6. प्रभानी
	7. नासिक
	8. पुणे
	9. थाने
	10. जलगांव
12. मनीपुर	1. मनीपुर सैन्ट्रल (केन्द्रीय)
	2. मनीपुर नार्थ (उत्तर)
13. मेघालय	1. पश्चिम खासी पहाड़ियां
	2. पश्चिम गारो पहाड़ियां

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	चुने नए जिलों के नाम
14. नागालैण्ड	1. कोहिमा
	2. फेक
	3. तुयंसांग
15. उड़ीसा	1. बालासोर
	2. कटक
	3. बोलनगि र
	4. पुरी
	5. गनजाम
16. पंजाब	1. अमृतसर
	2. पटियाला
	3. फिरोजपुर
	4. गुरदासपुर
	5. फरीदकोट
17. राजस्थान	1. जयपुर
	2. उदयपुर
	3. भरतपुर
	4. अलवर
	5. भीलवाड़ा
	6. अजमेर
	7. भांसवारा
	8. झुनझूनू
	9. कोटा
	10. सवाईमाधोपुर
18. सिक्किम	1. पूर्वीगैंगटोक
	2. दक्षिणी गैंगटोक
19. तमिलनाडु	1. मदुराई
	2. त्रिचुरापल्ली
	3. चेंगलपट्टू
	4. धर्मपुरी

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चुने गए जिलों के नाम
	5. उत्तरी अरकोट
	6. दक्षिणी अरकोट
20. त्रिपुरा	1. पश्चिमी जिला
	2. उत्तरी जिला
21. उत्तर प्रदेश	1. हमीरपुर
	2. जालोन
	3. पीलीभीत
	4. खेरी
	5. झांसी
	6. ललितपुर
	7. टिहरी
	8. अल्मोड़ा
	9. गढ़वाल
	10. मिर्जापुर
	11. मेरठ
	12. इलाहाबाद
	13. देवरिया
	14. गोरखपुर
	15. जौनपुर
	16. आजमगढ़
	17. मुरादाबाद
	18. आगरा और
	19. अलीगढ़
22. पश्चिम बंगाल	1. बर्दवान
	2. मिदनापुर
	3. बन्कुरा
	4. 24-परगना
	5. बीरभूम
	6. नदिया
	143

विवरण II

छठी योजना के दौरान गांवों में उगाई गई इंधन की लकड़ी की पौधरोपण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खंड पौधरोपण (क्षेत्र* हेक्टेयर में)	वितरण बाल पौधे (कल्पित हेक्टेयर)	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	20210	35836	56046
2.	असम	13474	16729	33203
3.	बिहार	22205	9318	31523
4.	गुजरात	10891	31600	42491
5.	हरियाणा	10826	11375	22201
6.	हिमाचल प्रदेश	10934	7217	18151
7.	कर्नाटक	14738	37633	52371
8.	केरल	9557	15198	24755
9.	मध्य प्रदेश	34995	57146	92141
10.	महाराष्ट्र	3682	17797	21479
11.	मनीपुर	2320	1500	3820
12.	मेघालय	2260	1810	4070
13.	नागालैंड	9054	5012	14066
14.	उड़ीसा	24404	10364	34768
15.	पंजाब	10506	17526	28032
16.	राजस्थान	23883	16150	40033
17.	सिक्किम	960	1168	2128
18.	तमिलनाडु	24400	14591	38991
19.	त्रिपुरा	6649	2675	9324
20.	उत्तर प्रदेश	15946	20402	36348
21.	पश्चिम बंगाल	6025	11050	17075
	कुल : राज्य :	277919	345097	623016

1 2	3	4	5
22. अरुणाचल प्रदेश	2688	177	2865
23. दिल्ली	658	473	1131
24. गोवा, दमन एवं दिव	290	75	365
25. मिजोरम	15100	720	15820
	18736	1445	20181
कुल जोड़ :	296655	346542	643197

* 2000 बाल पौधे = 1 हेक्टेयर

† उसमें 1984-85 के 400 हेक्टेयर अनन्तिम उपलब्धियां शामिल हैं ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चुने गए जिलों के नाम
1. अरुणाचल प्रदेश	1. पश्चिमी कामेंग
	2. लोवर सुबनसिरी
	3. डिबंग वैली
	4. तिराप
	5. लोहित
	6. पूर्वी कामेंग
	7. अपर सुबनसिरी
	8. पूर्वी सियांग
	9. पश्चिमी सियांग
2. दिल्ली	1. दिल्ली
3. मिजोरम	1. ऐजल
	2. लुंगलोई
	3. चिन्तुईपुई
4. गोवा, दमन एवं दिव	1. गोवा
	14

कुल : 157 जिले

अनुसूचित जातियों/जनजातियों की शैक्षिक अर्हताओं में छूट

8395. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भर्ती नियमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में शैक्षिक अर्हताएं और शिक्षा स्तरों में दी गई छूट को वापस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार न्यूनतम शिक्षा अर्हताओं को पूरी करने वाले उम्मीदवारों के मामले में शिक्षा स्तर पूरा करने से छूट देने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। जहां भर्ती नियमों में कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है, वहां फिलहाल ऐसे कोई सरकारी अनुदेश नहीं हैं जिनके आधार पर अनुसूचित/जातिअनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट दी जा सके। एक उप-सिद्धान्त के रूप में, जहां कहीं भी, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के एक अंग के रूप में कोई न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया हो, तो वहां वह स्तर समान रूप से लागू होगा और ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित न्यूनतम स्तर में छूट देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी निर्धनों के लिए आवास तथा गंदी-बस्ती में सुधार सम्बन्धी कार्य दल

8396. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी निर्धनों के लिए आवास तथा गंदी-बस्ती सुधार सम्बन्धी कार्य-दल की आयोजना तथा कार्य निष्पादन के बारे में अध्ययन किया है क्योंकि अनेक नगरों में योजना तथा विकास प्राधिकरण विकास के योजनाकार तथा विनियंत्रक और अत्यंत महत्वपूर्ण आधार-भूत ढांचे के रूप में अपने न्यायोचित दायित्व की उपेक्षा कर महज भवन निर्माता बन कर रह गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उन प्राधिकरणों भवन-निर्माण कार्यक्रम को बिल्कुल कम करने के के लिए और निर्धनों के लिए आवास-कार्यक्रम क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सुझाव दिये गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में आपाक ध्यान सातवीं योजना के दस्तावेज के आवास, शहरी विकास, जल पूर्ति और स्वच्छता के पैरा नं० 12.4, 12.8, 12.18, 12.19 और 12.38, के पैरा नं० पैरा (क) उप की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें इस प्रश्न से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया है। योजना दस्तावेज सदन के सभा पटल पर पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ग) आवास, एक राज्य विषय है इसलिए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करना और सातवीं योजना के दस्तावेज में दी गई नीति को अपनाना राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र शासनों का कार्य है।

दक्षिण वायु कमान मुख्यालय का कार्यकरण

8397. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वायु कमान जिसका मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में है, ने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके पूर्ण रूप से कब तक कार्य करने की सम्भावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमालय क्षेत्र वनों की कटाई को रोकना

8398. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार यदि हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई की वर्तमान दर और निचले क्षेत्र में मनुष्य और पशुओं की जनसंख्या में वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो 2031 ई० तक हरे-भरे हिमालय के क्षेत्र में वनों की सफाई हो जाएगी और इसका बर्फ से ढका रहने वाला क्षेत्र रेगिरतान बन जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो हिमालय को रेगिस्तान बनने के खतरे का सामना करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार को जगदीश नौटियाल और टोरन्टो विश्वविद्यालय के पीटर बाबोर द्वारा किये गये अध्ययन की जानकारी है, जिसमें कहा गया है कि यदि सुधार के पर्याप्त उपाय नहीं किये गये तो जलाने की लकड़ी और चारे की मांग, इस समय वनों के रूप में वर्गीकृत किए गए सारे हिमालय क्षेत्र के उत्पादन से बहुत बढ़ जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप 48 वर्ष की अवधि में सारे वन निरावरण हो जाएंगे।

(ख) परिवार नियोजन और आयोजना, हमारी आर्थिक योजना के अनिवार्य अंग के रूप में हैं। पशुधन की गुणवत्ता को सुधारे जाने और पशुशालाओं में चराई को बढ़ावा दिया जा रहा है। परती भूमि पर जलाने की लकड़ी और चारे के उत्पादन के काम को प्रारम्भ किया जा रहा है। जलाने की लकड़ी की मांग को कम करने के लिए जैव गैस संयंत्रों, सौर कुकरों और उन्नत किस्म के चूल्हों को पुन: स्थापित किया जा रहा है। फलों की पैकिंग हेतु लकड़ी के बक्सों के विकल्पों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं कि 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर वनों को न काटा जाए।

सीमा सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में मारे गए पाकिस्तानी

8399. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की जानकारी है कि 10-11 अप्रैल, 1986 को राजस्थान और पंजाब में भारत पाक सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ों में कुछ पाकिस्तानी मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो मारे गए लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या मारे गए लोगों में कोई उग्रवादी भी था ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) 10 और 11 अप्रैल, 1986 को राजस्थान और पंजाब में भारत-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों से सशस्त्र मुठभेड़ों में छः पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए ।

(ग) मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना जिनकी अभिरक्षा से वर्गीकृत सूचना बाहर आई

8400. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या मंत्रालयों में वर्गीकृत सूचना जिम्मेदार अधिकारियों की अभिरक्षा में रखी जाती है, यदि हां, तो किस स्तर पर;

(ख) क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जिनकी निगरानी में एक विशेष दस्तावेज रखा गया है, ऐसी गुप्त दस्तावेज की सूचना प्रकट हो जाने पर, सख्त कार्यवाही की जाती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी सूचना प्रकट हो जाने के कितने मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) वर्गीकृत सूचना की अभिरक्षा सहित इसका निपटान करने की प्रक्रिया को विभागीय सुरक्षा निर्देशों द्वारा शासित किया जाता है जिन्हें इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किया गया है । इन निर्देशों में कौन या और कैसे इन पर कार्रवाई करेगा इस विषय में प्रतिक्रिया निर्धारित की गई है । इस प्रकार की सूचनाओं को जानबूझकर या अन्यथा प्रकट करने के विरुद्ध सरकारी गोपनीय अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। 1983 और 1985 के मध्य सरकारी गोपनीय अधिनियम के अन्तर्गत 16 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है ।

तिहाड़ जेल में सहकैदियों द्वारा कैदियों को यंत्रणा देना

8401. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिहाड़ जेल में कैदियों को उनके सहकैदियों द्वारा यंत्रणा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां, पंजाब जेल नियमावली जो तिहाड़ जेल पर लागू है, के अधीन कार्यवाही की जाती है।

सामान्य रिजर्व इन्जीनियरिंग बल

8402. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन का सामान्य रिजर्व इन्जीनियरिंग बल एक असैनिक निर्माण ऐजेन्सी है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य रिजर्व इन्जीनियरिंग बल के असैनिक कर्मचारियों को कार्मिक संघ अधिकार से कैसे वंचित रखा जाता है;

(ग) क्या सरकार ने किसी समय संविधान के अनुच्छेद 33 के उपबन्धों के अन्तर्गत इन्हें सशस्त्र सेनाओं के सदस्य घोषित किया गया था; और

(घ) क्या उनके दर्जे के बारे में पुनरीक्षण करने तथा उस पर पुनर्विचार करने का कोई विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स के कर्मचारियों के कार्य के क्षेत्रों और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति को देखते हुए, 1960 में जनरल इन्जीनियर फोर्स की स्थापना के समय इसके कर्मचारियों पर थलसेना अधिनियम, 1950 और थलसेना नियम, 1954 के कुछ अनुशासनिक प्रावधान लागू किए गए हैं। इन प्रावधानों के अन्तर्गत इस फोर्स में मजदूर/श्रमिक संघों का गठन नहीं किया जा सकता। इसका अनुमोदन उच्चतम न्यायालय ने 6 मई, 1983 को आर० विश्वान बनाम भारत सरकार (ए०आई०आर० 1983 उच्चतम न्यायालय 657) के मामले में दिए गए अपने निर्णय में कर दिया है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 33 की परिभाषा के अन्तर्गत जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स सशस्त्र सेनाओं का एक अभिन्न अंग है। सरकार ने इस फोर्स की स्थिति स्पष्ट करने के लिए 14-8-1985 को अनुदेश जारी किए।

(घ) जी, नहीं।

आतंकवादियों द्वारा पंजाब में पटरी से फिश प्लेटों को हटाना

8403. **श्री के० वी० शंकर गौडा :**

श्री एच० ए० डोरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में 24 मार्च, 1986 को रेल पटरी से फिश प्लेटें हटाई हुई पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आतंकवादियों का कार्य था;

(ग) यदि हां, तो क्या सीमा सुरक्षा दल ने उन आतंकवादियों पर, जिन्होंने फिश प्लेटें हटाई थी; आक्रमण किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था अथवा कितने मारे गए थे;

(ङ) यदि हां, तो रेल पटरी को कुल कितना नुकसान हुआ था; और

(च) पंजाब में रेल पटरी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 24 मार्च, 1986 को चण्डीगढ़ से इस प्रकार की घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(च) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध कर लिए गए हैं।

प्रति व्यक्ति राज्य योजना परिव्यय का राष्ट्रीय औसत

8404. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति व्यक्ति राज्य योजना परिव्यय तथा प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश का राष्ट्रीय औसत क्या है; और

(ख) केरल में प्रति व्यक्ति राज्य योजना परिव्यय और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश का राष्ट्रीय औसत कितना-कितना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 683 रु० था जबकि छठी योजना के दौरान जोड़ा गया सकल ब्लाक प्रति व्यक्ति मूल्य (लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित) 414 रु० था। इसी अवधि के दौरान केरल राज्य के लिए सम्बद्ध समानुरूपी आंकड़े क्रमश: 588 रु० और 155 रु० थे।

गाडगिल फार्मूला में परिवर्तन करना

8405. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गाडगिल फार्मूला में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक किए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय तथा, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) परिशोधित गाडगिल फार्मूला जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अगस्त, 1980 में अनुमोदित, किया गया था, में परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ राज्यों ने उक्त फार्मूले में परिवर्तन करने के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। गाडगिल फार्मूले में कोई भी संशोधन केवल राष्ट्रीय विकास परिषद प्राधिकृत कर देने पर ही किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्र द्वारा नेशनल पार्कों और बाघ परियोजना कार्यक्रमों के लिए धन दिया जाना

8406. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नेशनल पार्क विकसित करने और बाघ परियोजना कार्यक्रमों के लिए 16.8 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस आवंटन के आन्तर्गत अन्य कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की जाएगी; और

(ग) क्या राज्य सरकारों से इस राशि से कार्यान्वित की गई योजनाओं की प्रगति रिपोर्टें भेजने के लिए कहा गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय उद्यानों एवं बाघ परियोजना रिजर्वों के विकास हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता के रूप में सातवीं योजना के दौरान 12.95 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ख) वन्यजीव संरक्षण पर केन्द्र द्वारा प्रयोजित अन्य स्कीमों जिनके अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जा सकती है नीचे दी गई है :—

(i) चिड़ियाघरों के विकास हेतु सहायता।

(ii) बन्दी प्रजनन एवं संकटस्थ प्रजातियों के पुनर्वास के लिए सहायता।

(iii) वन्यजीव शिक्षा एवं प्रतिपादन कार्यक्रमों के लिए सहायता।

(iv) असम में गेंडों का संरक्षण।

(v) चोरी छिपे शिकार करने पर तथा वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर-नियन्त्रण हेतु सहायता।

(ग) जी, हां।

वक्फ बोर्डों को अनुदान

8407. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वक्फ बोर्डों को कोई अनुदान दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वक्फ बोर्डों को वर्ष 1985-86 में कितनी धनराशि दी गई थी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंजम जिले में इण्डियन रेअर अर्थ लिमिटेड के एकक का कार्यकरण

8408. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गंजम जिले में इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड की स्थापना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इसका आगे विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस उद्योग को अभी तक कोई लाभ हुआ है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्योग से रेयर अर्थस की किस पत्तन से ढुलाई की जाती है और अब तक कितनी रेयर अर्थ की ढुलाई की गई; और

(ङ) क्या गोपालपुर-आन-सी पत्तन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस पत्तन से रेयर अर्थस की ढुलाई करने का कोई प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) उड़ीसा परियोजना पर 31-3-1986 तक 114.39 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। परियोजना को विभिन्न चरणों में चालू किया जा रहा है और परियोजना के विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं। उपस्कारों आदि को केवल परख के लिए परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है।

(घ) विशाखापत्तनम की बन्दरगाह से परीक्षण के तौर पर लगभग 9,000 मीट्रिक टन इल्मेनाइट जहाजों में लादकर भेजा गया है।

(ङ) जी, हां।

सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क के कुछ हिस्से को फिर से सीध में लाने का अनुरोध

8409. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क के कुछ हिस्से को फिर से सीध में लाने के बारे में सिक्किम सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राज्य को शेष देश से जोड़ता है, प्राय: हमेशा टूट जाता है;

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैकल्पिक सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि सिक्किम के लोगों को और अधिक समय तक कठिनाई न उठानी पड़े ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (घ) सिक्किम सरकार से, राष्ट्रीय राजमार्ग 31-क के वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के लिए, एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पश्चिम बंगाल में दमदीन से अलगढ़—ऋषि—रानीपुल से होकर गंगटोक जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग पहले से ही विद्यमान है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31-क पर अलगढ़ रांगपो जाने के लिए एक नया रास्ता है। गंगटोक जाने के लिए दूसरे वैकल्पिक मार्ग की संभाव्यता की जांच की गई थी। इस बात को देखते हुए कि एक वैकल्पिक मार्ग पहले से ही विद्यमान है और गंगटोक के लिए दूसरे मार्ग की कोई संक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका निर्माण आवश्यक नहीं समझा गया।

पाकिस्तान की जेलों में नजरबन्द भारतीयों द्वारा भूख हड़ताल

8411. **श्री चित्त महाटा :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास से समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की सत्यता का पता लगाने के लिए कहा है, जिनमें कहा गया है कि माछ सैन्ट्रल जेल, बलुचिस्तान में नजरबन्द 77 भारतीयों ने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में दूतावास की रिपोर्ट क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां। भारतीय नजरबन्दियों ने भूख हड़ताल करने का निर्णय किया था।

(ख) और (ग) सरकार को जैसे ही इस बात का पता चला वैसे ही उसने पाकिस्तान सरकार से यह अनुरोध किया कि वह इसका ब्यौरा उपलब्ध कराए और हमारे अधिकारियों को कैदियों से मिलने की अनुमति दी जाए। पाकिस्तान सरकार अब कैदियों को सैन्ट्रल जेल, मुलतान में ले आई है और उसने 20 अप्रैल, 1986 को कैदियों से मिलने के लिए हमारे अधिकारियों को अनुमति दी थी। राजदूतावास के प्रतिनिधियों ने नजरबन्दियों से मुलाकात की और बातचीत करके इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे भूख हड़ताल न करें। कैदियों की रिहाई और उनकी वापसी के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

गरीबी और बेरोजगारी दूर करने सम्बन्धी योजनाएं

8412. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए प्रारम्भ की गई योजनाओं का उन लोगों को लाभ नहीं पहुंचा है जिसके लिए यह योजनाएं बनाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने और उनमें सुधार करने का प्रयत्न किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार में बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए किस सीमा तक योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां। बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए तीन विशेष स्कीमें, अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, शुरू की गई हैं। यद्यपि, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 16.56 मिलियन लाभग्राही परिवार शामिल किए गए थे, फिर भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के लगभग 2036 मिलियन श्रम दिवस सृजित किए गए।

(ख) और (ग) छठी योजना के अनुभव के आधार पर उपयुक्त परिवर्तन करने के सुझाव दिए गए हैं जिसके ब्यौरे, सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) दस्तावेज के भाग-2 के अध्याय-2 में दिए गए हैं जिसे सदन के सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।

(घ) बेरोजगारी और गरीबी दूर करने से सम्बन्धित उपर्युक्त तीन स्कीमें बिहार राज्य सहित, पूरे देश में शुरू की गई हैं।

[अनुवाद]

विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाली संस्थाएं

8413. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष में 1983-84 के दौरान देश में विदेशी अभिदाय प्राप्तकर्ता एसोसिएशनों अथवा सोसाइटियों के नाम और पते क्या हैं और उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि प्राप्त की है;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान यदि किन्हीं निकायों का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं किया गया है, तो उनका विवरण क्या है;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान यदि किन्हीं निकायों का पंजीकरण रद्द किया गया है, तो उनका विवरण क्या है;

(घ) 1 जनवरी, 1986 को यदि किन्हीं निकायों के पंजीकरण के आवेदन लंबित पड़े थे, तो उनका विवरण क्या है;

(ङ) यदि कोई ऐसी निकाय है, जो पंजीकृत नहीं है और जिन्हें वर्ष 1985 दौरान विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई है तो उनका विवरण क्या है; और

(च) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की अनुमति की प्राप्ति के लिए जिन एसोसिएशनों के आवेदन 1 जनवरी, 1986 को लंबित पड़े थे, उनके नाम क्या हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 1983 और 1984 के दौरान 7000 से अधिक एसोसिएशनों/संस्थानों ने विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। चूंकि मांगी गई सूचना विस्तृत है इसलिए इतनी अधिक संख्या में ऐसोसिएशनों के नाम तथा पते और प्रत्येक द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है।

(ख) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) सूचना विवरण-III में दी गई है।

(ङ) सूचना विवरण-IV में दी गई है।

(च) सूचना विवरण-V में दी गई है।

विवरण I

उन एसोसिएशनों के ब्यौरे जिनको 1985 के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 9176 के अधीन पंजीकरण किए जाने से इंकार कर दिया गया है

क्र० सं०	एसोसिएशन का नाम और स्थान
1	2
1.	लिटल ब्रदर्स ऑफ दा आपरेस्ड, वैलोर, तमिलनाडु।
2.	इंटेग्रेटेड रूरल रिकंस्ट्रक्शन सोसायटी, मुदुरई, तमिलनाडु।
3.	यूनाइटेड फ्रेंट फार रिपोट्रिएट वर्क्स (यूनीफ्रंट) त्रिची, तमिलनाडु।
4.	ट्रेनिंग ऑन दा स्पाट ट्रस्ट, मदुरई, तमिलनाडु।
5.	मेनोनाइट चर्च इन इण्डिया, धमतरी, जि० रायपुर, मध्यप्रदेश।
6.	कंज्यूमर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्टशन फाउण्डेशन, उडूपी, कर्नाटक।
7.	अर्पणा (एक्शन फार रूरल एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ ड्राट प्रान नेगलेक्टेड एरिया) हैदराबाद।
8.	उड़ीसा ग्रामीण मजदूर संघ, भुवनेश्वर।
9.	रांची कंसोरटियम फार कम्युनिटी फोरेस्ट्री, रांची।

1	2
10.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एण्ड सबसीडियरी बैंक्स एम्पलाइज यूनियन, बम्बई।
11.	सेण्टर फार लेबर ऐजूकेशन एण्ड सोसल रिसर्च, नई दिल्ली।
12.	डी, पाल बायज होम, वेस्ट गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश।
13.	नदवातुल-उलामा, लखनऊ।
14.	शौर पब्लिकेशंस, हैदराबाद।
15.	सायाजी उबा खिन मेमोरियल ट्रस्ट, बम्बई।

विवरण II

उन एसोसिएशनों के ब्यौरे, जिनका 1985 के दौरान पंजीकरण रद्द कर दिया गया

क्रम सं०	एसोसिएशन का नाम और स्थान
1.	कोदाद बालगृह, कोदाद, आन्ध्र प्रदेश।
2.	सामुएल पक्यानादम गृह पदामुपपुरम, आन्ध्र प्रदेश।
3.	विशप ईलिअट मेमोरियल होम, अथमाकुर, आन्ध्र प्रदेश।
4.	मदिरीपुरम बालगृह, मदिरीपुरम, आन्ध्र प्रदेश।
5.	सेण्ट मैरी होम फार गर्ल, खाम्मम, आन्ध्र प्रदेश।
6.	सेण्ट पाल होम फार गर्ल्स, पालवन्चा, आन्ध्र प्रदेश।
7.	दोरनाकल गर्ल्स होस्टल, दोरनाकल, आन्ध्र प्रदेश।
8.	जे० कालविट क्लार्क होम, दोरनाकल, आन्ध्र प्रदेश।
9.	क्रिश्चियन एज्यूकेशन काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नागपुर, महाराष्ट्र।
10.	दिल्ली एनवल कान्फ्रेंस ऑफ दि मैथोडिस्ट चर्च, दिल्ली।
11.	दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मैथोडिस्ट चर्च, दिल्ली।

विवरण III

उन एसोसिएशनों के ब्यौरे जिनके पंजीकरण के लिए आवेदन, 1-1-1986 को लम्बित थे

क्र० सं०	एसोसिएशन का नाम और स्थान
1	2
1.	भरतपुर कम्यूनिटी डेवलपमेण्ट आफ नेशनल आफ इवेन्जल एंड एजूकेशनल सोसायटी, भरतपुर, राजस्थान।
2.	पाराड जुमा-मस्जिद माहाली कमेटी एण्ड पी० एम० सी० हास्पिटल काम्प्लेक्स, कनानोर, केरल।
3.	अम्बेदी अम्मू अम्मा धर्माथ न्यास, कोचीन, केरल।
4.	रहमनिया अरबिक कालेज कमेटी, कोझी कोडे, केरल।

1	2

5. भारत-तिब्बत बौद्ध सांस्कृतिक संस्थान, दार्जिलिंग, पं० बंगाल ।
6. फ्री चर्च आफ फिनलैण्ड मिशन, जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल ।
7. सलैक्ट बुक्स प्रकाशक और वितरक, नई दिल्ली ।
8. फ्रेंडशिप सेण्टर इंडिया, बम्बई ।
9. माउण्ट कारमेल कान्वेण्ट पुणे ।
10. कारबाइड कर्मचारी प्रायोजित राहत न्यास, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
11. दि चर्च आफ स्वीडन मिशन, मद्रास ।
12. अमेरिकन लुथेरन चर्च, मद्रास ।
13. कैन्सर संस्थान (डब्ल्यू० आई० ए०) मद्रास ।
14. डोन बोस्को फैरेकेटीकल एण्ड मल्टिमीडिया सेण्टर, कलकत्ता ।
15. शास्त्री स्मृति संघ, बर्धवान, पश्चिम बंगाल ।
16. महिला कुटीर शिल्प केन्द्र, हाबड़ा, पश्चिम बंगाल ।
17. लिटिल फ्लोक फैलोशिप, जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल ।
18. सोसायटी आफ दि चर्च आफ गोड (फुल गोस्पल) इन इण्डिया काकीनाडा आन्ध्र प्रदेश ।
19. इन्स्टीट्यूट फार एण्डवांसमेण्ट आफ वूमेन, हैदराबाद ।
20. सेण्ट सेवीयर हाई स्कूल सोसायटी, नालगोडा, आन्ध्र प्रदेश ।
21. पवित्र आत्मा सेविका संघ, खण्डवा, मध्य प्रदेश ।
22. जनता शिक्षण संस्थान, रायगढ़ ।
23. जिला अपंग कल्याण पुनर्वास सहकारी संस्था मेरादिन अमरावती, महाराष्ट्र ।
24. एसोसिएशन फार तरूमा केयर आफ इण्डिया, बम्बई ।
25. कोन्ग्रीगेशन आफ अवर लेडी आफ दि मिशन मरियम निलाया बंगलोर, कर्नाटक ।
26. अखिल कर्नाटक सिद्धी विकास एसोसिएशन (ए० के० एस०डी० ए०), करवार, कर्नाटक ।
27. कोंग्रीगेशन आफ द फ्रासिसकन ग्रदर्स आफ द बलेस्ड स्क्रामेण्ट झांसी, उत्तर प्रदेश ।
28. टिटुस स्कूल क्रिश्चियन चिल्ड्रन फंड प्रोजेक्ट, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
29. ग्रुप फार रूरल एक्शन एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली ।

विवरण IV

उन संगठनों का ब्यौरा जिन्हें वर्ष 1985 के दौरान अनुमति नहीं दी गई

क्र० सं०	संगठन का नाम और स्थान
1.	श्री सरस्वती विद्या मंदिर, बंगलौर ।
2.	अल जमायतुल इस्लामिया, तिलुहामा, बस्ती, (उ० प्र०) ।
3.	दलित लोगों की कल्याण एसोशियेशन, जिला-त्रिची, (तमिलनाडु) ।
4.	जमायत-उल हिदैयया, जयपुर (राजस्थान) ।
5.	भारत युवा केन्द्र ट्रस्ट, नई दिल्ली ।
6.	फादर फांसिस मात्रिन स्नेह ज्योति, कुम्बागुड, बंगलौर ।
*7.	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति अमृतसर ।
8.	जमायत ए इस्लामी हिन्द, नई दिल्ली ।
9.	अखिल भारतीय मजलिस-ए-तामीर-ए-मिल्लत, हैदराबाद ।
10.	आर० सी० मिशन, कालथिनामपेट पारिस, कालथिनबन्द्रापेटाई, जिला त्रिची-621702 (तमिलनाडु) ।

*कुछ आवेदकों के बारे में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी, अन्य मामलों में इसकी अनुमति नहीं दी गई ।

विवरण V

उन संगठनों के ब्यौरे जिनके आवेदन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति के लिए 1-1-1986 को लम्बित थे

क्र० सं०	संगठन का नाम
1	2
1.	कंजूमर एज्यूकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फाउन्डेशन, उडीपी, कर्नाटक ।
2.	श्री सरस्वती विद्या मन्दिर, बंगलौर ।
3.	भारतीय हाकी संघ, नई दिल्ली ।
4	इन्स्टीटयूट आफ ऐशियन स्टडीज, मद्रास ।
5.	कर्माअप्पा बहुउद्देशीय सोसायटी, जिला-सरगुजा (म० प्र०) ।
6.	सिंध ब्रह्मा शिक्षा सम्मेलन, बम्बई ।
7.	गोलपाडा तेनेन्द्र विद्यालय जिला-बीरभूम (पं० बंगाल) ।
8.	रांची कोन्सोरटियम फार कम्यूनिटी फारेस्ट्री, रांची, बिहार ।

1	2

9. कैरी बापिष्ट चर्च, कलकत्ता ।

10. एज्यूकेशन ओडियोलोजी एण्ड रिसर्च सोसाइटी, बम्बई ।

11. फ्रेंड्स आफ मोरल रिआर्मेमेंण्ट, दिल्ली नई ।

"वनोन्मूलन को रोकने हेतु विशेष उपबंध करने का सुझाव देने के लिए समिति"

8414. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में किए जाने हेतु विशेष प्रावधानों के बारे में सुझाव देने के लिए कोई समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में विशेषकर राज्य के उत्तरी भाग में, वनों के काटे जाने की जानकारी है और यदि हां, तो क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को उपयुक्त सलाह देने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की क्रियान्वित में स्वयंसेवी संगठनों तथा समितियों आदि को भी शामिल करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में पर्याप्त मात्रा में वनों की कटाई नहीं हुई है ।

उपग्रह बिम्बावली से आकड़ा विश्लेषण यह दर्शाता है कि वर्ष 1975 से 1982 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में 1844 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्र पर वन क्षेत्र को क्षति पहुंची है। पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्य सरकारों को वनों की कटाई को रोकने के लिए उपायों का एक व्यापक सैट तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, हां।

निकारागुआ को सहायता

8415. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निकारागुआ सरकार को आर्थिक प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए एक दल वहां भेज रही है;

(ग) क्या सरकार निकारागुआ को आर्थिक, सैन्य और चिकित्सा सहायता भेज रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी. हां। निकारागुआ की सरकार के नियंत्रण पर एक भारतीय तकनीकी-आर्थिक प्रतिनिधिमंडल ने 3 से 7 अप्रैल, 1986 तक निकारागुआ की यात्रा की।

(ग) और (घ) निकारागुआ की सरकार के अनुरोध पर 1985 में एक लाख रुपये के मूल्य की दवाइयां उपहारस्वरूप दी गई। कृषि, उद्योग, व्यापार और तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। किसी सैनिक सहायता के लिए न तो कोई अनुरोध किया गया है और न ही इस प्रकार की सहायता दी गई है।

[हिन्दी]

असम में सीमा सुरक्षा बल

8416. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**
श्री तेजा सिंह दर्दी :

क्या गृह मंत्री यह बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण असम क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम रखने के लिए अप्रैल, 1986 के प्रथम सप्ताह में सीमा सुरक्षा बल की सेवाओं का उपयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या देश को विखंडित करने में लगे हुए तत्वों से निपटने के उद्देश्य से असम सरकार को और सहयोग देने का सरकार का विचार है?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) उप आयुक्त, कच्छार से अनुरोध प्राप्त होने पर सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए कानून और व्यवस्था के कार्य के लिए 5 अप्रैल से 7 अप्रैल 1986 तक सीमा सुरक्षा बल की एक यूनिट तैनात की गई थी। आवश्यक और संभव सहायता हमेशा दी जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीणों का शहरों को पलायन

8417. **श्री एम० डैनिस :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीणों के तेजी से हो रहे शहरों को पलायन को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या ग्रामीण लोगों को उनके अपने क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार तथा व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई रचनात्मक प्रस्ताव तैयार किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण लोगों के गांवों को छोड़ कर शहरों

में चले जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) से (ग) सरकार के पास ग्रामीण जनसंख्या के लिए अनेक विकास कार्यक्रम हैं जिनका आशय उन्हें अपने ही क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इन कार्यक्रमों में स्वरोजगार के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और दिहाड़ी रोजगार के लिए ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम शामिल है। इन कार्यक्रमों से और अन्य कार्यक्रमों से उन्हें अपने ही क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और इससे ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर प्रव्रजन रुकेगा।

भारत थोरियम (हसातु) के भंडार

8418. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध थोरियम (हसातु) के भंडारों का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सब से बाद का अनुमान कब लगाया गया था;

(ग) सबसे बाद के अनुमानों के अनुसार देश में कितना थोरियम (हसातु) उपलब्ध है; और

(घ) देश में उपलब्ध थोरियम (हसातु) के भंडारों का समुचित उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सन् 1984 में।

(ग) हमारे देश में अनुमानतः 3,63,000 मीट्रिक टन थोरियम धातु उपलब्ध है।

(घ) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मानवलाकुरिचि स्थित खनिज निकालने वाले अपने संयंत्रों में और उड़ीसा के गंजम जिले में छतरपुर स्थित उड़ीसा रेत उद्योग समूह में थोरियम निकालने और अलग करने का काम कर रहा है। केरल सरकार का एक उपक्रम मैसर्स केरल मिनरल्स एंड मैटल्स लिमिटेड भी केरल के क्विलान जिले में चवारा स्थित अपने संयंत्र में थोरियम अलग करता है। उपर्युक्त से प्राप्त थोरियम को इस विभाग के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संबंधी कार्यक्रम के लिए काम में लाया जाएगा। थोरियम नाइट्रेट गैस मैंटल्स बनाने के काम आता है।

कैदियों के कल्याणार्थ योजना

8419. **श्री के० वी० शंकरगौडा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कैदियों के कल्याणार्थ इस उद्देश्य के अनुरूप एक नई योजना तैयार की है कि जेल को अपराधियों को सुधारने और उनके पुनर्वास के लिए एक वास्तविक सुधार गृह होना चाहिए;

(ख) क्या राज्य सरकारों को कैदियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य को कुल धनराशि देने का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में वर्ष 1986-87 के दौरान आरम्भ की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कैदियों के कल्याण के लिए एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रस्तावित नई योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

स्वीडन द्वारा उड़ीसा सामाजिक वानिकी के लिए सहायता

8420. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कौन-कौन सी सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के लिए स्वीडन सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक कितना काम किया गया है;

(ग) स्वीडन द्वारा कितनी धनराशि की सहायता दी गई है; और

(घ) यह परियोजना कब पूरी होगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) उड़ीसा में स्वीडन सरकार (स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण) की सहायता से केवल एक सामाजिक वानिकी परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। परियोजना अवधि पांच वर्षों (1983-84 से 1987-88) के लिए है। 16.10 करोड़ रुपये (135 मिलियन सेड) की लागत 70% सिडा सहायता राशि को सम्मिलित करते हुए, परियोजना परिव्यय 23.00 करोड़ रुपये है। कार्य की प्रगति एवं लक्ष्यों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न है।

(घ) परियोजना के वर्ष 1987-88 में पूर्ण हो जाने की आशा है।

विवरण

1. कुल परियोजना परिव्यय	—	23.00 करोड़ रुपए
3. 31-12-1982 तक कुल परिव्यय	—	5.72 करोड़ रुपए
3. सिडा द्वारा प्रतिपूरित सहायता	—	1.29 करोड़ रुपए
4. मद-वार भौतिक लक्ष्य तथा सफलताएं	—	

क्रम सं०	पौधरोपण क्रियाकलाप	लक्ष्य (हेक्टेयर में)	31-12-1985 तक सफलताएं (हेक्टेयर में)
1.	ग्रामीण लकड़ी भूभाग	21,700	4,211
2.	निम्नीकृत वनों का पुन:रोपण	20,300	3,511
3.	वन रिक्तीकरण की पुन:स्थापना	15,000	4,987
4.	गरीब ग्रामीणों के लिए वन खेती	1,000	313
5.	फार्म वानिकी	51 मिलियन बालवृक्ष	8.19 मिलियन बालवृक्ष
		58,000 हेक्टेयर+ 51 मिलियन बालवृक्ष	13,023 हेक्टेयर + 8.19 मिलियन बालवृक्ष

कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण की समीक्षा

8421. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा फील्ड चैनलों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) महाराष्ट्र राज्य ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कितनी सहायता का उपयोग किया है; और

(ग) क्या योजना आयोग ने कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित उन कार्यक्रमों को जिनके लिए महाराष्ट्र सरकार को धनराशि दी गई थी, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि अन्य प्रयोजन पर खर्च की जाए, कभी कोई समीक्षा की है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) नियंत्रण क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा खेत की नालियों के निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अलग से कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। अत: उसके उपयोग की सीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

सेना कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन की अदायगी

8422. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध में मारे गए सेना कर्मचारियों की विधवाओं तथा युद्धाभ्यास के दौरान मारे

गए सेना कर्मचारियों की विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में कोई अन्तर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सैनिक कर्मचारियों की विधवाओं तथा परिवार के अन्य सदस्यों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या विभाग इस सम्बन्ध में प्रत्येक विधवा को सूचित करता है अथवा क्या बहुत-सी विधवाएं इस सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता के कारण इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पातीं; और

(ग) युद्ध में अथवा युद्धाभ्यास के दौरान मारे गए सैनिकों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किए हैं तथा क्या उनकी शिक्षा पर हुए व्यय का वहन सरकार करती है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां। युद्धाभ्यास के दौरान जिन कार्मिकों की मृत्यु हो जाती है उनकी विधवाओं को युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को देय पेंशन के 90% के बराबर विशेष परिवार पेंशन दी जाती है।

युद्ध विधवाओं को ऊंची दर पर पेंशन इसलिए दी जाती है कि उनके पति की मृत्यु देश की रक्षा के लिए हुए युद्ध में होती है।

(ख) और (ग) अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

जैसे ही सैनिक की मृत्यु होती है उसकी विधवा को मिलने वाली राशि तथा अन्य सुविधाओं के बारे में तुरन्त सूचित किया जाता है और उसके लिए उसे आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

विवरण

(ख) और (ग) रक्षा कार्मिकों की विधवाओं तथा परिवार के अन्य सदस्यों को निम्नलिखित सुविधाएं और रियायतें दी जाती हैं :—

मकान

विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% से 10% तक मकान और/या मकान बनाने की जगह आरक्षित की जाती है। मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में आरक्षण की यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

शिक्षा

(1) युद्ध में वीरगति प्राप्त रक्षा सेना अफसरों और जवानों के स्कूल तथा कालेज जाने वाले बच्चों को शिक्षा-शुल्क, छात्रावास का खर्च, स्कूली वर्दी के खर्च तथा बस/रेल किराए से पूरी तरह छूट दी जाती है। यह रियायतें प्रथम डिग्री कोर्स तक उपलब्ध है।

(2) भूतपूर्व सैनिकों तथा सशस्त्र सेना के सेवारत जिन कार्मिकों की मृत्यु हो जाती है/निशक्त हो जाते हैं उनके बच्चों के लिए चिकित्सा/दंत चिकित्सा कालेजों में

लगभग 40% स्थान आरक्षित होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों ने व्यवसायिक कालेजों में भी स्थान आरक्षित किए हुए हैं।

(3) युद्ध में वीरगति प्राप्त या निशक्त अफसरों या सिविल अधिकारियों की सहायता करते समय मारे गए अफसरों के बच्चों को लारेन्स/मिलिटरी/सैनिक या अन्य पब्लिक स्कूलों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इन छात्रवृत्ति के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क, भोजन तथा पुस्तकों, लेखन-सामग्री और वर्दी के खर्च से पूरी तरह छूट की व्यवस्था है।

(4) युद्ध में वीरगति प्राप्त या सिविल अधिकारियों की सहायता करते समय मारे गए जे० सी० ओ०/अन्य रैंकों के बच्चों को सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्ति दी जाती है।

(5) सेवा के दौरान/निशक्त होने के बाद मृत अफसरों के बच्चों को सेना अफसर अंशदायी शिक्षा निधि से छात्रवृति दी जाती है तथा इस निधि में 26 वर्ष तक अंशदान करने के बाद सेवानिवृत्त अफसरों, जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, के बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।

(6) तीनों सेनाओं की कल्याण-निधियों से अनुदान दिया जाता है।

(7) सशस्त्र सेनाओं के जिन अफसरों/जवानों की युद्ध में मृत्यु हो जाती है या निशक्त हो जाते हैं उनके बच्चों को अधिकांश राज्य सरकारों ने शिक्षा सम्बन्धी रियायतें दी हुई हैं।

अन्य सुविधाएं

(1) सेवा के दौरान मारे गए कार्मिकों के आश्रित सिविल पदों पर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार पाने के हकदार हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए किए गए आरक्षण के भी हकदार हैं।

आरक्षण नीति के अन्तर्गत वे पेट्रोलियम उत्पादों और खाना पकाने की गैस की एजेंसी लेने के भी पात्र हैं।

(2) युद्ध विधवाओं तथा इसी तरह के अन्य श्रेणी के कार्मिकों के लड़कों के लिए रेजीमेंटल सेंटरों में अन्य बातों के साथ-साथ 31 विशेष युद्ध स्मारक छात्रावास चलाए जा रहे हैं।

(3) बहुत से राज्य अपनी जरूरत से फालतू भूमि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए सहमत हो गए हैं।

(4) जरूरतमंद विशेष मामलों में युद्ध संतप्त तथा निशक्त सैनिक राहत निधि से वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय सेनाअकादम देहरादून में रिक्त स्थान

8423. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मिलिटरी अकादमी देहरादून में, पिछले तीन वर्षों के दौरान उम्मीदवारों के अभाव में प्रतिवर्ष "जेन्टल मैन केडिटों" के कितने स्थान रिक्त पड़े रहे;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने केडिट अपना पाठ्यक्रम पूरा किए बिना अकादमी छोड़ कर चले गए;

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के क्या कारण हैं; और

(घ) शारीरिक रूप से सक्षम युवकों से रिक्तियों को पूरा कोटा भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) भारतीय मिलिटरी अकादमी में नियमित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए 800 स्थान हैं और तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए 200 स्थान हैं। भारतीय मिलिटरी अकादमी में जेन्टल मैन कैडिटों के कुछ स्थान रिक्त रहे हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिए गए पिछले तीन वर्षों के भर्ती आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

	1983	1984	1985
नियमित पाठ्यक्रम	792	882	743
तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम	74	132	84

(ख) जो जेन्टल मैन कैडेट प्रशिक्षण पूरा होने से पहले भारतीय मिलिटरी अकादमी छोड़कर चले गए उनकी संख्या निम्न प्रकार से है :—

	1983	1984	1985
नियमित पाठ्यक्रम	18	10	5
तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम	9	4	17

(ग) और (घ) सशस्त्र सेनाओं और तकनीकी संवर्गों में भर्ती में आई कुछ कमी का कारण यह है कि इन संवर्गों में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवारों का निर्धारित मानदण्ड के स्तर तक का न होना है। कुछ जेन्टल मैन कैडेट पाठ्यक्रम पूरा होने से पूर्व ही भारतीय मिलिटरी अकादमी छोड़ कर इसलिए चले जाते हैं कि वे अकादमी में कठोर एवं अनुशासित जीवन के अनुरूप अपने आपको ढालने में असमर्थ होते हैं। सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न तकनीकी संवर्गों में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। सेवा शर्तों की लगातार समीक्षा की जा रही है। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए उपयुक्त पात्र युवकों को आकर्षित करने और सशस्त्र सेनाओं में सेवा की वास्तविक छवि प्रस्तुत करने के लिए समाचार पत्रों, दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यमों और सूचना पुस्तिकाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए तकनीकी कार्मिकों को आकर्षित करने की दृष्टि से वरिष्ठ सेना अफसर समय-समय पर विभिन्न शैक्षिणिक संस्थानों का दौरा करते हैं। अफसरों की पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के लिए दो बार संवर्ग की पुनरीक्षा की जा चुकी है जिसमें तकनीकी संवर्ग भी शामिल है। चतुर्थ वेतन आयोग भी सशस्त्र सेना कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार लाने पर विचार कर रहा है।

लाटरी का कारोबार

8424. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और प्राइवेट पार्टियों द्वारा चलाई जाने वाली लाटरियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में एक टिकट का अधिकतम मूल्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि लाटरियों की संख्या और इनाम के रूप में दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाया जा रहा है; यदि हां, तो क्या लाटरी के लाभों और लाटरी के दुरुपयोग के सम्बन्ध में लाटरी कारोबार के कार्यचालन के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जाली टिकटों और वास्तविक व्यक्तियों को इनाम की अदायगी न किए जाने के कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षित सूचना मांगी गई है, और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग

8425. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में कोई इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुजरात लघु उद्योगों, विशेष रूप से पीतल के पुरजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है;

(ग) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) यह बात सच नहीं है कि गुजरात में कोई इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के अन्तर्गत देश के सभी भागों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना करने के बारे में सरकार की नीतियों के ढांचे के अन्तर्गत उद्यमकर्ताओं के आवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा समुचित रूप से विचार किया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल में जनगणना कर्मचारियों की छंटनी

8426. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों की वर्ष 1984 में बिना कोई कारण बताए छंटनी की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अन्यत्र खपाए जाने की संभावनाएं क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1981 की जनगणना के क्षेत्रीय कार्य पूरे होने के बाद 1981 की जनगणना सारिणियों में एकत्र किए गए आंकड़ों को संसाधित करने के लिए देश भर में क्षेत्रीय सरिणी कार्यालय और बाद में सम्पादन तथा कूटबद्ध करने के लिए कक्ष स्थापित किए गए थे। ये कार्यालय अल्पावधि के लिए थे और जब कार्यालय बन्द किए गए तो इन कार्यालयों के लिए भर्ती किए गए अस्थाई कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई। अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती के समय उनको यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया था कि उनकी सेवाएं पूर्णत: अस्थाई हैं और कार्य पूरा होते ही उनकी छंटनी कर दी जाएगी।

(ख) अस्थाई स्वरूप के रोजगार के बारे में इन कर्मचारियों को स्पष्ट जानकारी देने के बावजूद पूर्णत: माननीय आधार पर केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों से, राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल सरकार समेत) और संघशासित प्रशासनों से छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों के पुनर्वास में सहायता करने का अनुरोध किया गया था। उनसे 1981 के जनगणना के छंटनी किए गए इन कर्मचारियों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन सेवाओं और पदों में उनको उच्चतम सम्भव अग्रता देकर तथा विशेष रूप से विचार करके अग्रता के आधार पर समाविष्ट करने के बारे में उपयुक्त अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। उनसे संभावित सीमा तक आयु में छूट देने के बारे में भी आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। ऐसे अस्थाई जनगणना कर्मचारी जो स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए थे और जिन्होंने संस्थापना में कमी होने के कारण छंटनी किए जाने से पहले कम से कम 6 महीने की लगातार सेवा की थी, को स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा अग्रता-III भी दी गई थी। यह स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजन के लिए बहुत उच्च अग्रता है। पश्चिमी बंगाल के छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों को छूट दी गई श्रेणी में शामिल किया गया है ताकि पश्चिमी बंगाल सरकार के अधीन नियमित सेवा में उनको धीरे-धीरे समाविष्ट किया जाना सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय रोजगार सेवा निदेशालय, पश्चिमी बंगाल के विशेष कक्ष में ऐसे व्यक्तियों के नामों की एक चालू सूची रखी जाती है। अब तक लगभग छंटनी किए गए 200 जनगणना कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दे दिया गया है।

विकलांगों के लिए रोजगारों में आरक्षण के लिए विधान

8427. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों के लिए रोजगारों में आरक्षण हेतु विधान के अधिनियमन के प्रश्न की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कोई विधान बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विकलांगों के लिए रोजगारों में आरक्षण हेतु कानूनी और प्रशासनिक कारणों से विधान बनाना सम्भव नहीं है। सरकार का यह विचार है कि विधान द्वारा नहीं बल्कि अधिक

जागरूकता पैदा करके और पर्याप्त धनराशि द्वारा विकलांग व्यक्तियों को व्यापक और उच्च कोटि की सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी ।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा में हरदा भिक्या सड़क का निर्माण

8428. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में हरदा-भिक्या प्रस्तावित सड़क का निर्माण करने के लिए वन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) अल्मोड़ा जिले में हरदा-भिक्यासन मोटर सड़क निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव सितम्बर, 1984 में प्राप्त हुआ था । राज्य सरकार से 20-11-1984 तक संगत ब्यौरों को दिखाने वाले मानचित्र भेजने का अनुरोध किया गया था । राज्य सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

देश की जेलों में राष्ट्रीय स्मारकों की स्थापना

8429. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उन सभी जेलों में राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करने का है जिनमें स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों को हिरासत में रखा गया था;

(ख) क्या उन्हें यह जानकारी है कि पण्डित नेहरू सहित विख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों को उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जेल में रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका विचार जेल के उस भाग को पण्डित नेहरू स्मारक में बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार के पास इस सम्बन्ध में इससे पहले कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है । मामले में पहल करना राज्य सरकार का कार्य है ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय तथा आप्रवास संरक्षक कार्यालय को एक ही स्थान पर रखना

8430. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए बम्बई में पासपोर्ट कार्यालय तथा आप्रवास संरक्षण कार्यालय को एक ही स्थान पर रखने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं । फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

बम्बई पारपत्र कार्यालय का कार्यभार

8431. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में पारपत्र कार्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या बम्बई पारपत्र कार्यालय अन्य पारपत्र कार्यालयों की अपेक्षा अधिक कार्यभार संभाल रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) पारपत्र कार्यालयों का राज्यवार ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

क्र० सं०	राज्य	पारपत्र कार्यालय/पारपत्र सम्पर्क कार्यालय (पी० एल० ओ०)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	(1) हैदराबाद (2) विजयवाड़ा (सरकार ने इसे 1-5-1986 से बन्द कर देने का निर्णय किया है ।
2.	असम	गोहाटी (नागालैण्ड, मेघालय और मणिपुर के राज्यों और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के संघ शासित क्षेत्रों के लिए भी काम करता है) ।
3.	बिहार	पटना

1	2	3
4.	गुजरात	अहमदाबाद (दादरा और नगर हवेली के संघ शासित क्षेत्रों के लिए भी काम करता है)।
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चण्डीगढ़ के अधीन एक पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय)।
6.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर
7.	कर्नाटक	बंगलौर
8.	केरल	(1) कोचीन (लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र के लिए भी कार्य करता है)। (2) कोजीकोड (पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र के माहे जिले के लिए भी काम करता है)। (3) त्रिवेन्द्रम—पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय।
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल
10.	महाराष्ट्र	बम्बई
11.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
12.	पंजाब	(1) चण्डीगढ़ (हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के लिए भी काम करता है)। (2) जालंधर (पंजाब राज्य में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के लिए भी काम करता है)।
13.	राजस्थान	जयपुर
14.	तमिलनाडु	(1) पाण्डिचेरी में माहे जिला तथा अन्य उन जिलों को छोड़ कर जो तिरुचिरापल्ली पासपोर्ट कार्यालय के अधीन आते हैं, यह कार्यालय पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र के लिए भी काम करता है। (2) तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु राज्य में तंजावुर, पुडुकोट्टाई, मदुरई, रामनाथपुरम, त्रिरुनेवली और कन्याकुमारी जिलों के लिए भी काम करता है)।
15.	उत्तर प्रदेश	(1) लखनऊ (2) बरेली (उत्तर प्रदेश राज्य में पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मेरठ,

1	2	3
		गाजियाबाद, मुरादाबाद, नैनीताल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी-गढ़वाल, देहरादून और उत्तरकाशी जिलों के लिए भी काम करता है)।
16.	पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता (त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों के लिए भी काम करता है)।
17.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	दिल्ली
17.	गोवा, दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र	पणजी
19.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का संघ शासित क्षेत्र	पोर्टब्लेयर

(ख) जी, हां। 1985 के दौरान बम्बई पासपोर्ट कार्यालय ने 2,58,124 पासपोर्ट जारी किए और पासपोर्टों के लिए 1,91,545 अन्य विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान कीं।

वायु सेना में उड़ान सुरक्षा

8432. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना में उड़ान सुरक्षा का महत्त्व सर्वोपरि है और इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने और दुर्घटनाओं के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर उड़ान सुरक्षा संगठन स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये संवेदनशील क्षेत्र, विशेषकर जहां पर पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनायें हुई हैं, कहां-कहां पर स्थित हैं और क्षति को कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चला है कि दुर्घटनाओं के मुख्य कारण ये हैं :—

(i) तकनीकी कमियां

(ii) मनुष्य की भूल

(iii) पक्षियों का टकराना।

वायुकर्मियों एवं भूमि कर्मिलों की कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को

व्यापक बनाकर उड़ान सुरक्षा को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हवाई अड्डों के आस-पास पक्षी न आने पाएं इसके लिए भी उपाय किए गए हैं ताकि पक्षियों के टकराने से होने वाली दुर्घटनाएं कम की जा सकें। हाल ही में, वायुसेना यूनिटों में प्रशिक्षण एवं रख-रखाव के स्तरों की समीक्षा करने और उनमें लगातार सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए वायुसेना में एक महानिरीक्षक ब्रांच की स्थापना की गई है।

अनुसंधान और विकास प्रबन्धकों की सिफारिशें

8433. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास की 31 मार्च, और 1 अप्रैल, 1986 को दिल्ली में गोष्ठी हुई थी;

(ख) क्या सरकार को मिशन से संबंधित अनुसंधान के लिए उनकी सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हां, श्रीमती जी, भारत अनुसंधान और विकास प्रबन्धकों की सोसायटी द्वारा "मिशन ओरिएन्टेशन टू इन्डस्ट्रियल आर० एण्ड डी०" पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी का आयोजन 31 मार्च और 1 अप्रैल, 1986 को दिल्ली में किया गया था।

(ख) नहीं, श्रीमती जी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न समितियां

8434. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1982-83 में एक सलाहकार समिति, तीन कार्य दल और एक समन्वय समिति की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों/दलों के निष्कर्ष और सिफारिशें पूरी तरह से कार्यान्वित की जा चुकी हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसमें पर्वतीय राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल किए गए थे ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) सलाहकार समिति, हिमाचल क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए तीन कार्यकारी दल और तीन कार्यकारी दलों की रिपोर्ट पर आधारित मार्गदर्शी सिद्धांतों को समन्वित, एकत्रित करने के लिए समिति, के गठन से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापनों की एक-एक प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक—1 से 5) [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2643/86**]

(ग) हिमाचल क्षेत्र में जल-विद्युत परियोजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए स्थापित तीन कार्यकारी दलों में से केवल एक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अन्य दो कार्यकारी दलों ने अपना काम पूरा नहीं किया। इसलिए, समन्वय समिति मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार नहीं कर सकी। सलाहकार समिति पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करती रही है।

सातवीं योजना की अवधि के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास की कार्य-नीति और नीति तैयार करने के लिए बाद में एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया। दल ने पहाड़ी क्षेत्र विकास के विभिन्न पहलुओं की जांच की जिनमें वे पहलू भी शामिल थे जो उक्त तीन कार्यकारी दलों को सौंपे गए थे तथा सलाहकार समिति की सिफारिशें भी शामिल थी; जांच के आधार पर, दल ने अपनी सिफारिशें कीं, सिफारिशों की अनिवार्य बातों को अन्ततः सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अध्याय 16 में समाविष्ट कर लिया गया है।

सातवीं योजना के दस्तावेज में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र विकास का कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है। इस सम्बन्ध में कोई भी विचलन, त्रुटियां आदि योजना आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में लाई जाती है ताकि इन्हें दूर कर सके और सुधार कर सके।

(घ) जी। पहाड़ी राज्यों और क्षेत्रों के सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधियों को पूरी तरह से इस कार्य से संबद्ध किया गया। इसके अलावा, उन विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जिन्हें क्षेत्र के बारे में पूर्ण ज्ञान था, इस कार्य में सम्बद्ध किया गया।

भारत में तितली पार्क

8435. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व का सबसे बड़ा और एशिया का पहला तितली पार्क मलेशिया में स्थापित किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत जैसे एक विशाल देश में ऐसा कोई पार्क नहीं है;

(ग) क्या यह सच है सिक्किम में विदेशी तितलियों की 423 जातियां हैं जिन्हें बचाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या हमारे राष्ट्रीय धन की सुरक्षा और शिक्षा के प्रयोजन के लिए मलेशिया में स्थापित पार्क की तरह शीघ्र ही एक पार्क सिक्किम में भी स्थापित किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस संबंध में भारत सरकार को तथ्यों की जानकारी नहीं है ।

(ख) यद्यपि तितलियों के संक्षरण के लिए देश में विशेषकर उद्यान की अभिकल्पना नहीं की गई है, फिर भी तितलियों को देश में अब तक बनाए गए 300 से अधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है ।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सिक्किम के पास [राज्य में दर्ज तितलियों की 600 से अधिक प्रजातियां हैं । भारत में पाई जाने वाली तितलियों की 781 प्रजातियों को वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनूसूचियों में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें गैर कानूनी एकत्र करने और उनका व्यापार या वाणिज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान है । सिक्किम सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां प्रचुर संख्या में तितलियां हैं, को उनके वास स्थलों और डिम्मक (लारवल) खाद्य पौधों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा [गया है ताकि तितलियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके ।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वयसेवी संगठन

8436. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए कार्यरत सरकारी और स्वयंसेवी संस्थानों/संगठनों के नाम क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यों और दिल्ली में केन्द्र शासित प्रदेशों के विकलांगों के कल्याण में कार्यरत स्वयंसेवी एजेंसियों की निर्देशिका का संकलन किया गया है । अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यरत सरकारी और स्वयंसेवी एजेंसियों की निर्देशिकाओं के संकलन सम्बन्धी अध्ययन की स्वीकृति दे दी गई है । चूंकि देश में काफी बड़ी संख्या में एजेंसियां कार्य कर रही हैं, इसलिए उन सभी के नाम बताना संभव नहीं है ।

चयन बोर्डों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना

8437. **श्रीमती ऊषा चौधरी** :

श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में चयन बोर्डों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदेशों के अनुपालन में विभिन्न समितियों और बोर्डों में नामित प्रतिनिधि महिलाओं के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सिफारिश के विस्तृत और अधिक व्यापक प्रयोग के प्रस्ताव क्या हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के संबंध में राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी दल की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17-12-1975 को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि नियोक्ता प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न निकायों/बोर्डों द्वारा चयन के मामलों में महिला उम्मीदवारों के संबंध में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके बाद, मामले पर आगे और विचार किया गया तथा दिनांक 8-11-1985 को अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी गई थी कि वे अपने अधीन विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित चयन बोर्डों/समितियों में जहां तक संभव हो सके, किसी महिला अधिकारी को नामित करने के प्रयास करें। यदि सेवा/पद के लिए पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की सम्भावना हो तो, यह सुनिश्चित किया जाना होता है कि चयन बोर्ड/समिति में किसी महिला अधिकारी को शामिल किया जाए। यदि मंत्रालय/विभाग में ही ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हो पाता तो, उसी स्थान पर स्थित किसी अन्य कार्यालय से किसी महिला अधिकारी को नामित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(ग) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं की जाती।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

महासागरों से उर्जा प्राप्त करना

8438. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के पुनः इस्तेमाल किए जा सकने वाले स्रोत के रूप में महासागरों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान। महासागर ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत प्रदान करते हैं जो ज्वार-भाटाओं, लहरों एवं समुद्री तापीय ऊर्जा रूपान्तरण (ओ० टी० ई० सी०) से प्राप्त की जा सकती है।

(ख) ज्वारीय ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी सुव्यवस्थित हो गई है जबकि लहरों एवं समुद्री तापीय ऊर्जा रूपान्तरण (ओ० टी० ई० सी०) से विद्युत उत्पादन करना भी अनुसंधान और विकास की अवस्था में है।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक

8439. **श्री के० प्रधानी** :

डा० वी० एल० शैलेश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शांति, अखण्डता और एकता बनाए रखने के विभिन्न उपायों पर विचार

करने के लिए राजधानी में 7 अप्रैल, 1986 को पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) उन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता समिति, जिसकी बैठक 7-4-86 को हुई थी, ने पंजाब की स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक सौहार्द के सम्बन्ध में विचार किया। समिति ने एक संकल्प पारित किया और श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में 21 सदस्यों की एक स्थायी समिति स्थापित की। समिति का कार्य समस्त देश में विभिन्न पहलुओं से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए अल्पा-विधि और दीर्घविधि, दोनों किस्म के उपाय करना होगा।

गुट-निरपेक्ष विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

8440. **श्री के० प्रधानी :**

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त या सितम्बर, में जिम्बाब्वे में होने वाले आठवें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन की तैयारी में गुट-निरपेक्ष विदेश मंत्रियों की चार दिन की बैठक अप्रैल, 1986 में राजधानी में आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर वर्तमान विश्वव्यापी तनाव को कम करने के लिए किस प्रकार की बातचीत हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। नई दिल्ली में 16 से 20 अप्रैल, तक गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की मंत्रीस्तरीय बैठक हुई थी। यह बैठक नई दिल्ली में मार्च, 1983 में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के सातवें शिखर सम्मेलन के निर्णयों और सिफारिशों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा 26 अगस्त से 7 सितम्बर, 1986 तक हरारे, जिम्बाब्वे में होने वाले आठवें शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में हुई थी।

(ख) मंत्रियों ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक स्थिति के सभी प्रमुख मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया खासकर उन मसलों पर, जिनसे विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने एक राजनीतिक और आर्थिक घोषणा स्वीकार की, जिसमें इन महत्त्वपूर्ण मसलों पर गुट-निरपेक्ष देशों की स्थिति बयान की गई थी।

इस बैठक के अन्तिम दस्तावेज संसद के पुस्तकालय में रख दिए जाएंगे।

कच्ची सामग्री के लिए माल-भाड़ा समानीकरण नीति

8441. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री नारायण चौबे :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास औद्योगिक एल्कोहल आदि, जैसी राष्ट्रीय महत्त्व की कच्ची सामग्री के मामले में माल-भाड़ा समानीकरण की नीति सभी राज्यों में लागू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या माल-भाड़ा समानीकरण की नीति अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने के लिए कदम उठाने का विचार है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) औद्योगिक विभाग के तत्कालीन सचिव, श्री एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयीन समिति द्वारा इस विषय की समीक्षा की गई जो मुख्यतः कपास के लिए भाड़ा समीकरण नीति अपनाने और कार्यक्षेत्र तथा व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए 1975 में गठित की गई थी । इस दल ने सिफारिश की कि भाड़ा समीकरण स्कीम को किसी अन्य वस्तु पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है और विद्यमान स्कीम भी कालान्तर में धीरे-धीरे समाप्त कर दी जाए।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पाण्डे समिति) द्वारा भाड़ा समीकरण स्कीम की पुनः समीक्षा की गई। इस समिति की रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई। इस समिति ने भी भाड़ा समीकरण स्कीम को किसी अन्य वस्तु पर लागू न करने की इच्छा प्रकट की और सिफारिश की कि सीमेंट और इस्पात जैसी वस्तुओं पर भाड़ा समीकरण स्कीम को भी धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए । सरकार ने इन सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है बशर्ते कि दूरवर्ती, अगम्य और अलग-थलग क्षेत्रों को राजसहायता दी जाए। भाड़ा समीकरण स्कीम को धीरे-धीरे समाप्त करने, का समय और औपचारिकताएं सरकार के विचारधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकासशील देशों के साथ तकनीकी सहयोग पर खर्च

8442. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकासशील देशों के साथ तकनीकी सहयोग पर वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) क्षेत्रों और देशों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण सुविधाओं और सामग्री सप्लाई करने सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अन्य विकासशील देशों के साथ तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध कार्यक्रम भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा कोलम्बो योजना और विशेष राष्ट्र मण्डल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत आते हैं। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का प्रशासन विदेश मंत्रालय के हाथ में है जबकि कोलम्बो योजना और विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता योजना का प्रशासन वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा किया जाता है। वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86के दौरान इन कार्यक्रमों के अधीन तकनीकीसहयोग पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	रुपए, लाखों में
1983-84	362.65
1984-85	607.33
1985-86	741.00 (अन्तिम प्राक्कलन)
कोलम्बो योजना	**रुपए, लाखों में**
1983-84	49.44
1984-85	43.43
1985-86	100.00 (संशोधित प्राक्कलन)
विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहयता योजना	**रुपए, लाखों में**
1983-84	18.69
1984-85	19.61
1985-86	45.00 (संशोधित प्राक्कलन)

इसके अतिरिक्त, अपने पड़ोसी देशों अर्थात् भूटान, नेपाल और बंगलादेश के साथ हमारे सहायता कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इन देशों को दी गई सहायता की राशि इस प्रकार है :—

भूटान	रुपए लाखों में	
1983-84	5651.84	अन्तिम प्राक्कलन
1984-86	4326.99	
1985-86	4212.24	

नेपाल	रुपए, लाखों में	
1983-84	1554.32	अन्तिम प्राक्कलन
1984-85	1382.13	
1985-86	2128.21	
बंगलादेश		
1983-84	105.60	अन्तिम प्राक्कलन
1984-85	107.36	
1985-86	273.00	

पिछले तीन वर्षों के दौरान, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत, खाड़ी, अफ्रीका, लातिनी अमरीका और केरबियाई क्षेत्र के बहुत से विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग दिया गया है। इन देशों में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, बंगलादेश, मालदीव, वियतनाम, लाओस, कम्पूचिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड, फिलिपीन्स, फीजी, टोंगा, जाम्बिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, यमन लोकतांत्रिक जनगणराज्य, यमन अरब गणराज्य, कीनिया, इथियोपिया, मदगास्कर, सशेल्स, मारिशस, बोतस्वाना, मोजाम्बीक, सेनेगल, सोमालिया, सुडान, क्यूबा, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, त्रिनिदाद एवं तोबागो आदि शामिल हैं।

पश्चिम अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय, अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी आर्थिक आयोग, दक्षिण अफ्रीका विकास समन्वय सम्मेलन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन आदि जैसे क्षेत्रीय दलों अथवा संस्थाओं को भी हम भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन सहायता देते हैं।

तकनीकी तथा आर्थिक सहायता प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हम भारतीय विशेषज्ञों के विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं तथा विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधाएं देते हैं। पिछले तीन वर्षों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, कोलम्बो योजना तथा विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता योजना के तहत कई विकासशील देशों के लोगों के प्रशिक्षण के लिए 3214 सीटें नियत की गईं और लगभग 225 भारतीय विशेषज्ञ विभिन्न विकासशील देशों में भेजे गए। पिछले तीन वर्षों में विकासशील देशों को सप्लाई की गई सामग्री इस प्रकार है :—अफगानिस्तान को औद्योगिक परियोजना के लिए उपकरण, डीजल जनरेटिंग सेट, वाद्य यंत्र और दवाइयां; श्रीलंका को राहत सामग्री; वियतनाम को दवाइयां और साइकिलें; लाओस और कम्पूचिया को दवाइयां; फीजी को विद्युत उपकरण; यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य को दवाइयां और हलों के सेट सहित ट्रेक्टर; यमन अरब गणराज्य को दवाइयां और गेहूं; जाम्बिया को दंत चिकित्सा उपकरण; तंजानिया को तकनीकी पुस्तकें; कीनिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए उपकरण; सशेल्स को एम्बेस्टास की चद्दरें; मारीशस को वाद्य यंत्र, उद्योग बस्ती के लिए उपकरण, प्राथमिक स्कूल और मछली पालन के लिए उपकरण; सूडान को चरखे; क्यूबा में बहुप्रयोजनी औषधि संयंत्र की स्थापना के लिए विविध विद्युत तथा यांत्रिकी मदें; निकारागुआ को दवाइयां तथा जमैका और मौत्से रात को खेलकूद का सामान।

पारिस्थितिकी योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ एजेन्सी

8443. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमारी वनस्पतियों तथा जीव-जन्तुओं के संरक्षण तथा संवर्द्धन के लिए पारिस्थितिकी योजना बनाने हेतु पर्याप्त अधिकार प्राप्त एक विशेषज्ञ एजेंसी गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रूस द्वारा परमाणु परीक्षणों से एकपक्षीय अधिस्थगन से अलग होना

8444. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीकी सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे परमाणु परीक्षणों के कारण सोवियत रूस के परमाणु परीक्षणों पर लगे अपने एकपक्षीय अधिस्थगन से अलग होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विश्व शान्ति और निरस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रयासों के संदर्भ में दो बड़ी शक्तियों के बीच परमाणु हथियारों की नई दौड़ की स्थिति को सरकार ने किस दृष्टि से लिया है; और

(ग) विश्व में तनाव को कम करने के लिए सरकार का क्या भूमिका निभाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार नाभिकीय हाथियारों की बढ़ती हुई होड़ से चिंतित है और इसे रोकने और खत्म करने लिए छह राष्ट्रों द्वारा की गई पहलकदमी के रूप में तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों में प्रयास कर रही है ।

रक्षा कार्मिकों को राशन

8445. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्षा कार्मिकों को मुफ्त राशन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कार्मिक को कितनी मात्रा में राशन दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वे अतिरिक्त राशि की वस्तुएं बाजार में बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) फील्ड क्षेत्रों में

सभी रक्षा कार्मिकों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। शांति क्षेत्रों में केवल ब्रिगेडियर या उसके समकक्ष रैंक तक के कार्मिकों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	मद	यूनिट	प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलने वाले राशन की दर		
			जे०सी०ओ०/अन्य रैंक तथा अफसर समकक्ष		
			थल सेना	नौसेना/वायु सेना	तीनों सेनाओं के
1.	आटा/चावल	ग्राम	620	600	450
2.	दाल	ग्राम	90	90	40
3.	चीनी	ग्राम	90	70	90
4.	साफ किया हुआ मीट	ग्राम	110	180	260
5.	अण्डे	संख्या	—	—	2
6.	आलू	ग्राम	110	110	110
7.	प्याज	ग्राम	60	60	60
8.	ताजा दूध	मिली लीटर	250	190	250
9.	ताजी सब्जियां	ग्राम	170	160	170
10.	हाईड्रो तेल	ग्राम	80	80	80
11.	नींबू वर्ण के फल या	ग्राम	110	50	1 .0
	बिना नींबू वर्ण के फल	ग्राम	230	100	230
12.	मक्खन	ग्राम	—	—	20
13.	दलिया	ग्राम	—	—	20
14.	साबूदाना	ग्राम	—	—	7
15.	मसाले	ग्राम	16	16	20
16.	नमक	ग्राम	20	20	20
17.	चाय	ग्राम	9	8	9

ईंधन लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि के लिए कदम

8446. **श्री श्रीकान्तदत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन लकड़ी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठायें हैं;

(ख) क्या उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए पेड़ लगाने के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के लिए पेड़ लगाने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(घ) कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के लिए पेड़ लगाने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां। अन्य वृक्षारोपण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, ईंधन लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि के लिए, कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौधरोपण को सम्मिलित करते हुए सामाजिक वानिकी" का क्रियान्वयन वर्ष 1980-81 से किया गया है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) ईंधन लकड़ी अभाव वाले 8 जिलों का पता लगा लिया गया है तथा उनके अन्तर्गत वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र स्थित हैं। कर्नाटक में पिछले दो वर्षों के दौरान भौतिक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	बढ़ाई गई ईंधन लकड़ी पौधरोपण (हेक्टेयर में)	वितरित बालपौधों की संख्या (लाखों में)
1984-85	3700	200.00
1985-86	2800	120.00

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौध रोपण को सम्मिलित करते हुए सामाजिक वानिकी" के क्रियान्वयन के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता	
		1984-85	1985-86
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	85.47	113.68

1 2	3	4
2. असम	90.93	118.43
3. बिहार	102.36	106.88
4. गुजरात	96.43	75.00
5. हरियाणा	45.00	42.48
6. हिमाचल प्रदेश	67.70	55.00
7. जम्मू एवं कश्मीर	—	2.30
8. कर्नाटक	51.91	85.41
9. केरल	144.66	—
10. मध्य प्रदेश	176.26	105.00
11. महाराष्ट्र	35.00	30.00
12. मणिपुर	23.34	32.99
13. मेघालय	15.00	25.00
14. नागालैण्ड	47.39	70.96
15. उड़ीसा	91.15	94.62
16. पंजाब	50.06	88.00
17. राजस्थान	102.03	88.70
18. सिक्किम	10.84	25.00
19. तमिलनाडू	83.30	65.00
20. त्रिपुरा	29.95	34.71
21. उत्तर प्रदेश	165.22	125.00
22. पश्चिमी बंगाल	25.77	40.00
23. अरुणाचल प्रदेश	15.00	20.00
24. दिल्ली	16.68	12.50
25. गोवा, दमन व द्वीव	—	12.50
26. मिजोरम	248.41	122.26
जोड़ :	1819.86	1591.42

कर्नाटक में नदियों की प्रदूषण निवारण योजना

8447. **श्री श्रीकान्तदत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में उन बड़ी नदियों के नाम और संख्या क्या है जो प्रदूषित हो गई हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन नदियों को प्रदूषण से बचाने हेतु योजनाएं कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र ने कर्नाटक में बड़ी नदियों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिमी तट पर परमाणु ऊर्जा केन्द्र

8448. **श्री श्रीकान्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश का अगला परमाणु ऊर्जा केन्द्र पश्चिमी तट पर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) इस परमाणु ऊर्जा केन्द्र की परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना के लिए पश्चिमी तट पर कौन सा स्थान चुना गया है; और

(ङ) उस परमाणु ऊर्जा केन्द्र से कुल कितने मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि परियोजना के लिए वित्तीय संस्वीकृति जारी होने के शीघ्र ही बाद काम शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद पहले और दूसरे यूनिट को क्रमशः 102/108 महीने में चालू कर दिया जाएगा ।

(ग) आशा है कि बिजलीघर की लागत सन् 1984 के मूल्य-स्तर के आधार पर लगभग 634 करोड़ रुपए बैठेगी ।

(घ) चुना गया स्थल कर्नाटक के करवार जिले में काली नदी के तट पर स्थित है ।

(ङ) बिजलीघर में दो यूनिट हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मैगावाट है ।

सरकारी सेवा में पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती

8449. **श्री आर० एस० माने :**

डा० टी० कल्पना देवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पारिवारिक दायित्वों के कारण सरकारी सेवाओं में महिला अधिकारियों की समस्याओं की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उन अधिकारियों, जहां पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार की सेवा में हों, की तैनाती के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन महिलाओं, जिनके पति एक ही सेवा अथवा केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं हैं, की समस्याओं पर विचार किया है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए, विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं । 3 अप्रैल, 1986 को जारी किए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2644/86**]

केरल में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

8450. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया जाता है; और

(ख) क्या राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के शीघ्र पुनर्वास के लिए कोई विशेष योजना बनाई जा रही है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) केरल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केरल में 31-12-1985 को बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 27,520 थी ।

(ख) राज्य सरकारों पर समय-समय पर इस बात के लिए जोर दिया गया है कि वे जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक संख्या में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करें । केरल सरकार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(i) सरकार द्वारा संचारित कम्पनियों में समूह III और समूह IV पदों और कुछ सरकारी पदों पर नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाती है । इसके अलावा कुछ वर्गों के पद केवल भूतपूर्व सैनिकों से ही भरे जाते हैं ।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयुक्त समूह-I और II पदों का पता लगाया जा रहा है ।

(iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रों में कुछ स्थान आरक्षित करके, खुदरा वितरक के रूप में नियुक्ति के लिए उन्हें प्राथमिकता देकर और भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों के लिए मछली पालन विभाग के नौका निर्माण यार्डों में निर्मित यंत्रकीकृत नौकाओं का उनके लिए आरक्षण करके उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आजीवन सजायाफ्ता कैदियों की समय पूर्व रिहाई हेतु पुनरीक्षा

8451. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 18 दिसम्बर, 1978 और 12 दिसम्बर, 1980 को पुनः यह फैसला दिया था कि आजीवन सजायाफ्ता कैदी अपने कारावास के 14 वर्ष पूरे हो जाने पर अपने मामलों की पुनरीक्षा किए जाने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे आजीवन सजायाफ्ता अपराधियों के मामलों की तेजी से पुनरीक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु जुलाई, 1983 में सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये थे;

(ग) ऐसे कितने कैदी विभिन्न राज्यों में जेलों में बन्द हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसी पुनरीक्षा की हैं और आजीवन सजायाफ्ता कैदियों को रिहा किया है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने मारू राम बनाम भारत संघ (ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 2147) मामले में नवम्बर 1980 में अपने फैसले में यह कहा था कि कुछेक वर्गों के आजीवन कारावास प्राप्त कैदियों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433क में दी गई न्यूनतम 14 वर्षों की अनिवार्य वास्तविक कारावास की व्यवस्था, उनके विरुद्ध लागू नहीं होगी जिनके मामलों का निर्णय 18-12-1978, जब से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433क लागू हुई, से पहले विचारण न्यायालयों द्वारा किया गया था। तारीख 12-12-1980 के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने अनेक याचिकाओं में, राज्य सरकारों को, फैसले को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्तिगत मामले या सामान्यतः किसी ग्रुप या श्रेणी के मामलों में 6 महीने की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं।

जुलाई, 1983 में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में सूचित किया गया था और उनसे आजीवन कारावास प्राप्त अभियुक्तों के मामलों की त्वरित समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया।

(ग) जिन आजीवन कारावास प्राप्त अभियुक्तों ने 14 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा पूरी कर ली है। उन अभियुक्तों के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1984-85 के दौरान सभी राज्यों ने सूचित किया

था कि इस प्रकार के मामलों की समीक्षा की गई थी और उपयुक्त मामलों में कैदियों को रिहा करने के आदेश पारित किए गए थे।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभान्वित परिवारों की संख्या

8452. **श्री मारिस कुजूर** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए उड़ीसा में इस समय कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) इन योजनाओं से कितने अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित हुये हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न प्रकार के लाभ देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) उसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) उड़ीसा में समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं, समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं, ग्रामीण गरीबों के आर्थिक पुनर्वास के अन्तर्गत अनुसूचित जन-जातियों के परिवार लाभ प्राप्तकर्त्ता उन्मुख कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाते हैं। अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रम संबंधित विभागों द्वारा भी किये जा रहे हैं।

(ख) छठी योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन अनुसूचित जनजाति के 490963 परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता की गई है।

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान राज्य सरकार का 5,15,100 परिवारों को आर्थिक सहायता देने का अस्थाई लक्ष्य है।

(घ) जन जातीय विकास के लिए सातवीं योजना के दौरान निर्धारित अस्थाई राशि राज्य योजना के अधीन 1,05,218.45 लाख रुपये और विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन 9,313.00 लाख रुपये है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की गिरफ्तारी

8453. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले सप्ताह जम्मू में बहुत से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या गिरफ्तार किए गये आतंकवादी अखिल भारतीय सिख विद्यार्थी संघ से संबंधित हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रौद्योगिकी का आयात

8454. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि भारतीय फर्मों द्वारा प्रौद्योगिकी का आयात निष्प्रभावी सिद्ध हुआ है जैसा कि दिनांक 14 अप्रैल, 1986 के "इकोनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है और इस प्रकार यह अनुपादक रहा है; और

(ख) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एन०सी०ए०ई०आर० ने 'प्रौद्योगिकी आयात और प्रौद्योगिकी विकास : भारतीय उद्योग में उनका परस्पर संबंध' पर एक अध्ययन किया है। यह अध्ययन भारत में प्रौद्योगिकी की मांग की प्रकृति से संबंधित है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय प्रौद्योगिकी आयातकों के प्रयोजन, आयातित प्रौद्योगिकी के निष्पादन इत्यादि भी शामिल हैं। इस अध्ययन में उपयुक्ततः दर्शाया गया है कि चूंकि यह अध्ययन कुल विदेशी सहयोगों के एक बहुत छोटे भाग तक सीमित है, अतः प्राप्त किए गए सांख्यिकीय परिणाम सभी विदेशी सहयोगों के लिए मान्य नहीं हैं। साथ ही, इस अध्ययन में यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि भारतीय फर्मों द्वारा आयातित प्रौद्योगिकी अप्रभावी और प्रतिउत्पादक सिद्ध हुई है।

(ख) आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रक्रिया की स्थापना करने के लिए संम्पूर्ण राष्ट्रीय क्षमताओं का समग्र उपयोग करते हुए, नवीन प्रौद्योगिकी के अवशीषण, अनुकूलन और, जहां भी संभव हो, संवर्द्धन और उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास में पर्याप्त मात्रा में निवेश के समुचित परिमाण सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्धता होगी।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

8455. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** :

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कितने अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं; और

(ख) उन सुविधाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 241 अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा सुविधाएं दी जा रही हैं।

(ख) पिछले तीन महीनों (दिसम्बर 1985 तथा जनवरी और फरवरी, 1986) में मार्गरक्षी ड्यूटी के लिए 52 कारों के किराये पर 15,53,700 रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसी

ड्यूटियों के लिए कार्मिकों तथा अन्य खर्चों को विद्यमान स्वीकृत राशि में से प्राप्त किया जाता है है अथवा अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों से कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त किया जाता है ।

दिल्ली पुलिस प्रशासन संबंधी अध्ययन दल

8456. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस प्रशासन का त्वरित अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) श्रीवास्तव समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जिसमें दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए 106 सिफारिशें की गई हैं । 106 सिफारिशों में से 25 सिफारिशों में वित्तीय उलझनें हैं, जिसमें अतिरिक्त पदों का सृजन, वाहनों और संचार उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था करना सम्मिलित हैं । अन्य 81 सिफारिशें, कानून के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यकारी आदेशों के मामले से संबंधित हैं ।

(ग) और (घ) जी हां, अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है । अन्य सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदायों के नाम

8457. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक अल्प संख्यक समुदाय की जनसंख्या कितनी है; और

(ख) क्या सभी अल्पसंख्यक समुदायों का अपना पृथक धर्म और मुस्लिम कानून की तरह पृथक कानून है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और जोरों स्टेरियन को धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में मानता है । भारत/राज्यों संघ शासित क्षेत्रों (असम को छोड़कर जहां 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी थी) में 1981 की जनगणना के अनुसार इनमें से प्रत्येक की जनसंख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू अल्पसंख्यक तथा अभिवाहकता अधिनियम 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा हिन्दू दत्तक ग्रहण और निर्वाह अधिनियम

1956, हिन्दू समुदाय पर लागू हैं। ये अधिनियम किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू हैं जो धर्म से हिन्दू हैं और धर्म के किसी भी रूप अथवा विकास जिसमें विराशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्मों, प्रार्थना अथवा आर्यसमाज का कोई अनुयायी शामिल हैं, और जो व्यक्ति धर्म से बौद्ध, जैन अथवा सिख हैं।

ईसाई समुदाय पर भारतीय तलाक अधिनियम 1869 तथा भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 लागू हैं। पारसी समुदाय पर पारसी विवाह तथा तलाक अधिनियम 1936 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू हैं।

मुसलमान समुदाय पर मुसलमान स्वीय कानून जिसमें मुसलमान स्वीय कानून (शरीयत) प्रयोज्य अधिनियम 1937 तथा मुसलमान विघटन अधिनियम 1939 शामिल हैं, लागू होते हैं।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार धार्मिक समुदाय तथा उनकी जनसंख्या का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जोरों स्टेरियम/ जोरो स्टारयो-निज्म
1	2	3	4 5		6
भारत*	75,512,439	16,165,447	13,078,146	4,719,796	71,630
1. आन्ध्र प्रदेश	4,533,700	1,433,327	16,222	12,930	452
2. बिहार	9,874,993	740,186	77,704	3,003	219
3. गुजरात	2,907,744	132,703	22,438	7,550	11,732
4. हरियाणा	523,536	12,215	802,230	761	5
5. हिमाचल प्रदेश	69,613	3,954	52,209	52,629	11
6. जम्मू और कश्मीर	3,843,451	8,481	133,675	69,706	—
7. कर्नाटक	4,104,616	764,449	6,401	42,147	547
8. केरल	5,409,687	5,233,865	1,295	223	24
9. मध्य प्रदेश	2,501,919	351,972	143,020	75,312	255
10. महाराष्ट्र	5,805,785	795,464	107,255	3,946,149	56,866
11. मणिपुर	99,327	421,702	992	473	—
12. मेघालय	41,434	702,854	1,674	2,739	—
13. नागालैण्ड	11'806	621,590	743	517	—

1	2	3	4	5	6
14. उड़ीसा	422,266	480,426	14,270	8,028	4
15. पंजाब	168,394	184,934	10,199,141	799	4
16. राजस्थान	2,492,145	39,568	492,818	4,427	171
17. सिक्किम	3,241	7,015	322	90,848	40
18. तमिलनाडु	2,519,947	2,798,048	4,395	735	207
19. त्रिपुरा	138,529	24,872	285	54,806	—
20. उत्तर प्रदेश	17,657,735	162,199	458,647	54,542	36
21. पश्चिम बंगाल	11,723,259	319,670	49,054	156,296	511
संघ शासित क्षेत्र					
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	16,188	48,274	991	127	—
2. अरुणाचल प्रदेश	5,073	29,306	1,231	86,483	—
3. चण्डीगढ़	9,115	4,470	95,370	454	3
4. दादरा और नगर हवेली	1,932	2,025	11	189	26
5. दिल्ली	4,81,802	61,609	393,921	7,117	372
6. गोआ, दमन और दीव	48,461	318,249	1,380	302	142
7. लक्षदीप	38,173	266	—	—	—
8. मिजोरम	2,205	413,840	421	40,429	3
9. पाण्डिचेरी	36,663	49,914	31	75	—

*असम के अतिरिक्त जहां जनगणना नहीं हुई क्योंकि 1981 की जनगणना के समय वहां विक्षुब्ध स्थिति व्याप्त थी।

टिप्पणी : विवरण में धर्म के आंकड़े घरेलू सारिणी द्वारा 1981 की जनगणना के दौरान एकत्र किए गए घर के मुखिया के धर्म से सम्बन्धित सूचना पर आधारित हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए लद्दाख के लोगों की मांग

8458. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की वहां की जनता की मांग के अनुसरण में भारत के राजपत्र में प्रकाशित 4 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 525 के अन्तर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 का जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर भी प्रवृत्त किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित जनता की मांग को कार्यान्वित करने हेतु उस क्षेत्र में विभिन्न जनजातीय समूहों का सर्वेक्षण करने के लिए भारत के महा पंजीयक के कार्यालय के अधिकारियों के एक दल को लद्दाख जाना था; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त दल को लद्दाख भेजा गया है और यदि नहीं, तो क्या लद्दाख के लोगों की इस पुरानी मांग को पूरा करने तथा इस सम्बन्ध में सरकार के आश्वासनों को पूरा करने के लिए भी उक्त दल को शीघ्र भेजने की व्यवस्था की जाएगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) संविधान (जम्मू तथा कश्मीर पर लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश 1985, 4 दिसम्बर, 1986 से लागू हुआ।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) भारत के महापंजीकार को अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किये जाने के लिए समुदायों का पता लगाने हेतु राज्य के लद्दाख क्षेत्र तथा अन्य भागों में लघु जनगणना करने के लिए कहा गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के परामर्श से प्राथमिकताएं तैयार की जा रही हैं।

वर्ष 1960 और 1985 में जन्म और मृत्यु दर

8459. **श्री एल० जी० धोलप** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 और 1985 में क्रमश: जन्मदर और मृत्युदर क्या रही; और

(ख) वर्ष 2000 में मृत्यु और जन्म कितनी दर होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1960 की जन्म दर एवं मृत्यु दर उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 1961 और 1971 की जनगणनाओं के आधार पर वर्ष 1961-70 की अवधि के लिए जन्म एवं मृत्यु की दरें क्रमश: 41.2 और 19.0 है।

वर्ष 1985 की जन्म दर एवं मृत्यु दर उपलब्ध नहीं है। नमूना पंजीकरण पद्धति के आधार पर वर्ष 1984 की जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमश: 33.8 और 12.5 है।

(ख) वर्ष 2000 के लिए जन्म दर एवं मृत्यु दर का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। फिर भी जन संख्या अनुमान सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के अनुसार 1996-2001 की अवधि के लिए जन्म

एवं मृत्यु की संभावित दरें क्रमशः 23.7 और 8.4 है, जिन्हें योजना आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है।

"वनों का संरक्षण"

8460. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सेब को पैक करने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसकी अत्यधिक मांग होने के कारण पेड़ समाप्त हो गए हैं, हरे पेड़ों को काटा गया है और सुन्दर घाटियां अब केवल इन पेड़ों की कब्रिस्तान बन कर रह गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पेड़ों की कटाई में वृद्धि से स्थिति खतरनाक हो गई है;

(ग) क्या केन्द्र ने राज्यों को पेड़ों की कटाई सीमित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं और इन अनुदेशों का किस सीमा तक अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) सरकार का विचार वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, विशेषकर हिमाचल की सुन्दरता के लिए, क्या उपाय करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सरकार को यह मालूम है कि जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में सेबों की पैकिंग पेटियों के लिए लकड़ी की मांग से वनों का निरावरण हुआ है।

(ग) केन्द्र सरकार ने राज्यों को 1,000 मीटर से अधिक ऊँचाई के सभी पेड़ों को काटने पर प्रतिबन्ध के लिए मार्गदर्शक जारी करने की सलाह दी है। उनको, पहाड़ियों में संकटापन्न क्षेत्रों, नदियों के आवाह-क्षेत्रों, भूमि-ढलानों तथा कटावों के प्रवण क्षेत्रों तथा भौगोलिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों का पता लगाने की सलाह दी गई है जिससे पेड़ों को सुरक्षित रखा जा सके तथा प्रभावशाली ढंग से वृक्षारोपण प्रारम्भ किया जा सके। राज्यों ने व्यापारिक कटाइयों के नियन्त्रण के लिए कार्यवाही आरम्भ की है।

(घ) सरकार ने हिमाचल को सम्मिलित करते हुए देश में वनों के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) वृक्षों की गैर-कानूनी कटाई को रोकने के लिए वन अधिनियम को लागू करना।

(2) गैर-वन उपयोग के वन भूमि के अन्धाधुन्ध दिक्परिवर्तन को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करना।

(3) अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वनों के कार्यों में कान्ट्रेक्टर अभिकरण को हटाना।

(4) सामान्य रूप से 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबन्ध तथा वनों के संरक्षण के लिए कार्यकारी योजना प्रावधानों के समीक्षात्मक पुनरीक्षण पर विचार के लिए मार्गदर्शक जारी करना।

(5) दीर्घकालीन समाधानों के उद्देश्य से चराई, वन भूमि पर अनाधिकार तथा "स्थानान्तरित खेती" की समस्याओं पर गहराई से अध्ययन प्रारम्भ करना।

(6) गूदे व लकड़ी की खपचियों पर आयात कर से छूट दी गई है। कुछ विशिष्ट दशाओं में लकड़ी पर 10 प्रतिशत यथामूल्य से आयात कर को कम किया गया है।

(7) वनों पर दबाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयोग के लिए लकड़ी के विभिन्न सम्भव विकल्पों का पता लगाया गया है।

(8) प्रतिवर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ईंधन लकड़ी व चारे की पौधरोपण के अन्तर्गत लाने तथा उसमें जन-सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परती भूति विकास बोर्ड की स्थापना की गई।

वनों को चिरस्थायी हरित क्रांति

8461. **डा० जी० विजयरामा राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष 50 लाख हेक्टेयर काटे गए वन क्षेत्र और परती भूमि में वनरोपण के विशाल कार्यक्रम चिरस्थायी हरित क्रांति आरम्भ करने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मुख्य रूप से जनता की सहभागिता से ईंधन की लकड़ी और चारे की पौधरोपण, सहित 5 मिलियन हैक्टेयर में वन लगाने के कार्य को पूरा करने हेतु एक वार्षिक लक्ष्य तैयार किया गया है। परती भूमि में वनरोपण उसका एक प्रमुख अंश होगा।

(ख) इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय भूमि प्रयोग एवं परती भूमि विकास परिषद द्वारा अनुमोदित परती भूमि के विकास के लिए एक कार्यकारी योजना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

परती भूमि के विकास के लिए कार्यकारी योजना

(1) **परती भूमि का अभिनिर्धारण** : प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण का अनुरोध किया गया है चाहे वे वन क्षेत्र, राजस्व/सामान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हो।

(2) **जनता की भागीदारी** : इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जाएगा :

(क) **विकेन्द्रित नर्सरियां** : जनता की नर्सरियां अर्थात किसानों, स्कूलों, महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक एजेंसियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) **फार्म वानिकी** : किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेती की मेढ़ों पर वृक्षों

की फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए ।

(ग) **वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति** : पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए ।

(घ) **स्वैच्छिक संगठन** : व्यापक आधार पर वाले संगठनों, महिला मण्डलों, युवा दलों को नर्सरी उगाने और पेड़ लगाने लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ङ) **पेड़ों के पट्टे** : सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि और अन्य निम्नीकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों को इस जमीन पर उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों पर भोगाधिकार सहित, दे दिया जाना चाहिए ।

(3) **नोडल एजेंसी** : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, सरकारी व अन्यों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने लिए एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिए अनुरोध किया गया है ।

(4) **बीज** : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा, घास और फलीदार बीजों की आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रियाकलाप की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है ।

(5) **भूमि का पट्टे पर देना** : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से ग्रामीण निर्धनों को वनरोपण हेतु वन तथा गैर-वन परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

(6) वन-आधारित उद्योगों की, उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वनरोपण के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आवरण उगाने के लिए उद्योगों को उत्साहित भी किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों ने, इस विषय में उद्योगों को परती भूमि पट्टे पर दिए जाने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

(7) **शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां** : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी ईंधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधों की हरित पट्टियां कस्बों और शहरों में लगाई जायें ।

(8) **निम्नीकृत वन क्षेत्र** : राज्यों से, निम्नीकृत वन-भूमि के अभिज्ञान और ईंधन की लकड़ी और इनके चारे की प्रजातियों से पुनः वनरोपण करने का अनुरोध किया गया है ।

(9) **वन विकास निगम :** वन विकास निगमों को ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधे लगाने के लिए सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए ।

(10) **सरकारी विभाग :** सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अन्य निकाय/संस्थानों जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए ।

(11) **माध्यम एवं संचार :** जनता में जागरूकता लाने लिए लोक कला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम, रेडियो, टेलिविजन और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए ।

(12) **प्रबोधन एवं मूल्यांकन :** राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयनको सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तन्त्र विकसित करना चाहिए ।

भारतीयों कम्पनियों द्वारा अनुसंधान और विकास स्कंधों का विकास

8462. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कम्पनियों द्वारा अपने अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता का विकास करने और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विदेशी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए किए गए प्रयासों से संतुष्ट हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय कम्पनियों के लिए अपने अनुसंधान तथा विकास स्कंध विकसित करने और उन्हें निरन्तर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विकास के अनुरूप बनाते रहना अनिवार्य करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारतीयों कम्पनियों द्वारा अपनी अनुसंधान और विकास विशेषज्ञताओं का विकास करने तथा भारतीय दशाओं के अनुरूप आयातित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं और अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है ।

(ख) अब तक इस तरह के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार ने सभी प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं तथा कई लाभ भी दिए हैं । अब यह महसूस किया जा रहा है कि कुछ आदेशात्मक उपाय भी करने होंगे ।

अति विशिष्ट असैनिक व्यक्तियों के प्रयोग के लिए नौसेना के हेलीकाप्टर

8463. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों आदि जैसे अति विशिष्ट असैनिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत अथवा सरकारी प्रयोग के लिए नौसेना अथवा रक्षा विभाग के हेलीकाप्टर दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन श्रेणियों के लोग इन हेलीकाप्टरों का प्रयोग कर सकते हैं और इनका प्रयोग किन शर्तों पर करने की अनुमति दी जाती है और ये हेलीकाप्टर किन नियमों के अंतर्गत दिए जाते हैं;

(ग) ऐसे हेलीकाप्टरों को किराए पर देने के लिए आमतौर पर कितना किराया लिया जाता है;

(घ) क्या ऐसे अति विशिष्ट व्यक्ति इन हेलीकाप्टरों में अपने कर्मचारियों, व्यक्तिगत मित्रों अथवा अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ ले जा सकते हैं;

(ङ) अक्तूबर से दिसम्बर, 1985 तक और जनवरी से मार्च, 1986 तक की अवधि के दौरान किन-किन लोगों को हेलीकाप्टर दिए गए अथवा यह सुविधा उपलब्ध कराई गई; और

(च) क्या इन हेलीकाप्टरों में यात्रा के दौरान किसी अति विशिष्ट व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त मानदण्डों और शर्तों का उल्लंघन किए जाने के बारे में जानकारी मिली है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) अति विशिष्ट व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य पात्र सिविलियन कार्मिकों को हेलीकाप्टर द्वारा यात्रा करने की सुविधाएं मुख्यतया भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री अपनी सरकारी यात्राओं के लिए "विशिष्ट व्यक्ति विमान" का इस्तेमाल करने के हकदार हैं। इसके अलावा निम्नलिखित व्यक्ति भी "विशिष्ट व्यक्ति विमान" का इस्तेमाल करने के हकदार हैं बशर्ते कि उनके लिए ऐसा करना उनकी सरकारी ड्यूटी के निष्पादन के लिए आवश्यक हो और विमान/हेलीकाप्टर उपलब्ध हो :—

(1) रक्षा मंत्री

(2) गृह मंत्री

(3) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(4) थलसेनाध्यक्ष

(5) नौसेनाध्यक्ष

(6) वायुसेनाध्यक्ष

(7) केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्री और संगठन से सम्बंधित वरिष्ठ सेना और सिविलियन अफसर।

(8) मंत्रिमण्डल सचिव, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, मुख्य मंत्री और अन्य उच्चाधिकारियों को भी भारतीय वायु सेना के विमान/हेलीकाप्टर दिए जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं :—

(क) दैनिक प्रकोप/कानून और व्यवस्था-समस्याओं जिनके लिए उच्चाधिकारी का वहां तत्काल पहुंचना आवश्यक हो;

(ख) दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए जहां अन्य कोई वाहन आसानी से उपलब्ध न हो;

(ग) चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए;

(घ) पर्याप्त महत्व वाली असाधारण परिस्थितियों में जिसके लिए भारतीय वायुसेना के विमानों/हेलीकाप्टरों का इस्तेमाल करना आवश्य हो जाए।

भारतीय वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल के सम्बन्ध में लागू नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत सायान्यतया भारतीय नौसेना के विमानों के सम्बन्ध में भी अपनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल कभी-कभार ऐसी यात्राओं के लिए भी किया जाता है।

(ग) राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री और रक्षा संगठन से सम्बंधित सिविल और सेना कार्मिक जब सरकारी प्रयोजन से यात्रा कर रहे हों तो उनसे कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाता लेकिन किसी अन्य प्रयोजन से विमान द्वारा यात्राएं करते समय इन उच्चाधिकारियों को और मुख्य मंत्री जैसे अन्य उच्चाधिकारियों को निर्धारित दर पर प्रभार अदा करने होते हैं।

(घ) से (च) सेना विमानों से यात्रा करने वाले अति विशिष्ट व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति विमान में अपने साथ ऐसे व्यैक्तिक स्टाफ को ले जाते सकते हैं जो कि उनके दौरे के लिए जरूरी हों। अति विशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ यात्रा करने वाले अन्य व्यक्तियों को यदि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जाती है तो उनसे निर्धारित दर पर प्रभार वसूल किए जाते हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के अलावा जिन सिविलियन उच्चाधिकारियों ने अक्तूबर, 1985 से मार्च, 1986 तक सेना के हेलीकाप्टरों का इस्तेमाल किया है उनके बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। ये सभी उड़ाने सेना अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत विधिवत प्राधिकृत की गई हैं।

विवरण

अक्तूबर, 1985 से मार्च, 1986 तक जिन व्यक्तियों के लिए हेलीकाप्टर दिए गए

क्रम सं०	तारीख	नाम
1	2	3
1.	2-10-1985	केरल के मुख्यमंत्री
2.	12-10-1985	रक्षा राज्य मंत्री (अ)
3.	18-10-1985	संसदीय कार्य मंत्री
4.	24-10-1985	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
5.	25-10-1985	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
6.	25-10-1985	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
7.	25-10-1985	रक्षा राज्य मंत्री (अ)

1	2	3
8.	2-11-1985	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
9.	3-11-1985	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
10.	10-11-1985	लोक सभा अध्यक्ष
11.	11-11-1985	लोक सभा अध्यक्ष
12.	13-11-1985	पंजाब के राज्यपाल
13.	14-11-1985	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
14.	14-11-1985	पंजाब के राज्यपाल
15.	14-11-1985	तमिलनाडु के मुख्य मंत्री
16.	15-11-1985	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
17.	16-11-1985	तमिलनाडु के मुख्य मंत्री
18.	20-11-1985	पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री
19.	22-11-1985	कृषि मंत्री
20.	23-11-1985	पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री
21.	25-11-1985	राजस्थान के मुख्य मंत्री
22.	26-11-1985	राजस्थान के मुख्य मंत्री
23.	27-11-1985	रक्षा राज्य मंत्री (अ)
24.	5-12-1985	पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री
25.	6-12-1985	पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री
26.	7-12-1985	रक्षा राज्य मन्त्री (स)
27.	10-12-1985	रक्षा राज्य मन्त्री (अ)
28.	14-12-1985	रक्षा राज्य मन्त्री (स)
29.	15-12-1985	रक्षा राज्य मन्त्री (स)
30.	24-12-1985	रक्षा राज्य मन्त्री (स)
31.	8-1-1986	गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री
32.	9-1-1986	गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री
33.	31-1-1986	तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री
34.	9-2-1986	तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री
35.	10-2-1986	तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री
36.	18-2-1986	केरल के मुख्य मन्त्री

1	2	3
37.	1-3-1986	रक्षा राज्य मन्त्री (अ)
38.	7-3-1986	रक्षा राज्य मन्त्री (अ)
39.	8-3-1986	रक्षा राज्य मन्त्री (अ)
40.	14-3-1986	तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री
41.	15-3-1986	तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री
42.	21-3-1986	रक्षा राज्य मन्त्री (अ)
43.	24-3-1986	रक्षा राज्य मन्त्री (अ)
44.	26-3-1986	रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री

मौसम अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

8464. **श्री सी० सम्बु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लम्बी दूरी तक मानसून और मौसम के पूर्व अनुमान के लिए एक मौसम अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भी सच है कि यू० एस० साइबर और जापानी एन० ई० सी० सुपर कम्प्यूटर ने मौसम के पूर्वानुमान के बारे में अपनी सेवाओं का प्रस्ताव रखा है;

(घ) क्या सरकार ने उचित मूल्य के लिए किसी सप्लायर से बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सातवीं योजना में एक मध्यमावधि (7 से 10 दिनों) के मौसम पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। यह मौसम पूर्वानुमान की वर्तमान क्षमता में सुधार लाने में सहायता देगा।

(ख) परियोजना के ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है।

(ग) विभिन्न कम्प्यूटर प्रणालियां तकनीकी मूल्यांकनाधीन हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रम कानूनों का उल्लंघन

8465. **श्री अमर राय प्रधान** :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना इन्जीनियरिंग सेवा के विनिर्दिष्ट श्रम कानूनों का घोर

उल्लंघन करके ठेकेदार रायपुर में, जहां आयुध कारखाने की करोड़ों रुपए की लागत की एक परियोजना निर्माणाधीन है, मनमानी कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ठेकेदारों द्वारा, जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भी वर्षों से भुगतान नहीं कर रहे हैं, बाल श्रमिक लगाए गए हैं जो सेना इन्जीनियरिंग सेवा में प्रतिबन्धित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलेक्ट्रॉनिकी नीति का संशोधन

8466. **श्री सोमनाथ रथ :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :
श्री जनक राज गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी नीति के सिद्धान्तों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इससे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) देश में इलेक्ट्रॉनिकी के विकास को बढ़ावा देने में भारत सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हासिल करने की दृष्टि से, भविष्य में यदि ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हों जिनके कारण शायद इलेक्ट्रॉनिकी नीति में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो सरकार उन पर विचार करने में अनिच्छुक नहीं होगी। किन्तु, इस समय हाल ही में घोषित की गई इलेक्ट्रॉनिकी नीति के सिद्धान्तों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मूक और बधिर बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं

8467. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मूक और बधिर बच्चों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उनके कल्याण के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और किए गए प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बच्चों के कल्याण-कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितना अनुदान आवंटित किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 1981 की रिपोर्ट पर आधारित विवरण I संलग्न है, जिसमें चुनिंदा राज्यों के 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में श्रवण तथा वाणी विकलांगता का परिमाण दिखाया गया है ।

(ख) बधिर व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं : —

(i) बधिरों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान दिया जाता है;

(ii) बधिर व्यक्तियों को श्रवण-उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान दिया जाता है;

(iii) बधिर छात्रों को 9वीं कक्षा से आगे अध्ययन करने अथवा व्यावसायिक/इन्प्लांट प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां/वृत्तियां दी जाती हैं;

(iv) बधिर व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ग "ग" तथा "घ" के 1 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाते हैं;

(v) विकलांगों को, जिनमें बधिर व्यक्ति भी शामिल हैं, नियोजन-सुविधाएं प्रदान करने के लिए 22 विशेष रोजगार केन्द्र तथा 36 विशेष सैल स्थापित किए गए हैं;

(vi) जन-शक्ति, संसाधन तथा सर्विस माडल के विकास के लिए बम्बई में राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थापित किया गया है ।

(ग) विवरण II संलग्न है ।

विवरण I

चुने हुए राज्यों में प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में 5-14 वर्ष तक की आयु के श्रवण विकलांग और वाणी विकलांग बच्चों की अनुमानित संख्या

क्रम सं०	राज्य	श्रवण विकलांगों की संख्या		वाणी विकलांगों की संख्या	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	463	264	621	551
2.	असम	359	297	406	—
3.	बिहार	283	241	379	322
4.	गुजरात	232	147	265	220
5.	हरियाणा	449	299	—	—

1	2	3	4	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश	267	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	559	—	749	—
8.	कर्नाटक	385	240	449	474
9.	केरल	309	224	604	604
10.	मध्य प्रदेश	143	152	220	217
11.	महाराष्ट्र	285	233	269	345
12.	उड़ीसा	359	196	393	313
13.	पंजाब	224	111	414	588
14.	राजस्थान	213	156	344	428
15.	तमिलनाडू	407	544	586	499
16.	त्रिपुरा	354	—	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	284	192	410	570
18.	पश्चिम बंगाल	443	225	445	246
19.	मिजोरम	—	—	553	—

—उपलब्ध नहीं।

विवरण II

क्रम सं०	संसंगठन	स्वीकृत अनुदान		
		1983-84 में	1984-85 में	1985-86 में
1	2	3	4	5
1.	के०एल० इंस्टीच्यूट फार दी डेफ भावन नगर, गुजरात	36,600/-	3,84,430/-	87,538/-
2.	रोटरी क्लब नडियाड समाज सेवा संशोधन ट्रस्ट नडियाड, गुजरात	10,000/-	54,535/-	—
3.	मूक और बधिर विद्यालय, सुरिन्दर नगर, गुजरात	18,282/-	1,75,300/-	1,27,003/-
4.	स्कूल फार दी ब्लाइंड डेफ एण्ड डम्प एण्ड क्रीपल्ड चिल्ड्रेन जिला कच्छ, (गुजरात)	75,000/-	8,697/-	—

1	2	3	4	5
5.	श्री मुन्द्रा एंड धमानी इंस्टीच्यूट फार दी डेफ, जामनगर, गुजरात	3,00,000/-	2,50,000/-	75,000/-
6.	श्री जे०बी० उपाध्याय मूक और बधिर विद्यालय, तालोद, गुजरात	—	70,000/-	—
7.	श्रीमति एंड श्री सी०एस०बीरानी मूक और बधिर विद्यालय, राजकोट	—	14,638/-	—
8.	शिशु सेवा मंडल, मूक व बधिर विद्यालय, (गुजरात)	—	10,50,000/-	—
8क.	गांधी नगर, मूक व बधिर विद्यालय, कछोली, गुजरात	40,000/-	—	—
9.	मूक बधिर विकास ट्रस्ट, सूरत (गुजरात)	—	10,000/-	—
10.	मेडिकल केयर सेन्टर ट्रस्ट, करालीवाऊग, बड़ौदा	—	9,405/-	1,15,456/-
11.	वाणी और श्रवण संस्थान हेन्नूर रोड, बंगलौर	2,95,610/-	6,05,584/-	3,09,098/-
12.	एसोसिएशन फार दी डेफ बंगलौर, कर्नाटक	—	4,12,895/-	—
13.	अखिल भारतीय वाणी व श्रवण संस्थान, मैसूर (कर्नाटक)	3,00,000/-	2,00,000/-	49,040/-
14.	डेफ एंड सोसायटी, बंगलौर (कर्नाटक)	—	—	1,14,480/-
15.	आशा भवन, समाज केन्द्र, त्रिचुर (केरल)	40,000/-	9,800/-	—
16.	दी एजूकेशन आईडिओलोजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, बम्बई (महाराष्ट्र)	57,060/-	37,753/-	48,681/-
17.	मूक व बधिर औद्योगिक संस्थान, नागपुर (महाराष्ट्र)	20,000/-	5,000/-	—

1	2	3	4	5
18.	लायन्स क्लब डेफ एण्ड डम्प स्कूल ट्रस्ट, नाशिक (महाराष्ट्र)	1,81,207/-	—	—
19.	सुहरूद मंडल, शिवाजी नगर, पूना	51,390/-	1,52,290/-	2,78,970/-
20.	भारत मूक विद्यालय सोसायटी गांधी बाग, नागपुर, महाराष्ट्र	—	1,00,000/-	1,50,000/-
21.	महाराष्ट्र समाज सेवा संघ, श्रीमती माईलेले श्रवण विकास विद्यालय, स्कूल फार डेक एण्ड डम्प, नासिक, महाराष्ट्र	—	—	84,924/-
22.	जानकीबाई शिक्षण संस्थान बम्बई, महाराष्ट्र	—	—	3,728/-
23.	थाने जिला स्ट्रीट, शक्ति जागृति समिति, धनाऊ, महाराष्ट्र	—	—	40,000/-
24.	भोरे एजूकेशन सोसायटी, रेजिडैन्सियल स्कूल फार दी डेफ, महाराष्ट्र	—	—	1,50,000/-
25.	न्यू एजूकेशन सोसायटी, कोलापुर, महाराष्ट्र	—	—	1,00,000/-
26.	नेहरू सेवा संघ, बेनपुर, उड़ीसा	76,398/-	—	3,96,618/-
27.	डा० सत्यपाल खोसला, चेरीटेबल मेमोरियल ट्रस्ट जालन्धर (पंजाब)	1,82,116/-	2,18,940/-	3,68,830/-
28.	बाहित बाल विकास समिति अजमेर, राजस्थान	70,000/-	67,000/-	1,50,000/-
29.	सोसायटी आफ दी माकूलेट हर्ट आफ मैरी लिटिल फलावर कान्वेंट हायर सेकन्डरी फार दी डेफ, मद्रास, तमिलनाडु	—	—	1,50,000/-

1	2	3	4	5
30.	कोलुर स्कूल फार दी डेफ, कोट्टापट्टु, तमिलनाडु	44,855/-	—	—
31.	स्टीफन्स लायन्स इंस्टीच्यूट फार दी डेफ एण्ड दी ब्लाइण्ड अडियार, मद्रास, तमिलनाडु	—	—	1,50,000/-
32.	दी नार्थ त्रिपुरा, डेफ एन्ड डम्प स्कूल, नार्थ त्रिपुरा, त्रिपुरा	29,437/-	50,144/-	58,660/-
33.	प्रागनारायण मूक बधिर विद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	12,420/-	50,018/-	46,755/-
34.	उत्तर प्रदेश मूक व वधिर संस्थान, इलाहाबाद, (उ०प्र०)	50,441/-	56,112/-	60,090/-
35.	लखनऊ बधिर विद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1,83,901/-	1,85,936/-	2,00,825/-
36.	बधिर अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ (उ०प्र०)	1,01,000/-	84,321/-	1,18,776/-
37.	जयकृष्ण साकेत मूक बधिर विद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)	1,63,483/-	1,57,836/-	—
38.	गूंगे बहरों का विद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	—	—	24,472/-
39.	मूक बधिर विद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)	84,253/-	1,67,402/-	50,000/-
40.	मूक बधिर विद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०)	1,39,533/-	2,15,265/-	4,37,419/-
41.	बाधित बाल विकास समिति, आजमगढ़ (उ०प्र०)	—	2,470/-	1,39,862/-
42.	नन्हीं दुनिया बधिर विद्यालय, देहरादून, उत्तर प्रदेश	1,90,214/-	—	4,07,427/-
43.	प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र, स्कूल फार एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग आफ डेफ एण्ड डम्प चिल्ड्रेन, पश्चिम बंगाल	—	59,400/-	20,700/-

1	2	3	4	5
44.	रामाकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, कलकत्ता	46,509/-	29,613/-	34,380/-
45.	वाणी व श्रवण संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता पश्चिम बंगाल	—	29,205/-	3,94,528/-
46.	अविनाश भारती, कलकत्ता पश्चिम बंगाल	2,07,264/-	2,49,411/-	3,19,140/-
47.	आनन्द भवन, ग्राम जटाटपुर हावड़ा, पश्चिम बंगाल	—	—	1,95,011/-
48.	रिहैब्लीटेशन (इंडिया) मजेरहाट, कलकत्ता पश्चिम बंगाल	—	—	1,20,870/-
49.	हरियाणा बधिर कल्याण समिति, चण्डीगढ़	—	—	1,53,612/-
50.	बाधित बाल विकास केन्द्र कोटा (राजस्थान)	20,000/-	1,50,000/-	1,50,000/-
61.	अखिल भारतीय बधिर संघ, नई दिल्ली	1,89,680/-	3,68,509/-	5,92,185/-

मंत्रिमंडल की रक्षा सम्बन्धी समिति

8468. **श्री एन० वेंकटरत्नम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिमंडल की भूतपूर्व रक्षा सम्बन्धी समिति के स्थान पर जिसकी बैठकों में सेना के तीनों अंगों के सेनाध्यक्ष भाग लिया करते थे, 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद राजनीतिक मामलों सम्बन्धी समिति का गठन किया गया था जिसकी बैठकों में अब सेना के तीनों अंगों के सेनाध्यक्ष भाग नहीं लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो सेना सम्बन्धी मामलों के बारे में निर्णय अब कौन लेता है; और

(ग) क्या उक्त दो समितियों के स्थान पर किसी अन्य समिति का गठन किया गया है और यदि हां, तो उसका नाम और कृत्य क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सेनाओं से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था मौजूद है ।

विकलांगों की कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि

8469. **श्री एस० जी० घोलप :**

श्री पी० आर० कुसारमंगलम :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में नेत्रहीनों, बहरे व गूंगे तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों की राज्य-वार पृथक्-पृथक् संख्या कितनी है और वर्ष 1986-87 के लिए उनकी कल्याण योजनाओं के लिए कुल कितना धन निर्धारित किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 1981 के अनुसार, देश में 34.7 लाख दृष्टिबाधितार्थ 30.2 लाख श्रवण विकलांग और 17.5 वाणी विकलांग व्यक्ति हैं । मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या के बारे में अनुमान नहीं लगाया गया । 1986-87 के लिए इनके कल्याण कार्यों हेतु मंत्रालय को 14.52 करोड़ रुपए का नियतन किया गया ।

प्राधिकरणों की बहुलता सम्बन्धी विचार-गोष्ठी की सिफारिशें

8470. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च में राजधानी में प्राधिकरणों की बहुलता के सम्बन्ध में एक विचार-गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने उक्त विचार-गोष्ठी में की गई सिफारिशों पर अपने निर्णयों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस वर्ष के फरवरी महीने में विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था ।

(ख) और (ग) विचार-गोष्ठी में दिए गए विभिन्न सुझावों की दिल्ली प्रशासन द्वारा, यह देखने के लिए जांच की जा रही है, कि क्या उन प्रस्तावों में से किसी को अमल में लाया जा सकता है ।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में श्रीवास्तव समिति की सिफारिशें

8471. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में श्रीवास्तव समिति ने कुछ समय पूर्व कई सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या उनका मंत्रालय इस सम्बन्ध में अन्य प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है और इन सिफारिशों तथा प्रस्तावों पर तुरन्त निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) श्रीवास्तव समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जिसमें दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए 106 सिफारिशें की गई हैं। 106 सिफारिशों में से 25 सिफारिशों में वित्तीय उलझने हैं, जिनमें अतिरिक्त पदों का सृजन, वाहनों और संचार उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था का मामला शामिल है। अन्य 81 सिफारिशें, कानून के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यकारी आदेशों के मामले से सम्बन्धित हैं। सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) जी हां, यह मंत्रालय श्रीवास्तव समिति द्वारा की गई सिफारिशों के साथ-साथ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है। इस रिपोर्ट के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी, जो श्रीवास्तव समिति की सिफारिशों पर तत्काल निर्णय लेती है।

मद्य निषेध का प्रचार करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता

8472. **श्री मूल चन्द डागा**: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में और 1985 में देश में देसी और अंग्रेजी शराब की पृथक्-पृथक् कुल कितनी खपत हुई;

(ख) क्या लोगों में शराब पीने की आदत पड़ने को रोकने के लिए शराब की बुराईयों का प्रचार करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को कोई राशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई और इस सबके बावजूद पीने वालों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने शराब की खपत को कम करने के लिए विज्ञापन या साहित्य जारी किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 1981-82 और 1982-83 के वित्तीय वर्षों के दौरान देसी और विदेशी शराब (अर्थात् आई०एम०एफ०एल०) की खपत के बारे में उपलब्ध सूचना विवरण I और II में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) मद्यपान और नशीले पदार्थों के कुप्रभावों के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को दी गई सहायता अनुदान की राशि इस प्रकार है :—

1983-84	5.94 लाख रुपये
1984-85	7.00 लाख रुपये
1985-86	27.59 लाख रुपये

मद्यपान जैसी सामाजिक बुराई का उन्मूलन करना एक चिर-साध्य और श्रम-साध्य कार्य है। इस बुराई से लोगों को दूर रखने के लिए निरन्तर प्रचार और प्रयास करने की आवश्यकता है। इस तरह का प्रयास जारी है।

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1981-82 के दौरान खपत (लाखों में)			टिप्पणी
		देसी शराब	इम्फल	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 100.86 एल पी एल थी
2.	गुजरात	—	—	—	विभिन्न प्रकार की शराब की कुल खपत 307.51 बी एल थी
3.	हरियाणा	72.43 पी एल	50.60 पी एल	122.83 पी एल	
4.	हिमाचल प्रदेश	15.43 पी एल	12.81 पी एल	28.24 पी एल	
5.	कर्नाटक	401.00 एल	64.61 एल	455.61 एल	
6.	केरल	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 700.61 एल थी
7.	मणिपुर	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 0.55 एल पी एल थी
8.	नागालैंड	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 0.01 के एल थी
9.	पंजाब	120.00 पी एल	119.51 पी एल	239.51 पी एल	
10.	राजस्थान	137.77 बी एल	23.35 बी एल	161.12 बी एल	
11.	तमिलनाडु	—	48.04 एल	48.04 एल	

1	2	3	4	5	6
12.	त्रिपुरा	1.39 एल पी एल	1.69 बी के एल	×	माप की विभिन्न इकाइयों को ध्यान में रखते हुए कुल खपत बताना सम्भव नहीं
13.	चण्डीगढ़	—	—	×	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 5.00 थी
14.	दादर और नगर हवेली	0.68 एल	0.41 बी एल	×	माप की विभिन्न इकाइयों को ध्यान में रखते हुए कुल खपत बताना सम्भव नहीं
15.	दिल्ली	141.64 बी	31.25 बी	172.89 बी	माप की इकाई 750 मि० ली० की बोतल है
16.	मिजोरम	—	—	—	मिजोरम में तैनात सुरक्षा बलों को छोड़कर सिविलियनों को कोई लाइसैंस पर्मिट नहीं दिया गया

नोट :— इम्फल आई एम एफ एल — भारत में बनी विदेशी शराब
पी एल — प्रूफ लीटर
बी एल — बुल्क लीटर
एल — लीटर
बी के एल — बल्क काइट लीटर
के एल — काइट लीटर
बी — बोटलस

विवरण II

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1982-83 के दौरान खपत (लाखों में) देसी शराब	इम्फल	कुल	टिप्पणी (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 101.17 एल पी एल थी
2.	गुजरात	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 7.64 बी एल थी
3.	हरियाणा	80.05 पी एल	54.33 पी एल	134.38 पी एल	

1 2	3	4	5	6
4. हिमाचल प्रदेश	65.03 पी एल	21.97 पी एल	87.02 पी एल	
5. कर्नाटक	365.00 एल	56.31 एल	421.31 एल	
6. केरल	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 971.96 लीटर थी
7. मणिपुर	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 0.28 एल पी एल० थी
8. नागालैंड	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 0.02 के एल थी
9. पंजाब	150.00 पी एल	107.00 पी एल	257.00 पी एल	
10. राजस्थान	213.16 बी एल	36.77 बी एल	249.93 बी एल	
11. तमिलनाडु	—	57.05 एल	57.05 एल	
12. त्रिपुरा	1.58 एल पी एल	1.80 बी के एल	×	माप की विभिन्न इकाइयों को ध्यान में रखते कुल खपत बताना सम्भव नहीं
13. चण्डीगढ़	—	—	—	विभिन्न किस्म की शराब की कुल खपत 5.00 लाख थी
14. दादर और नगर हवेली	1.02 एल	0.41 बी एल	×	माप की विभिन्न इकाइयों को ध्यान में रखते हुए कुल खपत बताना सम्भव नहीं
15. दिल्ली	189.93 बी	89.09 बी	279.02 बी	माप की इकाई 750 मि०ली० की बोतल है
16. मिजोरम	—	—	—	मिजोरम में तैनात सुरक्षा बलों को छोड़कर सिविलियनों को कोई लाइसैंस पर्मिट नहीं दिया गया

नोट :— आई एम एफ एल (इम्फल) भारत में बनी विदेशी शराब

पी एल	—	प्रूफ लीटर
बी एल	—	बल्क लीटर
एल	—	लीटर
बी के एल	—	बल्क काइट लीटर
के एल	—	काइट लीटर
बी	—	बोटलस

विवरण III

पिछले दो वर्षों अर्थात 1984-85 और 1985-86 में मद्यपान के विरुद्ध प्रचार अभियान पर साहित्य के विज्ञापन के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

क्र० सं०	मद	खर्च की गई धन राशि (लाखों में)
1.	समाचार विज्ञप्ति	3.78 रुपये
2.	इश्तहार उत्पादन	1.01 रुपये
3.	पत्रिकाओं में विज्ञापन	1.53 रुपये
4.	विज्ञापन के लिए मैट आर्ट वर्क-स्टाक उत्पादन	0.72 रुपये
5.	होर्डिंग और बस पनाल	0.86 रुपये
6.	अन्तर्देशीय पत्रों पर संदेश	4.15 रुपये
	जोड़ :	12.05 रुपये

[अनुवाद]

दिल्ली तथा अन्य राज्यों में उग्रवादियों की गिरफ्तारी

8473. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, पंजाब तथा अन्य राज्यों में हाल ही में कितने उग्रवादी गिरफ्तार किए हैं;

(ख) क्या कतिपय दस्तावेज, शस्त्र-अस्त्र भी पकड़े गए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उग्रवादियों तथा विदेशी ताकतों के बीच संबंधों का निश्चित रूप से पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विश्व मंच तथा संबंधित देशों से अपना विरोध प्रकट करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली में वर्ष 1986 के दौरान आज तक 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है । जहां तक पंजाब तथा अन्य राज्यों में उग्रवादियों की गिरफ्तारी का संबंध है यह सतत प्रक्रिया है तथा सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) एक ·32 बोर की आयातित रिवाल्वर तथा छः ·32 बोर के कारतूस, तीन 9 मी०मी० कारतूस, तथा एक एच० ई० 36 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं ।

(ग) जी हां । उग्रवादियों से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल के दौरान संकेत मिला है कि कुछ आतंकवादियों ने उग्रवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

(घ) इसकी जांच की जा रही है ।

[हिन्दी]

प्रदूषण रोधी यंत्रों से रहित संयंत्रों की संख्या

8474. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उर्वरक, फार्मास्युटिकल और रासायनिक संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक प्रदूषण रोधी यंत्र नहीं लगाए गए हैं; और

(ख) पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में सरकार से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त किए बिना इन संयंत्र को चालू करने की अनुमति कैसे दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उर्वरक, फार्मास्युटिकल और रासायनिक संयंत्रों में प्रदूषण-रोधी यन्त्र लगा दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुहुरी नदी पर बंगलादेश के अर्ध-सैनिक बलों का जमाव

8475. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने मुहुरी नदी पर अर्ध-सैनिक बलों के भारी संख्या में सैनिक जमाव कर लिए हैं तथा नदी के भारतीय भाग पर काम को बन्द करने हेतु हाल में गोलीबारी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। बंगलादेश के अर्ध-सैनिक बलों ने रुक-रुक कर गोली चलाई थी। सीमा सुरक्षा बल के स्थानीय प्राधिकारियों और बंगलादेश में उनके समकक्ष अधिकारियों तथा दोनों ओर के सिविल अधिकारियों के बीच बैठकें हुई। बंगला देश प्राधिकारियों को राजनयिक माध्यमों से विरोध प्रकट किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने मुहूरी नदी पर भारत की ओर पलस्तर करने के कार्य में लगे श्रमिकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। कार्य 20 अप्रैल, 1986 को पूरा हुआ था।

होम्योपैथिक औषधियों के संबंध में अनुसंधान योजनाएं

8476. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय होम्योपैथिक औषधियों के संबंध में किन्हीं अनुसंधान योजनाओं के लिए धन दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अनुसंधान परियोजनाओं से कितने होम्योपैथिक संबद्ध हैं और होम्योपैथिक के प्रति उनका अब तक का क्या योगदान है;

(ग) क्या उन्होंने परियोजनावधि के दौरान कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : जी हां। होम्योपैथी क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने "चिकित्सीय गुणधर्मों वाले सूत्रीकरणों में प्रयुक्त अणुओं के भौतिक गुणधर्मों पर विलायक की मात्रा के कार्य और प्रभाव की क्रियाविधि का अध्ययन करना" नामक एक परियोजना का निधीयन किया था।

(ख) इस परियोजना से एक होम्योपैथ सम्बद्ध था तथा इस परियोजना के फलस्वरूप उसने होम्योपैथिक पत्रिकाओं में छः लेख दिए हैं।

(ग) यह परियोजना पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

(घ) इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कतिपय रसायनों के परातनूकरणों के जैव-भौतिकी गुणधर्मों में भिन्नताएं हैं और इसमें बताया गया है कि केवल औषधी की मात्रा ही महत्वपूर्ण नहीं होती, अपितु उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, जो जैव प्रणाली के साथ अन्योन्यक्रिया करके एक विद्युत रासायनिक बल के रूप में कार्य करती है। इस परियोजना में, 30वीं पोटैंसी तक होम्योपैथिक परातनूकरणों के प्रभावाधीन कतिपय एन्जाइमों की गतिविधियों और स्नायुयों की उत्तेजनीयता का भी अध्ययन किया गया है।

असम की नई राजधानी के लिए निर्माण के राशि का आबंटन

8477. **श्री अताउर्रहमान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम की नई राजधानी के स्थायी निर्माण के लिए अब तक वास्तव में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) क्या वर्ष 1986-87 में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कोई निश्चित राशि का नियतन किया गया है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार असम सरकार को अपनी स्थायी नई राजधानी बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। इसमें दीसपुर में अस्थायी राजधानी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसमें से राज्य सरकार को 4.50 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है।

(ख) यद्यपि चालू वित्त वर्ष में धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तथापि वर्ष 1986-87 के दौरान अपेक्षित धन की व्यवस्था करने पर विचार किया जा सकता है, यदि असम की स्थायी राजधानी के लिए किसी स्थान का चयन कर लिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा धनराशियों की मांग की जाती है।

दिल्ली में चरस का पकड़ा जाना

8478. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1986 में दिल्ली में पकड़े गये तस्करों के एक दल से वास्तव में कितनी मात्रा में "चरस" नामक औषध बरामद की गई;

(ख) भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इस प्रकार बरामद की गई चरस का कुल मूल्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में चरस का निपटान किस प्रकार किया गया जैसा कि अखबारों में समाचार में प्रकाशित हुआ है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1026 किलो 650 ग्राम।

(ख) जब्त की गई चरस का भारतीय बाजार में कुल मूल्य लगभग 21 लाख रुपए है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की इस मात्रा से 5 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

(ग) इस प्रकार जब्त की गई वस्तुओं का निपटान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 के अन्तर्गत न्यायालय के आदेश के अनुसार किया जाता है।

सातवीं योजना के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा संसाधनों का जुटाया जाना

8479. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सातवीं पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन जुटाने में पिछड़े रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो साधन जुटाने में पिछड़ने वाले राज्य के नाम क्या हैं और वे कितने पिछड़ रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने छठीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति न दोहराने के लिए इन राज्यों को चेतावनी दी है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी राज्यों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु वित्तीय तथा अन्य सहायता देने की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) वार्षिक योजना 1986-87 के लिए सहमत लक्ष्यों सहित, 1985-86 में विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी उपायों से अनुमानित उत्पादन/उपज से संबंधित एक विवरण संलग्न है। चूंकि योजना के अभी चार वर्ष शेष हैं, जिसके दौरान, राज्यों से संसाधन बढ़ाने के लिए नए उपाय शुरू किए जाने की आशा की जाती है, इस समय इस बारे में

मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा कि सातवीं योजना में अपेक्षित संसाधन जुटाने में क्या कोई राज्य पीछे रह जाएगा।

(ग) छठी योजना के अनुभव को नकारते हुए, यह निर्णय किया गया है कि सातवीं योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी प्रयत्नों का निर्धारण निवल ह्रास (विकृति) पर करना होगा ताकि आधार स्तर पर अनुमानित संसाधनों में अवक्षय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन के संभावित उपयोग के परिणामस्वरूप, योजना के वित्त पोषण में कोई वास्तविक कमी उत्पन्न न होने पाए।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन केन्द्र से कोई वित्तीय और अन्य सहायता लिए बिना स्वयं के प्रयत्नों द्वारा जुटाए जाने की अपेक्षा की गई है।

विवरण

राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाना

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य	1985-86 के दौरान 1985-86 के उपायों से अनुमान उपज		वार्षिक योजना 1986-87 के लिए लक्ष्य
		सकल	निवल*	
1	2	3	4	5
1. विशेष श्रेणी के राज्य				
1.	असम	—	—	35.00
2.	हिमाचल प्रदेश	17.14	14.12	3.00
3.	जम्मू और कश्मीर	9.26	6.70	10.80
4.	मणिपुर	5.95	5.92	2.39
5.	मेघालय	1.54	0.33	0.30
6.	नागालैंड	—	—	0.25
7.	सिक्किम	0.34	0.34	0.51
8.	त्रिपुरा	0.47	0.34	0.25
	जोड़-1	34.70	27.84	52.59
2. विशेषकर श्रेणी के राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	101.67	96.90	110.00
2.	बिहार	161.17	134.25	121.18
3.	गुजरात	105.45	31.89	110.00

1 2	3	4	5
4. हरियाणा	59.32	50.16	60.00
5. कर्नाटक	101.45	88.66	56.25
6. केरल	117.75	107.75	103.20
7. मध्य प्रदेश	147.67	106.80	54.43
8. महाराष्ट्र	157.20	66.54	203.51
9. उड़ीसा	72.99	54.85	100.36
10. पंजाब	55.41	30.01	75.00
11. राजस्थान	99.55	62.81	84.34
12. तमिलनाडु	157.87	117.70	93.94
13. उत्तर प्रदेश	81.86	81.86	160.00
14. पश्चिम बंगाल	75.83	53.26	79.86
जोड़-2	1495.19	1083.34	1439.07
जोड़ (1+2)	1519.89	1111.18	1495.57

*राज्य लोक उद्यमों के योगदान के वास्तविक अनुमानों में अनुभव किए गए ह्रास के लिए समायोजन करने के बाद निवल उपज का निर्धारण किया गया ।

गहरे समुद्र में खनन

8480. **श्री के० प्रधानी :**
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गहरे समुद्र की सतह में खनन करने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में व्यापक खोज और भू-सांख्यिकी विश्लेषण के लिए कोई कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है; और

(ग) इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान । भारत ने मध्य हिन्द महासागर में 40 लाख वर्ग किलो-मीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है और दो खान स्थलों का पता लगाया है, जिनमें से प्रत्येक लगभग

1,50,000 वर्ग किलोमीटर का है। हमारे देश ने अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के प्रारंभिक आयोग को इनमें से एक खान स्थल के पंजीकरण और आबंटन के लिए आवेदन-पत्र दिया हुआ है। इस क्षेत्र का अन्वेषण और दोनों स्थलों का भू-सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा रहा है जिनसे पता चलता है कि दोनों स्थलों में भंडार, पिण्डों की प्रचुरता और उनका ग्रेड अन्तर्राष्ट्रीय रूप से निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हैं। पिंडों की खोज के लिए अधिकांश आवश्यक अवसंरचना देश में उपलब्ध है।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर में अर्ध-प्रायोगिक संयंत्र

8481. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला भुवनेश्वर (उड़ीसा) में लगाये गये अर्ध-प्रायोगिक संयंत्र जिसकी हाइड्रोमेटालर्जिकल तथा अमोनियामय निक्षालन-एवं-विलायक निष्कर्षण पद्धति प्रयोग करके प्रतिदिन 200 किलोग्राम मैंगनीज पिंडों की क्षमता है के परीक्षणार्थ चालन का क्या परिणाम निकला है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैंगनीज पिंडों के अमोनियामय निक्षालन के लिए 250 किलोग्राम के आरंभिक संयंत्र की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०), भुवनेश्वर (उड़ीसा) में अभी तक शुरू नहीं किया गया है। वर्तमान में इसका परीक्षण चल रहा है और दिसम्बर 1986 तक इसके शुरू होने की आशा की जाती है। फिर भी, प्रयोगशाला स्तर पर मैंगनीज पिंडों से धातु मान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

विजयवाड़ा स्थित पासपोर्ट कार्यालय का बंद किया जाना

8482. **श्री सी० सम्बु** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश, में विजयवाड़ा स्थित अपना पासपोर्ट कार्यालय बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) (i) विजयवाड़ा का पासपोर्ट कार्यालय 8-10-1984 को खोला गया था। पिछले 18 माह की अवधि में औसतन 1187 आवेदन-पत्र प्रति माह प्राप्त हुए। किसी भी राज्य में पासपोर्ट कार्यालय को बनाए रखने के लिए आवेदनों की यह संख्या अपेक्षा से बहुत कम है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा निर्धारित मान-दण्डों के अनुसार पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण को प्रतिमाह कम से कम 3000 पासपोर्ट आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार विजयवाड़ा स्थित पासपोर्ट कार्यालय में कार्य की मात्रा को देखते हुए इसको बनाए रखना औचित्यपूर्ण नहीं जान पड़ता।

(ii) इसके अतिरिक्त, कम्प्यूटरीकरण हो जाने पर सभी पासपोर्ट कार्यालयों को एक राष्ट्रीय

नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा और इसलिए तब यदि एक राज्य में एक से अधिक पासपोर्ट कार्यालय रखे जाते हैं, और वह भी उस स्थिति में जब उनके पास पर्याप्त कार्य न हो तो लागत को देखते हुए कम्प्यूटरीकरण प्रभावकारी नहीं होगा ।

(ग) पिछले कुछ वर्षों से सरकार प्रत्येक राज्य में एक पासपोर्ट कार्यालय के सिद्धान्त पर चलती रही है, बशर्ते कि उस राज्य से पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या इतनी कम न हो कि उस राज्य में पासपोर्ट कार्यालय का औचित्य ही न हो ।

किसी राज्य में दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए यह मान-दण्ड रहा है कि मौजूदा पासपोर्ट कार्यालय में प्राप्त हो रहे आवेदनों की संख्या एक लाख प्रति वर्ष से अधिक हो ।

आन्ध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल

8483. **श्री सो० सम्बु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में सैनिक स्कूलों की संख्या क्या है और उनमें कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में और अधिक सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में कोरूकोंडा में एक सैनिक स्कूल है । 31 जनवरी, 1986 को इस स्कूल में 505 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे ।

(ख) और (ग) सैनिक स्कूल राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर स्थापित किया जाता है क्योंकि सैनिक स्कूल का समस्त पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय का अधिकांश भाग राज्य सरकार को वहन करना होता है । आन्ध्र प्रदेश सरकार से राज्य में एक और सैनिक स्कूल खोलने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि गृह मंत्री एक वक्तव्य दें, मैं एक बात कहना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि सभी विपक्षी नेता और गृह मन्त्री मेरे कक्ष में आएं । मैं उनके साथ चर्चा करना चाहता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय कब ?

अध्यक्ष महोदय : अभी, वक्तव्य के बाद ।

12.01 म०प०

पंजाब की ताजा स्थिति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

मानव संधान विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० नरसिंह राव) : महोदय, कुछ मुट्ठी भर लोग जो अपने आप को पांच सदस्यीय पंथिक समिति कहते हैं, ने कल स्वर्ण मंदिर परिसर अमृतसर से "खालिस्तान" की घोषणा की। ये एक गम्भीर मामला है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम इससे सख्ती से निपटेंगे। हम अपने क्षेत्र के किसी भाग का अलगाववादी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।

इस राष्ट्र विरोधी कार्य की पंजाब तथा भारत में दूसरे स्थानों में सिख समुदाय के जिम्मेदार नेताओं और संगठनों द्वारा भर्त्सना की जा चुकी है।

पंजाब सरकार स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र तथा दृढ़ कार्यवाही कर रही है। हम उनसे लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम राज्य सरकार को सभी अपेक्षित सहायता और सहयोग दे रहे हैं।

12.02 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इंडियन साइंस कांग्रेस एसोशिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोशियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोशियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2592/86]

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1986 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 23 अप्रैल, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

———

लोक लेखा समिति

34वां, 47वां और 48वां प्रतिवेदन

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982-83 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित अप्रत्यक्ष-कर-विक्रय हेतु मूल्य ही एकमात्र विचार नहीं, के पैरा 2.13 के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1983-84 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) परिहार्य/अनावश्यक आयातों से सम्बन्धित पैरा 16 के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(3) अनुद्धृत साम्य अंशों के गलत मूल्यांकन तथा पिछले वर्ष के परिवर्तन के अभाव से सम्बन्धित समिति के 203वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाही के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

———

लोक लेखा समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री राजमंगल पांडे (देवरिया) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) रेलों में आस्तियों के प्रतिस्थापन, चल स्टाक, खरीद तथा सामान, निर्माण और

उपार्जन के बारे में समिति के 187वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(दो) वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर सैक्शन की लाइन को बदलने के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

———

प्राक्कलन समिति

33वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं शहरी विकास मंत्रालय—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग—भवनों का रख-रखाव के बारे में प्राक्कलन समिति का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

———

12.04 म०प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

10वां एवं 11वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के बारे में समिति का दसवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) इंडियन डेयरी कारपोरेशन के बारे में समिति का 11वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(तीन) प्रक्रिया सम्बन्धी तथा प्रकीर्ण मामलों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

14वां तथा 17वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के०डी० सुलतानपुरी (शिमला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग डिवीजन)—कैनरा बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन तथा बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी गयी ऋण सुविधाओं के बारे में 14वां प्रतिवेदन ।

(दो) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग डिवीजन)—यूनियन बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन तथा बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी गयी ऋण सुविधाओं के बारे में समिति के 55वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 17वां प्रतिवेदन ।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री के०डी० सुलतानपुरी (शिमला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की पहली से छब्बीसवीं और इकत्तीसवीं से पैंतीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

———

सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुर) : मैं सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुर) : मैं सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित इस समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.04 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

12.04 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री भूलचन्द डागा (पाली) : आज के भारत का वह ईमानदार और स्वाभिमान से जीवन ले जाने वाला इच्छुक नागरिक, चाहे वह लघु, सीमान्त काश्तकार हो, चाहे बड़ा भूमिधारी हो, गरीब दूकानदार हो या छोटा अथवा बड़ा उद्योग लगाने वाला उद्यमी हो या साधारण नागरिक हो जो खोमचा लगा कर अपना पेट पालता हो, सभी क्षेत्रों में नागरिक परेशान हैं इन भ्रष्ट छोटे बड़े कर्मचारियों और राज्य के अधिकारियों से जो अपनी तनख्वाह को तो आय तक नहीं मानते और जो ऊपर से अपनी कुचालों से कमा लेते हैं उसे वे अपनी आमदनी का जरिया मानते हैं तथा उसके बल पर ही वे गुलछर्रे उड़ाते हैं। यदि वह कार्यालय का बाबू है तो फाइल पर बैठ जाता है। जब तक सम्बन्धित व्यक्ति पैसे की पुंगी बजाने वाला कोई नहीं आयेगा, वह फाइल को टस से मस नहीं होने देगा। इंसपैक्टर तो चाहे कोई मिलावट भरा अनाज बेचता हो या दूषित खाद्य पदार्थ बेच कर

जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता हो, उसे इससे मतलब नहीं है, उसे मतलब है अपना मासिक चन्दा वसूल करने से। लेबर अफसर या लेबर इंसपैक्टर या बड़ा श्रमिक अधिकारी किसी न किसी तरह उद्योगपति को चाहे वह छोटा हो या बड़ा अपने शिकंजे में फंसाए रखता है। संक्षेप में भारत के सभी नागरिक परेशान हैं इन गलत तरीकों से कमाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों से, चाहे वे पुलिसकर्मी हों या चाहे वह किसी गांव का पटवारी अथवा चाहे वह किसी कार्यालय का बाबू या चाहे किसी हौस्पिटल का कम्पाउन्डर।

जब तक इन भ्रष्ट कर्मचारियों और जनता को परेशान करने वाले कर्मचारियों से जनता को राहत नहीं मिलेगी तब तक देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पाएगा और जब तक ऊपर बैठने वाले अधिकारीगण इन भ्रष्ट, कामचोर कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे और उनसे मिले रहेंगे तब तक कल्याणकारी राज्य की सुविधा जो नागरिकों को मिलनी चाहिए उससे वे वंचित ही रहेंगे।

[अनुवाद]

(दो) उड़ीसा के कोरापुट जिले में दण्डकारण्य परियोजना के कारण विस्थापित हुए आदिवासी परिवारों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु अधिक धनराशि देने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : महोदय, उड़ीसा के कोरापुट जिले में दण्डकारण्य परियोजना के दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र का मुख्यालय अमरकोट है और दूसरा मलकनगिरी में है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के पुनर्वास और इसके साथ-साथ दंडकारण्य प्राधिकरण द्वारा कृषि योग्य बनाई गई 25 प्रतिशत भूमि परियोजना द्वारा विस्थापित कुछ आदिवासी परिवारों के पुनर्वास अथवा जिनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं था, उनके लिए यह परियोजना वर्ष 1962 में शुरू की गई थी। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को एक मकान देने के लिए सरकार ने प्रति परिवार 4,000 रुपए खर्च किए लेकिन आदिवासी परिवार के लिए केवल 1,200 रुपए खर्च किए गए जिसके परिणामस्वरूप उन आदिवासी लोगों के लिए केवल अस्थाई शैडों का निर्माण किया गया जिन्होंने मरम्मत के अभाव में ढह गए मकानों को तुरंत छोड़ दिया था।

आदिवासी परिवारों के लिए अधिक संख्या में मकानों का निर्माण इसलिए शुरू नहीं किया गया है क्योंकि विस्थापित लोगों के लिए मकान बनाए जाने की तुलना में आदिवासी लोगों के लिए बेहतर मकान बनाने के लिए आबंटित की गई धनराशि पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह आदिवासी लोगों के लिए बेहतर मकान बनाने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें ताकि वे मकान न छोड़ें और वहां रह सकें।

[हिन्दी]

(तीन) देश में मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता

श्री मदन पाण्डेय (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में मलेरिया का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दस सालों में मलेरिया से मरने वालों की तादाद से स्पष्ट है कि इसे खत्म करना तो दूर, काबू भी नहीं पाया जा सका है। सन् 1974 में मलेरिया से कुल तीन व्यक्ति मरे

बताए गए थे उसके बाद साल दर साल इसकी संख्या में वृद्धि होती गई। सन् 1979 के पहले तक औसतन साठ-सत्तर लोग मलेरिया से मरते थे। इसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की औसत करीब दो सौ रही है। 1983 में 39 और 1984 में 246 लोग मलेरिया से मरे बताए गए हैं। जब हम मलेरिया से शिकार व्यक्तियों के आंकड़े देखते हैं तो 1961 में 50 हजार लोग मलेरिया से पीड़ित थे और अब बीस लाख लोग मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार मलेरिया का प्रकोप उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है और मेरे विचार से मलेरिया का सब से अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों जैसे गोरखपुर, गोण्डा तथा बस्ती में देखने को मिलता है, जहां पर मलेरिया के मच्छरों को मारने की दवा का अभाव तो है ही, उन पर डी० डी० टी० का कोई प्रभाव भी नहीं दिखाई पड़ता है। कई राज्य इस कार्यक्रम में दिलचस्पी भी नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के मुफ्त दवा देने पर भी उनका छिड़काव नहीं करा पा रहे हैं। इसको देखते हुए केन्द्र सरकार ने 131 शहरों में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का फैसला किया, लेकिन अभी तक केवल 118 शहरों में ही यह स्कीम लागू हो सकी। जब स्वास्थ्य बजट का आधा मलेरिया खत्म करने पर और उसका 60 प्रतिशत मच्छर मारने की दवाओं पर खर्च होता है।

अत: मैं स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि प्रभावी कदम उठाकर मलेरिया पर काबू पाने का यत्न करें, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके।

[अनुवाद]

(चार) जम्मू और कश्मीर में लेह के जन्सकार और लिंगशेड क्षेत्रों के लिए एक बारहमासी सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : श्रीमान जम्मू और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र एक वर्ष में लगभग सात महीने तक समूचे देश से कटा रहता है और लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जिले का जान्सकार उपमंडल तथा लेह जिले लिंगशेड क्षेत्र एक वर्ष में लगभग 8 माह तक समूचे लद्दाख क्षेत्र से कटा रहता है।

चादर सड़क के द्वारा जान्सकार तथा लिंगशेड क्षेत्र में बारह-मासी सड़क का निर्माण करने की संभावना है जो जान्सकार में जांगला के बीच जान्सकार नदी के किनारों तथा लेह में नेमो तक फैली हुई है। राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सम्भव नहीं है कि राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों से इस सड़क का निर्माण किया जा सके।

अत: भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा जाये ताकि कारगिल जिले का जान्सकार क्षेत्र और लेह क्षेत्र का लिंगशेड क्षेत्र पूरे वर्ष सड़क द्वारा जुड़ा रहे।

[हिन्दी]

(पांच) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति के व्यापक हितों को मद्देनजर रखते हुए एक स्थायी आयोग का गठन किया है, जोकि मेरे एवं पीड़ित, दलित और शोषित लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है।

इस आयोग ने अपनी स्थापना के पश्चात् निरंतर सरकार के समक्ष प्रति वर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। लगभग एक हजार से ऊपर सिफारिशें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितार्थ प्रस्तुत की जा चुकी हैं परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

उक्त आयोग को सशक्त एवं बलशाली नहीं बनाए जाने के कारण प्रभावी ढंग से यह कार्य नहीं कर पा रहा है।

अतः मेरा सुझाव होगा "बहु हताय, बहु सुखाय" सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इन दलित, उत्पीड़ित एवं शोषित लोगों के कल्याण कार्य को गति देने के निमित्त सरकार की ओर से शीघ्र कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

(छः) आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में उप्पाडा गांव का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थोरा (काकीनाड़ा) : श्रीमान आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में उप्पाडा नाम का एक छोटा सा गांव है। यह खूबसूरत स्थान समुद्र से घिरा हुआ है। यदि केन्द्र सरकार इसका विकास पर्यटन केन्द्र के रूप में करने की पहल करे तो यह उतना ही सुन्दर स्थान बन सकता है जितना कि गोवा का समुद्र-तट है। वहां समुद्र-तट सड़क काकीनाड़ा पत्तन तथा विशाखापटनम पत्तन को जोड़ती है। यह सड़क उप्पाडा गांव से होकर जाती है। काकीनाड़ा से विशाखापटनम तक हम एक तरफ तो प्राकृतिक दृश्यों और सड़क के दूसरी तरफ समुद्र को देख सकते हैं। इस सड़क के लिए विश्व बैंक से सहायता दी गई थी। मछुआरों का एक बहुत बड़ा समुदाय यहां रहता है। ये मछुआरे स्थानीय बनी हुई नावों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में झींगा तथा मछली पकड़ते हैं। यदि सरकार पूर्णरूप से राजसहायता प्राप्त मछली पकड़ने वाली यांत्रिक नावों को उपलब्ध कराती है तो वे मछली पकड़कर अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। सरकार को पत्तनों का भी विकास करना चाहिए। आजकल जहाज समुद्र तट तक नहीं आ पा रहे हैं। ये जहाज समुद्र तट से 5 मील दूर लंगर डाल देते हैं। केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया जाता है कि वह उप्पाडा गांव को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने और मछुआरों द्वारा यांत्रिक नावों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दे।

(सात) सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेंसर्स, मद्रास कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता

श्री ए० सी० षण्मुख (वेल्लोर) : मद्रास विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलगु, मलयालम, आदि में एक वर्ष में लगभग 300 फिल्में तैयार करने वाला सबसे बड़ा केन्द्र है। केवल मद्रास में ही तमिल में कम से कम 150 फिल्में तैयार होती हैं। फिल्म उद्योग ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं में करोड़ों रुपये का निवेश किया है। सेंसर को प्रस्तुत की गई फिल्मों की जांच और उनको प्रमाण-पत्र देने के लिए केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के मद्रास कार्यालय में कर्मचारियों

की संख्या पर्याप्त नहीं है। इस समय मद्रास में केवल एक क्षेत्रीय अधिकारी है। क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यों के साथ-साथ उसे सूचना तथा प्रचार कार्य भी देखना होता है जिसके परिणामस्वरूप वह फिल्म सेंसर के कार्य की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाता है। ऐसी स्थिति में मद्रास में समय पर प्रमाण-पत्र न दे पाने के कारण फिल्म उद्योग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बात को इस उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि मद्रास में 14 अप्रैल, 1986 को सैंसरशिप के लिए तीन तमिल फिल्मों की सूची बनाई गई थी लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों का अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण इन फिल्मों को नहीं देखा जा सका।

दक्षिण भारतीय फिल्म वाणिज्य मंडल ने इस सम्बन्ध में पिछले कई महीनों में अनेक अभ्यावेदन दिये हैं लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इस महान सभा के माध्यम से मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मद्रास में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करें ताकि फिल्म उद्योग को और अधिक नुकसान न उठाना पड़े।

[हिन्दी]

(आठ) ऐतिहासिक भवन, जिसमें इस समय इन्स्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीज स्थित है, को हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की हिमाचल प्रदेश में एक महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग है। उसके साथ बहुत से छोटे-छोटे भवन इत्यादि हैं जो राष्ट्रपति भवन के नाम से जाने जाते हैं। इस बिल्डिंग को ब्रिटिश राज्य में कई वर्षों में बनाया गया था और भारत स्वतन्त्र होने के बाद राष्ट्रपति गर्मियों के दिनों में इसमें निवास करते थे। इस भवन की इमारत अच्छे ढंग से बनी हुई है। राष्ट्र में इस भवन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु आज इस भवन की दशा दिन-प्रति-दिन गिरती जा रही है जिसे देख कर मन दहल जाता है। इसमें बर्मा से लाई हुई इमारती लकड़ी का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसके जो कारपेट एवं दूसरी वस्तुओं का प्रयोग किया गया वह अब ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में संसद की एस्टीमेट कमेटी भी इस भवन को देखने गई और उन्होंने भी इसके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। अब एडवांस स्टडी के नाम से सोसायटी द्वारा इस भवन का प्रयोग हो रहा है जिसमें बहुत कम स्कानर्स (अनुसंधानकर्त्ता) आते है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस भवन को ठीक रखने के लिए इस भवन का स्थानान्तरण हिमाचल सरकार को कर दिया जाए ताकि इसका लाभ राज्य सरकार उठा सके। यहां जो एडवांस स्टडी के कर्मचारियों और स्कालरों के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता होगी उसे राज्य सरकार विश्व विद्यालय हिमाचल प्रदेश में देने के लिए तैयार है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस भवन की सुरक्षा एवं प्रयोग को करने हेतु तुरन्त ध्यान देकर कार्यवाही करें ताकि यह भवन खराब होने से बच सके।

[अनुवाद]

(नौ) ओरिएन्ट पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा, (राजस्थान) की श्रमिक कालोनी

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : राजस्थान के कोटा में ओरिएण्ट पावर केबल्स लि० की

कर्मचारी कालोनी में एक गम्भीर स्थिति बनी हुई है जिसे सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा "सहायता उपक्रम" के रूप में घोषित किया गया था और उसके बाद उन कर्मचारियों को तंग करने के लिए जो छटनी केविरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, दमनकारी तरीकों को इस्तेमाल किया गया तथा उनकी रोजी-रोटी पर प्रहार किया गया। कर्मचारी कालोनी में बिजली जाने के फलस्वरूप पानी की सपलाई बंद हो गई जिसके परिणामस्वरूप कोटा शहर के दूर-दराज की कालोनी में रह रहे कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को भारी दिक्कत हुई। कर्मचारियों को जानबूझकर तंग करने के लिए प्रबंधकों द्वारा यह कार्य किया गया तथा इससे पूर्व उन्होंने इस वर्ष के आरम्भ में औषधालयों को दवाईयां देने से रोकने, वेतन को न बांटने देने और कर्मचारी सहकारिता स्टोर को निष्क्रिय बना देने जैसे कार्य किए।

उपक्रम में प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपये का व्यवसाय होता है जिसमें से 2 करोड़ 50 लाख रुपये का निर्यात हुआ तथा हाल में लगाई गई आधुनिक मशीनों के पूर्ण इस्तेमाल के लिए कुछ अतिरिक्त निधिकरण के कारण व्यवसाय में और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है।

12.20 म०प०

दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर): महोदय, मैं अब प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली अपार्टमैंट स्वामित्व विधेयक पर विचार किया जाए और इस विधेयक को पारित किया जाए।

दिल्ली के लिए अपार्टमैंट स्वामित्व विधान बनाने की आवश्यकता विशेष रूप से शहरी रहन-सहन के स्तर में हो रहे परिवर्तन के कारण, काफी पहले से महसूस, की जा रही है। शहरी भूमि संसाधनों का विवेकपूर्ण अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है और सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना भी आवश्यक हो गया है। इसके कारण मकान बनाने के लिए भूखण्डों के आबंटन के स्थान पर ग्रुप-हाउसिंग निर्माण करने की आवश्यकता पड़ गई है। इसी नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण, फ्लैट, केवल एकल आवेदको को तथा, भूमि, केवल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को आबंटित कर रहा है। वाणिज्यिक क्षेत्र में पार्किंग की आवश्यकताओं और सौन्दर्य और वास्तुशिल्प की ओर ध्यान के कारण समेकित विकास उभरा है और एकल वाणिज्यिक इकाइयों को जहां भी तल क्षेत्र आवंटित हुआ है वहां बहु-मंजिले भवन बनाए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में, कारखाने, फ्लैटों के रूप में बनने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में, संस्थागत क्षेत्र में, दिल्ली कला आयोग संस्थागत क्षेत्रों के समेकित विकास और शहरी डिजाइन तैयार करने के लिए बल दे रहा है। इसीलिए दिल्ली के लिए अपार्टमैंट स्वामित्व विधान की आवश्यकता पड़ी ताकि एकल अपार्टमैंट का स्वामित्व मिल सके और ऐसे अपार्टमैंट सम्पति की एक इकाई के रूप में दाय योग्य और अन्तरणीय हो सकें।

वर्तमान विधि के अन्तर्गत, भवन पर पूरा स्वामित्व होने के लिए, व्यक्ति के पास भूमिका का भी स्वामित्व होना चाहिए। एक बहुमंजिले भवन में, जिसमें बहुत से अपार्टमेंट होते हैं, जो बिल्कुल अलग इकाई है और जिस पर किसी अन्य पर निर्भर न रहते हुए, स्वतन्त्र रूप से स्वामित्व अधिकार होता है, परन्तु जिस भूमि पर वह समस्त भवन खड़ा है उसके स्वामित्व के बारे में यह बात नहीं है। हस्तान्तरण के प्रयोजन के लिए इन विशाल भवनों के स्वामियों का अन्य फ्लैट स्वामियों के साथ केवल अविभक्त सह-स्वामित्व हो सकता है। भूमि का यह संयुक्त सह-स्वामित्व सम्पत्ति के सरल अन्तरण में बाधा उत्पन्न करता है। जब एक व्यक्ति को ऋण लेने के लिए सम्पत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता पड़ती है तो भी सम्पत्ति गिरवी रखनी पड़ती है और केवल उस विशेष अपार्टमेंट पर ही नहीं, बल्कि भूमि पर भी प्रभार लग जाता है, और जब तक सभी भू-स्वामी इसमें शामिल नहीं होते इसे गिरवी रखकर ऋण लेना असम्भव हो जाता है।

मुख्यत: इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिल्ली में ऐसा विधान बनाने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा अपार्टमेंट को सम्पत्ति की एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाएगा और भूमि में अविभक्त हिस्से को इस सम्पत्ति से संलग्न माना जाएगा। इस तरीके से अपार्टमेंट किसी अन्य स्वामी को पूछे बिना दाययोग्य अन्तरणीय गिरवी रखने योग्य आदि हो जायेंगे। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है।

इस विधान को बनाने का अन्य कारण अपार्टमेन्टों के स्वामियों को ऐसे भवन निर्माताओं और बहु-मंजिली भवनों के प्रोत्साहकों से बचाने का है जिनके विरुद्ध सरकार को फ्लैटों के वाहनों में लिए पार्किंग स्थान, सामान्य क्षेत्रों के लिए मार्ग आदि जैसी उन सामान्य सेवाओं और सुविधाओं के बारे में उनके व्यवहार के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। प्रस्तावित विधान में सामान्य सुविधाओं और सेवाओं को स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाएगा और भवन के पूरा होने पर प्रोत्साहक/निर्माता पर यह उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा कि वह सामान्य सुविधाओं और सेवाओं के बारे में स्पष्ट घोषणा करे।

इस विधान को पट्टे वाली भूमि पर बने भवनों और फ्रीहोल्ड भूमि पर बने भवनों तथा गैर-सरकारी अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों पर लागू करने का प्रस्ताव है।

जहां तक सरकारी समितियों का सम्बन्ध है, यह अधिनियम केवल तभी लागू होगा जब कि अपार्टमैन्ट को ऐसी सम्पत्ति की एक पृथक इकाई माना जाएगा जिस पर सरकारी समिति और उसके सदस्य का संयुक्त रूप से स्वामित्व होगा और इसके अतिरिक्त सामान्य सुविधाएं और अन्तरण के अधिकार आदि वही होंगे जो सहकारी समिति अधिनियम के अधीन संगत नियमों के अन्तर्गत यथा उपबन्धित हैं।

पट्टे की भूमि के मामले में पट्टाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए विधेयक में उचित उपबन्ध किए गए हैं जो कि दिल्ली के लिए एक और विशेष बात है।

कुल मिलाकर प्रस्तावित विधान के पीछे यह उद्देश्य है कि एक अपार्टमेन्ट के मामले में, जिसके अन्तर्गत बहु-मंजिले भवनों में सामान्य क्षेत्रों में उसका आनुपातिक और अविभक्त हित है, दाययोग्य और अन्तरणीय अधिकार प्रदान किया जा सके।

अब मैं अनुरोध करता हूं कि इस गरिमामय सदन द्वारा इस विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :—

"कि किसी बहुमंजिला भवन में एकल अपार्टमेंट के स्वयामित्व के लिए और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित के लिए और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अन्तरणीय बनाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि किसी बहुमंजिला भवन में एकल अपार्टमेंट के स्वामित्व के लिए और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित के लिए और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अन्तरणीय बनाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

डा० डी० एन० रेड्डी (कुडप्पा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजधानी में तेजी से हो रहे शहरीकरण के परिणामस्वरूप भूमि की कमी के कारण बहुमंजिले भवन बनाने की आवश्यकता पड़ी। इस बहु-मंजिले भवनों में अनेक अपार्टमेंट होते हैं जहां बहुत से लोग सामान्य सुविधाओं का प्रयोग मिलकर करते हैं। इस कारण से आवासीय सहकारी समितियां काफी संख्या में उभरी हैं और इन समितियों ने अपार्टमेंट के स्वामियों का फायदा उठाया है, जिन्होंने पहले अपने हिस्सों के पैसों का भुगतान किया और इसके कारण मुकद्दमेबाजी शुरू हो गई और मकानों के निर्माण में विलम्ब हो गया। हमें बताया गया है कि राजधानी में ऐसी समितियों की संख्या लगभग 380 है जो इस समय कार्य कर रही हैं और इस कारण मकानों का अवैध निर्माण, निर्माण में विलम्ब जैसी अनेक अनियमिताएं और अन्य अनियमिताएं हुई हैं। हमें बताया गया है कि 1984 में 25,000 के लगभग अनियमिताओं के मामले हुए जिनकी संख्या अब बढ़कर लगभग 48,000 हो गई हैं। ये सभी सहकारी समितियों के कारण हुई हैं। मुझे वास्तव में आश्चर्य हो रहा है कि सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने के लिए इतना लम्बा समय क्यों लिया। अपार्टमेंट के स्वामियों ने कई बार इस विषय में विधान बनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है, फिर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अन्त में वह एक ऐसा विधान लाई है जिसमें बहुमंजिले भवनों में अपार्टमेंट के स्वामियों की शिकायतें दूर करने का प्रावधान है। प्रश्न यह नहीं है कि मैं इसके हक में मत दूंगा या उसके विरुद्ध, सभी इसका समर्थन करेंगे। परन्तु मुझे आश्चर्य यह है कि इस विधान को लाने में सरकार ने इतना लम्बा समय क्यों लिया।

ऐसे कई दृष्टान्त हैं जहां समितियों ने फ्लैटों के स्वामियों को तंग किया है क्योंकि भवन का दृश्यमान भाग, स्वामी के नाम पर है, और अदृश्य भाग, अर्थात भूमि, समिति के नाम में है। बहुत सी अवांछनीय सहकारी समितियां पंजीकृत हुई थीं। इसलिए, इसके कारण मुकदमेबाजी हुई और बहुत से स्वामी इससे परेशान हुए और निर्माण कार्य में भी काफी विलम्ब हुआ।

यह विधेयक दिल्ली के बहु-मंजिलें-भवनों को ऐसी सम्पत्ति के रूप में मान्यता देता है जो

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

दूसरे स्वामियों को दायय्योग्य और अन्तर्णीय हैं। प्रस्तुत विधान में यह प्रस्ताव है कि किसी अपार्टमेंट को सम्पत्ति की एक ऐसी इकाई के रूप में, जिसका अंतरण किया जा सके, कानून द्वारा अपेक्षित मान्यता देने और बहुमंजिले भवनों में सामान्य क्षेत्रों के पर्याप्त शक्तियों से सम्पन्न प्रबन्ध व्यवस्था के कानूनी संगठन का भी उपबन्ध है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भी इस क्षेत्र में प्रायः मजबूर रहा और उन्होंने सरकार से इस विषय में विधान बनाने के लिए आग्रह किया ताकि बहु-मंजिलें भवनों में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्नन हो। अब इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद, किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर लागू प्रतिबन्धों और विशेषाधिकारों के अन्तर्गत अपार्टमेंट का स्वामी उसे बेचकर, गिरवी रखकर, पट्टे पर देकर, उपहारस्वरूप देकर, किसी रीति से अदला-बदली करके अन्तरित कर सकता है। वस्तुतः इस विधेयक को देश के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू किया जाना चाहिए। यह केवल दिल्ली पर ही नहीं बल्कि हमारे देश के अधिकांश सभी नगरों पर लागू किया जाना चाहिए ताकि मध्य वर्ग के लोगों को, जो सामान्यतया अपार्टमेंट के स्वामी होते हैं, परेशानी न हो। केवल यही नहीं, जब सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाता है, तो सरकार को समिति के उद्गम और समिति की पृष्ठभूमि और समिति की क्षमता के बारे में पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रायः अनेक बेईमान लोग अपनी समिति बना लेते हैं और फिर वे आवेदकों को स्वयं अपने निदेश देते हैं। अतः समिति को मान्यता देने अथवा पंजीकृत करने से पूर्व सरकार को समिति की पृष्ठभूमि भली-भांति जांच करनी होगी और फिर उस स्थल का आबंटन करना चाहिए जिस पर बहु-मंजिला भवन बनाया जाना है क्योंकि एक बार भवन बन जाने पर आस-पास के क्षेत्र का रखरखाव करना अथवा भवन को गिराना बहुत कठिन हो जाता है। अतः भूमि आबटित करते समय सरकार को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वातावरण दूषित न होने पाए। सरकार को हवा और हरियाली का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए।

वास्तव में, आवास की समस्या हमारे देश में एक बहुत महत्त्वपूर्ण है जिसका हम सामना कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बहुमंजिले भवनों के बजाय गरीबों को आवास मुहैया कराने में बहुत अच्छा काम किया है। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह नागरिकों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरी करता है और अपार्टमेंट को सम्पति के रूप में मान्यता देता है जिसे अन्तरित किया जा सकता है या पैतृक बनाया जा सकता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० एस० राव (मछलीपतनम) : मेरी भी यही राय है कि यह विधेयक बहुत अच्छा हैं विशेषरूप से निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लिए और कर्मचारियों के लिए भी जिनकी संख्या काफी हैं। जैसाकि मेरे अन्य मित्र ने कहा, मंत्री जो को यह विधेयक बहुत पहले लाना चाहिये था। बहरहाल, अब भी देर नहीं हुई है और इसके लाभ उनको चाहे देर से ही सही, निश्चित रूप से मिलेंगे।

महोदय, हाल ही में विभिन्न नगरों में भूमि के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होने से अधिकांशतः वे लोग, जो धनवान नहीं हैं, मकान अर्जित करने की स्थिति में नहीं हैं, यद्यपि, कर्मचारियों को सरकार द्वारा कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। तथापि वे इस ऋण का उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि बैंक उनसे पूछते हैं कि क्या पूरा उन्हें स्वामित्व अन्तरण का अधिकार मिल गया है, जो पहले अपार्टमेंट के मामले में नहीं था।

अतः, मैं एक बार फिर धनी वर्ग केवल पूंजी लगाने के लिए न कि उनका अधिभोग करने के लिए अपार्टमेंट खरीद रहा है। इसका परिमाण यह है कि यद्यपि विभिन्न नगरों में फ्लैटों का निर्माण किया गया है, मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलता है; परन्तु फिर यह लाभ केवल धनी लोगों को ही मिलता है। इस सन्दर्भ में भी इस विधेयक की बहुत आवश्यकता थी और बहुत अच्छा है।

इसके अतिरिक्त, लोगों को कभी-कभी, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है और उन्हें निर्माण कार्य में कुशल व्यक्ति भी नहीं मिलते क्योंकि वे खाड़ी तथा अन्य देशों में चले गये हैं।

एक मकान बनाने की बजाय अधिक संख्या में अपार्टमेंट बनाना सस्ते में सम्भव हो गया है। यहां भी पुनः, स्वामित्व आड़े आता है और इसे भी इस विधेयक में सुलझाया गया है। अतः हर दृष्टि से इस विधेयक को बहुत अच्छा बनाया गया है।

मैं इसमें कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करता हूं। प्रस्तुत विधेयक में देरी करने या अन्य प्रयोजन से नहीं बल्कि इसका कि अपार्टमेंटों के स्वामित्व की जाटिलताओं और स्वामित्व के मामले में आने वाली समस्याओं से भलीभांति अवगत होने पर मैंने कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है, जिन पर बाद में विचार किया जायेगा।

सरकार का इरादा केवल उन लोगों को सहायता देना है जिनके पास शहरी आवास नहीं हैं। इस विधेयक से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय सीमा के कतिपय उपबंध बना कर जटिलताएं पैदा नहीं की जानी चाहिएं या परेशानियां पैदा नहीं की जानी चाहिएं। मैं निश्चय ही इस बात से सहमत हूं कि यदि प्रमोटर या बिल्डर के समक्ष अपार्टमेंट के स्वामी को परेशान करने या उसे असुविधा में डालने का अवसर है, तो ये खण्ड लागू करना ठीक है। मेरी राय है कि जब भी निम्न मध्य वर्ग या मध्य वर्ग का कोई व्यक्ति कोई अपार्टमेंट खरीदता है तो वह भवन या अपार्टमेंट को तत्काल अनिवार्यतः पंजीकृत करवाएगा। अतः इस बात की आवश्यकता नहीं है कि सरकार पंजीकरण की समय-सीमा पर जोर दे बल्कि स्वामी स्वयं इस बात का ध्यान रखेगा। मान लीजिए कि अपार्टमेंट का एक सेट या कोई बहुमंजिला परिसर चरणों में बनता है, जिसे तैयार होने में कई वर्ष लग जाएंगे, चूंकि यह प्रमोटर की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करेगा, उस अवधि विशेष में मांग और पूर्ति की स्थिति, विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से अनुमति की बाध्यताएं और भवन तथा अन्य सामग्री की उपलब्धता आदि के कारण पूरे परिसर को पूरा होने में देर हो सकती है। इसका कुछ भाग तैयार हो सकता है परन्तु पूरे परिसर को एक इकाई के रूप में माना गया है। फिर एक इकाई में अन्य मंजिलों के निर्माण में देर हो सकती है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे अपार्टमेंट, जो इस कानून के लागू होने से पूर्व और बाद में तैयार किए जाते हैं, के लिए पंजीकरण की समय-सीमा पर जोर न दें।

मंत्री महोदय ने कहा था कि इसका उद्देश्य मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोगों को स्वामित्व, पैतृक अधिकार, अन्तरण का अधिकार और इस बात का अवसर देना है कि वह ऋण लेने के लिए अपार्टमेंट को किसी संस्था के पास गिरवी रख सके, यह उद्देश्य प्रशंसनीय है परन्तु फिर

भी मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहए कि प्रथम पंजीकरण के संबंध में या तो कोई पंजीकरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क न हो या अपार्टमेंट पंजीकरण के संबंध में इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। एक धनी व्यक्ति जब मकान का निर्माण करता है, तो वह भवन की लागत के लिए किसी पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करता जबकि एक निर्धन व्यक्ति जब किसी संप्रवर्तक से कोई अपार्टमेंट खरीदता है, तो उसे निर्माण की सम्पूर्ण लागत के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार उसे हानि उठानी पड़ती है। इसलिये, मंशा यद्यपि बहुत अच्छी है, फिर भी वास्तविक लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा इसके लिये एक उपबंध किया जा सके ताकि प्रत्येक समय नहीं, तो कम-से-कम अपार्टमेंट के प्रथम पंजीकरण के लिए कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगे।

इसी प्रकार, मंत्री महोदय को अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार का विधान बनाने की सलाह देनी चाहिये ताकि इसी प्रकार की सुविधाएं आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू, जहां भूमि की समस्या है, जैसे अन्य स्थानों में रहने वाले लोगों को भी प्राप्त हो सकें।

'परिभाषा' के विषय में यह कहा गया है कि पट्टा 30 वर्षों के लिए है। मुझे नहीं मालूम कि यदि पट्टा 30 वर्षों से अधिक का हो जाये, तो यह चिरस्थायी होगा या नहीं। यदि यह चिरस्थायी नहीं होता, तो मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें कि अपार्टमेंट के मालिकों को 30 वर्षों के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। अपार्टमेंट के क्रेता को, जिसने अपने अल्प साधनों से अपार्टमेंट को खरीदा है, भूमि पर चिरस्थायी हक होना ही चाहिए।

इसके अतिरिक्त, महोदय, चूंकि मंत्री महोदय इस विधेयक को अपार्टमेंट के मालिकों के लिए ला चुके हैं, इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि वे उन दुष्परिणामों के बारे में विचार करें जो शहरी भूमि-सीमा अधिनियम के कारण देश के कुछ भागों में परिलक्षित हो रहे हैं। यद्यपि इसका लक्ष्य धनी व्यक्तियों से अतिरिक्त भूमि लेना है, तथापि यह देश के विभिन्न भागों में कीमतों के बढ़ने का एक कारण बन गया है। इसलिए, सरकार को कम-से-कम ऐसे संशोधनों को लाने के बारे में विचार करना चाहिए जिससे पहले के अधिनियम की खराबियों को दूर किया जा सके। महोदय, साझा क्षेत्रों पर अधिकारों की प्रतिशतता के बारे में —चूंकि अपार्टमेंटों को उनके निर्माण के दौरान कई बार बेचा जा सकता है, इसलिए एक ही प्रकार के अपार्टमेंटों की कीमतों में विविधता हो सकती है —साझा क्षेत्रों के अधिकारों की प्रतिशतता का निर्धारण करते समय विक्रय-पत्र में उल्लिखित अपार्टमेंट के मूल्य को मानदण्ड नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि खरीदे गये अथवा बेचे गए अपार्टमेंट के मूल्य के प्रभारित औसत को सामान्य क्षेत्रों पर अधिकार देने के लिए आधार मानना चाहिए।

महोदय, मैं विधेयक के खंडों को एक-एक कर ले रहा हूं और विभिन्न खंडों में संशोधनों के कारण बता रहा हूं। मेरा मन्त्री महोदय से केवल यह अनुरोध है कि वे कृपया मेरे संशोधनों को नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखें बल्कि निश्चित रूप से अपार्टमेंट के मालिकों को सहायता देने की दृष्टि से देखें ताकि वे विधेयक में समाविष्ट वास्तविक लाभों को प्राप्त कर सकें जिससे कि बेईमान व्यक्तियों द्वारा उन्हें किसी रूप में परेशान किये जाने की कोई गुंजाइश न रहे। धन्यवाद।

*श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, मैं इस दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 1986 का समर्थन करता हूं, यद्यपि इसे काफी विलम्ब के पश्चात् लाया गया है। जिन लोगों ने फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदे हैं, वे सभी लम्बे समय से इस विधेयक में इन सुविधाओं को उपबंधित करने की मांग कर रहे थे। मैं माननीय मन्त्री महोदय को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं जिसे काफी पहले लाया जाना चाहिए था। इस विधेयक से दिल्ली के उन व्यक्तियों को सहायता मिलेगी जो फ्लैट खरीद रहे हैं अथवा जो उन्हें सहकारी समितियों आदि के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या केवल 2 या 3 प्रतिशत है जो अपार्टमेंटों को खरीदने की स्थिति में हैं और इस विधान से केवल उन्हें ही लाभ प्राप्त होगा। दिल्ली में कई लाख लोग गंदी बस्तियों, झुग्गियों, झोंपड़ियों आदि में रहते हैं। सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई उपाय नहीं किये गए हैं। हमारे देश में 63 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा 37 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि उनके लिए आवासीय व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में अनेक सेमिनार भी दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। कुछ समय पूर्व यहां एक सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, डा० ए० रामचन्द्रन उपस्थित थे। यह सेमिनार "2000 ईसवीं तक सभी के लिए मकान" के सम्बन्ध में था। उस सेमिनार में डा० ए० रामचन्द्रन ने कहा था, मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव, डा० ए० रामचन्द्रन ने आज कहा, "वास्तव में समुचित राजनैतिक इच्छा के अभाव के कारण भारत में बेघर लोगों के लिए आवासीय कार्यक्रम रुका हुआ है।" भारत का दौरा करने वाले, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा था कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास राजनैतिक इच्छा का अभाव है। हम भी देखते हैं कि न केवल दिल्ली में, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। केरल में डेढ़ लाख लोगों के पास मकान नहीं है। बम्बई में 28 लाख लोग झुग्गियों और झोंपड़ियों में रहते हैं। कलकत्ता में ऐसे लोगों की संख्या 30 लाख है और मद्रास, बंगलोर आदि जैसे अन्य बड़े शहरों, में ऐसी ही स्थिति है। इतनी बड़ी संख्या के इन सभी भाग्यहीन लोगों के लिए सरकार कोई सार्थक उपाय नहीं कर रही है। निस्संदेह, सरकार आवासीय बैंकों आदि की बातें कर रही है तथा इस प्रयोजनार्थ 7वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ धन-राशि नियत की गई है। किन्तु यह एक अत्यंत ही विशाल समस्या है और इसका समाधान करने के लिए समुचित कारगर उपाय नहीं किये जा रहे हैं। इस दिशा में और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ने जिसका पहले उल्लेख किया गया है, कहा था, "कि जिसे मैं उद्धृत करता हूं, कि भारत में 63 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तथा 37 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए केन्द्र तथा राज्यों दोनों में, एक जन अधिवास मन्त्रालय का गठन किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।" अतः, बेघर लोगों की आवासीय समस्या का समाधान करने के लिए एक अलग मन्त्रालय बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, 'हुडको' आदि जैसी कुछ सरकारी एजेन्सियां हैं जो आवासीय मामलों में कुछ मदद करती हैं। किन्तु उनके क्रिया-

*मूलतः बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी/रूपान्तर।

कलाप अधिकांशतः दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। छोटे शहरों में, जिनकी आबादी 3-4 लाख है, वहां 'हुडको' कार्य नहीं कर रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि 'हुडको' और उसी प्रकार की एजेन्सियां इन छोटे शहरों में भी कार्य करे ताकि इन छोटे शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी तथा अन्य वर्ग के लोग भी इनका लाभ उठा सकें। यह दिल्ली अपार्टमेंट विधेयक केवल दिल्ली पर ही लागू होता है। मैं महसूस करता हूं कि बेहतर यह होगा कि केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को भी अपने संबंधित राज्यों में इसी प्रकार का विधेयक लाने के लिए राजी करे ताकि वहाँ अपार्टमेंटों की इच्छा रखने वाले लोगों को अपने फ्लैटों के स्वामित्व का लाभ मिल सके जिससे उन्हें बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो, साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर वे अपने फ्लैटों की बिक्री भी कर सकें। सम्पति के स्वामित्व के ये लाभ पूरे देश में फ्लैट मालिकों को उपलब्ध कराये जाने चाहिएं। मैं दिल्ली की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि० वि० प्रा०) को ही लें। दि० वि० प्रा० के कार्यकरण के बारे में सदन में अनेकों बार चर्चा की गयी है। इस विधेयक के पारित किए जाने के पश्चात् दि० वि० प्रा० के अलाटियों को फ्लैटों का स्वामित्व मिल जायेगा। परन्तु दि० वि० प्रा० द्वारा निर्मित फ्लैट या अपार्टमेंट बहुत ही दोषपूर्ण हैं। फ्लैटों के निर्माण के कुछ दिनों के भीतर ही पाया जाता है कि दीवारों में दरारें हो गई हैं, छतों से पानी चूना शुरू हो गया है, दरवाजों और खिड़कियां में घटिया सामग्री लगाई गई है, इस प्रकार की सभी शिकायतें आ रही हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधाएं तथा सुख सुविधाएं, जैसे पेय जल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति आदि लम्बे समय तक नहीं दी जाती हैं। सहकारी आवासीय प्रणाली के अधीन बनाए जा रहे फ्लैटों में भी इसी प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। इन सब पर संसद में अनेक अवसरों पर चर्चा की गई है तथा इन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया है। इसके बावजूद सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं कि ये फ्लैट अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार निर्मित किए जायें। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस बात को देखें कि भविष्य में ऐसे सभी फ्लैट तथा अपार्टमेंट अनुमोदित विशिष्टियों के साथ निर्मित किए जायें। महोदय, अब मैं बहुमंजिली अपार्टमेंटों के गैर-सरकारी निर्माताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम जानते हैं, कि हमारे देश में शहरी भूमि की अधिकतम सीमा को लागू नहीं किया गया है। उसका लाभ उठाकर बहुमंजिले अपार्टमेंटों के निर्माता फ्लैटों को बहुत ऊँची कीमतों पर बेचेंगे। सरकार को वास्तविक कीमतें नहीं बताई जाएंगी और इस प्रक्रिया से गैर-सरकारी निर्माताओं के पास काला धन जमा होने लगेगा। बहुमंजिले भवनों के फ्लैटों का किराया भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। यह एक सामान्य अनुभव है कि यदि कोई व्यक्ति फ्लैट किराये पर लेने के लिए जाता है, तो उसे एक लाख रुपया अग्रिम राशि के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसे 'पगड़ी' कहते हैं, और इसके बाद भारी किराया लिया जाता है। यह प्रथा दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और अन्य बड़े शहरों में भी बनी हुई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि गैर-सरकारी मालिक इस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी न कर सकें। इसे रोकने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय

ने यह बिल पेश किया हालांकि बहुत देरी से पेश किया। दिल्ली में मल्टी स्टोरी बिल्डिगें बनते-बनते आज तकरीबन 20 साल हो गए। आज इस बिल को पेश करके उन्होंने बहुत सारी जो दिक्कतें थीं उनका समाधान किया। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका अभी भी हमें हल ढूंढना होगा। सबसे पहले अभी जैसे राव साहब ने कहा कि लीज मनी जिसके लिए आपने कहा है कि कोई भी जमीन कम से कम 30 साल के लिए लीज पर हो तो उस पर वह मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बना सकेगा, लेकिन 30 साल बाद क्या होगा? क्या वह जमीन उस प्रोमोटर या ओनर की हो जाएगी या फ्लैट ओनर की हो जायगी? तीस साल बाद गवर्नमेंट उनसे वह लीज मनी नहीं ले सकती। ऐसा न हो कि वह बिल्डर या प्रोमोटर बिल्डिंग बना कर चला जाए उसका पैसा उस फ्लैट ओनर को देना पड़े जो अपने घर के बर्तन बेच कर या अपनी बीबी के जेबर बेचकर फ्लैट लेता है अपने रहने के लिए या कामर्शियल परपजेज के लिए और बाद में जो एसोसिएशन बनाई हुई है वह अपना फैसला दे दे कि हजार रुपया या 5 सौ रुपया 2 सौ रुपया उस पर और लग गया और इसका पैसा भी उस ओनर को देना पड़ेगा? तो आपको प्रावधान करना चाहिए कि लीज मनी उस बिल्डर या प्रोमोटर से पहले ही ले लेनी चाहिए जिसका भार बाद में उस फ्लैट ओनर पर पड़ने वाला है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पुराने मकान हैं जिसमें कि 25-25, 30-30 किराएदार अलग-अलग फ्लैट्स में रहते हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी? क्या सिर्फ मकान मालिक के कहने से उसको एपार्टमेंट मान कर इस ऐक्ट में रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा? क्या उसके साथ जो किराएदार उसमें रहते हैं जो उसका पैसा आलरेडी दे चुके हैं, जो अब उसको कोई पैसा नहीं देते हैं क्या उनका वह दोबारा मकान मालिक बन जाएगा और वे किराएदार फिर परेशान होंगे और फिर कोई फैसला ऐसा ले लिया जाय कि इस बिल्डिंग को ठीक कराने का या इसके जो बीच के हिस्से हैं उनको ठीक कराने का पैसा उनसे लिया जाय। आज जो वहां रहते हैं वे अपना वन्दोवस्त अपने आप ही करते हैं। कोई बिल्डर या प्रोमोटर यह कहने लगे अपने एसोसिएशन के माध्यम से कि मैं तो यहां संगमरमर लगाऊंगा तो वे लोग जो वहां रहते हैं जिनके खाने को रोटी नहीं है, जो गरीब हैं, जिनका कोई और साधन नहीं है उनका क्या हाल होगा?···(व्यवधान)···वे किराएदार नहीं हैं। वे किराया नहीं देते हैं। उसने आलरेडी अपने मकान के हिस्से को बनाकर बेच दिया। तो वे ओनर हो गए। वे हाउस रेंट देते हैं। अब एक आदमी फिर से उसका मालिक बन जाएगा तो उन पचास आदमियों की क्या पोजीशन होगी?

अब जिन लोगों ने वह बिल्डिंग बनाई है, अगर उस बिल्डिंग में कुछ डिफेक्ट रह जाता है तो वे बना कर चले गए। उन्होंने तो बिल्डिंग खड़ी कर दी। उसमें कोई कांस्ट्रक्शन डिफेक्ट है तो उसका पैसा कौन देगा? वह तो बना कर चला गया। आप जानते हैं कि किस तरह का डी०डी०ए० है, किस तरह का कारपोरेशन है दिल्ली में, आप उनके लिए साधन मुहैया कर दें तो जो मन में आए पास करा लें। कोई पहले नक्शा देता है पास कराने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में या पुरानी दिल्ली के इलाके में तो वे नक्शे को पास नहीं करते हैं। कहते हैं कि यह नियम के मुताबिक नहीं है। लेकिन आप जाइए और देखिए, छः छः मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हो गईं, डेढ़-डेढ़ सौ आफिस बन गए और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा न हो कि जो एथारिटी इन बिल्डिंगों को पास करने वाली है वह आंख बन्द करके इन बिल्डिंगों को पास कर दे, बाद में जो उसमें डिफेक्ट आए तो उसका भार

भी उन फ्लैट ओनरों पर पड़े और उनको परेशानी का सामना करना पड़े, उनको उसका पैसा देना पड़े जिसका पैसा प्रोमोटर या बिल्डर को देना था···

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : जिसको खरीदना होगा वह देखेगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : पास तो आपका डिपार्टमेंट करता है नक्शे को, कम्पलीशन सर्टिफिकेट आपका डिपार्टमेंट देता है···

श्री अब्दुल गफूर : खराब हो तो मत खरीदिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : फिर तो इस ऐक्ट को लाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपस में ही निपट लेंगे, इसकी क्या जरूरत रहेगी? आपकी डी० डी० ए० की मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग्ज बनी हैं, अगर बिना नींव के बिल्डिंग बन गई तो उसको किसने देखा?

श्री अब्दुल गफूर : उसको रोक दिया गया है। नो एलाटमेन्ट।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इसी तरह से ये जो प्रमोटर्स हैं ये मनमाने ढंग से फ्लैट-ओनर्स से पैसा लेते हैं। कभी वैकेन्ड लैण्ड टैक्स के नाम से पैसा लेते हैं और वह पैसा वहां जमा नहीं होता है डी० डी० ए० में या कारपोरेशन में परन्तु यहां वे पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। इसी तरह से हाउस टैक्स वे लोग जमा करते हैं हालांकि डायरेक्ट एथारिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। फायर फाइटिंग इक्वीपमेंट के नाम से भी वे फ्लैट-ओनर्स से पैसा लेते हैं लेकिन उसका कोई भी साधन वहां पर मोहैया नहीं कराया जाता है। आपने देखा होगा दिल्ली में दो-तीन मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग्ज में आग लग गई, क्या नतीजा हुआ उसका? तो ये सारी बातें आपको इस ऐक्ट में लानी चाहिए कि इतनी रेस्पांसिबिलिटी फ्लैट-ओनर्स की होगी और इतनी रेस्पांसिबिलिटी बिल्डर्स या प्रमोटर्स की होगी। यह न हो कि प्रमोटर बनाकर भाग जाए और फ्लैट-ओनर उसके पीछे-पीछे भागता रहे या फिर उनको उसका पैसा देने पड़े। **(व्यवधान)**

दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। अगर यह एसोसिएशन है, और फ्लैट-ओनर्स का एसोसिएशन है जोकि ओनर है फ्लैट्स का, अगर इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है और वह पेनाल्टी या चार्जेज उसके ऊपर लगा देते हैं तो क्या होगा। अगर मैं समझता हूं कि मेरे फ्लैट का काम 50 रुपया या 100 रुपए में ठीक हो जायेगा लेकिन आपका एसोसिएशन समझता है कि 50 हजार रुपया लगेगा और वह 50 हजार की पेनाल्टी लगा देता है तो जो प्रावधान आपने इसमें रखा है वह यह है डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जब वह अपील करेगा तो 25 परसेन्ट उसको पहले जमा कराना पड़ेगा। 25 परसेन्ट उसे क्यों जमा कराना पड़ेगा? और आप कहते हैं कि 50 हजार पेनाल्टी लेंगे तो उसके अलावा साढ़े 12 हजार वह और लाए पहले जमा कराने के लिए और उसके बाद अपील करें। मैं समझता हूं आपका यह प्रावधान गलत है, इसको हटा देना चाहिए।

इसी तरह से आपने री-एन्ट्री या फ्रेश एलाटमेन्ट के लिए कहा है। मैंने एक फ्लैट लिया, उसके पैसे दे दिए हैं, अगर मुझसे आपको कोई पैसा वसूल करना हो तो इस माध्यम से नहीं होना चाहिए कि आप मेरे फ्लैट पर कब्जा करलें, बल्कि इस माध्यम से होना चाहिए कि आप मेरे खिलाफ डिग्री करदें कोर्ट में। जैसे किसी को पैसा लेना होता है तो वह डिग्री कराए और पैसा वसूल करता

रहे। आप मेरी उस गाढ़ी कमाई से खरीदे हुए फ्लैट में इसलिए कब्जा करते हैं कि मुझे आपका पैसा देना है—मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। हो सकता है कि मैं फ्लैट तो किराए पर देकर, किराया वसूल करके आपका पैसा दे दूं। इसलिए आपका इसमें यह रखना कि उसको फ्लैट खाली कर देना पड़ेगा, मैं समझता हूं यह गलत है। आपका यह ऐक्शन आर्बिट्रेरी होगा अगर आप इस तरह का फैसला करते हैं।

इसी तरह से अपार्टमेंटस के चारों तरफ का जो हिस्सा है उसके लिए भी आपको कोई न कोई ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि जो डेवलपमेन्ट का पैसा होगा उसको कौन देगा? कहीं ऐसा न हो कि लाखों रुपए का आप बजट बनादें और कहें इसमें इस तरह से काम होगा और उसका पैसा फ्लैट-ओनर्स से आप ले लें। आपको इसमें बहुत खुले रूप में रखना चाहिए कि किस-किस तरह से उस पैसे का प्रावधान किया जाएगा। मैं समझता हूं जहां रजिस्ट्रेशन आलरेडी रजिस्टार के यहां हो जाता है वहां दोबारा कोई इस तरह की बाडी बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन फिर से कराया जाए। जो पुराने हैं जिनको मकान बेचे जा चुके हैं, जिनको पहले अपार्टमेंट बेचे जा चुके हैं, उनकी कन्सेन्ट भी रजिस्ट्रेशन कराते हुए होनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि आप इन सभी बातों पर ध्यान रखेंगे और तभी कोई फैसला करेंगे।

श्री राम सिंह यादव (अलवर): उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने दिल्ली अपार्टमेन्ट स्वामित्व विधेयक जो सदन में उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में यह अपेक्षा की है करीब 50 हजार एपार्टमेन्ट ओनर्स इस विधेयक के माध्यम से स्वामित्व ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही स्वामित्व को लेकर अस्थिरता उनके दिमाग में थी वह भी दूर हो सकेगी। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 1987 में, जो यू० एन० जेनरल असेम्बली ने इन्टरनेशनल ईयर फार होमलेस मनाकर उनको शेल्टर देने की व्यवस्था की है उसकी शुरूआत दिल्ली से यहां पर एक बहुत बड़ी कांफ्रेन्स करके की गई है और आपने घोषणा की है कि नेशनल हाउसिंग डिपार्टमेन्ट की स्थापना देश में की जाएगी।

1.00 म०प०

जिस बैंक को इस मौजूदा सप्तम पंचवर्षीय योजना में नेशनल हाउसिंग डवेलमेंट बैंक के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री यादव, आप अपना भाषण 2 बजे बाद जारी रख सकते हैं, अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2 बजे पुनः समवेत होगी।

1.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.07 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 7 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक—[जारी]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी ने 18-12-85 को घोषणा की थी कि नेशनल हाऊसिंग बैंक की स्थापना की जाएगी और इस नेशनल हाऊसिंग बैंक के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे अपनी घोषणा की क्रियान्विति बहुत शीघ्र करेंगे जिससे देश के अंदर आवास की जो बहुत बड़ी समस्या है उसका हल निकल सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज देश के अन्दर लगभग दो करोड़ 47 लाख मकानों का अभाव है जिनमें 1 करोड़ 88 लाख मकानों की देहातों में आवश्यकता है और 59 लाख मकानों की शहरों में आवश्यकता है। देश के अंदर बहुत-सी हाऊसिंग कंस्ट्रक्शन कम्पनीज हैं, ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीज हैं, स्टेट हाऊसिंग बोर्ड्स हैं और दूसरी संस्थाएं हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। माननीय मंत्री जी ने उनके सामने भी कुछ प्रस्ताव रखे हैं तथा और भी सुविधाएं उनको दी हैं जिनसे आशा बंधती है कि हमारी सरकार के सामने सन् दो हजार तक सभी के लिए आवास की व्यवस्था करने का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य हमारा देश हमारे प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त कर सकेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1963 में जो सर्वे हुआ था, उसमें कहा गया है कि कलकत्ता में सन् 1983 में 6 लाख लोग ऐसे थे जो पेवमेंट पर सोते थे, बोम्बे जैसे शहर में हर 77 आदिमियों के पीछे 1 आदमी के पास रहने के लिए मकान की कमी थी। इस तरह से वहां 77 हजार आदमी ऐसे थे जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं थे। वह संख्या तो अब और भी बढ़ गयी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय जी, आज हमें देखना यह है कि रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की मुख्य आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति करना समाज का उत्तरदायित्व है। जो भी हमारे देश में बड़े नगर हैं उनमें स्लम डवेलर्स की क्या स्थिति है, उसे हम देख सकते हैं। खास-तौर से जो देहात के लोग आकर रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं जो और ऐसे दूसरे लोग हैं शहर में आवास-व्यवस्था से वंचित हैं, जो आज भी सड़क पर सोते हैं, कड़कती सर्दी में, बरसात में और कई प्रकार की दिक्कतें भोगते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंता कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक व्यापक रूप से समग्र योजना, आवास योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में धन की व्यवस्था की है, इसके अलावा सैल्फ हाऊसिंग स्कीम्स हैं, जिनके तहत देहात के लोग स्वयं मकान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, वे मकान चुनना भी जानते हैं, कुछ लोग पक्के मकान बनाते हैं, उनके लिए इंसेंटिव के रूप में गरीब हरिजनों, गिरिजनों, आदिवासियों को 750 रुपए दिए जाते हैं, कई जगह पक्के मकान बनाने के लिए 7500 रुपए की व्यवस्था की गई है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम प्रत्येक राज्य में जो आदिवासी, हरिजन हैं, जिनके पास वहां

पर मकान नही है, उनके लिए योजना तैयार करें, ताकि सन् 2000 तक जो उपेक्षित लोग हैं, सभी मकान पा सकें। इस तबके के लोग आदिवासी, हरिजन और डवेलर्स जो हैं, उनके लिए निश्चित रूप से व्यदस्था हो सके। मुझे आशा है कि आप इसके लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार करेंगे।

आपने जो बिल पेश किया है, इसको महाराष्ट्र राज्य ने और वैस्ट बंगाल ने पहले स्वीकार किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल दिल्ली को इस बिल में लाया गया है, मैं यह आशा करता हूं कि करीब 50000 अपार्टमेंट ड्वेलर्स इसका लाभ ले सकेंगे, लेकिन सभी राज्यों में जो हाउसिंग बोर्डस काम कर रहे हैं और दूसरी आवास योजनाएं हैं, उनके तहत जिन लोगों को अपार्टमेंट्स अलाट हुए हैं, उनसे कहें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी स्टेट्स को इस बात के लिए कहें, उन पर जोर दें, मंत्रियों को बुलाकर केन्द्र सरकार उनके ऊपर इस बात का दबाव डाले कि इसी विधेयक की एनालाजी पर, इसके सामानांतर वे अपने-अपने राज्यों में विधेयक प्रस्तुत करें, जिससे यह जो समस्या है अपार्टमेंट ड्वेलर्स के सामने, उसका हल हो सके। मैंने एम०एल०ए० की हैसियत से और ब्लाक पंचायत समिति के मैम्बर की हैसियत से काम किया है और खासकर देहातों में देखा है कि सरकार का इरादा होते हुए भी कि हरिजनों को जमीन दें, मकान बनाकर दें, लेकिन गांवों में जो मजबूत लोग हैं, जिनकी आबादी के नजदीक जमीन है, वे जमीन नहीं देना चाहते। इसलिए आप ऐसा नियम बनाएं ऐसा कानून बनाएं जिसके तहत देहात में रहने वाले वाले हरिजन या और दूसरे लोगों को भूमि प्रदान करना सरकार का फर्ज होना चाहिए, यह आब्लीगेटरी होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स के अंदर होना चाहिए। अगर इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाए। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि लोगों से जमीन लेने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन वे लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और गरीब हरिजन की वही स्थिति रह जाती है। मैंने देखा है कि हरिजन एक झोपड़ी में रहता है, जसके साथ उसका लड़का भी रहता है, शादी होने के बाद भी उसका लड़का वहीं रहता है, उसके पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। जब तक आप इस तरह की जमीन एक्वायर नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा और इसकी नितांत आवश्यकता है, लाजमी तौर पर इसको किया जाए कि प्रत्येक राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी हो कि वह लोगों के लिए जमीन प्राप्त करे, अगर इसके लिए दूसरा विधेयक लाने की आवश्यकता हो तो लाया जाए, ताकि गांव की आबादी का विस्तार हो, कस्बे की आबादी का विस्तार हो, शहरों की आबादी का विस्तार हो।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या पर काबू पाने के लिए कितनी कांस्ट्रक्शन कम्पनीज हैं, उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो और उनको इण्डस्ट्री की परिभाषा में लाया जाए, इससे आप उनके कामों पर नियंत्रण रख सकेंगे और वे बहुत बड़ा सहयोग आपके काम में दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से भूमि प्राप्त करके कई लोग कई जगह अलाट करा लेते हैं और उसको बेच देते हैं तो उसके लिए एक पैनल तैयार करना होगा आपकी सर्विसेज में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि वे इस तरह का धंधा न कर सकें। एक आदमी कई जगह पर अपार्टमेंट ले लेता है जैसे पश्चिमी दिल्ली में ले लिया और पूर्वी दिल्ली में भी ले लिया और उसके बाद बेचने का धंधा करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इसका कोई रिकार्ड होना

चाहिए, प्रत्येक शहर और कस्बे के अंदर, जिससे हरेक को न्याय मिल सके । आप जो यह बिल लाए हैं, यह बहुत ही प्रगतिशीली विधेयक है, इसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक 1986 का स्वागत करता हूं और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कई मंजिली इमारतों से सम्बंधित कुछ समस्याओं को हल करने का सफल प्रयास किया है । कई मंजिली इमारतों की मल्कीयत के जो झगड़े चलते थे, उनकी मल्कीयत के बारे में समाधान होगा । बहुत सारी इस किस्म की इमारतें हैं विशेषतौर से दिल्ली के अंदर जिनमें किसी और का नाम चलता है और पावर आफ एटारनी दूसरे लोगों को दे दी जाती है । उन लोगों को जब किसी समस्या को हल कराने के लिए अदालतों में जाना पड़ता है तो इस गंभीर समस्या से बहुत से लोग न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं । मेरे से पहले बोलने वाले श्री यादव जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसी प्रकार का बिल हर प्रदेश के अंदर लाया जाए जिससे कि आवास की समस्या भी हल हो और इस चीज का बाकायदा सरकार के पास आंकड़ा हो कि किस आदमी के पास कितने मकानात हैं । बहुत बार यह देखा गया है कि लोग बेनामी ट्रान्जेक्शन करते हैं और मकान को अपने नाम पर नहीं बल्कि दूसरों के नाम पर करवा लेते हैं । अखबारों में निकला था कि पंजाब में सब्जी के नाम पर लोगों ने नाम रखे है जैसे आड़ू सिंह पुत्र सिंघाड़ा सिंह । इस किस्म के नाम भी कागजात के अंदर मिले हैं ।...(व्यवधान) ऐसे नाम हैं जो रिकार्ड में नहीं मिलते हैं । इस बिल से कुछ समस्याएं तो दूर होंगी लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस बिल के तहत ऐसे रूल्स फ्रेम किए जाएं जिससे जो लोग इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन की अवहेलना करें, वायलेशन करें, तो उन पर बाकायदा पेनल्टी इम्पोज की जाए । पेनल्टी का इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि जो भी मालिक है या जो उसमें किराएदार रहता है, वह हर साल पर्टिकुलर्स सम्बंधित अदालत में फाइल करे, कितना किराया देते हैं, कौन उनका मालिक है और किस हिस्से के वह किराएदार हैं । अगर हर साल इस तरह पार्टिकुलर्स फाइल कर दिए जाएं तो बहुत सारे झगड़े दूर हो सकते हैं । अगर किराएदार और मालिक अलग पर्टिकुलर फाइल करता है तो उस मामले को सूओ-मोटो अदालत की तरफ से टेक-अप किया जाए और उस मामले का समाधान किया जाए ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस एक्ट के अंदर मिलिटरी पर्सनल के बारे में प्रावधान होना चाहिए । मिलिटरी पर्सनल्स जो देश की सरहदों पर देश के लिए, देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए इस प्रकार का आरक्षण किया जाए ताकि नौकरी से रिटायर होने के बाद उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो । उनका मकान जल्दी खाली करवा दिया जाए, क्योंकि रिटायर होने के बाद उनको बड़ी मुश्किल होती है, किराए पर मकान नहीं मिलता है अपना मकान वह खाली नहीं करवा सकते । जो बहु-मंजिला मकान हैं, जिनके बारे में यह विधेयक लाया गया है, इसमें कौन-सी मंजिल का कौन मालिक है यह पता नहीं चलता और सभी चीजें बेमानी ढंग से चलती रहती हैं । उसके लिए बाकायदा समय निश्चित किया जाए कि कितने समय के अंदर इस बिल को लागू करके इसका निपटारा किया जाएगा जिससे इस बिल की मंशा पूरी हो ।

कई बार देखने में आता है कि मकान मालिक और किराएदार में सालों तक झगड़े चलते

रहते हैं और उनकी दूसरी पुश्त तक वह लड़ते रहते हैं। इसके अन्दर इस तरह का प्रावधान किया जाए कि जो मकान मालिक और किराएदार के झगड़े चलते हैं उनके लिए एक समय सीमा निश्चित हो कि इतने समय के अन्दर इसका निपटारा कर दिया जाएगा।

एक बात मैं दिल्ली की आवास समस्या के बारे में कहना चाहता हूं, विशेषतौर से पुरानी दिल्ली के अन्दर एक मकान का 3/4 हिस्सा जो उसका है उसमें छोटी-छोटी फेक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। सरकार इस तरफ ध्यान दे। दिल्ली के अन्दर आवास समस्या काफी है, लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिलते इसलिए यहां से यह फेक्ट्रियां कानूनीतौर से बन्द की जाएं। इससे वायु प्रदूषण की समस्या भी दूर होगी और आवास की समस्या भी दूर होगी। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां इन लोगों को अपनी इंडस्ट्रीज ले जानी चाहिए। पुरानी दिल्ली में शायद ही कोई मकान ऐसा हो जिसमें फैक्टरी न हो।

आवास समस्या को हल करने के लिए जो ब्लैक मनी है, लोग गलत ढंग से प्लाट या मकान खरीदते रहते हैं, लेकिन मकान बनाने के लिए हिडन मनी का सही मायने में प्रयोग नहीं किया जाता। उस पैसे के लिए छूट दे दी जाए कुछ समय निश्चित करके कि एक या दो साल के अन्दर जो आदमी मकान बनाता है तो उसकी उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील कर दिया जाएगा जिससे मकानों की समस्या काफी हद तक दूर होगी, उससे आसानी से लोगों को मकान मिल सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो अपार्टमेंट औनरशिप की समस्या है, अगर हम इस विधेयक को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि विधेयक तमाम यूनियन टेरीटरी दिल्ली पर लागू होगा, जिसमें देहात भी शामिल है। लेकिन इस विधेयक को सही मायने में देखा जाए तो अन्दाज लगाया गया है कि इतने मकानों के जो मालिक हैं उनकी समस्या का हल इस विधेयक से होगा। दिल्ली में जो म्यूनिसिपल टेरीटरी है को नई दिल्ली की सरहद के अन्दर की समस्या है उसका ही हल होगा। लेकिन दिल्ली प्रदेश का जो देहात है उसमें भी यह समस्या है। वहां पर भी ऐसे झगड़े हैं। इस विधेयक के तहत जो बोर्ड बनेगा कामन एरिया के लोगों की जो समान समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए, उस बोर्ड के अन्दर कैसे चुनाव होगा और कौन आदमी बोर्ड के डायरेक्टर्स होंगे, कौन सदस्य होंगे और उनकी क्वालिफिकेशन और डिस-क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाए ताकि यह समस्या न आए कि गलत तरीके से लोग बोर्ड के सदस्य बन जाएं और समस्या का हल होने के बजाय वह और ज्यादा बिगड़ जाए। जिससे इस विधेयक को लाने और पास करने का सही मकसद है वह पूरा नहीं हो सकता···

इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, इस विधेयक पर डिस्कशन के दौरान हरिजनों के सम्बन्ध में एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा। मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं और हमारे यहां देहातों में हरिजनों को प्लाट दिए जाते हैं लेकिन वहां शहरों में भी हरिजन रहते हैं। देहातों में तो ग्राम पंचायत की जमीन होती है, उसी में से हर हरिजन के परिवार को सौ गज का प्लाट दे दिया जाता है लेकिन शहरों में, किसी एक्ट या कानून के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि हरिजनों को प्लाट मिल सकें, जमीन दी जा सके। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शहरों में रहने वाले हरिजनों को भी प्लाट आबंटित करने लिए, उनकी आवास समस्या हल करने के लिए, प्लाट देने की व्यवस्था

की जाए तथा शहरों में भी गरीब हरिजनों के लिए मकान बनाए जाएं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दिल्ली अपार्टमेंट ओनरशिप बिल, 1986 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी दिल्ली में मकानों की समस्या को हल करने के लिए जो बिल लाये हैं, वह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। मगर केवल 50,000 मकानों से दिल्ली की यह समस्या हल होने वाली नहीं है। आपको इसके लिए कोई बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, तब जाकर आप दिल्ली में मकानों की समस्या को हल कर पाएंगे। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कोआपरेटिव सैक्टर को जितना बढ़ावा देंगे, उतना ही ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि अगर इंडीवीज्युअली लोग एपार्टमेंट बनाते हैं, बहुमंजिली इमारतें बनाते हैं, उसमें बहुत से डिस्प्यूट्स रहते है। अभी यहां एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यदि ब्लैकमनी का उपयोग करके यदि दिल्ली में मकान बनाने की अनुमति दे दी जाए तो उससे बड़े-बड़े पूंजीपति बहुत भारी संख्या में मकानात बना सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, मगर क्या वह हमारे लिए और हमारे देश के लिए उपयुक्त होगा। फिर तो मकान मालिकों द्वारा किराएदारों का शोषण पूर्ववत: ही जारी रहेगा, जैसी स्थिति आजकल है। इसलिए आप कोआपरेटिव्ज पर ज्यादा जोर दीजिए और ज्यादा लोगों को जमीन एलॉट करके, सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से करें। अभी जिस तरह आप कोआपरेटिव्ज को जमीन दे रहे हैं उसमें अ प उनसे प्लाट की कीमत पहले वसूल कर लेते हैं जबकि उनकी हैसियत नहीं होती कि वे सारा-का-सारा पैसा आपको इकट्ठा जमा कर सके। आप उनको किश्तों में पैसा जमा करने की छूट दे दीजिए और छोटे-छोटे लोगों की कोआपरेटिव्ज बनाइए। बड़े लोगों की, सेठ-साहूकारों की कोआपरेटिव्ज बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समस्या मूलत: छोटे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बिल्कुल लोअर क्लास की है और उनको लीज पर जमीन एलॉट कर दीजिए ताकि वे टाइम पर आपकी किश्तें भी जमा कर सकें। उनको मकानात बनाने की व्यवस्था आप इस तरह से कर दीजिए ताकि उनको आसानी से बैंकों के जरिए से लोन भी मिल सके और उसके जरिए से वे काफी बड़ी तादाद में मकानात बनाकर दिल्ली की आवास समस्या को हल कर सकें।

हमारे देश में दिल्ली के अलावा कई दूसरे मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं, जैसे कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है, और भी कई बड़े शहर हैं और उन सबमें भी मकानात के सम्बन्ध में भारी पौब्लम है। उन सभी स्थानों के लिए भी बिल में प्रावधान करना आवश्यक है, जिस तरह आपने दिल्ली के लिए व्यवस्था की है, वैसा ही प्रावधान आप अन्य बड़े शहरों के लिए भी कीजिए। महाराष्ट्र में तो पहले से यह व्यवस्था है। व्यवस्था की गई है, मगर बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहां के गरीब लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है और खासतौर से जो स्लम-ड्वैलर्स हैं, चाहे वे बाम्बे में हैं, कलकत्ता में हैं या और भी जो बड़े सिटीज हैं, जहां स्लम ड्वैलर्स को मकान नहीं मिल पाते हैं और वे लोग ऐसी गंदी जगह रहते हैं जिसको नर्क बोलते हैं, वहां गन्दे नाले बहते रहते हैं, रात-दिन बीमारियां फैलती और बहुत बड़े झंझट उनके सामने बने रहते हैं। इन सब चीजों को देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे इनके सिटी में भी स्लम-ड्वैलर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। इस प्रकार से ये जितने भी बड़े सिटीज हैं, इनमें इस प्रकार की व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए बहुत बड़ा प्रावधान आपको करना पड़ेगा और देशव्यापी आन्दोलन आपको चलाना पड़ेगा जिससे स्लम-ड्वैलर्स की जो समस्या है, वह भी हल हो और उसके साथ-साथ मिडिल-क्लास, लोअर-मिडिल-क्लास और लोअर-क्लास के जो लोग हैं जिनको आज बहुत बड़ी तकलीफ मकानों के बारे में है, जिनको बहुत बड़ी धनराशि मकान के किराए के रूप में देनी पड़ती है, जो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। इन हालात से उनको बचाने के लिए और इन समस्याओं को हल करने के लिए निश्चित तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए माननीय मंत्री जी आप इस समस्या को हल करने के लिए को-आपरेटिव बेसिस के ऊपर मकान बनाने की व्यवस्था के ऊपर विशेषरूप से ध्यान देंगे और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है।

मान्यवर, आपने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई और इनका कानून बनाया, यह कानून आपने काफी सोच-विचार करके बनाया, इससे बहुत भारी समस्याएं हल होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मगर आप जानते हैं आपने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के कानून में बहुत प्रावधान किए किन्तु उसके बावजूद कुछ न कुछ लकुना रह गया है जिसकी वजह से अपार्टमेंट ओनर्स ही अध्यक्ष एवं मंत्री एसोसिएशन के बनाएंगे और वे लोग बराबर ऐसी भूमि को कनवर्ट कर देंगे, जैसा आपने अपनी स्पीच में कहा कि पार्किंग और अन्य स्थानों का भी दुरुपयोग होता है और उनको भी वे लोग किराए पर दे देते हैं और उनसे भी नाजायज लाभ प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की चीजों को रोकने की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

आपने इसमें बाजार का कॉम्पलैक्स भी अपार्टमेंट के साथ-साथ दिया है तथा अपार्टमेंट की आमदनी से उसके खर्च की व्यवस्था और उपयोग किया जा सके, ये सब व्यवस्थाएं काफी सुन्दर हैं। लेकिन मान्यवर शहरों में जो व्यापारिक कॉम्पलैक्स होते हैं उनमें जिस प्रकार की पगड़ियां या अन्य प्रकार के ऐसे ही कामकाज चलते हैं जिनमें लाखों रुपया लोगबाग एक दूसरे को तब्दील करने में ले लेते हैं। अगर महोदय उसी प्रकार का प्रावधान अगर आपके इस अपार्टमेंट वाले बिल में हो जाता है, तो वह कानून भी विरोधी हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में भी आपको सोचने और विचार करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, एक आदमी को बाजार काम्पलेक्स में दुकान दे दी जाती है और अगर वह उस दुकान को बन्द करता है, या उसे दूसरे को देना चाहता है, तो नाजायज रूप से पगड़ी के तौर पर पैसा लिया जाता है। यह बन्द होना चाहिए। इसके सम्बन्ध में भी आप कोई न कोई आवश्यक व्यवस्था करेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है।

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, वैसे मुझे बोलना तो बहुत था, किन्तु आप मुझे समय बहुत कम दे रहे हैं। इसलिए मैं अब ज्यादा न बोलते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, यह विधेयक जो इस समय सभा के समक्ष है,

वास्तव में एक सामयिक विधेयक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली में विधि निर्माण के लिए संस्था नहीं है। अतः इस गरिमापूर्ण सभा को इस विधेयक को अधिनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। वास्तव में, जैसाकि मेरे कुछ साथियों ने कहा है कि अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए भी यह विधेयक एक आदर्श के रूप में होना चाहिए। वास्तव में, मैं यह सुझाव दूंगा कि इस सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात इस विधेयक के प्रारूप को सभी राज्य सरकारों को भेजा जाना चाहिए।

इस विधेयक को जैसा मैं देख रहा हूं, वह एक अर्थ में एक प्रकार का तीन श्रेणी का विधेयक है। विधेयक के मूल सिद्धान्तों को इस विधेयक या अधिनियम में रखा गया है।

दूसरे, विधेयक केन्द्र सरकार को भी नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तीसरे, बोर्ड प्रबन्ध तथा दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए विधेयक प्रशासक को आदर्श उप-नियमों को बनाने की शक्ति प्रदान करता है यह एक प्रकार से तीन श्रेणियों वाली व्यवस्था है। यह तीन श्रेणियों वाली व्यवस्था भ्रम एवं संघर्ष उत्पन्न कर सकती है।

आदर्श नियमों को बनाने की मूल शक्ति प्रशासकों को प्रदान की गई है। यह व्यवस्था की गई है कि यह बोर्ड उपनियमों में कुछ संशोधन कर सकता है लेकिन उपनियमों के मूल ढांचे को वे नहीं बदल सकते।

अब आप देखेंगे कि वर्ष के दौरान इस बात पर बहुत अधिक मुकदमेबाजी होगी कि मूल ढांचे का क्या तात्पर्य है, वे किस सीमा तक उपनियमों को संशोधित कर सकते हैं और स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के सम्बन्ध में प्रशासक के पास क्या शक्तियां हैं।

इसलिए, मैं कहता हूं कि तीन श्रेणियों वाली व्यवस्था आगे मुकद्दमेबाजी को जन्म देगी। उपनियमों को बनाने की शक्ति या तो प्रशासक को होनी चाहिए, जिसमें किसी अन्य संस्था को उनको बदलने की शक्ति न हो या स्वयं बोर्ड को उप-नियमों को बनाने की शक्ति दी जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि 'मूल ढांचा' शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। "संविधान का मूल ढांचा', यही वह शब्द है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में से एक में प्रयोग किया गया था और आप जानते हैं इसने कितना हो-हल्ला मचाया था। आज तक हम नहीं जानते कि संविधान का मूल ढांचा क्या है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब निर्णय दिया गया था तब इस बात पर विभिन्न न्यायाधीशों में मतवैभिन्न था कि संविधान का मूल ढांचा क्या है और आज तक हम इसे नहीं जानते हैं तथा यह मूल ढांचा देश की समग्र प्रगति में बाधा बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि संविधान में जब हम कोई ठोस परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें यह जानना होता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। आज हमें इस बात का डर रहता है कि हमारे सुधारों को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है क्योंकि ये सुधार संविधान के मूल ढांचे के विपरीत जा सकते हैं। इस शब्द ने तबाही मचा रखी है। उस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि इस विधेयक में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि हमारा अनुभव बताता है कि सही-सही स्पष्टीकरण के अभाव में यह शब्द भ्रम उत्पन्न कर सकता है। मैं यह कह रहा हूं कि 'मूल ढांचा' का क्या तात्पर्य है, यदि इसका स्पष्टीकरण होता तब तो ठीक होता। मूल ढांचे की परिभाषा या स्पष्टीकरण के अभाव में 'यह समस्यायें' पैदा कर सकता है। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए।

दूसरे, यदि एक विशेष आबंटितों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है तो उपखण्डों में से एक उपखण्ड 6 उन सभी शक्तियों को नहीं प्रदान करता है जो कि अन्य मालिकों के पास है। पुनः एक समस्या होगी। यदि 10 व्यक्ति हैं और उनमें से एक व्यक्ति ने भुगतान या आंशिक भुगतान नहीं किया है तथा यदि वह कब्जेदार है—तब वह कब्जेदार रहने का हकदार है—तब उस व्यक्ति के अधिकार अन्य 9 व्यक्तियों के अधिकारों से भिन्न होंगे। पुनः, मैं, जो कह रहा हूं वह यह है कि भुगतान के अध्यधीन उस व्यक्ति, जिसने कि पूर्ण भुगतान नहीं किया है, को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। बचे हुए भुगतान को वसूलने के अन्य रास्ते भी हैं। यदि वह व्यक्ति एक निश्चित समय के अन्दर भुगतान नहीं करता है तब उसको वंचित किया जाना चाहिए। इस विषय में कोई सन्देह नहीं है। लेकिन जब तक वह कब्जेदार है तब तक विभिन्न प्रकार के स्वामित्व नहीं होने चाहिए और वह व्यक्ति भी समान अधिकार प्राप्त कर सकता है।

उपखण्ड 7 : अब हम खण्ड 7 पर विचार करेंगे। इसमें कैसी शब्दावली प्रयोग में लाई गई है। मैं नहीं जानता हूं कि इसमें किसी प्रकार शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह अन्य विधानों का अतिक्रमण करता है, इसमें उल्लिखित है : "प्रत्येक अपार्टमेंट स्वामी, उपविधियों प्रसंविदाओ, अपार्टमेंट विलेख में उपवर्णित शर्तों एवं निर्बन्धनों का दृढ़ता से अनुपालन करेगा और उनमें से किसी का अनुपालन करने में असफलता, नुकसानों के लिए शोध्य राशियां वसूल करने के लिए या व्यादेश अनुतोष, अथवा दोनों के लिए, अपार्टमेंट स्वामी संगम की ओर से प्रबन्धक या बोर्ड द्वारा अथवा किसी उचित मामले में व्यथित अपार्टमेंट स्वामी द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए आधार होगी।"

एक व्यादेश अनुतोष कब उपलब्ध है और कब नहीं, इस बात को क्या यह नियम देखेगा ? व्यादेश अनुतोष सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्देशित होती है। और वही यह तय करेगी कि कब तक मूल विधि का उल्लंघन हुआ है और यह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा तय किया जाएगा कि एक विशेष मामले में व्यादेश दिया जाएगा या नहीं।

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः मेरे विचार से मूल-कानून के अन्तर्गत इस बात को स्पष्टरूप से नहीं कहा जा सकता है कि स्थगन आदेश दिया भी जायेगा अथवा नहीं। यह पूर्णतया अनावश्यक उपबन्ध है कि किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में देय राशी को वसूल करने के लिए स्थगन आदेश दिया जायेगा अथवा वह व्यक्ति आदेशार्थ राहत पाने का अधिकारी होगा। आप कृपया इस पर विचार कीजिए। मैं किसी आधार पर ये तकनीकी मुद्दे सामने रख रहा हूं, आप इन पर विचार कीजिये क्योंकि यद्यपि स्पष्ट रूप से अभी इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं उत्पन्न होती है लेकिन बाद में इनसे भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है।

श्रीमान, कुल मिलाकर, जैसाकि मैंने कहा है, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जहां तक प्रबन्धक मण्डल का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि प्रबन्ध मण्डल में, जो इन सब बातों को शासित करेगा, यदि सदस्यों के बीच तथा प्रबन्धकों और प्रशासकों अथवा प्रबन्धकों और अन्य व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करेगा ? प्रशासक अर्थात् उपराज्यपाल को कुछ अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि वह अनियमितताएं पाये जाने पर अथवा बोर्ड के ठीक प्रकार से कार्य न करने पर प्रबन्ध मण्डल को भंग कर सके और नये निकाय का

चुनाव होने तक अपने किसी व्यक्ति की नियुक्त कर सके। जब तक यह सब बातें नहीं होती हैं यह बोर्ड उचित रूप से कार्य नहीं कर सकेगा।

अन्त में क्या कहा गया है? यदि बहुमंजिले भवन के उद्देश्य के लिए किसी प्रकार का कोई सीमांकित क्षेत्र है तो इसके लिए एसोशिएशन होनी चाहिए। यह अनेक उपबन्धों में से एक है और यह उचित ही है। सीमांकित क्षेत्र का क्या अर्थ है? इस सम्बन्ध में विभिन्न प्राधिकरण है। यहां शहर प्राधिकरण, नगर प्राधिकरण तथा अन्य कई प्राधिकरण भी हैं। एक विशेष प्राधिकरण द्वारा सीमांकित क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे भ्रांति उत्पन्न होगी। ये बहुत साधारण बातें हैं। अनेक ऐसे प्राधिकरण हैं जो नियोजित क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं। प्राधिकरणों द्वारा सीमांकित क्षेत्र के बारे में भी उल्लेख किया जाना चाहिए। मेरे यही सुझाव हैं। अन्त में, मैं यही कहूंगा कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : डागा जी नहीं बोलेंगे?

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : श्रीमान जी, मैंने संशोधनों के लिए सूचना दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय आपको इजाजत दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : उपाध्यक्ष महोदय, करीब हमारे आठ आनरेबल मैम्बरों ने इस बिल पर बोलने में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने विचार हाउस के सामने रखे। मैं गौर से सुनता रहा। इसमें चार चीजों का लोगों ने आमतौर से जिक्र किया। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने इस बिल के खिलाफ कुछ कहा हो कि इस बिल की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों ने यह कहा कि इस बिल को पहले लाना चाहिए था। तो एक तो शिकायत यह रही कि बिल को पहले नहीं लाया गया और मैं इस शिकायत को मानता हूं कि पहले आना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया इसलिए मैं आप सब लोगों का मशकूर हूं।

दूसरी चीज, उसको मैं गलतफहमी नहीं कहता बल्कि एक तरह से बर्निंग प्राबलम जो सारे हिन्दुस्तान की है उसका भी लोगों ने जिक्र किया, लेकिन लेजिस्लेशन का यह पीस सिर्फ दिल्ली एपाटमेंट ओनर्स के लिए है। यह जनरल हाउसिंग स्कीम के लिए नहीं है, बल्कि एक चीज जो हो गई है उसमें और सुधार कर रहे हैं। उतने ही का यह बिल है।

दूसरे, आमतौर से करीब-करीब सभी मैम्बर्स ने इस चीज का जिक्र किया कि यह सारे हिन्दुस्तान के लिए होना चाहिए। तो इसमें तो हमारी मजबूरी है। मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि हिन्दुस्तान के करीब दस स्टेट्स ऐसे हैं कि जहां अपार्टमेंट-ओनरशिप है और उसकी सबसे ज्यादा अहमियत कलकत्ता और बम्बई में है। बम्बई में उन लोगों ने पहले ही एपार्टमेंट ओनरशिप बिल पास कर लिया। इस बिल के बारे में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसको ऐज ए माडेल बिल तमाम स्टेट्स में भेज दिया जाय। मैं जिस शहर से आता हूं उस कैपिटल पटना में भी यह बिल नहीं

है। अभी लोगों ने वहां अपार्टमेंट बनाना शुरू किया है। अब वह इस चीज की जरूरत महसूस करेंगे। तो वहां भीऔर बाकी सारे स्टेट्स को भी जहां ऐसा बिल नहीं है, मैं आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी और आप लोगों की तरफ से यह भेज दूंगा और मैं खुद भी जा कर कोशिश करूंगा कि हर जगह इस तरह का जो यह माडेल बिल है वह या जो भी उनकी अपनी डिफिकल्टीज हैं उनको सामने रख कर बिल बनाएं जिससे इस मसले में कुछ आसानी हो जाए।

तीसरी चीज जिसका जिक्र किया हमारे साथी ने कि क्यों नहीं ऐसा मकान जो लोग बनाएं उनसे यह न पूछा जाय कि यह रुपया कहां से लाए? इसका नतीजा यह होगा कि जिनके पास रुपया है जिनको डर है कि हम से पूछा जाएगा कि रुपया कहां से लाए तो वह मकान नहीं बनाएंगे। हिन्दुस्तान में तो यह सभी जानते हैं कि मकान की बहुत किल्लत है और यह सुझाव जो आप लोगों ने दिया है ···(व्यवधान)··· मैं नाम तो नहीं बतलाऊंगा क्योंकि नाम तो मैंने किसी का लिखा नहीं है सिवाय आपका, शान्ताराम जी नायक का और जय प्रकाश अग्रवाल का। लेकिन एक मैम्बर ने कहा जिन्होंने मिलिट्री का भी नाम लिया और इसका नाम लिया कि इस किस्म के मकानात जो लोग बनाएं उनसे पूछा न जाय। यह ऐसी चीज है, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि कह दूं कि उनके पास इनकम टैक्स वाले न जायं। लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिन पर आप अपनी ओपिनियन जाहिर कर सकते हैं। जब वे बोले उसी वक्त मैं सोचने लगा कि कैसे क्या होगा। मैंने मान लिया हमारे रामा राव जी के पास चार करोड़ रुपया है और वे चाहते हैं कि इन्वेस्ट करदें मकान बनाने में तो गवर्नमेंट उनसे पूछेगी नहीं तो ठीक है हम इजाजत अगर दे देते हैं कि आप मकान बनाइए, आप अपने बेटे-बेटी, नाती पोते और आगे आने वालों के लिए भी दस-बीस नामों से बना लें लेकिन बकीया जो हों वह किराए पर लगाइये और उस किराए से जो इनकम हो—मान लीजिए दो-चार करोड़ रुपया लगा कर मकान बना दिए और उसका किराया आता है 50 लाख तो हम इस 50 लाख पर इनकम टैक्स लें और इनसे यह न पूछें कि रुपया कहां से आया था—तो इस चीज पर अपनी-अपनी जगह हर-एक सोचे। मैं आइन्दा के लिए कहता हूं इससे भी हमारी प्राब्लम हल हो सकेगी या नहीं। मान लीजिए जैसे हमारी राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जी यहां पर बैठी हैं, आप जब हरिजनों के लिए क्वैश्चन करते हैं कि उनके लिए यह किया जाए तो उनकी भी मजबूरी होती है क्योंकि उनके डिपार्टमेंट का एमाउन्ट सैंक्शन्ड है, उतने में ही काम करना पड़ेगा। ठीक वही हालत मेरी भी है। वही हाल रेलवेज का है और वही हाल एजूकेशन डिपार्टमेंट का है। लेकिन कुछ काम इस तरह से किए जा सकते हैं इसलिए जो कहा गया है इस पर मैं खासतौर से जोर देता हूं कि आप सोचें। सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, अन्ना डी० एम० के०, कांग्रेस—हर पार्टी के लोग के इस बात को सोचें कि इससे फायदा हो सकता है या नहीं। यह एक चीज है जो आपके सोचने की है लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि कैटागारिकली कहूं कि इनकम टैक्स वाले लोग उनके पास न जायें। लेकिन यह एक चीज है जैसे और बहुत सी स्कीमें हैं, रूरल डेवलपमेंट में जो रुपया इन्वेस्ट करते हैं उनको भी कुछ छूट मिलती है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। यह उनको एक इन्सेंटिव मिला है कि अपना रुपया इन्वेस्ट कीजिए, आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे पास भी एक लिमिटेड एमाउन्ट है, हम आगे तो बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे लेकिन लोगों की ख्वाहिश है कि जल्दी से बढ़ें इसलिए मैं कहता हूं कि इस हाउस में 5-5 लाख, 6-6 लाख के रेप्रेजेन्टेटिव्ज आए हुए हैं सारे लोग अपना दिमाग जोड़ कर

मेजारिटी के साथ अपनी बात रखेंगे तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट को उसे मानने में दिक्कत नहीं होगी लेकिन मैं इस पोजीशन में यहां पर नहीं हूं।

एक दूसरी चीज यहां पर मिलिट्री वालों के बारे में कही गई। अगर मिलिट्री वाले भी अपार्टमेंट लिए हैं तो उनके साथ भी वही होगा। हां, जब रेन्ट कन्ट्रोल का बिल आयेगा उस वक्त इसका प्रावधान किया जाएगा कि अगर कोई मिलिट्रीमैन अपनी पोस्ट से वापिस आता है तो उसको मकान वापिस लेने के लिए दूसरे लोगों की तरह से मुकदमेबाजी में न जाना पड़े। इस पर हम गौर कर रहे हैं। हमारे डिफेन्स स्टेट मिनिस्टर ने भी खत लिखा है, उस पर भी गौर कर रहे हैं लेकिन रेन्ट कन्ट्रोल का बिल जब आएगा तभी हो सकेगा। इस बिल में कुछ पास करने की जरूरत नहीं है।

हाउसिंग के बारे में मैं एक चीज और आपको बता देता हूं। परसों मेरे पास एक सोशल वर्कर गुजरात के आए हुए थे। उन्होंने एक सोसायटी बनाई है जिसका लैण्डलेस लेबरर्स एसोसिएशन जैसा ही कुछ नाम है। मकान बनाने के लिए यह सोसायटी बनाई है। इतने दिन की पोलिटिकल जिन्दगी में मुझे उस दिन उनके साथ बात करके बेहद खुशी का एहसास हुआ। वे मोरारजी भाई की कांस्टीटुएन्सी के हैं कभी उनको कांग्रेस का टिकट मिला था लेकिन 20 हजार वोटों से वे हार गए थे। तब से वे इसी काम में लगे हुए हैं। उन्होंने थोड़े दिनों में चार लाख मकान बनाए हैं और वह भी देहातों में। मैं जिस सूबे से यहां पर आता हूं वहां भी जबसे देश आजाद हुआ है तबसे हरिजनों के लिए कुछ न कुछ मकान बनते थे लेकिन केवल शेड्युल्ड कास्ट वालों के लिए, और यहां पर हमने देखा लैण्डलेस लेबरर चाहे वह किसी बिरादरी का हो—हरिजन हो, मुसलमान हो, धोबी हो—उनके लिए मकान बनाने की कहीं कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां पर उन्होंने बनाए हैं। मैंने पूछा कैसे बनाते हो तो यह हुडको जो दूसरी जगह रुपया देता है वही हुडको उनको भी रुपया देता है। वे कहते हैं, मैं आता हूं और इनको कहता हूं कि हमने यह स्कीम बनाई है, आप रुपया दे दो। वे रुपया दे देते हैं। हम ले जा कर गवर्नमेंट दे देते हैं। गवर्नमेंट अपने पंचायत परिषद् को दे देती है। स्कीम के मुताबिक पंचायत परिषद् ताल्लुका परिषद् को दे देती है। हम लोगों के सोशियल वर्कर जाते हैं और लोगों से कहते हैं, जिनका मकान बनेगा, कि आपको 250 रु० या उतनी ही लेबर देना अनिवार्य होगा। वे लोग इतनी खुशी से देते हैं कि आप इसका अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। वे कहते हैं, आपके पार्लियामेंट के मैम्बर देखना चाहें, तो ले जाइए। मैं सोचता हूं कि चल करके हम लोगों को देखना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि हम जाते हैं, लेकिन जो वर्क डवेलप हो रहा है, उसको कोई पूछता नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर इस किस्म की चीज हो, हर मैम्बर अपनी जगह को-आपरेटिव लैंडलैस लेबर बना लें, तो उसको रात को भी सोने का मौका नहीं मिलेगा, लोगों का वर्क करने के लिए। लेकिन इसमें बिल चाहिए। हुडकों के पास रुपया है, वह रुपया भी खर्च नहीं होता है। हमारे पास इतना रुपया नहीं है, हम अपने हाथ से बनाएं। बनाएगा कौन? मान लिया कि सोसायटी, तो हमने कहा कि रिटर्न कैसे देते हैं? मकान तो बन गया और उसने मकान ले लिया, लेकिन उसको भी तो देना है। वे लोग कहते हैं कि 80 परसेंट लोग जो पहले मकान बने हुए हैं, उन्होंने हमको पिछले साल रिटर्न दे दिया। मान लीजिए उसको डेढ़ सौ रुपया देना है, तो उसने डेढ़ सौ रुपया इन्स्टालमेंट का दे दिया। अगर इस चीज को हम हिम्मत के साथ करें, तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। एक तो आप इस चीज का ख्याल रखिए।

दूसरी बात यह कि जिनके पास रुपया है, वह खर्च नहीं कर रहे हैं, इस पर भी सब लोगों को विचार करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि यह कांग्रेस पार्टी का विचार है या फलां पार्टी का विचार है, तो हम नहीं मानेंगे। इस पर सब लोग सोचिए। एक समस्या है, नेशनल समस्या है। नेशनल समस्या सिर्फ हाउसिंग की ही नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, जिस पर हम लोग इतमिनान से सोच सकते हैं। हाउसिंग का स्कीम कैसा हो, आइन्दा के लिए कैसा होगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इस बिल से हाउसिंग प्राबलम का ताल्लुक नहीं है।

श्री अब्दुल गफूर : वहीं मैंने कहा है। मैंने कहा है कि इस चीज का लोगों ने जिक्र किया है, इसीलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री के० एस० राव : स्टाम्प ड्यूटी के बारे में कहिए।

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक स्टाम्प ड्यूटी का सवाल है, इस बिल के जरिए हम लोगों को यह अख्तियार होगा कि रूल बनाने के वक्त उसमें इनकारपोरेट करेंगे। इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात बहुत से माननीय सदस्यों ने इंसपैक्टर या डायरेक्टर कौन लोग इसको देखेंगे, इस बारे में कहा है। जिस अपार्टमेंट में जितने लोग होंगे, वही उसमें मैम्बर होंगे और वे अपने आप चुन लेंगे। कौन रहेगा, कौन देखने वाला रहेगा। इसमें लिटिगेशन की क्या जरूरत है। मैजोरिटी से जो चाहें कर लें। लेकिन सरकार की तरफ से बोर्ड बना देंगे तो नतीजा यह होगा कि माइनोरिटी से या मैजोरिटी से जो चाहेगा, वैसा करेगा। यह हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो मालिक हैं, वे बाइलॉज बना कर भेज दें। यहां बाइलाज का जिक्र क्यों आया? इसलिए आया कि अगर कोई नहीं करता है, तो गवर्नमेंट-बिल-स्टैप-इन। गन्दगी न फैले। इसलिए इस चीज का जिक्र किया। आप बना कर भेज दीजिए कि क्या जरूरी है। हमलोगों को कोई शौक लगा हुआ है कि अपनी तरफ से थोपा जाए। को-आपरेटिव सोसाइटी जो बाइलाज बनाए है, वह गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं। फिर कैसे गवर्नमेंट की तरफ से बनेगा। जो सोसाइटी के मैम्बर होंगे, वेजिस तरह से चाहें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आफिसर को बम्बई भेजा था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अभी तो 50 रुपया देना पड़ेगा, सौ रुपया देना पड़ेगा, लेकिन वहां पांच सौ रुपया लोग बड़ी खुशी के साथ देते हैं, उसको मैनटेन करने के लिए। एक माननीय सदस्य ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही। बेसिकस्ट्रक्चर फ्लैटस में क्या हो सकते हैं—सीढ़ी।

एक बात हम कहते हैं आप ने भी इसका जिक्र किया है।···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

आध्यक्ष महोदय : लिफ्ट के बारे में क्या ख्याल है?

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : लिफ्ट अगर खराब हो गई, तो ऊपर वाले नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे, तो चढ़ते-चढ़ते बहुत से लोगों का हार्ट फैल हो जाएगा। यह बेसिक चीज हुई।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : बेसिक बात यह है कि जो प्रोमोटर है, उसकी गलती का पैसा फ्लैट ओनर क्यों दे। सवाल यह है?

श्री अब्दुल गफूर : बिल्डर तो चला गया बना कर। जो उसने बनाया, वह हम को दे दिया अब हम उसके मालिक हो गए। हम जैसा चाहेंगे उसका यूज करेंगे। आप रोज शीशे तोड़ते रहिये और कहते रहिये कि इस को बनाते रहो, तो क्या वह जिन्दगी भर इनको बनाता रहेगा। ऐसा नहीं है, न डी०डी०ए० में है और न कहीं और है। आप अपने घर की हिफाजत कीजिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : यह कानून लोगों के बीच का बना रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : हम बीच, बीच नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बिल्डर ने बना दिया और आप लोगों ने ले लिया और उस के मालिक हो गए। बिल्डर जो है, वह क्या रात दिन उसको देखता रहेगा। आप उसकी हिफाजत कीजिए। न जरूरत हो, तो उसमें मत जाइए। बिल्डर ने अपना काम कर दिया, उसने एक बिल्डिंग बना दी और उसके बाद दूसरी बिल्डिंग बनाएगा और हम फिर उसको लेंगे। उसको बना कर वह तीसरी और चौथी बिल्डिंग बनाएगा और उससे कुछ इन्कम करेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्डर सेवा की खातिर यह करता हो। वे मेहनत करते हैं और उससे कुछ प्रोफिट कमाते हैं। अब बिल्डर से यह कहा जाए कि हमेशा इसको बनाते रहो, तो कोई बिल्डर नहीं बनाएगा। हम रोज कुर्सी तोड़ते रहें या शीशे तोड़ते रहें, और उस से कहें कि इसको बनाओ तो यह गलत बात है। ये मेन चीजें थीं, जिनका जिक्र किया गया।

हमारे भाई साहब ने काफी इसमें इन्ट्रेस्ट लिया लेकिन मैं समझता हूं कि इनके एमेंडमेंट में कोई खास बात नहीं है। हमारे जो बिल के फ्रेमर हैं, उन्होंने बहुत सोच-समझकर इसको बनाया है और बहुत सी चीजों का जवाब मैं एक-एक लाइन में दे सकता था लेकिन इसकी जरूरत नहीं समझता। एक चीज इन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में कही। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि बाद में जब हम लोग रूल्स बनाएंगे, तो देखेंगे कि क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा और उस वक्त हम इस चीज को देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : पंजीकरण अधिनियम मौजूद है। इसे नियम के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री अब्दुल गफूर : इस सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने के लिए केन्द्र सरकार को खण्ड 25 में अधिकार दिये गये हैं। इसकी बाद में जांच की जायेगी।

श्री के० एस० राव : खण्ड 2 के माध्यम से आप एक बार फिर पंजीकरण अधिनियम, 1908 को लागू कर रहे हैं। यह परस्पर विरोधी है। आप पंजीकरण को समाप्त करने के लिए नियम में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले जब आपने भूमि का पंजीकरण किया था तो आपने भवन के लिए पंजीकरण शुल्क नहीं लिया था लेकिन अब जब आप फ्लैट्स का पंजीकरण करेंगे तो आप 11 प्रतिशत अतिरिक्त लगायेंगे। इस प्रकार उन्हें दण्डित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : इसको हम ध्यान में रखेंगे।

[अनुवाद]

आप इसकी चिन्ता मत कीजिये। मैंने 80 प्रतिशत से अधिक संसद सदस्यों को भूमि दी है। वे 'ग्रुप हाउसिंग' के अन्तर्गत निर्माण कर रहे हैं। आप उनकी क्यों चिन्ता करते हैं ?

[हिन्दी]

इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा सिम्पिल बिल है और हर सैक्शन से इसकी तारीफ हुई है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : तकलीफ यही है कि यह बहुत सिम्पिल बिल है।

3.00 म०प०

श्री अब्दुल गफूर : ला की ड्यूटी यह है, जैसे हमारे डागा साहब ने कहा था लेकिन वह समझ गये नाटविदस्टैंडिंग।

[अनुवाद]

आप नियम को अत्यन्त साधारण बनायें ताकि आम आदमी भी इसे समझ सके।

[हिन्दी]

अदरवाइज वह तो जानते ही हैं। लोगों ने कहा—

[अनुवाद]

वे लोग बेवकूफ हैं जो वकीलों को अमीर बनाते हैं।

[हिन्दी]

हम लोग इसमें फूल नहीं बने, जरा चालाकी किए हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप इसको पास करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी बहुमंजिला भवन में एकल अपार्टमेंट के स्वामित्व के लिए और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित के लिए और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दायित्वयोग्य और अन्तरणीय बनाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगीक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खण्ड 3—परिभाषाएं

श्री के० एस० राव (मच्छलीपटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 6,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए,—

"और जैसा कि अपार्टमेंट विलेख में विनिर्दिष्ट है।" (1)

पृष्ठ, पंक्ति 37,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए,—

"जैसाकि संप्रवर्तक द्वारा अपार्टमेंट विलेख में सामान्य उपयोग हेतु निहित किया जाये।" (2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 39,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"जैसाकि संप्रवर्तक द्वारा अपार्टमेंट विलेख में सामान्य उपयोग हेतु निहित किया जाए।" (3)

पृष्ठ 4, पंक्ति 8,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाय,—

"जैसाकि संप्रवर्तक द्वारा अपार्टमेंट विलेख में सामान्य उपयोग हेतु निहित किया जाये।" (4)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 20 और 31 **के स्थान पर निम्नलिखित—प्रतिस्थापित किया जाये--**

(प) "व्यक्ति" के अन्तर्गत व्यक्तिक, कोई संयुक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का कोई संगम, कोई फर्म, कोई कम्पनी है जो इसके अन्तर्गत सामूहिक आवास सहकारी सोसाइटी भी है;" (5)

पंक्ति 24 से 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

(ब) "संप्रवर्तक" से, यथास्थिति ऐसा प्राधिकरण या व्यक्ति या कोई संयुक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का कोई संगम या कोई फर्म या कोई कम्पनी कोई सामूहिक आवास सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसने किसी बहुमंजिला भवन का सन्निर्माण किया है;" (6)

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 16,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"अथवा आवास सहकारी समिति" (15)

पृष्ठ 5, पंक्ति 9,—

'चार' के स्थान पर 'दो' प्रतिस्थापित किया जाये। (16)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, आपको खण्ड 3 के अपने संशोधनों के बारे में और कुछ कहना है ?

श्री के० एस० राव : जी हां श्रीमान। खण्ड 3 में मेरा संशोधन कोई अधिक कठिन नहीं है। विधेयक में सरकार ने स्वयं ही 'परिभाषा' के अन्तर्गत अन्तिम पंक्ति में उप-धारा (ङ) में "जैसाकि अपार्टमेंट विलेख में विनिर्दिष्ट है" का उपबन्ध किया है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकार भी इस बात को महसूस करती है कि क्रेता को कठिनाई न हो इसलिए इस वाक्य की जरूरत है। अतः मैं चाहता हूं कि इसी बात को उपधारा 2(ग) में भी सम्मिलित किया जाये। अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार का आशय भी मालिक के अधिकारों को स्पष्ट करने का है। श्रीमान मंत्री महोदय को खण्ड-3 का अध्ययन करने दीजिये जिसमें उन्होंने "अपार्टमेंट विलेख में विनिर्दिष्ट है" कि उल्लेख किया है और यही बात मैं 2(ग), के अन्तर्गत लाना चाहता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय मेरा यह कहना है कि बहु-मंजिले भवन का अर्थ चारा मंजिला भवन ही नहीं, बल्कि दो मंजिला भवन भी है। यह दो मंजिला भवन भी हो सकता है।

[हिन्दी]

अगर दो स्टोरीज का मकान है तो एक अपार्टमेंट को एक आदमी ले लेगा, दूसरे अपार्टमेंट को दूसरा आदमी ले लेगा। आपने इसमें फौर क्यों रखा है ? अब आपका मकसद यह है कि कोई भी हक

प्राप्त कर सकता है तो आपने इस लिस्ट की क्लाज तीन में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो है, उसमें हमारे दो अपार्टमेंट हैं एक के ऊपर एक तो आप चार क्यों रखते हैं आपका इरादा साफ है कि एक अपार्टमेंट को बेच सकता है। इसलिए आपको इस क्लाज में 'चार' की जगह 'दो' कर लेना चाहिए। आप एक सिम्पल ला बनाना चाहते हैं और इसमें आपने चार कर दिया है। क्या चार अपार्टमेंट बनाने वाला ही मालिक होगा, दो बनाने वाला नहीं होगा? एक अपार्टमेंट नीचे है, एक ऊपर है। अगर आप इसे 'दो' करना ठीक समझें तो मान लें।

श्री अब्दुल गफूर: आप चाहते हैं कि क्लाज तीन में 'फ्लोर' को 'टू' से सब्स्टीच्यूट किया जाए।

[हिन्दी]

'बहुमंजिले भवन' का अर्थ है किसी भूमि पर बनाया गया एक ऐसा भवन जिसमें चार या अधिक अपार्टमेंट अथवा दो या अधिक भवन हों…"

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा: एक मकान बना लिया, उसके ऊपर बना लिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री डागा, आप इसे समझ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा: एक आपने बनाया, एक आपके स्टेट मिनिस्टर ने बनाया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राव, क्या आप अपने संशोधन को वापिस ले रहे हैं?

श्री के० एस० राव: श्री हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा की यह राय है कि श्री के० एस० राव द्वारा क्लाज 3 में प्रस्तावित संशोधनों को वापिस लिया जाए?

कुछ माननीय सदस्य: हां।

संशोधन संख्या 1 से 6 तक की अनुमति से, वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री डागा, क्या आप अपने संशोधन वापिस ले रहे हैं?

श्री मूल चन्द डागा: जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की राय है श्री मूल चन्द डागा द्वारा खण्ड 3 में प्रस्तावित संशोधन को वापिस लिया जाए ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

संशोधन संख्या 15 और 16, सभा की अनुमति से, वापिस लिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4—अपार्टमेंट का स्वामित्व

श्री के० एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 5,—

"सम्बन्ध में" **के पश्चात** "उस बहुमंजिला भवन के पूर्णतः सन्निर्मित हो जाने पर" **अन्तः स्थापित किया जाए ।** (7)

पृष्ठ 6, पंक्ति 6,—

"का स्थायी स्वरूप होगा" **के स्थान पर** "उस बहुमंजिला भवन के पूर्णतः सन्निर्मित हो जाने पर ही स्थायी स्वरूप की होगी" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (8)

पृष्ठ 6, पंक्ति 7 और 8—

"सभी अपार्टमेंट स्वामियों" **के स्थान पर** "बोर्ड" **प्रतिस्थापित किया जाए ।"** (9)

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 7 और 8,—

"सभी अपार्टमेंट स्वामियों" **के स्थान पर** "संप्रवर्तकों" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (17)

पृष्ठ 6 पंक्ति 27,—

"स्वामी संगम" **के पश्चात्** "या आवासीय सहकारी समितियों" **अन्तः स्थापित किया जाए ।** (18)

श्री के० एस० राव : खण्ड 4(3) में प्रावधान है :

"प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपार्टमेंट के अनन्य स्वामित्व और कब्जे का हकदार हो जाता है, सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में, अविभक्त हित की उतनी प्रतिशतता का हकदार होगा, जो अपार्टमेंट विलेख में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी प्रतिशतता की संगणना, सम्पत्ति के मूल्य के सम्बन्ध में अपार्टमेंट के मूल्य का आधार मानकर की जाएगी ।"

यदि सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में, अविभक्त हित की प्रतिशतता का अपार्टमेंट के पूर्णत: निर्मित होने से पहले निर्णय किया जाए, तो यह ठीक नहीं होगा । बाद में किसी और भवन का निर्माण भी किया जा सकता है। इससे अपार्टमेंट के स्वामियों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी शुरू हो जाएगी, और हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हो पाएगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि "सम्बन्ध में" के पश्चात् "उस बहु मंजिला भवन के पूर्णत: सन्निर्मित हो जाने पर" अन्त:स्थापित किया जाए ।

इससे एक ही भवन में रहने वाले व्यक्तियों में मुकदमेंबाजी और अनावश्यक झगड़े कम होंगे जो अन्यथा कैदी और भ्रातत्व की भावना के साथ रह सकेंगे । वर्तमान रूप में है, उससे यह साझा क्षेत्रों के ऊपर अधिकार की प्रतिशतता के प्रश्न पर उनके बीच वैमनस्य उत्पन्न कर देगा ।

3.08 म०प०

[श्री शरद विघे पीठासीन हुए]

इसे मद्देनजर रखते हुए, मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन में उल्लिखित शब्दों को पृष्ठ 6, पंक्ति 5 में "सम्बन्ध में" के पश्चात्, अन्त:स्थापित किया जाए ।

संप्रवर्तक, अपार्टमेंटों का निर्माण कार्य शुरू होते ही उन्हें बेचना शुरू कर देंगे । जिस मूल्य पर शुरू में वह बेचता है, अन्त में मूल्य उतना ही रहे, आवश्यक नहीं है । निर्माणविधि के दौरान ही विक्री मूल्य, मांग को देखते हुए तथा अन्य कारणों के कारण, समय-समय पर बदलता रहता है । और, इसीलिए, यदि आप अपार्टमेंट के विलेख में पूर्णत: सन्निर्मित होने से पूर्व साझे क्षेत्रों में हित की प्रतिशतता का निर्णय करें तो इससे अनावश्यक झगड़े और मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी । इसीलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाए ।

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, मैंने खण्ड 4 में इन दो संशोधनों का प्रस्ताव रखा है । खण्ड 4 (क) इस प्रकार पठित है :

> "प्रत्येक अपार्टमेंट स्वामी का साझा क्षेत्र और सुविधाओं में अविभक्त हित की प्रतिशतता का स्थायी स्वरूप होगा और उसे अपार्टमेंट स्वामियों की लिखित सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।"

मैं चाहता हूं कि "सभी अपार्टमेंट स्वामियों" के स्थान पर "संप्रवर्तकों" शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए । मान लीजिए, एक संप्रवर्तक है या एक आवासीय समिति है या कोई संगठन है, जिसने पांच मंजिले भवन का निर्माण किया है । वे भवन के संप्रवर्तक हैं । यदि एक व्यक्ति कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए संप्रवर्तक की अनुमति लेनी आवश्यक है । अपार्टमेंट के सभी स्वामियों की लिखित सहमति लेना कैसे सम्भव है ? यह संभव नहीं है क्योंकि साझा क्षेत्र एक स्थायी रूप धारण कर लेंगे । इसीलिए मैं कहता हूं कि संप्रवर्तकों की लिखित सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । अन्ततः आपको संप्रवर्तक की अनुमति लेनी होगी । अन्यथा आप पूरे भवन में परिवर्तन कर लेंगे । मान लीजिए छः अपार्टमेंट हैं और उन छः में से तीन स्वामी उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं । उनको संप्रवर्तक की अनुमति लेनी पड़ेगी ।

श्री अब्दुल गफूर : क्यों ?

श्री मूल चन्द डागा : क्योंकि वह मुख्य व्यक्ति है । उसने पूरा अपार्टमेंट अन्तरित नहीं किया है । यदि यह अनुमति नहीं मिलती तो इस दशा में क्या होगा ?

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : डागा जी तो बहुत दूर की बातें कर रहे हैं । यह तो दिल्ली अपार्टमेंट ओनरशिप बिल है । अब जब ओनरशिप लोगों की हो गई, लोगों ने उसको ले लिया, उसके बाद से उनके अलग-अलग राईट्स हैं, उसके लिए है । मान लिया कोई बिल्डर बना रहा है और उसको दस मंजिल बनानी हैं; चार मंजिल तक बना दिया है, आगे बढ़ रहा है, चार मंजिल में भी लोग आ गए, उसको दे दिया किराए पर··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : आप ही रोकें तो बनाना छोड़ देना ।···(व्यवधान)···आप सुन लीजिए ।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : तब आप स्थायी रूप नहीं दे सकते ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : आप भी यह कमेंजिएगा कि हमेशा के लिए रोक दीजिए । डर को देकर आप दस साल नहीं बनाते हैं, इसीलिए जो लोग मकान के अन्दर चले गए, वे ही रीयल ओनरर्स हैं ।

[अनुवाद]

वे ही बहुमंजिले भवनों के असली स्वामी हैं ।

[हिन्दी]

डागा जी को तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो रुपया जमा हुआ है और रुपया मिल गया है ।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, आप मामले को समझ नहीं पाए हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है । मैं अभी भी अनुरोध करता हूं कि "अपार्टमेंट स्वामियों" शब्दों के पश्चात "अथवा आवासीय सहकारी समितियां" शब्द अन्तःस्थापित किए जाए, क्योंकि आवासीय समितियां बहुत हैं और यदि आप यह शब्द नहीं रखते तो इससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी ।

श्री अब्दुल गफूर : सरकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों के अपने नियम और विनियम हैं।

[हिन्दी]

यह जो है, इसके लिए है कि जो को-आपरेटिव सोसाइटीज न हों, आपने बनाया, आपने जा कर लिया, एक इन्डीविजुअल और वह चीज उन लोगों के लिए भी है, उसी तरीके से जैसे आपका सिंगल हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी है, उसका भी वही होगा जो आप पर होगा एक इन्डीविजुअल। उसके मैम्बर अगर कोआपरेटिव सोसाइटी के अपना खासतौर से उसमें कुछ चाहते हैं कि इस तरह से मैनेज करें।

[अनुवाद]

वे उसे अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। उन्हें इसकी पूरी स्वतन्त्रता है। किसी व्यक्ति को भी फायदा हो सकता है। यह साधरण सी बात है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इस तरह की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आगे चर्चा नहीं होगी। श्री राव, आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं या आप चाहते हैं कि इस पर सदन में मतदान कराया जाए? आप क्या कहते हैं? श्री डागा, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : जी हां, श्रीमान।

सभापति महोदय : क्या सभा दो संशोधन संख्या 17 और 18 वापस लेने की अनुमति देती है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, श्रीमान।

संशोधन संख्या 17 और 18 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

सभापति महोदय : श्री राव, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री के० एस० राव० : जी हां, श्रीमान।

सभापति महोदय : क्या सभा तीन संशोधन संख्या 7, 8 और 9 वापस लेने की अनुमति देती है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, श्रीमान।

संशोधन संख्या 7, 8 और 9 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5—अपार्टमेंट का दाययोग्य और अन्तरणीय होना

सभापति महोदय : श्री डागा। क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, श्रीमान्। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 30,—

"रहते हुए" **के पश्चात** "सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में किसी बात के होते हुए भी" **अन्तःस्थापित किया जाए।** (19)

विधेयक के अनुसार "धारा 6 के उपबंधों के अधीन ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित सहित प्रत्येक अपार्टमेंट सभी प्रयोजनों के लिए, दाययोग्य और अन्तरणीय स्थावा सम्पति सम्मिलित होगी।"

मेरा कहना यह है कि इसके स्थान पर आप कृपया 'सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में किसी बात के होते हुए भी' अन्तःस्थापित करें। जब तक कोई व्यक्ति अपना मकान नहीं बेचता है और जब तक किसी सिविल न्यायालय में विभाजन का कोई मुकदमा नहीं ले जाया जाता है और सिविल न्यायालय यह निर्णय नहीं देता है कि यह भाग 'क' का है और यह भाग 'ख' का है, तब तक आप कृपया "सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में किसी बात के होते हुए भी" अन्तःस्थापित कर दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी और अधिक लोगों को न्यायालय जाना पड़ेगा। अतः इसे विधेयक में रख दें। इससे किसी को हानि नहीं होगी।

श्री अब्दुल गफूर : खण्ड 24 में, जो कि सामान्य खण्ड है···

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : इसमें कोई सामान्य खण्ड नहीं है।

श्री अब्दुल गफूर : खण्ड 24 में, जो एक सामान्य खण्ड है यह निर्धारित किया गया है कि "उस समय किसी विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी" इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाए।

श्री मूल चन्द डागा : आप इस बात को अवश्य ही समझ रहे होंगे, यह बहुत छोटी बात है। कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पति को तब तक अंतरित नहीं कर सकता है जब तक···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे उम्मीद है आप इसे वापस ले रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : जी हां।

सभापति महोदय : क्या सभा संशोधन (19) को वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, श्रीमान ।

संशोधन संख्या 19 सभा की अनुमति वापस ले लिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 8—पुनः प्रवेश का अधिकार

श्री के० एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 27,—

"ऐसे प्रारम्भ के तीन मास के भीतर, या" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"उस तारीख से, जिसको ऐसे बहुमंजिला भवन में अपार्टमेंट का कब्जा उसे दिया गया है; तीन मास के भीतर; या" (10)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 33 से 37 का लोप किया जाए । (11)

खण्ड 8(क), इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सन्निर्मित बहुमंजिला भवन की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के तीन मास के भीतर, परन्तु यदि आप वही खण्ड 8(ख) पढ़िए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् सन्निर्मित बहुमंजिला भवन की दशा में उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको ऐसे बहुमंजिला भवन में किसी अपार्टमेंट का कब्जा उसको परिदत्त किया जाता है । यह ठीक है अर्थात् जब तक उसे कब्जा नहीं दिया जाता है, तब तक संभावित क्रेता के साथ उप-पट्टा करार कैसे किया जा सकता है ? यह भी संभव है । अतः कब्जा दिए बिना और पंजीकरण से पूर्व यदि वह एक बार उप-पट्टा करार कर लेता है, तो इससे जटिलताएं पैदा होंगी । अतः मेरा कहना है कि :

"इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सन्निर्मित बहुमंजिला भवन की दशा में···" के बाद "ऐसे प्रारम्भ के तीन मास के भीतर" के स्थान पर :

"उस तारीख से, जिसको ऐसे बहुमंजिला भवन में अपार्टमेंट का कब्जा उसे दिया गया है; तीन मास के भीतर; या" होना चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी युक्तियुक्तता की जांच करें और इस विधेयक को संशोधनों के बिना पारित करने पर जोर न दें । (व्यवधान) इसे वे अपना संशोधन बना लें । वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसा कर दिया गया है । यह अपार्टमेंट के स्वामियों के हित में है । अतः मंत्री महोदय को यह बात मान ही लेनी चाहिए । यहां इसे लागू करने का प्रश्न नहीं है । यदि

आवश्यक हो, तो वे ही इसे पुर:स्थापित कर दें और हम इसे स्वीकार कर लें। हम कल उनके लिए समस्याएं क्यों पैदा करें? (व्यवधान) मैं पृष्ठ 7 पर खण्ड 8, पंक्ति 26 के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री अब्दुल गफूर : कृपया खण्ड 8(1)(क) और (ख) देखिए जहां 'प्रारम्भ' शब्द प्रयोग किया गया है।

श्री के० एस० राव : जी हां, यह इस अधिनियम के प्रारम्भ के संबंध में है। यदि यह पहले ही दे दिया गया है, तो आप इसे तीन मास के भीतर लागू कर सकते हैं। यदि यह पहले से नहीं दिया गया है.....

सभापति महोदय : इस प्रकार निजी वार्तालाप नहीं कीजिए। आप अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए; अपना संशोधन पेश कीजिए, और कृपया बैठ जाइए।

श्री अब्दुल गफूर : महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि वे क्या चाहते हैं और कहां पर। यह खण्ड उन पुराने अपार्टमेंटों के संबंध में है जो प्रस्तावित अधिनियम के प्रारम्भ से पहले के बने हुए हैं।

श्री के० एस० राव : जी हां, परन्तु निर्माणाधीन कौन-से हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

श्री अब्दुल गफूर : विधेयक में दिया गया उपबन्ध आपके प्रस्ताव से अधिक उपयुक्त लगता है। अत:, इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय : श्री राव, क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री के० एस० राव : जी हां।

सभापति महोदय : क्या श्री राव को अपना संशोधन वापस लेने हेतु सभा अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 10 और 11 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 9 और 10 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 और 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

(खण्ड-11—प्रतिषिद्ध किए गए कुछ कार्य

श्री के० एस० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 11, पंक्ति 3 और 4,—

"अपार्टमेंट के अन्य सब अपार्टमेंट स्वामियों" **के स्थान पर** "बोर्ड" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (12)

विधेयक के पृष्ठ 11 की पंक्ति 1 में कहा गया है :

"कोई अपार्टमेंट स्वामी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे सम्पति की स्थिरता···"

और आगे कहा गया है :

"···या अपार्टमेंट के अन्य सब अपार्टमेंट स्वामियों की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना कोई अतिरिक्त तलकक्ष या तहखाना नहीं खोदेगा।"

अब एक लोकतंत्र में, आप स्वयं किसी बहुमत वाले निर्णय या दो-तिहाई या तीन-चौथाई बहुमत वाले निर्णय को स्वीकार करते हैं। यदि 200 अपार्टमेंट स्वामियों में से एक अपार्टमेंट का स्वामी पूरे परिसर के लिए समस्या पैदा करना चाहता है, तो वह अत्यधिक क्षति पहुंचा सकता है। मैं स्पष्ट बहुमत द्वारा स्वीकार किए जाने के विरुद्ध नहीं हूं। जब अपार्टमेंट स्वामी अपना एक बोर्ड गठित कर रहे हैं तो आप यदि आवश्यक हो तो एक पृथक खण्ड पर बल दे सकते हैं और कह सकते हैं कि अपार्टमेंट स्वामियों में से 4/5 इससे सहमत होने चाहिएं। परन्तु आप यह नहीं कह सकते हैं कि सभी अपार्टमेंट स्वामी सहमत होने चाहिएं। इस सम्बन्ध में हमें अनुभव है, और यदि आप इस बात पर बल देते हैं कि सभी बातों के सम्बन्ध में सभी अपार्टमेंट स्वामी सहमत होने चाहिएं, तो आप एक बार फिर उनमें तनाव पैदा कर देंगे। अतः, मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि कृपया 'बोर्ड' शब्द जोड़ने को सहमत हो जाएं। यदि आप बोर्ड से सन्तुष्ट न हों, तो आप कम-से-कम और संशोधन ला सकते हैं। (**व्यवधान**) बोर्ड का गठन अपार्टमेंट स्वामियों के बहुमत से किया जाएगा।

श्री अब्दुल गफूर : अपार्टमेंट के मालिकों द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया है। उनको कठिनाईयों का सामना करने दीजिए क्योंकि यही वे लोग हैं जिन्होंने बोर्ड का गठन किया है। हमें इसकी चिन्ता क्यों करनी चाहिए ? मान लीजिए यदि कोई मालिक शरारत करना चाहता है, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ ?

उनको निर्णय करने दीजिए और बहुमत के द्वारा वे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए।

श्री के० एस० राव : मैं बहुमत वाली बात से सहमत हूं सभी अपार्टमेंट मालिकों वाली बात से नहीं।

श्री अब्दुल गफूर : जब अपार्टमेंट के मालिकों द्वारा बोर्ड का गठन किया गया है तो यह बोर्ड की जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय : क्या श्री के० एस० राव ने अपने संशोधन संख्या 12 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति ली है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां, श्रीमान् जी।

संशोधन संख्या 12 सभी की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : श्री मूल चंद डागा, क्या आप खंड 12 पर अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : नहीं महोदय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13—अपार्टमेंट विलेख की विषय-वस्तु

श्री के० एस० राव मैं प्रस्ताव करता हूं :

(i) पृष्ठ 12, पंक्ति 5,—

"आबंटन" **का लोप किया जाए।**

(ii) पंक्ति 7,—

"किसी आबंटन" **का लोप किया जाए।**

(iii) पंक्ति 8,—

"आबंटन" **का लोप किया जाए।**

(iv) पंक्ति 10,—

"आबंटन" **का लोप किया जाए।** (13)

पृष्ठ 13, पंक्ति 17 और 18,—

"छह मास से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो वह विनिर्दिष्ट करे," **के स्थान पर** "ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी उचित समझे", प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधनों को पेश ही करना चाहते हैं अथवा उन्हें वापस लेना चाहते हैं ?

श्री के० एस० राव : मैं उन्हें वापस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या श्री के० एस० राव ने अपने संशोधन संख्या 13 और 14 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति ली है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां, श्रीमान् ।

संशोधन संख्या 13 और 14 सभा की अनुमति से वापस लिए गए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्तावित स्वीकृत हुआ

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 14 पर कोई संशोधन नहीं है । मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ा दिया गया ।

सभापति महोदय : श्री मूल चंद डागा जी, क्या आप खंड 15 पर अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : नहीं, श्रीमान् ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 16 से 27 पर कोई संशोधन नहीं है । मैं इन्हें सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 से 27 तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 से 27 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र, विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री अब्दुल गफूर : मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

श्री मूल चंद डागा : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पारित किया गया :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : मैं औचित्य के प्रश्न की बात कर रहा हूं। वह माननीय सदस्य जिन्होंने अपने संशोधन पेश किए हैं और बाद में अपने संशोधन वापस ले लिए हैं, उनके इस विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। (**व्यवधान**) आपने इस मामले में अपना फैसला नहीं दिया है कि क्या आप औचित्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

सभापति महोदय : इसमें औचित्य की कोई बात नहीं है। मैंने उनको बोलने की अनुमति दे दी है।

[**हिन्दी**]

श्री मूल चंद डागा : सभापति जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता अगर आप अभी भी ठीक समझें तो, कि 57 के अन्तर्गत आपने लिखा है —

[**अनुवाद**]

"इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को सभा पटल पर रखा जायेगा।"

[**हिन्दी**]

और आपने क्लॉज-बाई-क्लॉज सारे बाइलाज बनाए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि—

[**अनुवाद**]

"नियम तथा अधिनियम···उनको भी···" (**व्यवधान**) आप नियम 234 को देखिए। इसमें यह लिखा है :

"जहां एक विनियम अथवा नियम अथवा उपनियम।"

अतः, उन्हें उपविधि तथा 'उपनियम' शब्दों को भी अवश्य अन्तःस्थापित करना चाहिए। अन्यथा यह होगा कि उपविधियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया जाएगा और यदि इनको सभा पटल पर नहीं रखा जाएगा तो मेरा यह कर्तव्य है कि यह बात जानकारी में लाई जाए कि मंत्री महोदय को कम से कम उपविधि को पेश करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है इसलिए इसे इस विधेयक में अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए। अन्यथा इससे समस्या उत्पन्न होगी। अतः उन्हें इसे अवश्य पेश करना चाहिए। इससे नुकसान क्या है? यदि उन्हें कोई सलाह देता है तो यह उचित है। इसके लिए विधि विभाग है। वह उन्हें सलाह दे सकता है।

श्री अब्दुल गफूर : यह विधि से सम्बन्धित मामला है। इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

[**हिन्दी**]

डागा साहब को हमने अब समझा है, उन्होंने बाई-लाज का जिक्र किया है। बाई-लाज तो हाउस ओनर्स और को-आपरेटिव वाले बनाएंगे।

[अनुवाद]

वे केवल आदर्श (मॉडल) उपविधि होंगे। आदर्श उपविधि का यह अर्थ नहीं कि वह एक वास्तविक उपविधि है।

श्री मूल चंद डागा : उपविधि का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए उपविधियां। ये उपविधियां इस अधिनियम के अन्तर्गत आएंगी और उन्हें सभा पटल पर रखा जाएगा। आपने इसे खंड में शामिल नहीं किया है।

श्री अब्दुल गफूर : इन्हें सभा के पटल पर रखा जाएगा। घर में रह रहे एक व्यक्ति को भी···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मूल चंद डागा : मेरी बात सुनिए।

[अनुवाद]

अधिनियम के अन्तर्गत यदि नियम तथा उपविधियां बनाई जाती हैं तो उन्हें सभापटल पर रखा जाना चाहिए। खंड 23 में कहा गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को सभा पटल पर रखा जाएगा। मेरा कहना है कि इसमें 'उपविधियों' को भी शामिल किया जाए। प्रक्रिया नियमों के नियम 234 में कहा गया है कि प्रत्येक नियम, विनियम, उपविधि को सभा पटल पर रखा जाएगा। यह एक अनिवार्य उपबंध है। अन्यथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात को अपके ध्यान में लाएगी और आपको इसमें संशोधन करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

"**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**"

3.32 म०प०

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार संशोधन) नियम सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : केन्द्रीय मंत्रियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 और इसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम अर्थात् मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 द्वारा शासित होते हैं।

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के नियम 3 में यह व्यवस्था थी कि प्रधान मंत्री को 28 मई, 1964 से और मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को 12 अगस्त, 1952 से प्रतिमाह 500 रुपए अतिथेय भत्ता मिलेगा ।

मंत्रियों के सम्बलम तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 76) के 26-12-1985 से लागू होने के फलस्वरूप, प्रधान मंत्री, मंत्रिमडल के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री क्रमश: 1500 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपये तथा 300 रुपए प्रतिमाह अतिथेय भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अत: मुख्य नियमों की धारा 1 तथा नियम 3 अप्रभावी हो गए हैं ।

इसलिए, मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोशन नियम, 1957 की धारा (1) और नियम 3 को लोप किए जाने का प्रस्ताव है ।

मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1986 के प्रारूप अधिसूचना की प्रति मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 की धारा 11(2) में किए गए उपबंधों के अनुसार 2-4-1986 को सभा-पटल पर रखी गई ।

प्रारूप अधिसूचना में कहा गया है :

"सा० का० नि० मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद द्वारा मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती अर्थात् :—

1. ये नियम मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1986 कहे जाएंगे ।

2. मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 मेंधारा 1 और नियम 3 का लोप किया जाएगा ।"

महोदय, यह विषय केवल प्रक्रिया-सम्बन्धी महत्त्व एवं आवश्यकता से सम्बन्धित है जिसके लिए हम सदन के समक्ष आए हैं और मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं :—

"यह सभा मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बनाए गए और 2 अप्रैल, 1986 को सभा-पटल पर रखे गए मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1986 के प्रारूप का अनुमोदन करती है ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बनाए गए और 2 अप्रैल, 1986 को

सभापटल पर रखे गए मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1986 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

अब श्री श्री हरि राव।

श्री श्रीहरि राव (राजामुंदरी) : सभापति महोदय, मैं मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1986 सम्बन्धी सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं जिसे 2 अप्रैल, 1986 को सभा-पटल पर रखा गया था। प्रधान मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के आतिथ्य भत्ते को क्रमश: 500 रुपए से 1500 रुपए और 1000 रुपए करने सम्बन्धी सरकार द्वारा लिया निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य मंत्रियों एवं उपमंत्रियों को भी क्रमश: 500 रुपए और 300 रुपए के आतिथ्य भत्ते के भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है।

एक बार फिर इस सरकार ने जिसमें कोई सन्देह नहीं है, यह साबित कर दिया है कि यह जो कहती है उसका अनुसरण करने पर ध्यान नहीं देती। इसकी कथनी और करनी में कोई समन्वय नहीं है। एक ओर तो यह सादगी और मितव्यता का उपदेश देती है और दूसरी ओर यह अपने मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों को बढ़ाती है।

इस सभा को भलीभांति ज्ञात है कि मितव्ययिता उपायों के रूप में सरकारी नौकरियों में भर्ती पर रोक लगा हुआ है। अनेक महत्त्वपूर्ण भर्ती और नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं। परिणामस्वरूप, अनेक कार्यक्रम एवं अन्य कल्याणकारी उपाय अति निर्धन लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी, सरकार इस बहाने रोजगार प्रदान करने से इन्कार कर रही है कि यह सरकारी व्यय को कम करना चाहती है। किन्तु सरकार मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों में बढ़ोत्तरी कर रही है।

श्रमजीवी पत्रकार अपने वेतन में संशोधन करने के लिए एक लम्बे समय से आन्दोलन करते आ रहे हैं। अब वे संघर्ष की राह पर उतर आए हैं। फिर भी, यह सरकार उनके वेतन में संशोधन करने की तात्कालिकता को नहीं समझती। समाचार पत्र प्रतिदिन नहीं प्रकाशित हो रहे हैं और कभी-कभी हम लोग कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण कोई भी समाचार-पत्र प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के तात्कालिक महत्त्व के मामले पर विचार करने के स्थान पर सरकार मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों में वृद्धि करने का प्रस्ताव कर रही है।

अनेक विकासोन्मुख देशों में मंत्रीगण दूसरों के लिए सादगीपूर्ण जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम सुनते हैं कि विएतनाम जैसे देशों में मंत्रीगण साइकिलों से जाते हैं। किन्तु, हमारे देश में मंत्रीगण विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। फिर भी, वे और अधिक सम्बलम एवं भत्ते की चाह करते हैं। कुछ समय से हमारे मंत्रियों ने इस बात को भुला दिया है कि हमारी भूमि महात्मा गांधी की भूमि है। हमारे देश की अधिकांश आबादी गरीबी की रेखा से काफी नीचे का जीवन जीती है। उनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में गरीबी को समाप्त करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। परन्तु सरकार मंत्रियों के आतिथ्य भत्तों तथा सम्बलमों और अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी करना चाहती है। मंत्रियों को इस देश मे प्रत्येक सुविधा मिली हुई है। वे हर प्रकार के

भत्ते, जैसे यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, निःशुल्क परिवहन सुविधा और आवासीय सुविधा प्राप्त करते हैं, क्या है जिसे वे प्राप्त नहीं करते। प्रायः हर एक चीज उनके लिए मुफ्त है। आजकल के मंत्री आधुनिक भगवान हैं। और इसके बावजूद वे और अधिक सम्बलम और भत्ते चाहते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई कामगार अपने वेतन में वृद्धि की मांग करता है, तो प्रबंध उसे नौकरी से बाहर निकाल देगा। इस प्रकार की स्थिति एक सामान्य कामगार को झेलनी पड़ती है। किन्तु, हमारे मंत्री इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य समाजवाद है। हमारे संविधान में समाजवादी समाज की बात कही गयी है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन व्यक्तियों को जो सत्ता में हैं एक अत्यन्त ही सादे और आडम्बरहीन जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें अपने विलासितापूर्ण जीवन पर जनता का धन वरबाद नहीं करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि कम-से-कम अब सरकार इस सच्चाई को महसूस करेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा पेश किए गए इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, जो संशोधन किया जाना है, वह सचमुच में एक नितान्त प्रक्रिया-सम्बन्धी संशोधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है तथा इस सदन द्वारा अधिनियम बनाया जा चुका है। प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के आतिथ्य भत्ते में वृद्धि की गयी है। यहां जो आंकड़े बताए गए हैं, वे बहुत ही छोटी राशियां 1500 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए और 300 रुपए हैं जो क्रमशः प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री के लिए हैं। महोदय, ये बहुत ही छोटी राशियां हैं। हमें इन राशियों को लेकर उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। मैं तो कहूंगा कि वे इससे अधिक ले सकते हैं। किन्तु, महोदय, जहां तक मंत्रियों के नाम पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए खर्चों का सम्बन्ध है, यह तो केवल उनका एक छोटा सा अंश है। मंत्रीगण केवल सरकारी धन का ही उपयोग नहीं करते, बल्कि वे सरकारी उपक्रमों का धन भी देश के भीतर अथवा बाहर विभिन्न दौरों एवं मनोरंजनों पर व्यय करते हैं। वे उन सभी प्रकार के स्रोतों से धन व्यय करते हैं जिनके बारे में संसद को कभी भी कोई हिसाब-किताब नहीं मिलता। सम्बलम के रूप में मंत्री जो प्राप्त करता है, वह तो कुछ भी नहीं है। सम्बलम के रूप में वे जो धन प्राप्त करते हैं, उसे उसी रूप में बैंक में जमा कर देते हैं। वे अन्य स्रोतों से बहुत अधिक प्राप्त कर लेते हैं। किसी संसदीय प्रणाली में यह अच्छी बात नहीं है। मंत्री अपनी इस स्थिति का लाभ उठाते हैं कि वे अपनी इच्छानुसार कभी भी किसी भी स्थान का दौरा-कार्यक्रम बना सकते हैं। वह प्रत्येक सप्ताह अपने निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा करता है। केवल यही नहीं। मैं एक ऐसे मामले के बारे में जानता हूं जिसमें मंत्री जी अपने लिए 200 मील से थोड़े अधिक दूरी के लिए एक विशेष रेलगाड़ी का प्रबन्ध करवाया करते थे। एक विशेष गाड़ी उनकी प्रतीक्षा किया करती थी क्योंकि वे इसी प्रकार से अपना दौरा-कार्यक्रम बनाया करते थे। वे कहते थे कि रात के 11 बजे से पहले नहीं जा सकता। अन्य सभी रेलगाड़ियां रात के 10 बजे से पहले जा चुकी होती थीं। एक विशेष गाड़ी द्वारा उन्हें रात 11 बजे ले जाना पड़ता था। हमें उनके दौरे कार्यक्रम की सूचना प्राप्त हुआ करती थी। वे केवल उसी विशेष माल गाड़ी से जाया करते थे। इसका क्या मतलब है ? रेलवे को उनके लिए इस विशेष गाड़ी का प्रबन्ध करने के लिए 40 अथवा

50 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे। यदि यह यात्रा साधारण गाड़ी द्वारा की जाती तो यह मुफ्त होती। परन्तु उनके लिए इस विशेष माल गाड़ी का प्रबन्ध किया जा रहा है। (व्यवधान)

विशेष मालगाड़ी (व्यवधान)। महोदय, सदन द्वारा इसकी निन्दा की जानी चाहिए, इसकी छूट किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, प्रधान मंत्री द्वारा भी नहीं, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों द्वारा भी नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप यहां प्रधान मंत्री को क्यों लाते हैं?

श्री अमल दत्त : मैं प्रधान मंत्री को नहीं लाता···

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : आप कृपया अपने मुख्य मंत्री जी से पूछिए कि सरकारी राजकोष से उनके निवासस्थान में 'लिफ्ट' क्यों लगी है और वे वातानुकूलित 'टायोटा' का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, वे प्रायः अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वहां कोई विशेष अवसर के नाम पर या दौरा कार्यक्रम बनाकर जाते हैं। महोदय, यह एक बात है जिसे सहन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे सरकारी ड्यूटी दिखाकर सरकारी पैसे खर्च करके यह···**···है और फिर इस सरकारी पैसे को ऐसे तरीके से निकालना, जिसे न तो इस संसद की अनुमति प्राप्त है न इस सदन की अथवा न इसकी अनुमति संसद के किसी अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है। केवल यही नहीं, हम देखते हैं कि सरकारी उपक्रम हमेशा इनके इशारे पर नाचते रहते हैं। कोई भी मंत्री किसी दो ऐसे विभाग का प्रभारी है, जिसके अधीन अनेक सरकारी उपक्रम हैं, उदाहरण के लिए यहां बहुत से ऐसे मंत्री बैठे हैं जो जब भी किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, तो सरकारी उपक्रम अपनी सभी कारें तथा समस्त सेवाएं उनके लिए जुटा देते हैं और उनका अत्यन्त भव्य स्वागत किया जाता है। क्या इसमें इसकी परिकल्पना की गई है? यह व्यायिक भत्ता इन्हें क्यों दिया जा रहा है? 500, 1000 और 1500 रुपए की अधिकतम सीमा उनके लिए क्यों निर्धारित की गई है? क्योंकि उनसे ऐसी आशा की जाती है कि वे अपना खर्च इस सीमा के भीतर रखेंगे, यह नहीं कि वे सरकारी उपक्रमों को उनका व्यय वहन करने को बाध्य करें। मैं यह नहीं कहता कि वे यह कहें कि 'आप मेरी ओर से खर्च करते रहें, परन्तु जब वे ऐसा करते हैं, मैं जानता हूं और सभी जानते हैं कि सभी सरकारी उपक्रमों के चेयरमैन या उस पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति उनके लिए कार उपलब्ध करा देता है। यहां तक कि कई मंत्री तो वहां जाकर पांच सितारा होटलों में ठहरते हैं। इस देश में यही हो रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा? क्या मंत्रियों का सम्बलम भत्ता विधेयक एक तमाशा नहीं है— जिसमें यह विशेष संशोधन करने की आवश्यकता है? सरकार द्वारा, अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों पर जो धनराशि खर्च की जा रही है, वह बहुत है, अत्यधिक है। इसकी जांच-पड़ताल करने के लिए संसद की एक समिति होनी चाहिए, प्रत्येक सरकारी उपक्रम द्वारा संसद को एक ब्यौरा देना चाहिए कि उसने अमुक मंत्री विशेष पर कितनी धनराशि खर्च की और यह सब संसद की उस समिति के पास जाना चाहिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मेरा सुझाव है कि यदि आप यह करने की हिम्मत रखते हैं, यदि आप में साहस है, तो संसद की एक समिति गठित की जाए जो इसकी जांच करेगी कि मंत्रियों के दौरे पर और यहां तक कि दिल्ली में भी, उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है। मैं जानता हूं कि दिल्ली में भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो सरकारी उपक्रमों से पार्टियां देने के लिए करते हैं, बैठकें आयोजित करवाते हैं और अपने ऊपर प्रचुर मात्रा में पैसा खर्च कराते हैं। ऐसा होता है और इसे रोका जाना चाहिए और संसद की समिति गठित की जानी चाहिए।

दूसरी बात है कि जब मंत्री अपने सरकारी दौरों पर जाते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। जिस भी राज्य में वह जाना चाहते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार हो अथवा विपक्ष की, उनके ऐसे दौरों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि समस्त भारत में उन्हें लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, वे किन स्थितियों में रह रहे हैं, इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है, आदि।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मुख्य मंत्री तो विदेशों की यात्राएं भी करते हैं।

श्री अमल दत्त : मैं यह नहीं कह रहा कि अवसर पड़ने पर भी उन्हें नहीं जाना चाहिए। यदि विदेश जाने की भी आवश्यकता है तो उन्हें वहां जाना चाहिए। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा। परन्तु जब वे अन्य राज्यों में जाते हैं तो उन्हें मंत्री के रूप में अपने विशेषाधिकार को एक राजनैतिज्ञ के रूप में अपने कार्य अथवा भूमिका के साथ मिलाना नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत गलत बात है। इसका मतलब है अपनी हैसीयत का फायदा उठाना, सरकारी पैसे को खर्च करना और फिर राजनीति से प्रेरित होकर किसी अन्य राज्य सरकार अथवा किसी अन्य राज्य के मंत्री की आलोचना करना गलत है।

महोदय उसका नवीनतम उदाहरण स्वयं प्रधान मंत्री हैं। वे सूखा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कर्नाटक गए थे। महोदय, यह नौ घण्टे का दौरा था, मैं नौ घण्टे की दुर्वह यात्रा के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह आरोप झूठा है, यह सच नहीं है। हमारे मंत्री बहुत ही उदार हैं और बहुत सहयोग करते हैं। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : महोदय, आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं ?···**··· मैं बोल रहा हूं, अभी मैं खड़ा हूं, मैं दबाव देने से बैठूंगा नहीं। बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं क्यों बैठ जाऊं ? आप अपने राज्य में ऐसा नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : क्या आप उन्हें व्यवस्था बनाने के लिए नहीं कह सकते ? महोदय, आप उन्हें

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्यों नहीं कहते ? मैं एक महत्त्वपूर्ण भाषण दे रहा हूं और वे शोर मचा रही हैं ।

सभापति महोदय : कृपया शान्ति बनाए रखिए ।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : सभापति महोदय···**···(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी :···**···(व्यवधान)

सभापति महोदय : शान्ति-शान्ति ।

श्री अमल दत्त : मैं नवीनतम उदाहरण खुद प्रधान मन्त्री के दौरे का दे रहा था। जिसने समस्त देश में तहलका मचा दिया था, जब वे अकाल पीड़ित लोगों की स्थिति को देखने गए थे, केवल इसी वर्ष नहीं बल्कि लगातार तीन वर्ष से ये लोग अकाल से पीड़ित हैं । उनकी स्थिति दयनीय है । उनके लिए कुछ करने के बजाय उन्होंने कहा कि मुख्य मन्त्री को, जो विरोधी पक्ष के हैं, त्याग पत्र दे देना चाहिए । मुख्य मंत्री बीमारी के कारण अपने बिस्तर में पड़े थे । वे सौजन्यतावश उनसे मिलने भी गए थे और फिर प्रेस सम्मेलन में उन्होंने यह वक्तव्य दे दिया कि मुख्य मन्त्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए । यह संघवाद की अवहेलना है; यह संसदीय लोकतन्त्र का मजाक है; और प्रधान मन्त्री जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के लिए इस तरह पेश आना बहुत ही अनुचित है । यह याद रखना चाहिए···

कुमारी ममता बनर्जी: मुझे आपत्ति है, यह ठीक नहीं है ।

श्री अमल दत्त : यह केवल प्रधान मन्त्री की ही बात नहीं है बल्कि किसी भी मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी मंत्री को वहां जाकर राज्य सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

श्री अमल दत्त : संसद के प्रति उस विभाग का उत्तरदायित्व होता है । जब हम किसी विभाग विशेष की अनुदानों पर चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि क्या वे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं और यह चर्चा काफी विस्तार से होती है । परन्तु जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, यह तरीका उचित है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंत्री के लिए या उसकी ओर से जो भी खर्चा किया जाए उसका उचित हिसाब-किताब रखा जाना चाहिए और संसद की एक समिति द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिए ।

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : जब आप मेरे आवास पर आते हैं और मैं जब आपको चाय पिलाता हूं···

श्री अमल दत्त : यह व्यक्तिक भत्ते के अन्तर्गत आता है ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा पेश किए गए सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

मैं यह महसूस करता हूं कि इस मामले में भी, विशेषरूप से उप-मंत्रियों के मामलों में—उप-मंत्रियों के मामले में 300 रुपए और राज्य मंत्रियों के मामले में 500 रुपये व्ययिक भत्ता, बहुत कम है। मैं समझता हूं कि जीवन स्तर की उच्च लागत तथा मूल्य वृद्धि को मद्देजर रखते हुए, इस खर्चा में वृद्धि होना जरूरी है।

संकल्प में प्रस्तावित राशि यद्यपि बहुत कम है, फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु दूसरी ओर बैठे मेरे माननीय मित्र की एक बात मुझे समझ नहीं आई जो उन्होंने मंत्रियों द्वारा खर्चा करने के बारे में अभी कही थी। उदाहरण के तौर पर मैं यह जानना चाहूंगा कि जब उनका मुख्य मंत्री, सोवियत रूस अथवा चीन अथवा किसी अन्य स्थान की यात्रा करता है तो वह कैसे यात्रा करते हैं? उन्हें कहां से पैसा मिलता है? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : प्रश्न नहीं पूछिए। आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए और अपने को संकल्प तक ही सीमित रखिए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : सारे का सारा पैसा सी०पी०आई० और सी०पी०एम० से आता है, उन्हें बे हिसाब पैसा मिलता है। विदेशी स्रोतों से उन्हें बेहिसाब पैसा मिलता है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए और अपने आप को संकल्प तक ही सीमित रखिए।

प्रो० के० के० तिवारी : दर्शन और विचार धारा, आपका सभी कुछ विदेशी है।

श्री पी० नामग्याल : यदि वे एक सच्चे साम्यवादी हैं अथवा एक सच्चे मार्क्सवादी हैं, तो उन्हें अपनी एम्बेसीडर कार से यात्रा करनी छोड़ देनी चाहिए और साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। पूर्णरूपेण आधाररहित आलोचना है। मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। इन थोड़े से शब्दों के मुझे साथ यह अवसर देने के लिए, मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। जिस वक्त केरल में रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त हमारे रेलवे मन्त्री जी ग्वालियर में क्रिकेट मैच देख रहे थे। उनको वहां ले जाने के लिए यहां से हैलिकोप्टर गया, उन्होंने हैलिकोप्टर में जाने से इन्कार कर दिया। यहां से स्पेशल प्लेन जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की अनुमति चाहिए थी, जो कि मिलने में देर हुई। इसकी वजह से वे रात को साढ़े तीन बजे, चार बजे वे एक्सीडेंट की जगह पहुंच सके। इतना ज्यादा खर्चा होने पर भी जिस वक्त पर उन्हें वहां पहुंचना चाहिए था, वे टाईम पर वहां नहीं पहुंच पाते हैं। वहां दिन में एक्सीडेंट हुआ। रेलों में जितनी भी दिक्कतें हैं उनको मन्त्री जी को देखना चाहिए। जहां पर समस्या गंभीर है वहां उनको तुरन्त जाना

चाहिए। यह न हो कि वे दूसरे दिन वहां पहुंचें। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें सीरियस समस्या के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। आप लोगों को तो प्लेन मिल जाता है, हम लोगों को कितनी दिक्कतें हैं। कभी प्लेन लेट हो जाता है, कभी देर से आता है। जब ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तो आपको तुरन्त जा कर देखना चाहिए और उसका कोई इलाज करना चाहिए।

हम कभी-कभी मंत्रियों को चिट्ठियां लिखते हैं। उनसे एक ही तरह का जवाब आ जाता है। मंत्री लोग हमारी चिट्ठियों के बारे में सोचते नहीं। या तो सरकारी नौकर एक्नालिजमेंट भेज देते हैं, या एक ही तरह का पत्र भेज देते हैं। जितने भी हमारे पास पत्रों के जवाब आते हैं वे एक से ही होते हैं। ऐसा लगता है कि विभाग वाले मंत्रियों को जो जवाब भेजते हैं, मंत्री लोग उसी पर हस्ताक्षर करके हमको भेज देते हैं। हम लोक सभा के सदस्य हैं, हमारे पत्रों पर गौर होना चाहिए। सरकारी नौकर क्या बोल रहे हैं, एक एम० पी० क्या बोल रहा है, इसमें भेद करना चाहिए। मैं आपसे यही चाहता हूं कि हम लोगों की चिट्ठियों पर मन्त्री लोग जरा गौर करें। मैं आपको एक मिसाल के बारे में बताता हूं। आल इंडिया रेडियो में एक आदमी ने अपना लीयन टरमिनेट कराने के बारे में तीन साल पहले लिखा। उसको तीन साल हो गये लेकिन उसका लीयन टरमिनेट नहीं हुआ। मैं वहां गया तो मुझ से कहा गया कि आप मंत्री जी को चिट्ठी लिखो, हम आपकी चिट्ठी का समाधान कर देंगे। तीन साल से वह आदमी चिट्ठी लिख रहा है लेकिन उसका लीयन टरमिनेट नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य का भाषण और वे किस विषय पर बोल रहे हैं, यह समझने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय : यदि आप नहीं समझ सकते तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं मन्त्रियों के भत्ता संबंधी नियमों के बारे में बोल रहा हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड डार्बर) : यदि मन्त्री पत्रों का उत्तर नहीं देते तो उनके भत्ते कम कर दिये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : इसीलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो आपको चिट्ठी लिखते हैं उन पर मंत्री जी आपको गौर करना चाहिए। आपको सुविधाएं चाहिएं, आप लीजिए, हम आपके साथ हैं। मगर जो चिट्ठियां लिखते हैं कम से कम उन पर गौर तो कीजिए। हम अलग-अलग विभागों को चिट्ठियां लिखते हैं। सब से एक ही जवाब आता है। मैंने एक चिट्ठी डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखी आंध्र में आरडिनेंस फैक्ट्री खोलने के बारे में। उसका मुझको जवाब आ गया कि सेवंथ प्लान में आंध्र प्रदेश में ऐसी फैक्ट्री खोलने की कोई योजना नहीं है। जब मैंने लोक सभा में प्रश्न किया तो मुझे बताया गया कि आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री खोलने का इंतजाम कर रहे हैं। मैं आपसे यही चाहता हूं कि हम जो चिट्ठियां आपको लिखें, उनके सही समाधान हमको मिले। आप लोग नीचे बैठे

अफसरों की गल्ती को निभाने की कोशिश करते हैं । जिस वक्त आपके आफिसरों से काम नहीं बनता तो हम आपको चिट्ठी लिखते हैं । आपको कंविन्स होना चाहिए । आपके पास प्राइवेट सैक्रेटरी हैं, एडीशनल प्राइवेट सैक्रेटरी हैं । इतना सब कुछ रहने पर भी हमारी समस्याओं का जांच करके हमें समाधान नहीं मिलता तो हमें कष्ट होता है ।

4.00 म०प०

इसलिए मंत्री महोदय से यही प्रार्थना है कि उनके पास जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का उपयोग करें, ताकि जनता को भी उनका लाभ मिले । मैंने प्रश्न पूछा था कि मेंबर्स पर इलैक्ट्रिसिटी चार्जेज, वाटर चार्जेज, हाउस रेंट, यह सब कितना-कितना बाकी है तो उसका ब्यौरा पेपर्स में भी आया । ऐसी बातें पेपर्स में आती हैं,तो हमको दुःख होता है, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है न्यूज-पेपर्स में भी ब्यौरा छपता है । पैसा तो सरकार के पास ही जाना है, दिल्ली डेवलमेंट कारपोरेशन को देना है, इसलिए इस तरह की बातें जब न्यूज-पेपर्स में आती हैं तो दुख होता है । इस ओर ध्यान देना चाहिए । इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

4.01 म०प०

कोल इण्डिया लिमिटेड में बढ़ती हुए तथा आवर्ती हानि के सम्बन्ध में चर्चा

(अनुवाद)

श्री भट्टम श्री राममूर्ति (विशाखापत्तनम) : मैं यह चर्चा कोल इण्डिया लिमिटेड में बढ़ते और लगातार हो रहे घाटे के सम्बन्ध में उठा रहा हूं । वर्ष प्रति वर्ष हम देखते आ रहे हैं कि ये घाटे केवल बढ़ ही रहे हैं बल्कि इसी प्रकार सदा होते रहेंगे । मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, परन्तु, कसी ऐसा उचित हल नहीं बताया जो अन्ततः घाटे को कम करने में सहायक हो सके और उद्योग को न हानि, न लाभ की स्थिति में लाने में सहायक हो सके । अतः इस विषय में चर्चा करना आवश्यक हो गया है ।

वर्ष 1973 में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही हमने अब तक लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया है । केवल यही नहीं वर्ष प्रति वर्ष हम बहुत अधिक मात्रा में पूंजी व्यय कर रहे हैं ।

4.02 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

उदाहरण के तौर पर, वर्ष 1982-83 में कोल इण्डिया लिमिटेड में पूंजी व्यय पर लगभग 740 करोड़ रुपए खर्च किए गए । 1983-84 में लगभग 831 करोड़ रुपए खर्च किए गए । 1984-85 में 834 करोड़ रुपए खर्च किए गए । केवल पिछले वर्ष ही लगभग 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 16 कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई । इस ओर हम इतनी अधिक धनराशि व्यय करते आ रहे हैं ।

कोल इण्डिया में अनेक खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 175 खनन परियोजनायें विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। इन खनज परियोजनाओं के लिए 5540 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। निस्संदेह इनमें से 47 खानन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अत: यह परिमाण है व्यय का जिसे हम कोयला उद्योग पर खर्च कर रहे हैं। ऐसा होने पर यह स्वाभाविक है कि हम हमारी इस बात की जांच करने में रुचि हो कि इस उद्योग से हमें क्या लाभ मिल रहा है और इसका कार्य-निष्पादन क्या है? इसका परिणाम क्या है? यदि मैं कोल इण्डिया लिमिटेड को लूं तो वर्ष 1982-83 में इस उपक्रम को 127 करोड़ रुपए की हानि हुई। उससे पहले वर्ष में यह हानि केवल 5.34 करोड़ रुपए की थी। वर्ष 1983-84 में यह हानि बढ़कर 246.68 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 1984-85 में यह हानि 78 करोड़ रुपए की थी। वर्ष 1985-86 में अनुमानित हानि लगभग 364 करोड़ रुपए की है। इस प्रकार यह एक निरन्तर क्रम है। यह हमेशा होने वाली स्थिति है। मंत्री महोदय ने कोयले के नियन्त्रित मूल्यों में वृद्धि को इस आधार पर उचित ठहराने का प्रयास किया है कि हानियों का मुजरा किया जाना है। कोयला उद्योग को हाल ही में हुई हानि, जिसे उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ जोड़ा गया था को प्रभावी रूप से कम करने के लिए मूल्य-वृद्धि आवश्यक हो गई थी। यदि मूल्यों में हाल ही यह वृद्धि न होती तो हानियां कितनी होतीं? यह भी जानने योग्य एक रुचिकर बात है। हमें इस पहलू पर भी विचार करना होगा। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इस प्रश्न को पूर्णरूप से स्पष्ट किया है। वर्ष 1984-85 में कोल इण्डिया लि० को 78 करोड़ रुपए की वास्तविक हानि हुई। यदि मूल्यों में वृद्धि न की जाती तो यह हानि 365 करोड़ रुपए की होती। इसी प्रकार वर्ष 1985-86 में अनुमानित हानि 395 करोड़ रुपए की है। लेकिन मूल्यों में हाल ही में वृद्ध न होती तो यह हानि 500 करोड़ रुपए के आस-पास होती। अत: इस प्रकार की स्थिति का हम आज सामना कर रहे हैं।

महोदय, अब मैं ईस्टर्न कोल फील्डस की बात करना चाहूंगा। वर्ष 1981-82 में ईस्टर्न कोल फील्डस को 87.85 करोड़ रुपए की हानि हुई। वर्ष 1983-84 में यह हानि बढ़कर 127.88 करोड़ रुपए हो गई। केवल दो वर्षों में यह हानि 78 करोड़ रुपए से बढ़कर 127 करोड़ रुपए हो गई है।

जब हम भारत कोकिंग कोल लि० की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इस उपक्रम को वर्ष 1981-82 में 40 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। वर्ष 1982-83 में यह नुकसान 44.85 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1983-84 में यह हानि 191.89 करोड़ रुपए थी। अब भी हानि में वृद्धि हो रही है। यदि हम संचित हानि पर विचार करें तो कोल इण्डिया लि० के लिए यह हानि 1108 करोड़ रुपए की होती है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को 777 करोड़ रुपए की संचित हानि होती है। सिंगरेनी कोयला खान का संचित हानि 195.60 करोड़ रुपए की होती है। राष्ट्रीयकरण होने से लेकर अब तक कोयला उद्योग को 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक की हानि हुई है। इस उद्योग का कुल महत्व करीब-करीब नगण्य रहा है। यह एक सोचनीय स्थिति है जिस पर मंत्री महोदय को विचार करना होगा।

महोदय, जो हानियां बढ़ रही हैं उनका मुजरा करने की दृष्टि से समय-समय पर मूल्यों में

वृद्धि की जाती है। जब कभी उद्योग को घाटा होता है तो हानि की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से वे मूल्यों में वृद्धि करना चाहते हैं। वर्ष 1979 से 1985 के बीच लगभग 3 बार मूल्यों में संशोधन किया जा चुका है—मूल्य 101 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 183 रुपए प्रति टन कर दिया गया था। वर्ष 1970-71 से कोयले के मूल्यों में 6 बार वृद्धि की गई है। छठी योजना अवधि के दौरान जब उपभोक्ता मूल्य में लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो उस समय कोयले की उत्पादन लागत में 108 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। राष्ट्रीयकरण होने के बाद से कोयला उद्योग मूल्यों में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार की वृद्धि हानिकारक थी और यह कोयला उद्योग के लिए खतरनाक भी थी जिसे अब मंदी का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू पर एक मिनट के लिए ध्यान दें—अर्थात्, राष्ट्रीयकरण से पहले कोयले की लागत 47.53 रुपए प्रति टन थी। अब यह लागत 210 रुपए प्रति टन है। इस प्रकार की स्थिति है। क्या यह एक बहुत बड़ा कारण नहीं है जिसकी पूर्णरूप से जांच होनी चाहिए ? मंत्री महोदय अपनी सम्पूर्ण गतिशीलता, वचनबद्धता और ईमानदारी से इस कोयला उद्योग में सुधार लाने के लिए क्यों नहीं कुछ करते। उन्हें इस सम्बन्ध में नया अध्याय खोलना होगा और इस उद्योग को पुनर्जीवित करना होगा जो कि लम्बे समय से मृत प्राय: है।

कुछ समय पहले कोल इण्डिया लि० के चेयरमैन ने मंत्री महोदय को यह बताते हुए कि पिछले वर्षों में हुई 200 करोड़ रुपए की हानि को दूर कर दिया जाएगा और 13 करोड़ रुपए के लाभ होने की आशा है, कतिपय आंकड़े दिए थे। यह 1984-85 की बात है। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आने के बाद अन्त में तथ्य कुछ और ही निकले। 13 करोड़ रुपए का लाभ होने की बजाय 90 करोड़ रुपए की वास्तविक हानि हुई। मंत्री महोदय का नाराज होना स्वाभाविक था। उन्होंने ये आंकड़े सभा के पटल पर रखे थे और स्पष्टतया इन आंकड़ों को प्रस्तुत करना सभा को गुमराह करना होगा—निस्संदेह यह उनकी मंशा नहीं थी। मैं इस आधार पर उनमें दोष ढूंढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। वह उन अधिकारियों के प्रति सही रूप से नाराज थे जिन्होंने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए थे। लेकिन अन्त में इसका परिणाम क्या निकला ? सचिव ने कोल इण्डिया लि० के चेयरमैन को दोषी ठहराया और कोल इण्डिया लि० के चेयरमैन ने सहायक कम्पनियों को दोषी ठहराया। यह इस प्रकार चलता रहा और जिम्मेदारी निर्धारित किए बिना एक दूसरे पर बला टाली जाती रही। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। यह एक बुरा चक्र है। यह अनंत और असीम रूप से चलता रहता है। अन्ततः होता क्या है ? समय-समय पर प्रस्तुत किए गए आंकड़े भी अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। उनके प्रति संदेह उत्पन्न होता है।

ऐसी स्थिति में, मैं एक अन्य पहलू की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हाल में वेस्टर्न कोल फील्डस लि० के चेयरमैन श्री महीपसिंह हाल ही में मंत्री महोदय के साथ एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने एक ही मंच पर हिस्सा बटाया। उन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए। वेस्टर्न कोल फील्डस, कोल इण्डिया लि० की एक सहायक कम्पनी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से राजनीतिज्ञों तथा इसमें कार्यरत माफिया ग्रुप को दोषी ठहराया। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि इन्ही लोगों के कारण कोयला उद्योग को हानि उठानी पड़ रही है। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि

माफिया ग्रुप को राजनैतिक समर्थन दिया जा रहा है; उन्होंने कहा "माफिया ग्रुप कार्यरत है; और हमारी हत्या की जा रही है।" मंत्री महोदय के साथ इस अवसर पर एक ही मंच से उनके द्वारा दिए गए भाषण का यही सार था। आपको याद होगा कि श्री गुजराल को कोल इण्डिया लि० इसलिए छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने शक्तिशाली गुट, कोयला माफिया को नाराज कर दिया था जिसका केन्द्रीय अथवा राज्य स्तर पर उच्च अधिकारियों से सम्बन्ध था। मैं इसके लिए कोई पक्षपोषण नहीं कर रहा हूं। मैंने इसे मंत्री महोदय पर छोड़ दिया है कि चाहे वे इसका खण्डन करें अथवा पुष्टि अथवा स्पष्टीकरण देते हुए इस बात को किसी और ढंग से कहें। माफिला ग्रुप अपना काम कर रहा है। मंत्री महोदय हानियों को उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसे अन्य कारण भी हैं जो प्रचलित हैं और जिनका जांच जिन पर करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय का कहना है कि वह कार्यवाही कर रहे हैं, वह कार्यवाही सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जिस बात की जरूरत है वह यह है कि भ्रष्ट व्यक्तियों, चाहे वे कितने ही बड़े हों या कितना ही ऊंचा स्थान रखते हों, के विरुद्ध पूरी तरह से व्यापक कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूसरी अव्यवस्था, जिसके प्रति मंत्री महोदय को ध्यान देने की जरूरत है वह है कोयले के भण्डार को बट्टे-खाते में डालना। ईस्टर्न कोल फील्डस में मंत्रालय का ठीक सम्बन्ध कोयले के भण्डारों को बड़े पैमाने पर बट्टे-खाते डालने से चाहिए जोकि एक आम अव्यवस्था हो गई है। विशेषरूप से दो कोयला खानों, मोहनपुर तथा चित्रा, जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं, के कोयले के भण्डारों में व्यापक अन्तर आ गया है। कुल अन्तर लगभग नौ लाख टन का है जिसका मूल्य लगभग 13.39 करोड़ रुपए है। इस राशी को बट्टे-खाते में डाला जा चुका है। यह बात कुछ समय पहले "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित हुई थी। मैं दैनिक समाचारों से इस खबर को उद्धृत कर रहा हूं। इसमें ईस्टर्न कोल फील्डस के बारे में कहा गया है। वर्ष 1982-83 में एक बार 8.23 करोड़ रुपए की धनराशि, 5.68 करोड़ रुपए की एक और धनराशि तथा 3.08 करोड़ रुपए की एक और धनराशि का कोयले की कमियों की ओर समायोजन किया गया। इतनी बड़ी धनराशि को बट्टे खाते डालना एक आम बीमारी हो गई है। यदि इस बात की जांच नहीं की जाती है और यदि यह एक नियमित कार्य प्रणाली और आदत बन जाती है तो मंत्री महोदय के भरसक प्रयासों के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति इस हानि को होने से रोक नहीं सकता है।

कोयला खानों के प्रवेश-द्वारों के कोयला भण्डारों के बारे में मुझे दो अथवा तीन कोयला खानों—गौरांगडेह, मोहनपुर, चित्रा तथा सिमिली के सम्बन्ध में कुछ कहने दीजिए। यहां कोयला खानों के प्रवेश-द्वारों के भण्डार 18 माह से लेकर 73 माह तक का पड़ा हुआ है। इस आशय का एक नियम यह है कि एक महीने से अधिक का उत्पादन कोयला खानों के प्रवेश-द्वारों पर नहीं रख सकते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। स्वाभाविक ही है कि वहां हानियां होती हैं और कोयले की उठाईगीरी की जाती है। इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। अतः नियम को प्रभावी रूप से तथा कड़ाई से लागू करने के उद्देश्य से कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।

छठी योजनावधि के दौरान यह कहा गया था कि कोयले की अनुमानित मांगों में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई थी। मांगें बहुत अधिक आंकी गई थी। इसका कुल परिणाम यह हुआ

कि उत्पादन अधिक हुआ। कोयला खानों के मुहानों पर 550 करोड़ रुपए की कीमत के कोयले के अधिक भण्डार पड़े रहते हैं। स्वाभाविक है कि इसकी चोरी होती है, बार-बार होती है और चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

एक अन्य पहलू, जिस पर मंत्री महोदय को विचार करना है, कोयले की घटिया किस्म से सम्बन्धित है। घटिया किस्म का कोयला सप्लाई करने के कारण गत पांच वर्षों में उपभोक्ताओं को छूट दी गई। वर्ष 1980-81 में 9.12 करोड़ रुपए समायोजित किए गए थे। वर्ष 1981-82 में 6.64 करोड़ रु० की छूट दी गई। वर्ष 1982-83 में 10.87 करोड़ रु० की छूट दी गई। वर्ष 1983-84 में 20.97 करोड़ रु० की छट दी गई। वर्ष 1984-85 में 27.12 करोड़ रु० की छूट दी गई। इन आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती रही है। इसीलिए सप्लाई किए गए घटिया किस्म के कोयले की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है।

इसकी जांच करने के लिए कि सप्लाई किए गए कोयले की किस्म अथवा श्रेणी अपेक्षा के अनुसार है, अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

यह प्राय: देखा गया है कि बिजलीघरों में सप्लाई किए गए कोयले में राख की मात्रा 40 प्रतिशत के लगभग है। बिजलीघरों को इतनी अधिक राख की मात्रा वाले कोयले का प्रयोग करना पड़ता है जिसका यथार्थत: परिणाम यह होता है कि बिजलीघरों को भारी घाटा होता है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है। यदि आप दैनिक समाचार पत्रों में समाचार पढ़ें तो आप "फिरोजाबाद में कोयले की काला-बाजारी", "कोल इण्डिया लिमिटेड से कोयले की चोरी के कारण व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव" आदि जैसे, समाचार देखेंगे। इन सब विभिन्न कारणों से सामान्यत: घाटा होता है। इनकी जांच करनी आवश्यक है। कोयला खानों में कार्य की दशाओं में सुधार करने की दृष्टि से मन्त्री जी को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके बजाय यदि मन्त्री महोदय एक ही चीज पर जोर देते रहेंगे, अर्थात उत्पादन लागत अधिक है और बिक्री कीमत कम है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वे कहते हैं कि किसानों और उपभोक्ताओं को उचित दर पर बिजली की सप्लाई करने के लिए ही हम जानबूझ कर इस सरकारी नीति का पालनक र रहे हैं। मन्त्री जी के तर्क का यही मुख्य आधार है। परन्तु क्या यह सच है ? जब आप बिजली शुल्क में हुई वृद्धि के आंकड़े देखते हैं तो उनसे भी मन्त्री महोदय की बात का समर्थन नहीं होता। वे इसे भली-भांति जानते हैं—उन्होंने विभिन्न मन्त्रालयों में कार्य किया है। उनमें प्रशासनिक काबलियत है—इस्पात के क्षेत्र में, सीमेन्ट और उर्वरक उद्योगों के क्षेत्र में इसका क्या परिणाम होगा। कोयले के मूल्यों में वृद्धि से इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में अनिवार्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कोयला उत्पादन के स्तर की आरम्भिक अवस्था से ही इसे रोकना होगा।

मन्त्री जी कहते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं। एक अन्य कारण यह दिया गया है कि श्रम लागत में बहुत वृद्धि हो गई है। मैं उन्हें इतना बता देना चाहता हूं कि आप श्रमिकों की आवश्यकता को समाप्त नहीं कर सकते। चाहें आप जितनी भी पूंजी लगा दें परन्तु आप बिना श्रमिकों के कुछ खास पैदा नहीं कर पाएंगे। श्रमिकों के बिना कुछ भी उत्पादन नहीं हो सकता, सम्पदा की प्राप्ति नहीं हो सकती और कोई विकास नहीं हो सकता। आप उनको न्यून वेतन देकर लाभ के आंकड़ों में वृद्धि नहीं

कर सकते। मन्त्री जी को एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्होंने श्रमिकों को अधिक मजदूरी दी है इसीलिए घाटे में वृद्धि हो रही है। यह एक वैध उत्तरदायित्व है जिसे अपने सामाजिक-आर्थिक सिद्धान्तों के कारण हमें पूरा करना है। हम इस सामाजिक-आर्थिक दर्शन के प्रति वचनबद्ध हैं। इसीलिए इस पर आपत्ति क्यों और इसे बार-बार क्यों दोहराया जाए ? हो सकता है कि यह बात सच हो कि जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग काम कर रहे हों ?

महोदय, इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि आपको उत्पादन में कई गुणा वृद्धि करनी होगी। जब आप उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो अन्य चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यदि हम चीन से तुलना करते तो हम उस स्थिति में पहुंच सकते थे जिसमें हम आज के 1500 लाख टन के उत्पादन के स्थान पर 5000 लाख टन उत्पादन कर सकते थे। परन्तु यह कैसे हुआ कि हम यह करने में सफल नहीं हुए ? यदि आप ऐसा कर सकते तो परिणाम भिन्न और बेहतर होता। आपको ऐसे तरीके निकालने चाहिएं जिससे आप उत्पादन में वृद्धि करने में सफल हो सकें और लागत में कमी कर सकें और सभी के साथ न्याय कर सकें, परन्तु यह श्रमिकों की लागत पर नहीं किया जाना चाहिए। मन्त्री जी आमतौर पर यही कहते रहते हैं कि वे सरकारी नीति के अनुसरण में जानबूझकर उत्पादन की वास्तविक लागत के अनुरूप मूल्यों में वृद्धि होने से रोक रहे हैं परन्तु वास्तविक स्थिति को देखते हुए उनकी यह घोषणा कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, श्रमिकों पर किए जाने वाले व्यय के बारे में हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह श्रमिक-विरोधी लगता है जबकि मन्त्री जी का इरादा ऐसा नहीं है। यह बात बार-बार नहीं दोहराई जानी चाहिए।

मन्त्री को पूरे ढांचे पर विचार करना होगा और ऐसे वास्तविक कारणों और तरीकों का पता लगाना पड़ेगा जिससे वे घाटे को कम करने में सफल हो सकें। उन्हें ऐसे उचित कदम उठाने पड़ेंगे जिससे घाटे को कम तथा समाप्त किया जा सके और समस्त कोयला उद्योग का एक ठोस आधार प्रदान किया जा सके तथा इसे पुनः सुदृढ़ बनाया जा सके।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेकानाल) : सभापति महोदय, यह लगभग साढ़े दस वर्ष पूर्व की ही बात है कि 'कोकिंग' और 'नान कोकिंग' कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और जिस उद्देश्य से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था उसके बारे में इस सदन को पूरी जानकारी है और इसीलिए यह सदन भारी घाटे के प्रति चिन्तित है, और जैसा कि मन्त्री जी ने स्वयं हमें बताया है, वर्ष 1985 तक 1215 करोड़ रुपए के मूल्य का संचित घाटा हो चुका है। यह केवल सच ही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम को भारी नुकसान हो रहा है बल्कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी शिखर पर होना चाहिए। हमने इन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यकरण, उत्पादकता और आमदनी में वृद्धि करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में काफी बल दिया है जिसका सीधा प्रभाव हमारे आधारभूत ढांचे अर्थात् बिजली उत्पादन पर, इस्पात के उत्पादन पर, उर्वरकों के उत्पादन पर, सीमेंट आदि के उत्पादन, जो देश की आर्थिक प्रगति के परिचायक हैं, पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि इसके साथ-साथ ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सुधार के लिए भी अपनी आमदनी पुनः बढ़ायेंगे और योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने में भी काफी सहायक होंगे। इसीलिए योजना के बारे में सरकार का उद्देश्य यह है कि योजना के लक्ष्यों को पूरा किया

जाए तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति की जाए जिनके प्रति सरकार वचनबद्ध है । इसीलिए माननीय सदस्य ने यह जो चर्चा उठाई है, ठीक है, और मुझे पूरी आशा है कि मंत्रीजी, जो खुद पश्चिमी कोयला-क्षेत्रों, नागपुर के कोयला उत्पादन क्षेत्र से हैं, ठीक कार्य कर रहे हैं और उन्हें पूर्वी कोयला क्षेत्रों तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिनमें उत्पादन बहुत कम हो रहा है और जो कोल इण्डिया लिमिटेड के सामान्य राजस्व में अपना अंशदान नहीं दे रहे हैं, की कठिनाइयों और कमियों के बारे में भी पता है । महोदय, कोयला ऊर्जा का गैर-नवीनीकरण स्रोत, अर्थात जीवाश्म ईंधन है और भारत में विश्व के कुल कोयला भण्डार का एक प्रतिशत से अधिक कोयला भण्डार हैं। भूवैज्ञानिक आंकड़ों द्वारा इसकी पुष्टि की जा चुकी है । किन्तु अभी भी ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है जिनका भूवैज्ञानिक मानचित्र नहीं तैयार किया गया है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वेक्षण नहीं किया गया है । न ही इसकी खोज करने के लिए पर्याप्त प्रयास किया गया है क्योंकि हम शायद इस भ्रम में थे कि यह कोयला 350 वर्षों से भी अधिक समय तक चलेगा । अब, राष्ट्रीयकरण से पहले जिस अवैज्ञानिक रूप से कोयले का उपयोग किया जा रहा था और इस गैर-नवीनीकरण ऊर्जा के इतने विशाल साधन अर्थात जीवाश्म ईंधन का जिस तरीके से परीक्षण किया जा रहा था, उस पर गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है । अब समय आ गया है जब हमें अपने संसाधनों को जुटाना चाहिए, हमें अपने कोयले का संरक्षण करना चाहिए, जबकि कोयले के विभिन्न प्रकारों का—जो धातुकर्मीय श्रेणी के हैं उनका भी और गैर-धातुकर्मीय श्रेणी के कोयलों का भी, कोकिंग और नोन-कोकिंग भी—का आधुनिक तरीकों, आधुनिक तकनीकों और संरक्षण के वैज्ञानिक तरीकों से उपयोग किया जाना चाहिए । विकसित देशों में जिनके यहां हमारे देश में राख की अधिक मात्रा वाले कोयले की तुलना में और भी अधिक राख वाला कोयला उपलब्ध होता है, वहां उसका विभिन्न प्रयोजनों के लिए, 'फ्लूइड-बेड' प्रक्रिया का प्रयोग करके उसका उपयोग किया जाता है । इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम राख की अधिक प्रतिशतता वाले अपने कोयले को नवीनतम तथा आधुनिक न बना सकें और भविष्य के लिए कोयले का बेहतर किस्म का संरक्षण कर सकें तथा अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में, कई बार इस बात को दोहराया है कि इन दो कोयला क्षेत्रों—पूर्वी-कोयला क्षेत्र और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड— के कार्यकरण के सम्बन्ध में गहन अध्ययन किया गया है । प्रतिवेदनों का अध्ययन किया जा रहा है । वास्तव में, चारी समिति का प्रतिवेदन, जो प्रस्तुत किया जा चुका है, विचाराधीन है, जबकि बेनर्जी समित द्वारा सरकार को अपना प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किया जाना है । इसके अलावा, हमारे पास सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति है, फजल समिति है और सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों की अन्य बहुत सी समितियां हैं, जो उन विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही हैं जिनसे कोयला उद्योग ग्रस्त है, ताकि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके । यह बहुत रोचक बात है कि हमारी उत्पादकता—यदि मैं गलत हूं तो इस गलती को सुधार लूंगा —अन्य उन्नत कोयला उत्पादक देशों की 13 टन से 15 टन मानव दिवसों की तुलना में, एक टन से 5 टन मानव दिवस के बीच है । इसकी उत्पादकता बहुत कम है और हमें इसकी जांच करनी चाहिए, जैसाकि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एकीकृत तरीका अपना कर गहन अध्ययन करके अन्य उन्नत देशों ने किया है ।

जैसाकि, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, कि श्रमिक लागत

तथा बताए गए अन्य कारण, जैसे कि बिजली की अनियमित सप्लाई, कानून और व्यवस्था की स्थिति और विभिन्न भू-आकृतिक और भू-वैज्ञानिक कारणों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मूल्य निर्धारित किए गए हैं परन्तु एक समय आएगा जब हम इन कारणों का उल्लेख करके ही इन्हें नजर-अंदाज कर सकेंगे। हमें इसका हल ढूंढना चाहिए और यह हर्ष की बात है कि मन्त्रालय और माननीय मन्त्री जी तथा कोल इण्डिया ने इन समस्याओं का हल निकालने के लिए गत चार-पांच वर्षों में कड़े और उचित कदम उठाए हैं और जिनके अच्छे परिणाम निकलने भी शुरू हो गए हैं। यहां तक की कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए माननीय मंत्री जी कल ही इस सदन में विधान लाए हैं, जो बहुत पहले लाना चाहिए था। वास्तव में, एक अनौपचारिक परामर्शदात्री उप-समिति ने, जिसके चेयरमैन बिहार के वर्तमान मुख्य मंत्री, श्री दुबे थे, और जो खुद श्रमिक नेता हैं, और उस समिति का मैं भी एक सदस्य था, पश्चिमी कोयला (इण्डिया) और विभिन्न कोयला क्षेत्रों का दौरा किया था और सरकार को आवास, पानी, सड़कों अथवा शैक्षिक संस्थाओं, उनके भविष्य निधि आदि से संबंधित सुविधाओं और कल्याणकारी उपायों, जो वहां बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे, के बारे में एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मुझे खुशी है कि इस बारे में सरकार ने बहुत ही उचित कदम उठाए हैं और अकेले कल्याणकारी उपायों के लिए 450 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि आबंटित की गई है। परन्तु इसके बावजूद क्या कारण है कि हमारी उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई और साथ ही अन्दर ही अन्दर असन्तोष में भी वृद्धि हो रही है? ये कुछ बातें हैं जिनकी ओर विस्तार से ध्यान देने की आवश्यकता है, अधिक गहन अध्ययन और सुधारात्मक तथा उपचारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

माननीय मन्त्री जी ने 10 मार्च, 1986 को एक प्रश्न के अपने उत्तर में इस सदन को विश्वास में लिया था और यह उल्लेख किया था :

"कोयला कम्पनियों में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनके लिए सुदृढ़ वित्तीय आधार की व्यवस्था की जा सके और साथ ही साथ वह आने वाले वर्षों में कोयले की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सफल हो सके। कोयला कम्पनियों में उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में, नई खानों में निवेश करना, पहले से ही उत्पन्न खनन क्षमता का पूरा उपयोग करना, उपकरणों का अधिक कुशल प्रयोग और बेहतर अनुरक्षण, भण्डारों के प्रयोग में किफायत और वस्तु सूची का कड़ा नियन्त्रण अनुपस्थित होने की घटनाओं पर नियन्त्रण करके और कड़ा अनुशासन लागू करके तथा फालतू कामगारों का पता लगाकर और उन्हें उचित प्रशिक्षण देखकर पुनः काम पर लगाना, विषफोटकों, इमारती लकड़ी आदि जैसी सीमित आदानों को और अधिक सुलभ कराना, कोयला खानों के मुहानों पर, कोयले की त्वरित ढुलाई तथा प्रणालीबद्ध वितरण करके कोयला भण्डारों को कम करना, नई परियोजनाओं को शीघ्र तथा समय पर पूरा करना और कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना और बिहार-बंगाल के कोयला क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर नियन्त्रण पाना शामिल है।" ये गम्भीर कारण हैं जो दिए गए हैं और मुझे पूरी आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस बारे में उठाए गए कदमों के सम्बन्ध में हमें बताएंगे। केवल कदमों के बारे में ही नहीं, बल्कि मुझे आशा है

कि, विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की उचित निगरानी और कार्यान्वयन के बारे में धारक, कम्पनियों अर्थात इस मामले में कोल इण्डिया लिमिटेड तथा उसकी आनुषंगिक कम्पनियों के बारे में लिए गए सरकारी निर्णयों के विषय में भी वे बताएंगे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, और क्या अब तक उठाए गए उपायों के परिणाम के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और किस सीमा तक इसमें सुधार हुआ है। समस्त प्रक्रिया को पद्धति के तरीके से और एकीकृत तरीके से चलाना होगा और यह प्रयास लगातार जारी रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आज हम एक कदम उठाएं और कल उसके परिणाम निकलने की आशा करें। ऐसा नहीं है कि यह क्रिकेट का खेल हो जहां शरीर अथवा दिमाग के साथ बल्लेबाज और गेंदबाज एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते रहते हैं, गेंद बल्ले से लगने का तथा बल्ला गेंद को मारने आदि आदि का प्रयास चलता रहता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों, माननीय सदस्यों के सुझावों और सरकार के निर्णयों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर अक्षरशः कार्यान्वित करने के लिए, सकारात्मक और अत्यन्त संकल्पित कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि सभी बातों का सार समय ही है और जब तक्स मय पर कार्यवाही नहीं की जाएगी, इसका कोई महत्व या अर्थ नहीं होगा। समय पर कार्य करने से अनेक समस्याओं का हल खुद ही हो जाता है।

अब हमें यह बताया गया है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो मूल्य ढांचे और लागू किए गए मूल्यों के समस्त पहलू पर भी विचार कर रहा है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के वर्ष 1981 के 17वें प्रतिवेदन में घाटे का सबसे बड़ा एकल कारण उत्पाद का मूल्य-निर्धारण बताया गया है। अतः इस संदर्भ में सम्पूर्ण मूल्य-निर्धारण में उत्पादन की लागत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तक हम कार्यक्षमता नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम उत्पादन लागत कम नहीं करेंगे, तब तक हमें इस प्रकार के नियन्त्रित मूल्यों का आश्रय लेना होगा। जिनका सम्पूर्ण आर्थिक विकास पर एक समग्र प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोयला मूलभूत विकास में ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस पर छठी और सातवीं दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक जोर दिया गया है, विशेष रूप से तेजी से आर्थिक विकास के लिए, क्षेत्रीय असमानताएं और क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए।

वहां की असामान्य स्थिति है जहां कोयला धारण क्षेत्रों में खुली कोयला खानों में कोयला क्षेत्र का एक-तिहाई भाग देश में उत्पादित कोयले के दो-तिहाई भाग का उत्पादन करता है और वे क्षेत्र के दो-तिहाई भाग में फैले हुए हैं। जबकि कार्य बल का दो-तिहाई भाग चाहे वह आदमी हो या सामग्री, कार्मिक हो या मशीनरी, भूमिगत खनन क्षेत्र के एक-तिहाई भाग तक सीमित है, जो कुल उत्पादन के केवल एक-तिहाई भाग के लिए उत्तरदायी है। इसलिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, कार्मिक और मशीनरी दोनों के सक्षम प्रबंध, मानव-मशीन संबंध, नीति-निर्माताओं और क्रियान्वयनकारों के बीच विचार-विनिमय पर अधिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना होगा, जो अब तक नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, केवल डेढ़ दशक पूर्व ही राष्ट्रीयकरण किया गया था और अनेक कदम उठाए गए थे, जो सही दिशा में उठाया गया कदम है और इसने परिणाम देने आरम्भ कर दिए हैं। यद्यपि विपक्ष के मेरे

माननीय मित्रों के विभिन्न हानियों और लक्ष्यों तथा उत्पादन लागत के काफी आंकड़े दिए हैं, परन्तु फिर भी यह तथ्य है कि जब भी आधुनिकीकरण के लिए नया निवेश किया जाता है, नए क्षेत्रों के दोहन के लिए नया कार्य किया जाता है, तो इसके परिणाम आने में कुछ समय लगता है और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री, विभाग और मंत्रालय या नियंत्रक कम्पनी—कोल इण्डिया द्वारा किए परिवर्तनकारी उपायों के परिणामों और प्रभाव के संबंध में हमें विश्वास में लेंगे।

महोदय, अनेक सदस्यों ने इस सभा में और परामर्शदात्री समितियों में तथा विभिन्न समितियों में इस तथ्य पर बल दिया है कि अधिकांश कोयला क्षेत्र दुर्वह हैं और उनका प्रबन्ध करना कठिन है। दुर्वहता के कारण शासन नियंत्रण संरचना पर प्रभाव पड़ता था और नीति निर्माताओं, प्रशासकों और कोयला क्षेत्रों में काम करने वालों के बीच दोतरफा विचार-विनिमय व्यवस्था बनाना कठिन था। इसलिए, मैं पुनःसंरचना और कार्यकरण को सुचारू बनाने और इसे अधिक प्रभावी, अधिक लागत प्रभावी बनाने और बेहतर प्रबन्ध के दृष्टिकोण से दो नई कम्पनियां अर्थात्, दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र (साउथ ईस्ट कोल फील्ड्स) और उत्तर कोयला क्षेत्र (नोर्दर्न कोल फील्ड्स) बनाने के लिए मंत्री महोदय और मंत्रालय तथा कोयला विभाग को बधाई अवश्य दूंगा। और मैं उन्हें इसलिए भी बधाई दूंगा क्योंकि मेरे अपने राज्य उड़ीसा में तालचेर कोयला क्षेत्र, जिसमें कोयले का विशाल भंडार है, जो अब लगभग 3.5 मिलियन टन उत्पादन करती है तथा इब घाटी, जो पश्चिम कोयला क्षेत्र में थी, जो लगभग 2.5 मिलियन टन उत्पादन करती है और केन्द्रीय कोयला क्षेत्र में तालचेर, दोनों एक ही राज्य में दो विभिन्न नियंत्रक कम्पनियों के अंतर्गत थीं। इसलिए, प्रबन्धकों के बीच परस्पर-कार्यवाही के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया जाना है। अब पहली बार, वे एक नियंत्रक कम्पनी में है जो दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र के एक भाग बिलासपुर और अम्बिकापुर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार, मुझे विश्वास है जैसे ही कोयले के उत्पादन में सुधार होगा, जैसे ही प्रबन्ध में सुधार होगा, उत्पादन अधिकतम स्तर पर होगा, जिससे अन्य क्षेत्र में भी ऐसा ही ढांचा अपनाएंगे ताकि एक बार फिर प्रशासकों और कर्मकारों को कोयले का उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिल सके, जैसा कि विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे और एक ऐसा भी दिन आएगा जब उड़ीसा के दोनों कोयला क्षेत्र एक नियंत्रक कम्पनी, अर्थात्, उड़ीसा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी, जो उड़ीसा के सदस्यों तथा अन्य राज्यों के सदस्यों की लम्बे समय से चली आ रही मांग थी।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि चूंकि कोयला उत्पादन के संचालन और इसके परिवहन के कारण तथा विभिन्न क्षेत्रों को वितरण के कारण उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है और न केवल कोयले की लागत पर बल्कि बिजली, उर्वरकों, सीमेंट और इस्पात की लागत पर भी प्रभाव पड़ता है, विभिन्न खान-मुहानों पर खान-मुहाना अधितापं बिजलीघर बनाने की अवधारणा एक स्वागत योग्य बात है। और इस संबंध में इसका समकक्ष विभाग, अर्थात्, ऊर्जा विभाग, जिसका प्रभार भी माननीय मंत्री के पास है, भी इस पर विचार करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े तथा शीघ्र कदम उठाएगा कि इब घाटी और तालचेर अधितापं बिजलीघर सातवीं योजना में वास्तविकता बन जाएं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, कोल के सम्बन्ध में यहां पर डिस्कशन चल रहा है और जिस तरीके से माननीय सदस्य ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आज से करीब 13-14 साल पहले इसका नेशनेलाइजेशन हुआ और इन 13-14 साल में कोल इण्डिया और अन्य कम्पनियों ने कितना नुकसान दिया है इस देश को, इसका शायद आपने हिसाब लगाया होगा। अब तक कितना नुकसान हुआ है।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : 1200 करोड़ रुपया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : 1200 करोड़ रुपए डाक्टर साहब बता रहे हैं। पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं में इतना बड़ा घाटा हो, तो ये संस्थाएं किस प्रकार से चलेंगीं और यह देश कैसे चलेगा। हमें तो यह उम्मीद थी कि आप ज्याद से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा कर इस देश को शक्तिशाली, मजबूत और महान् बनाने में अपना योगदान देंगे मगर हो रहा इसका उल्टा है। माननीय मंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही इस महकमे का भार संभाला है। हमने कई दफा जिक्र किया कि इस नुकसान की वजह क्या है। कोई मजदूरों ने यह नुकसान नहीं दिया है बल्कि आप के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यह नुकसान हुआ है, जिनकी मिली-भगत है, ऐसे लोगों से जो कोयले की चोरी करते हैं। बड़े-बड़े गैंग्स वहां पर बने हुए हैं और सारे का सारा कन्ट्रोल कोयले का वही करते हैं। आपके मैनेजिंग डाइरेक्टर हों या डाइरेक्टर हों या अन्य अधिकारी हों, वे नाम-मात्र के वहां पर हैं और वे भी इन लोगों से मिले हुए हैं, जिनके बारे में डाक्टर साहब अच्छी तरह से बताएंगे। माफिया लफ्ज यहां पर कई बार इस्तेमाल हुआ है। वही वहां पर सुपर पावर हैं और वही कन्ट्रोल करते हैं। इसका जिक्र भी डाक्टर साहब करेंगे कि कौन-कौन लोग माफिया गैंग्ग में शामिल हैं और कौन-कौन लोग गड़बड़ करते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर कोल इन्डिया को और अन्य दूसरी कम्पनीज को ऊंचा उठाना है, और इनका उत्पादन अगर बढ़ाना है, तो इन गैंग्स को कन्ट्रोल कीजिए और दूसरे जो चोरी करने वाले हैं, उनको कन्ट्रोल कीजिए। चोरी करने वालों में सैकिण्ड नम्बर कान्ट्रेक्टर्स का आता है। एफ०सी०आई० में आपने देखा होगा कि करोड़ों रुपए सब्सीडी देने के बाद वहां पर नुकसान होता है। अगर डिपार्टमेंटल वर्क हो, डिपार्टमेंट लेबर तो यह नुकसान नहीं हो सकता। कान्ट्रेक्टर की जो लेबर है, वह उनके प्रभाव में आकर सामान की उलट-फेर करते हैं और ट्रक के ट्रक माल गायब हो जाता है। उसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता है और सारी व्यवस्था खराब चलती है। मैंने थोड़े दिन पहले एफ०सी०आई० के बारे में एक नजीर दी थी। कल्याणी के अन्दर डिपार्टमेन्टल लोग काम करते हैं और वहां मुनाफा होता है और जहां पर कान्ट्रेक्ट लेबर काम करता है, वहां पर नुकसान होता है। ट्रक में से 50 बोरे गेहूं गायब कर दिए जाते हैं और उसकी वजह से बराबर नुकसान होता है। आप कहेंगे कि कान्ट्रेक्ट लेबर से हमको फायदा होता है। जल्दी-जल्दी काम हो जाता है और पैसे भी थोड़े देने पड़ते हैं मगर माल कितना निकल जाता है, इसका अन्दाज आपने नहीं लगाया होगा। इसलिए यह व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, आपको घाटा होता रहेगा और बराबर चोरी होती रहेगी और चोरी की वजह से कोल इंडिया को बराबर नुकसान

होता रहेगा और प्रोडक्शन हम जितना करना चाहेंगे, उतना नहीं हो पाएगा। एक माननीय सदस्य ने चीन और हिन्दुस्तान की कम्पेरेटिव स्टडी के बारे में कहा। हमारे यहां और उनके यहां उत्पादन में बहुत फर्क है हालांकि मैनपावर उतनी ही लगी हुई है और शायद हमारे हिन्दुस्तान में ज्यादा मैनपावर लगी हो। उनके यहां प्रोडक्शन ज्यादा है और हमारे यहां कम है। इसके क्या कारण हैं। यहाँ पर मजदूरों को वे फैसेलिटीज नहीं हैं, जो उनके यहां हैं। मजदूर के रहने के लिए मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था होनी चाहिए। हर प्रकार की सही व्यवस्था उसके लिए होनी चाहिए। तब जाकर वह सन्तुष्ट हो सकता है। अगर वह अपने परिवार के लोगों को सन्तुष्ट नहीं कर सकता, तो वह ठीक से काम करने योग्य नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं निश्चित तरीके से करनी चाहिएं तब जाकर मजदूरों को सन्तोष होता है।

अभी कल-परसों कोल-इंडिया में वेल्फेअर के सम्बन्ध में एक एक्ट रिपील करने का बिल लाए थे। उस वक्त आपने कहा था कि उस एक्ट के अधीन वेल्फेअर एक्टीविटीज को बंद कर दिया गया है, मगर अब डिपर्टमेंट की तरफ से वेल्फेअर एक्टीविटीज चलायेंगे। इसके लिए आपने 50 करोड़ रुपया पंचवर्षीय योजना में रखा है। इस रकम से जो आप मजदूरों को फेसिलिटीज देने जा रहे हैं क्या उनकी आपने शुरूआत भी की है या नहीं? मजदूरों को फेसिलिटीज देने की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। तभी जाकर मजदूरों में संतोष होगा और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।

आप बार-बार कोयले की कीमतें बढ़ा देते हैं और कीमतें बढ़ा कर आप अपने घाटे को कम करना चाहते हैं। यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इससे दूसरी चीजों की भी प्राइसिज बढ़ती हैं। इंडस्ट्री वाले प्राइसिज बढ़ा देते हैं और दूसरी चीजों की प्राइसिज भी बढ़ जाती हैं। इन प्राइसिज के बढ़ने से देश के गरीब लोगों पर असर पड़ता है। उन गरीब लोगों पर कीमतें बढ़ने का कितना भार पड़ता है इसका आप अन्दाजा लगाए।

इस तरीके से बार-बार प्राइस बढ़ाने से जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे हर चीज में प्राइस राइज हो जाता है। आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ायी, उसका असर आम लोगों पर हुआ। ये विरोधी दल वाले जो हमारी सरकार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते थे, इससे उनको भी बोलने का मौका मिल गया। पिछले एक साल में राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। लेकिन आपने पेट्रोलियम, केरोसीन आयल, कोयले और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ा कर उनको भी बोलने का मौका दे दिया। इनमें से कौन-सी चीज थी जो आम जनता के काम में नहीं आती है। आप ऐसी चीजों की कीमतें बढ़ा कर माननीय प्रधान मंत्री जी की सरकार के खिलाफ बोलने का आप विरोधी दलों को मौका क्यों देते हैं? आपको तो इस तरह के काम करने चाहिएं जिनसे राजीव गांधी जी का नाम ऊंचा हो। आपको गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा सहुलियतें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय आप विरोधियों को विरोध में बोलने का मौका देते हैं। हमरारी सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठाए, हमारी सरकाम के खिलाफ कोई आन्दोलन नहीं करे, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक।

मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आर्षित करना चाहता हूं। मजदूरों की तंख्वाह बढ़ाने से, मजदूर की मजदूरी बढ़ाने से कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। कास्ट आफ प्रोडक्टन बढ़ता है मिस-मेनेजमेंट से, कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ता है चोरियों की वजह से, कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ता है गलत कामों की वजह से। आप इन सारी बातों को रोकिए जिससे कि आपकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : हम कोल इण्डिया लिमिटेड की बढ़ते हुए और आवर्ती हानियों, जो कुल मिलाकर 1200 करोड़ रुपए हो गई है, के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सम्भवत: आप जानते हो कि राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के मूल्यों में सात बार संशोधन किया जा चुका है। वर्ष 1952 में खान मुहाने की कोयला लागत 14 रुपये कुछ पैसे प्रति टन थी और आज खान-मुहाने की लागत 200 रुपये प्रति टन है। अर्थात् पिछले तीन दशकों में मूल्यों में बीस गुना वृद्धि हुई है। इसका कारण क्या है ? विपक्ष के मेरे विद्वान मित्र ने इस बारे में कहा था। निरन्तर घाटे का मुख्य कारण—माफिया गिरोह, कोल इण्डिया लिमिटेड में भाई-भतीजावाद और कोल इण्डिया लिमिटेड के लोगों द्वारा कोयला खानों में और उच्च स्तर पर किया जाने वाला कदाचार भी है। वास्तव में, यह भारी घाटा राष्ट्रीय घाटा है।

कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य मद है। परन्तु हम उस मूल्यों पर कोयले का उत्पादन कर रहे हैं जिससे राजस्व का घाटा हो रहा है। यह हम सबके लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। जब वर्ष 1952 में, कोयले का मुहाना मूल्य 14 रुपये प्रति टन था, 1974 में औसत मूल्य 47.50 रुपये था और सिंगरौली में यह 50.50 रुपये था। परन्तु आज मूल्य लगभग 200 रुपये है। कभी-कभी यह बताया जाता है कि घाटा अतिरिक्त श्रम बल, कम मशीनीकरण के कारण हो रहा है और कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा मजूरी बोर्ड करार के क्रियान्वय के लिए ली गई जिम्मेदारी के कारण है। यह मुख्य कारण नहीं है। घाटे के मुख्य कारण माफिया गिरोह, जिन्हें सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त है और भाई-भतीजावाद और कोल इण्डिया लिमिटेड में कुप्रशासन है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इन सब बातों पर विचार करें।

भारत कुकिंग कोल लि० तथा ईस्टर्न कोल फील्ड्स इण्डिया लि० में हो रहे नुकसान की जांच करने के लिए दो समितियां नियुक्त की गई थीं। इन समितियों ने बहुत समय पहले अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए थे। मैं समिति की इन सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानना चाहता हूं।

इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अत: इस बारे में मैं और अधिक नहीं बोलना चाहता। परन्तु कोयला खानों में घाटा होने का मुख्य कारण 'माफिया' गिरोहों का क्रियाशील होना तथा भाई-भतीजावाद का हावी होना है। इन सब बातों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के कई वर्षों के बाद भी इन माफिया गिरोहों के कार्यकलापों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये लोग धनबाद तथा अन्य आस-पास के क्षेत्रों में कोयला खानों के शासक बन गये हैं।

कुछ दिन पहले, वेतन बोर्ड करार के लागू न होने तथा कोल इण्डिया लि० द्वारा कल्याण-कार्यों को लागू न करने के खिलाफ कोयला खानों में सभी श्रमिक संघों ने पूर्ण हड़ताल की थी। इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। चूंकि ये मांगें कोयला खान क्षेत्र के सभी श्रमिक संघों द्वारा रखी गई हैं, इसलिए इन पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। यदि श्रमिक वर्ग संतुष्ट है तो उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि लगातार हड़ताल होती है और श्रमिकों में असंतोष

4.58 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

व्याप्त है और यदि कोल इण्डिया लि० में माफिया गिरोह क्रियाशील है, तथा भाई-भतीजावाद और कुप्रशासन विद्यमान है, तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और कोल इण्डिया लि० उस हद तक देश के विकास में सहयोग नहीं दे सकता है जिस हद तक उसे देना चाहिए। इन सभी कारणों पर विचार किया जाना चाहिए और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह वाद-विवाद का उत्तर देते समय मेरे प्रश्नों का उत्तर दें।

5.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष जी, वैसे मैं जहां तक श्रम कल्याण का संबंध है, इस विषय पर बोल चुका हुं लेकिन आज अनुशासित सिपाही होने के कारण पांच-सात मिनट में समाप्त करने का विचार करूंगा। मैं यह कह रहा था कि मेरा सम्बन्ध इस विभाग से सन् 80 से है जबसे मैं चुनकर आया हूं क्योंकि मैं कन्सलटेटिव कमेटी में जा रहा हूं। संयोग से सिंगरौली कोल फील्ड मेरे क्षेत्र में है इसलिए मैं थोड़ा नजदीक से जानता हूं। इसमें कोई शक नहीं सन् 80 के बाद इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किया गया और कोयला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह की इन्डस्ट्रीयल सैक्टर का उत्पादन है। अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो बिजली की बढ़ेगी और बिजली की बढ़ती है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बढ़ती है। इस तरह सारी कीमतें बढ़ जाती हैं। यह मैं मानता हूं कि सन् 80 के बाद कोयले के उत्पादन के लिए उत्तरोत्तर प्रयास किया गया। नतीजा यह है कि जो हमने लक्ष्य रखा था, उससे दस-पन्द्रह प्रतिशत आगे हैं। इसके लिए कोल इण्डिया बधाई का पात्र है। मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। नेशनलाइजेशन के बाद सबसे पहली खराब बात यह हुई जो स्वीकार करनी पड़ी, वह ओवर-स्टाफिंग की थी। ओवर स्टाफ प्राईवेट सैक्टर ने इतना भर दिया कि उससे आज तक कोल इण्डिया परेशान है। मैं चाहूंगा कि जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनमें नार्म्स के अनुसार स्टाफ की भर्ती की जाए। कुछ मजबूरी के कारण भी कोल इण्डिया को अपने हाथ में प्रोजेक्ट्स लेने पड़ रहे हैं। जो अमलूरी का प्रोजेक्ट है उससे प्रति टन सौ रुपये की हानि होगी और

जो खड़िया का प्रोजेक्ट है उससे भी काफी हानि होगी, लेकिन राष्ट्रहित में इन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना जरूरी है। कोल इण्डिया की जो लिमिटेशन्स हैं, उनको समझना जरूरी है। हमारे आदरणीय गुप्ता जी भी यहां बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है कि ईस्टर्न कोल फील्ड में लाभ नहीं होता। वहां पर मजदूर काम ही नहीं करता। रोज ही हड़ताल होती रहती है। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब होने से वहां पर अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल है। जो माफिया गैंग है, उसकी वजह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। वहां पर कोयले की चोरी होती है। इसमें प्रदेश सरकार भी इन्वाल्व है। जब प्रदेश सरकार का लॉ एण्ड आर्डर का विषय है और अगर वह उसमें सहयोग नहीं करती है तो कोल इण्डिया के लिए परेशानी हो जाती है। हमारे सदन के सदस्यों को यह भी जानना चाहिए कि लॉ एण्ड आर्डर और चोरी के लिए केवल कोल इण्डिया ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि विभिन्न सम्बन्धित सरकारें हैं, चाहे वैस्ट बंगाल या बिहार हो। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा। हमारे यहां चोरी नहीं है, शांति से चल रहा है और लाभ पर है। मालूम नहीं यह कहां तक सही है क्योंकि मुझे बताया गया है जो प्रशासन है उसमें अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप जरा खर्चा कम करें। इसके अलावा बहुत खर्चे हैं। कांट्रेक्ट सिस्टम जो चल रहा है निश्चित तौर से उससे काफी घाटा उठाना पड़ता है। जो अस्थाई नेचर के काम हैं, वहां पर कांट्रेक्टर्स नहीं होंगे तो उससे भी काम अधिक होगा। कोयले की वितरण व्यवस्था के बारे में भी कह देना चाहता हूं। रेल से मूवमेंट करने पर बड़ा अच्छा असर हुआ है, इससे रेलवे को भी लाभ हुआ है और चोरी कम हुई है। कोल स्टाक यार्ड बनाने की बात भी हुई थी, न जाने उसको क्यों बन्द कर दिया गया। उससे उपभोक्ता संतुष्ट थे क्योंकि कोयला काफी सस्ता मिलता था। वह रेशनेलाइज होना चाहिए। यही स्थिति कोल स्टाक यार्ड के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र राबर्टसगंज की भी है। यह कोई कारण नहीं है कि बनारस, गाजीपुर और मिर्जापुर को रानीगंज और झरिया से ही क्यों कोयला दिया जाए। यह राष्ट्रहित में नहीं है क्योंकि सिंगरौली कोल फील्ड बहुत नजदीक है। इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। आप मध्य प्रदेश में, सिंगरौली में जहां कोयला पैदा होता है, कम से कम उस जिले को उसके आस-पास के क्षेत्र को फीड करना चाहिए। वरना यह राष्ट्रीय हानि होगी। आपको लगाम सख्त करनी पड़ेगी। कोल इण्डिया में अफसरों ने बहुत गड़बड़ की है। इसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अन्त में मैं धन्यवाद देता हूं जो कम्पनियां बनी। जहां एडमिनिस्ट्रेशन पाइंट ऑफ व्यू से आपको कम्पनियां बनानी पड़ी। जैसा बनारस में किया। इसलिए जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की, विकास की बात है जहां यह सुविधायें हो, आवागमन की स्थिति हो वहां पर करें।

मुझे यह विश्वास है कि कोयले में हानि को आप कम करेंगे। वैसे 40 हजार करोड़ हमने खर्च किया है। उत्तरोतर सबमें सुधार हो रहा है तो कोल इण्डिया में भी हानि को कम करके लाभ में लायें। जहां 13 करोड़ का लाभ होना था आपने 10 करोड़ की हानि बता दी है, इसलिए अधिकारियों को आपको देखना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : मान्यवर, कल कोल इण्डिया की फील्ड लेबर वेल्फेयर विधेयक पर बताते हुए माननीय मंत्री जी को इस बात पर धन्यवाद दिया था उन्होंने इस पंचशाला में काफी धन चाहा है और कोयला उद्योग को काफी प्राथमिकता दी है, यह भी कहा था कि रूस के सहयोग से

नई तकनीक पैदा करके देश में कोयला का उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्षम उपाय कर रहे हैं, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

इस सदन की चिन्ता इस बात पर है कि कोयले में जो रिकरिंग लास हो रहा है दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ोत्तरी हुई है, उसके आगे क्या होगा। प्रोडेक्शन कितना भी बढ़ जाए, कितनी अच्छी टेक्नोलोजी हो जाए, कितने सक्षम मंत्री इसके लिए कुछ करें, अगर लासेज बढ़ता है, रिकरिंग है तो जल्दी इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। कोयला एक महत्वपूर्ण हथियार है, देश की अर्थ-व्यवस्था इस पर निर्भर करती है, निर्माण कार्य निर्भर करता है, रेलों को इससे चलना है, पावर हाउस को चलना है, सीमेंट प्लांट और स्टील प्लांट को इससे चलना है, डोमेस्टिक अफेयर्स इस पर निर्भर हैं इस सारी चीजों का सम्बन्ध कोयले के भरोसे ही है। इसलिए इस माननीय सदन को इस पर विचार करना चाहिए और माननीय मंत्री को यहां उपस्थित सदस्यों की जो उचित राय हो उसको गहराई से लेना चाहिए। क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिसका सम्बन्ध राष्ट्र की अर्थव्यवस्था से, राष्ट्र के प्रोडेक्शन से, पूरे हिन्दुस्तान के उद्योगों से है। केन्द्र सरकार की सूझबूझ से अक्तूबर, 1971 में 214 कुकिंग कोल कम्पनीज को टेक ओवर किया, बाद में उनका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया। उद्देश्य यह था कि यह कम्पनियां जब प्राईवेट सेक्टर से निकल पब्लिक सेक्टर यानि पब्लिक अण्डरटेकिंग में जायेंगी तो उनको और सुविधायें दी जायेंगी और उनकी बढ़ोत्तरी के लिए सोचा जा सकता है। इसी तरह से बी० सी० एल० वजूद में आया, फिर जनवरी, 1983 में 771 नान कुकिंग कोल कम्पनीज को टेक ओवर किया और बाद में उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1971 में 184 कोल माइन्स थी झरिया की उनको बी०सी०सी०एल० को ट्रांसफर कर दिया, बाकी जो कोल माइन्स थी उनको कोल माइन्स अथोरिटी लिमिटेड को सौंप दिया। यह सब कार्यवाही भारत सरकार की तरफ से चल रही थी, बाद में इस तरह से सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर नवम्बर, 1975 में वजूद में आई। यह इस देश के लिए शुभ घड़ी थी। हम समझ रहे थे कि अब कोयले के मामले में देश उसके मेनेजमेंट में, उसके प्रोडेक्शन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक होगा और उसके लासेज कम होंगे, लेकिन जब सी०आई०एल० हमारे वजूद में आई, हमको बड़ी दिक्कतें हुई। भारत के कोयले का विश्व में 1 प्रतिशत स्थान है। लगभग 83 बिलियन टन, जो इस देश की अधिक दिनों तक कोयले की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। नई तकनीक माननीय मंत्री जी ने देकर और रशिया के सहयोग से दो हजार टन करने का जिक्र किया है, इस पर हम बहुत कुछ भरोसा करते हैं···लेकिन इस सबके बावजूद यदि हम इसमें होने वाले नुकसान की ओर दृष्टि दौड़ायें तो वर्ष 1978-79 में 3.6 मीट्रिक टन और वर्ष 1979-80 में 6.92 मिलियन टन कोयले का नुकसान हुआ। अब प्रश्न उठता है कि कोयला जैसी चीज, जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, में नुकसान क्यों हो रहा है। अभी जब मैं पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें इसके दो मुख्य कारण बताए गए : सबसे मेन कारण पावर शौर्टेज यानी ट्रीपिंग और दूसरा कारण एबसैन्टिज्म। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि जहां एक तरफ आप एबसैन्टिज्म के लिए मैकेनाइज्ड करें वहीं इस बात की भी जरूरत है कि यदि श्रमिकों के लिए अच्छे घरों की व्यवस्था कर दी जाए, उनकी रहने के लिए अच्छे मकान दे दिए जाएं तो वह नहीं भागेगा। यदि यह जॉब ल्यूक्रेटिव हो जाए, इसमें तमाम सुख-सुविधायें मिलने लगें तो भी वह नहीं भागेगा। यदि उसका स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया जाए, शिक्षा

सुविधाओं में वृद्धि कर दी जाए, उनमें नेशनल फीलिंग पैदा कर दी जाए कि अगर तुम एक दिन भी गैर-हाजिर रहोगे, भले ही त्यौहारों के नाम पर, दुख में, जाड़े-गर्मी में, ब्याह-शादी के नाम पर, तो उससे कितना नुकसान होता है, तो भी मैं समझता हूं कि मजदूर कभी नहीं भागेगा। इसलिए मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप मजदूरों को दीजिए, तब जाकर कुछ आशा की जा सकती है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हमने सी०आई०एल० में वर्ष 1984-85 में 13.83 करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान लगाया था, वहां उसमें 78.03 करोड़ रुपये का घाटा रहा। मान्यवर, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं बल्कि स्वयं माननीय मंत्री जी के हैं, जो उन्होंने राज्य सभा में माननीय श्री के०के० बिरला जी के एक प्रश्न के उत्तर में बताए। वैसे तो उस पर हाई लेवल कमेटी बैठी है लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने गलती की है, उनको जल्दी से जल्दी दण्ड मिलना चाहिए और कोयले की व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए।

श्री दामोदर पाण्डे (हजारीबाग): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोयले से सम्बन्धित बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और जब भी मौका आता है, सारी बातों का जिक्र एक साथ हो जाता है। आज मैं सिर्फ घाटे के सम्बन्ध में ही अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

इस सदन में और सदन के बाहर आज एक बड़ी गलत धारणा फैल रही है कि चूंकि कोयले का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसलिए यह घाटे का सौदा हो गया। जिस समय 1971 में और 1973 में इसके राष्ट्रीयकरण की बात इस सदन में आई थी तो मैंने उसका समर्थन किया था। उस वक्त जो बातें हमने कही थीं, आज भी वे उतनी ही सही हैं। राष्ट्रीयकरण से घाटा हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रीयकरण न हुआ होता तो शायद इस देश में कोयला क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा घाटा सहना पड़ता। हमने उस समय कहा था कि यदि इसका 20 साल तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तो उसके बाद कोयले का नामो-निशान नहीं रहेगा और देश को कोयले के मामले में हमेशा विदेशों पर निर्भर करना पड़ेगा। उस समय कोयले की स्थिति यह थी कि झारिया का एक-तिहाई हिस्सा आग में धू-धू करके जल रहा था और निजी खदानों के मालिक और अंग्रेज लोग ऊपर से कोयला निकालकर, जितना सस्ता कोयला हो सकता था, उसे निकालकर कोलरीज को बन्द करके भाग गए थे। वहां आग के कारण और कोयला निकालना सम्भव नहीं था और वैसी ही जगह कोयला बाकी रह गया था, जहां कोयला निकालने से घाटा ज्यादा था। राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उद्योग ने उस चैलेन्ज को स्वीकार किया और आज जो कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं मानता कि वह कोई छोटा काम है या कम काम हो रहा है। इतना बड़ा काम कोयला उद्योग ने अपने कंधों पर जो सम्भाला है कि देश को उस पर प्रसन्नता होनी चाहिए। इतना करने के बावजूद भी आज हमें दो मिलियन टन कोयला विदेशों से मंगाना पड़ता है और उस कोकिंग कोल को मंगाने पर खर्च पड़ता है, उसकी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होगी। आस्ट्रेलिया से जो हम कोयला मंगाते हैं उसकी कीमत हजार रु० टन आकर पड़ती है। और हम आज भी, वेस्ट कोल, जो सबसे बढ़िया कोकिंग कोल होता है, उसको तीन सौ, साढ़े तीन सौ रुपये प्रति टन के हिसाब से स्टील उद्योग को देते हैं। अब सदन इस बात पर ध्यान दे कि यह घाटे का सौदा हुआ या मुनाफे का। ऐसी कोयलियरीज जिनमें आग लग गई थी, मान्यवर, आप घण्टी बजा

रहे हैं, मैं मन्त्री जी का थोड़ा सा समय ले लूंगा क्योंकि यह इन्हीं का काम है। सही बात की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। मैं यह कहना चाह रहा था कि आज घाटा कहां हो रहा है, उसको देखिए। जहां-जहां पुरानी कोयलियरीज थीं, बी०सी०सी०एल० जिसको कहते हैं, जो हमें कोकिंग कोल कोयला देती है और जो अपने देश के नॉन कोकिंग में सबसे अच्छा कोयला है, वहां पर घाटा हो रहा है। लेकिन जहां-जहां पर भी नई जगहों में हम गए हैं, जैसे डब्ल्यू०सी०एल० की बात करिए और सी०सी०एल० की बात करिए, जहां भी नई खदानें खोली हैं, वहां घाटा नहीं बल्कि मुनाफा हो रहा है और हिन्दुस्तान की जिन दस पब्लिक अण्डरटेकिंग की बात कही गई है जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली अण्डरटेकिंग हैं, उसमें कोयला खदान की एक कम्पनी का भी नाम है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर ये नई खदानें कम्पनियों ने खोली हैं, वहां हमें काफी मुनाफा हो रहा है, लेकिन कभी उनका जिक्र नहीं किया गया है। एक जगह मुनाफा हो रहा है और दूसरी जगह घाटा हो रहा है, इसका क्या कारण, यह जिक्र किया जाता है। मान्यवर, इसका मुख्य कारण यह है कि जो ऊपर का सस्ता कोयला था वह निजी कम्पनियों ने और अंग्रेजों ने निकाल लिया और खदान को जलती हुई छोड़ दिया। ऐसी जगहों में हमें कोयला निकालने के लिए काफी नीचे जाना पड़ता है। इसलिए घाटा होता है। जितनी नीचे जाकर, जितनी गहराई में जाकर कोयला निकाला जाएगा, उतना कोयला महंगा पड़ेगा क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा पड़ेगा। इसलिए उसको आपको देश के हित में बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि खर्चे को बर्दाश्त न करें और घाटा न हो, तो फिर आप साढ़े तीन सौ रुपए टन कोयले के स्थान पर आठ सौ रुपए टन का कोयला आस्ट्रेलिया से मंगवाइए। यह आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप तीन सौ रुपए प्रति टन का कोयला लेना चाहते हैं या आठ सौ रुपये प्रति टन का कोयला खरीदना चाहते हैं और जो अपने दो लाख मजदूर काम कर रहे हैं, वे काम करते रहें, आप चाहते हैं, तो घाटे को सहन करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजहंस आप अपने भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पाण्डे : घाटे के बारे में यह बात सही है कि आज अगर अबाध गति से बिजली मिल जाती, तो घाटा पूरा हो सकता था और···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राजहंस को बोलने के लिए कहा है। आपका भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम कोयले की बात करते हैं, तो सारा पब्लिक सैक्टर का कंसैप्ट ही समाप्त हो जाता है। आज बारह सौ करोड़ रुपए का

घाटा इस इंडस्ट्री में है । मान्यवर मैं एक ही बात कहूंगा जब पब्लिक अंडरटेकिंग की बात कही जाती है, तो कोयले की याद आ जाती है और जब कोयले की बात याद आती है, तो बिहार का नाम याद आ जाता है और जब हम बिहार की बात याद करते हैं, तो माफिया की याद करने लगते हैं । जब माफिया की बात आती है और माफिया की चर्चा करने लगते हैं, तो अच्छे-अच्छे लोगों के चेहरे काले पड़ जाते हैं। अकेले आप माफिया को कंट्रोल कर लीजिए, आपके सारे लॉसिस खत्म हो जाएंगे ।

मैं, एक छोटासा निवेदन करना चाहता हूं कि आप दोनों हाउस के मैम्बर की एक कमेटी बनावें जो कि बिहार की कोल फील्ड में जाकर देखे कि माफिया के क्या उपद्रव वहां होते हैं। बड़े-बड़े चेहरे उजागर होंगे, हर पार्टी के लोग इस काम में लगे हुए हैं । मुझोदय, अगर उन चेहरों को बेनकाब कर दिया जाए, तो चार्ल्स शोभराज से भी ज्यादा सनसनीखेज बातें होंगी । माननीय मंत्री जी को पता है क्या नहीं है वहां पर, सब कुछ है । मंत्री जी सब कुछ जानते हैं ।

आप एडमिनिस्टर्ड प्राइस बढ़ाकर कोयले का दाम बढ़ा देते हैं । ऐसा करके आप हमको लूट रहे हैं, आपको लूट रहे हैं; जनता को लूट रहे हैं, लेकिन जो माफिया सब को लूटता है, जो सोना लूट कर आपके सामने से ले जाता है, उसके सामने आप मूक बने हुए हैं । वह एक ऐसा टैररिस्ट है, जो सभी को परेशान किए हुए है और हम उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं और हिम्मत नहीं है कि हम बात भी कर सकें । ऐसे बड़े-बड़े लोग वहां पर चिपके हुए हैं, जिसका नाम सुनकर आप हैरान होंगे । मैं कहता हूं श्रीमान कि आप जो करना हो वह कीजिए, लेकिन कोल इंडस्ट्री का भविष्य तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कोल इंडस्ट्री को माफिया से मुक्त नहीं करेंगे ।

मान्यवर, माफिया के पास, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाइसेंस्ड आर्म्स हैं । अनलाइसेंस्ड आर्म तो बहुत हैं, लेकिन लाइसेंस्ड आर्म्स लाखों की संख्या में हैं । बम की फैक्ट्री सरेआम चलती है । सरकार इस बात को जानती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लाचार हैं । हम लाचार होकर देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद कुछ कर भी नहीं पाएंगे । कोल के दाम बढ़ने से सारी इकनामी में हैवक हो गया है, क्योंकि हर चीज कोयले पर आधारित है । एक तरफ तो जनता पिस रही है और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग हमें टैरेराइज करके हमारे घर से पैसा लूटकर ले जाएं, फर्क इतना ही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वैल्थ माफिया लूटकर ले जाता है । हमारी जनता और सरकार मूक बनी हुई है । कुछ दिनों में हम कहेंगे कि ऐसा होता ही है ।

वह माफिया सरकार और जनता को परेशान कर रहा है लेबर को परेशान कर रहा है । जो लोग 10 रुपए दिहाड़ी पर कमाते हैं, उसमें से 4 रुपए माफिया ले जाते हैं, यह कहां का न्याय है ? हम इतने बड़े हाउस में बैठे हैं, पहले भी मंत्री जी ने कहा था, उनको पता है कि माफिया वहां पर अत्याचार, अनाचार कर रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि एक इस माफिया का आप समाधान कर दीजिए, कोल इंडस्ट्री आपकी प्राफिट में चलने लगेगी ।

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक हकीकत है कि राष्ट्रीयकरण के बाद अच्छे परिणाम उपलब्ध हुए हैं । हमने काफी रोजगार उपलब्ध कराया है

जिससे श्रमिकों की हालत तो सुधरी ही है, उसके आसपास के इलाके के रहने वालों की भी हालत काफी हद तक सुधरी है।

आज यहां कोल इंडिया तथा इससे सम्बन्धित दूसरी कोलरीज में हानि के सम्बन्ध में बात चल रही है। निश्चित ही यह एक बहुत चिन्ता का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में हमें हानि उठानी पड़ रही है। आप तो जानते हैं कि 400 परसेंट से भी अधिक कोयले के मूल्य में वृद्धि हुई है तथा अनायास ही हमें अनेक बार मूल्य-वृद्धि करनी पड़ी है। इसका एक कारण मैं यह समझ पाया हूं कि कोयला न केवल बहुत बड़ी मात्रा में अपने देश में उपलब्ध है, बल्कि ऊर्जा के तमाम दूसरे स्रोतों के विकल्प के रूप में भी सामने आया है, इसलिए भी शायद हमें ऐसा करना पड़ा हो। निश्चित ही यह एक चिन्ता का विषय है।

मेरी यह मान्यता है कि अगर हम कुछ कारगर और प्रभावी कदम उठायें, जिससे न केवल कोल इंडिया और उसकी सबसीडियरीज लाभ की ओर अग्रसित होंगी बल्कि हमें अच्छे परिणाम भी मिलेंगे।

अब मैं कुछ विसंगतियों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोल फील्ड में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तथा मैनेजमेंट से अपेक्षा की जाती है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति एक निश्चित समय सीमा में करेंगे, लेकिन जब उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ओ०एम०एस० की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो उनकी प्रमोशन और उनका सारा भविष्य अन्धकारमय होता प्रतीत होता है। इस डर से यह पाया जाता है कि ओवर रिपोर्टिंग होती है तथा कोयले के स्टाक में योजनाबद्ध तरीके से बिना वजह आग की शंका कर के आग लगाने की बात एक आम बात है जिस पर समुचित दृष्टि रखने की गहरी आवश्यकता है।

इतना ही नहीं, एक बात और मैं आप के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह क्षेत्र संयोग से कोयले के व्यापक भंडार हैं तथा एक मुहाने से सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। वह है बैकुंठपुर एरिया की चरचा कोलियरी। यह एक ऐसी मेकेनाइज्ड कोलियरी है जो देश की सबसे अच्छी और सबसे अधिक उत्पादन देने वाली कोलियरी है। मगर ऐसी मेकेनाइज्ड कोलियरी में विशेषकर कटकोल खदान में जिस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयले की निकासी होती है वह बेल्ट ही चोरी हो जाता है। जब वह बेल्ट चोरी हो सकता है तो दुनिया की कोई भी चीज चोरी हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि जो चौबीसों घंटे आपरेशन में कोलियरी होती है उससे वह बेल्ट किस तरह से चोरी होता है, उसमें किसका हाथ हो सकता है यह आप सहज ही अन्दाजा लगा सकते हैं।

इतना ही नहीं आप देखेंगे कि कोल इंडिया की वेस्टर्न कोल फील्ड जो आजकल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड बन गयी है उसमें यदि कोई औजार चोरी हो जाता है तो उसका कोई क्लेमेंट नहीं होता है। तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी कोल इंडस्ट्री जो अच्छे रिजल्ट दे रही है वह और भी अच्छे रिजल्ट देगी।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं तो पहले मंत्री जी को बधाई देना

चाहती हूं कि इस विभाग के हम लोगों के मंत्री महोदय बहुत ही एफिश्येंट हैं। यह कहना चाहती हूं कि कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद उसमें जो लास हो रहा है उस लास को ओवरकम करना चाहिए। लेकिन 14 वर्ष हो गए, इन कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने देश की भलाई के लिए, बर्कर्स की भलाई के लिए और प्रोडक्शन के लिए किया था, मगर अभी क्या हो रहा है? कई मैम्बरों ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड 12 सौ करोड़ के लास में जा रहा है। फिर फूड कारपोरेशन आफ इंडिया 620 करोड़ के लास में जा रहा है। तो इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर बुलाएं और जो कोई पब्लिक अंडरटेकिंग्स और दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज इस प्रकार से लास में जा रही हैं उनको हम लोग देखें, उनमें कोई लास नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चुरी में जाना है। ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चुरी में हम लोग जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि इनका प्रोडक्शन बढ़े और देश को हमें आगे ले जाना चाहिए। अभी कोल इण्डिया लिमिटेड में इतना लास क्यों जा रहा है। राजाओं से भी बड़ा यह जो माफिया चलता है उसके बारे में भी बोलना है। आपका मैनेजमेंट क्या कर रहा है? जब लास हो रहा है तो उसको तो उनको तुरंत देखना चाहिए। ये लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं वे क्या काम करते हैं? ये हम लोगों के खिलाफ, हमारे मिनिस्टर लोगों के खिलाफ और हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके लिए इनको क्या पनिशमेंट दिया गया? मंत्री महोदय उनको पनिशमेंट क्यों नहीं देते? इनको पनिशमेंट जरूर देना चाहिए। पब्लिक की प्रापर्टी को कोई एक्सप्लायट नहीं कर सकता है।···(**व्यवधान**)··· देखिए, यह आपकी बात नहीं है, आप चुप बैठकर सुनिए।

बिजली के लिए भी काम करने में मुश्किल होती है और उससे लोगों को तकलीफ होती है। ला एण्ड आर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत प्राबलम होती है। बहुत बडा माफिया है धनबाद में। मिनिस्टर भी इन लोगों से डरते हैं। मिनिस्टर क्यों इन लोगों से डरते हैं? क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ कोई प्रापर ऐक्शन लिया जाता है? यह भी आप लोगों को देखना है।

आप जो कल लेबर वेलफेयर बिल लाए उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूं। वह वर्कर्स के भले के लिए, उनकी कंडीशन को अच्छी करने के लिए और प्रोडक्शन इन्क्रीज करने के लिए लाए। प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ेगी तो लास ओवरकम नहीं होगा। इस तरह देश ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चुरी में कैसे जाएगा?

एक बात और भी मुझे बोलनी है। इन कोयला खानों का जो माडर्नाइजेशन करना है, उनके इक्विपमेंट को माडर्नाइज करना है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई साफिस्टिकेटेड मशीनरी यदि बाहर से ले आता है तो उसके पार्ट्स कंट्री में नहीं मिलते हैं। उससे क्या होता है कि जो साफिस्टिकेटेड मशीन आती है वह काम नहीं कर पाती है। उससे काम नहीं चलता है। जब वह खराब हो जाती है तो उसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। इसलिए लास होता है। तो इसको भी आपको देखना है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बंगाल बिहार के विभिन्न एरियाज में जियोलाजिकल सर्वे करा करके इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कहां-कहां पर कोल-माइन्स मिलने की सम्भावना हो सकती है। इसके साथ-साथ इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि पब्लिक सैक्टर के प्रतिष्ठानों में लास न हो। उनके सामने जो भी डिफीकल्टीज हों उनको ओवरकम

करना चाहिए। कोल इंडिया के बारे में आप गम्भीरतापूर्वक सोचिए, यह हमारी ड्यूटी है, गवर्नमेंन्ट को देखना चाहिए कि वह लास में रन न करे। हमारे मिनिस्टिर जो हैं उनके बारे में मैं जानती हूं कि उनको वर्कर्स के साथ बड़ीसहानुभूति है लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हैं वह देश की भलाई नहीं चाहते हैं, उनके रिलेशंस माफिया के साथ रहते हैं।

[अनुवाद]

इस माफिया गिरोह के साथ पूर्णतया सम्बन्धित है। सरकार को इस मामले में गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए। मैं इस संबंध में बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : महोदय, मैं पिछले सदस्य द्वारा अच्छी हिन्दी का प्रयोग करने के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : आप भी हिन्दी में बोलिए। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : मेरी तो हिन्दी में बोलने की काफी रुचि रहती है। अंग्रेजी में कभी-कभी इसलिए बोलना पड़ता है कि सभी लोग समझ सकें, किसी को यह शिकायत न रहे कि मेरी समझ में नहीं आया।

मुझे प्रसन्नता है कि जब हमारी डिमाण्डस आई तब भी मेरे विभाग पर चर्चा हुई और बहुत मौका मिला। कल कोल-माइन्स वेलफेयर फंड रिपील का जब मौका आया उसमें भी बहुत सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से आए और आज फिर यह जो घाटे में कोल उद्योग चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है।

मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि यह जो गलतफहमी है कि राष्ट्रीयकरण होने की वजह से घाट होता रहा है इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी होगा। राष्ट्रीयकरण और घाटे का कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी बात यह भी देखनी होगी क्या सारी कम्पनियां घाटे में ही चल रही हैं ? ऐसी बात भी नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि हमारे यहां घाटे में केवल दो कम्पनियां चल रही हैं – सी० सी० एल० और बी० सी० एल०। उसके कारण भी मैंने बताए हैं। उनके पास बहुत पुरानी और ज्यादातर अन्डरग्राउन्ड माइन्स हैं और उनमें काफी आग है। हर तरह की आग है। प्राकृतिक आग भी लगी है, माफिया की आग और मैनेजमेन्ट की आग अलग से हैं – चारों तरफ आग ही आग है। एक मेरे भाई ने कहा कि वहां जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी पैट्नेज माफिया को रहती है। अब मुझे तो मालूम नहीं, वेस्ट बंगाल में भी कोल उद्योग काफी है, बिहार और उड़ीसा में भी है, कहां-कहां पर रूलिंग पार्टी का हाथ है—यह कहना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। लेकिन यह घाटा क्यों हो रहा है। एक बार फिर से मैं इस सदन का ध्यान इस चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब 1973-74 में राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय कॉस्ट आफ प्रोडक्शन 46 रु० 37 पैसे प्रति टन थी। यह पिट-हैड के दाम हैं, दाम कितने 37 रु० 50 पै०। अब किसी भी

उद्योग में चाहे घरेलू उद्योग हो या कोई भी आदमी उद्योग लगाए, तो लागत पर जो खर्च आएगा, उससे सस्ते में यदि कोई चीज बेचेगा तो आप बताइए कोई भी उद्योग कभी भी लाभ में चल सकता है। यह तो दुनिया में कभी भी उद्योग में नहीं हो सकता है। आप देखें, 1974-75 में कॉस्ट आफ प्रोडक्शन 55 रु० बढ़ी और बेचते थे 47 रु०। आगे भी कॉस्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती गई और दूसरी सारी चीजों के दाम बढ़ते गए। हर चीज की कॉस्ट बढ़ती गई। हर कच्चे माल के दाम बढ़ते गए। कोल मजदूर की जिन्दगी सुधारनी थी। हमें खुशी है कि मजदूरों की तनख्वाह बढ़े। खास कर निजी उद्योगों में मजदूरों की लूट होती थी। तीन सौ रुपए प्रतिमाह से कम तनख्वाह एवरेज पड़ती थी।

एक माननीय सदस्य : 260 रु०।

श्री बसन्त साठे : लेकिन आज कोयला उद्योग में मजदूरों की तनख्वाह प्रतिमाह दो हजार रुपए है। यह खुशी की बात है कि उसको मिलनी चाहिए। मैं कल भी यह बात कह रहा था। कॉस्ट आफ प्रोडक्शन इन्फलेशन और दूसरी चीजों की वजह से, जिन पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है, 46 रु० से बढ़कर 215 रु० प्रति टन हो जाए और हर बार उसके दाम आप कम रखते जाएं। माइनस हमेशा 8 रु० 86 पै० प्रति टन से लेकर 30 रु० प्रति टन घाटे में यदि कोयला बेचा जाए तो कैसे उद्योग में मुनाफा चल सकता है। एडमिनिस्टर्ड प्राइस का ख्याल करते रहें। मामूली उद्योग और निजी उद्योग कहते थे कि वह कुछ न कुछ मुनाफा लेकर चलता है। हमने कहा कोयला देश के लिए आवश्यक चीज है, इसलिए इसके दाम कम रखने चाहिए। नियंत्रित रखने चाहिए और नियंत्रित रखने की कोशिश में नतीजा यह हुआ कि हमेशा कम दाम एडमिनिस्टर्ड प्राइस रही। आज भी आप देखें 1984-85 और 1985-86 में कॉस्ट आफ प्रोडक्शन 190 रु० से लेकर 208 रु० है, लेकिन हमने दाम 183 रु० दिया। इससे कैसे बात बन सकती है। यह एक हकीकत है, जो मैं आपके सामने लाना चाहता था।

दूसरी बात यह है कि दो उद्योगों में हमें सबसे ज्यादा घाटा है। ई० सी० एल० में दो कम्पनियां हैं। ई० सी० एल० में एक्यूमुलेटिव लॉस 31-3-1985 तक 649 करोड़ रुपए और बी० सी० सी० एल० में 628 करोड़ रुपए और दोनों मिलाकर 1378 करोड़ रुपए लॉस दोनों कंपनियों में है। इसलिए जैसा मैं कल आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि उत्पादन यदिहमारा बढ़ता जाएगा और उसके साथ-साथ वर्क-फोर्स बढ़ती जाएगी, सवा-सवा लाख, डेढ़-डेढ़ लाख, दो-दो लाख एक-एक कम्पनी में काम करेंगे और आउट-पुट मैनशिप में हमारे भाइयों को तनख्वाह अच्छी मिले, फिर भी सुविधाएं नहीं हैं···सुविधाएं होनी चाहिए, यह भी जरूरी है लेकिन आखिर उत्पादन की कोई जिम्मेवारी लेगा या नहीं लेगा। इस देश में टोटल वर्क कल्चर होना चाहिए। मैं एकदम सहमत हूं इस बात से कि मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है लेकिन मैनेजमेंट खाली अफसरों का नहीं होता है। मैनेजमेंट में मजदूर भी उतना ही शामिल है, जितने अफसर। बिना मजदूरों के सहयोग के कोई मैनेजमेंट उत्पादन नहीं कर सकता है। आज देश की जो हालत है, उसको गौर से देखिए और सोचिए। हमारे यहां 1973-74 में प्रति मैन-शिफ्ट अर्निंग था 16 रुपए 49 पैसे प्रति वर्कर और अब

है 90 रुपए प्रति मैनशिफ्ट प्रति वर्कर। 8 घंटे रोज काम करने के लिए मजदूर को 90 रुपए मिलते हैं। यह करीबन 2 हजार रुपए से ऊपर हो गया प्रति माह लेकिन उत्पादन देश में क्या है, इसको भी देखना जरूरी है। मैं उस दिन भी सदन की नजर में लाया था कि हमारे भाई लोग इस बात को सोचें। वे अमेरिका, आस्ट्रेलिया और दुनिया के दूसरे मुल्कों की बात करते हैं। आस्ट्रेलिया की बात चल रही थी कि वहां से कोयला महंगा लेते हैं और हमारे देश की कद्र नहीं होती है। आस्ट्रेलिया में आऊटपुट मैनशिफ्ट 13 टन का है और अमेरिका में 16 टन का है और चाइना में 2.5 टन है और हमारे यहां 0.86 टन है और वी० सी० सी० एल० और ई० सी० एल० अन्डरग्राऊन्ड ज्यादा है। वहां तो 0.56 है, 0.60 है। आप समझ लीजिए कि आधा टन एक आदमी उत्पादन करेगा, तो फिर देश में कोई भी उद्योग किस तरह से मुनाफे में जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे सब भाई इस बात को सोचें और एक नया वर्क कल्चर हम पैदा करें। मैंने कल भी बताया था कि पैसा देने में जनता ने कोई कमी नहीं की, 6 हजार करोड़ रुपए दिया और अगली पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 8,000 करोड़ रुपए कोल के उद्योग में लगने वाला है और यह सब देश का पैसा है लेकिन इस सदन को इस बात पर विचार करना है और इस सदन की मैं सहमति चाहता हूं और आग्रह चाहता हूं कि एक नया वर्क कल्चर सार्वजनिक उद्योग में तैयार हो। इसीलिए साझीदारी की बात थी। तमाम हमारे मजदूर, मैनेजमेंट मिलकर एक नई जिम्मेवारी देश में महसूस करें कि हमको दुनिया के मुकाबले में उत्पादन बढ़ाना है। आधुनिक जो यंत्र-तंत्र लगाए जाएं, उनका सही उपयोग भी करें। 10, 10 करोड़ रुपए की हमने मशीनरी लगाई और उसका उपयोग 20 प्रतिशत भी न किया जाए और मजदूर ज्यादा लग जाएं, तो फिर क्या बात हुई। मजदूर का भला जरूर हो लेकिन मजदूरों की साथ-साथ उत्पादन भी बढ़ाने की जिम्मेवारी इस देश में हो, डिस्सिपलिन भी इस देश में हो। यह यदि होता है, तो मेरा विश्वास है कि कोई वजह नहीं कि उत्पादन न बढ़े। हमारे देश का मजदूर दुनिया में किसी भी मजदूर से, किसी भी आदमी से कम नहीं है।

श्री मदन पांडे : मैनेजमेंट भी।

श्री वसंत साठे : मैनेजमेंट भी अच्छा हो सकता है।

श्री मदन पांडे : उसको ठीक कीजिए।

श्री वसंत साठे : वही बात मैं कर रहा हूं। मजदूर देश का अच्छा है। हमारे देश में होशियार, काबिल मैनेजमेंट के लोग भी हैं। नवेली लिगनाइट में आप देख लीजिए। मैनेजमेंट और मजदूरों ने क्या चमत्कार करके दिखाया है। डब्लू० सी० एल०, सिंगरोली और बहुत सी जगह अच्छा काम करने वाले लोग हैं। लेकिन यह जो बात है, इसके लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमें एक नया वर्क कल्चर लाना पड़ेगा।

मुझे बड़ा खेद है कि देश में कुछ पब्लिक सैक्टर घाटे में चलते हैं। कोई पब्लिक सेक्टर देश में घाटे में नहीं चलना चाहिए। इनमें पब्लिक का पैसा लगाया हुआ है और इन्हें घाटे में चलाकर हम देश के साथ द्रोह कर रहे हैं।

मैं सदन का आभारी हूं कि आप सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए। मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। चूंकि यह मौका मिला है तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि देश में उत्पादन बढ़े तो हमें इन्फ्रस्ट्रक्चर उद्योग में लगे लोगों की संख्या पर भी ध्यान देना होगा।

मैंने कल भी कहा था, बार-बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस चीज की ओर। देखिए हम देश का विकास करना चाहते हैं, हम देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं। एक बार मैंने एक किताब से आंकड़े दिए थे। आपको प्लानिंग कमीशन के 71 के आंकड़े जानकर आश्चर्य होगा। आखिर आदमी खर्चा कहां से करता है ? जो कमाता है उसी से खर्चा करता है।

1981 का जो सेंसस है उसके मुताबिक हमारे देश में 683 मिलियन लोग यानी 68 करोड़ लोगों में से जिनका चार सौ रुपए प्रति वर्ष खर्चा था, 12 करोड़ लोग रूरल एरियाज में थे और 14 करोड़ लोग अरबन एरियाज में थे। इसके आगे देखिए कि जिनका खर्चा 12 सौ रुपए प्रति वर्ष से कम यानी सौ रुपए प्रतिमाह था ऐसे 35 करोड़ लोग रूरल एरियाज में थे और 10 करोड़ लोग अरबन एरियाज में थे। इन दोनों को मिला लीजिए। आप देखेंगे कि करीब 59 करोड़ ऐसे लोग थे जो 12 सौ रुपए प्रति वर्ष से कम खर्च करते थे।

आपके लोगों की पर-कैपिटा स्पेंडिंग पावर क्या है ? यदि 60 करोड़ आबादी 100 रुपया प्रति मास खर्च करती है तो किन चीजों पर खर्च करेगी। 90 प्रतिशत खर्च तो आवश्यक वस्तुओं पर ही हो जाता है। मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि यदि इतने लोगों की आमदनी 12 सौ रुपए माह हो और चंद मुट्ठीभर लोगों की आमदनी 12 सौ रुपए माह से ज्यादा हो तो आप बताइये कि आठ हजार टन लोहा कौन खरीद सकता है, दो सौ दस रुपए टन कोयला कितने घरों का आदमी खरीद कर उपयोग करेगा ? यह क्या हो रहा है देश में ? हमें देश का उत्पादन बढ़ाना है ? हमें गांव-गांव में उद्योग लगाने हैं। 9 मिलियन टन लोहा इस देश में पैदा होगा। इससे ज्यादा खनिज लोहा हम निर्यात करेंगे 75 रुपए टन कमाने के लिए और 8 हजार रुपए टन में जापान से आयात करेंगे। आपको करना क्या चाहिए था ? जवाहरलाल जी का सपना था कि देश में इतनी बड़ी खनिज सम्पत्ति है, कोयला है, लोहा है, इसका उपयोग फौलाद निर्माण करने में करते। सौ मिलियन टन फौलाद का निर्माण होना चाहिए था। हमारे यहां दुनिया में अगर कंपेयर करें तो सस्ते से सस्ता लेबरर हमारे देश में है, इंटेलेक्चुअल इंजीनियरिंग हमारे देश में है, इसके बावजूद भी हम क्यों नहीं ज्यादा लोहा निर्माण कर सकते थे ? उद्देश्य वह होना चाहिए था और हमने क्या किया, पब्लिक सैक्टर के माध्यम से, हमने समझा कि समाजवाद का मतलब है राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीयकरण का मतलब है पब्लिक-सैक्टर और पब्लिक सैक्टर का मतलब है ज्यादा लोग, दस गुना ज्यादा लोग हम उसमें लगा दें। सोशल आब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ लोग कह रहे थे, सोशल आब्जेक्टिव्स कोल माइन्स में, फौलाद के कारखानों में, जहां दस हजार लोग लगने चाहिए वहां यदि एक लाख लोग लगा दो, जहां आपको 5 हजार लोग लगाने चाहिए वहां 25 हजार लोग लगा दो एक पावर हाउस में तो आप देख लीजिए कि आपका किसी भी क्षेत्र का उत्पादन कम खर्चे का नहीं हो सकता।

5.51 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री दामोदर पांडे : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी आपने कहा कि हमारे देश में सबसे कम आउटपुट पर मैनशिफ्ट, उत्पादकता जिसको कहते हैं और इसके बारे में चाइना, अमरीका और आस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया, कभी आपने इस बात को कंपेयर किया है कि जिस तरह की स्थिति, स्टेज आफ मेकेनाइजेशन अमरीका और आस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, उस स्टेज में रहकर हमारे वर्कर्स काम करें तो क्या उनकी उत्पादन क्षमता कुछ कम है?

श्री वसंत साठे : नहीं है।

श्री दामोदर पांडे : दूसरा जो हमारे यहां मैनुअल वर्क होता है, आपने अभी कहा कि कुछ जगहों पर अच्छे काम करने वाले लोग हैं, डब्ल्यू० सी० एल०, ई० सी० एल०, एन० ई० सी० एल०, उनकी जो उत्पादन क्षमता है क्या वह किसी देश की तुलना में कम है?

श्री वसंत साठे : कम नहीं है।

श्री दामोदर पांडे : जो सिचुएशन ई० सी० एल० में है, इस तरह की खदानें अगर आस्ट्रेलिया और अमरीका में होती तो जो उत्पादन क्षमता हमारे वर्कर्स की है, क्या उनकी उत्पादन क्षमता उतनी होती, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री वसंत साठे : मैं एक बात कह दूं, मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश का मजदूर किसी भी देश के मजदूर से रत्ती भर भी कम नहीं है। मैं यह कह रहा था कि वैसी स्थिति यदि हमारे देश में पैदा कर दें, साउथ कोरिया एशिया का ही देश है, जापान भी एशिया का देश है, साउथ कोरिया का मजदूर कोई आसमान से आया हुआ नहीं है, लेकिन, वहां 9 मिलियन टन फौलाद पैदा करने के लिए वहां के कारखाने में 14500 मजदूर एक कारखाने में काम करते हैं और हमारे यहां, हमारे यहां 5 मिलियन टन, 6 मिलियन टन फौलाद बनाने के लिए 5 कारखानों में सवा लाख मजदूर काम कर रहे हैं। मशीनरी वही, खर्चा वही, लेकिन हमारी आउटपुट मैनशिफ्ट क्यों कम होती है, इतने ज्यादा लोग हम लगा देते हैं, मेकेनाइजेशन एण्ड ओवर एप्लायमेंट कैन नाट गो टूगैदर, इससे सारी इकानमी पुश हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : इसका इलाज क्या है?

श्री वसंत साठे : इसका इलाज यह है कि हमारे देश में भी जहां इन्फास्ट्रक्चर का उत्पादन करना है, ज्यादा फौलाद बनाएं और सस्ता बनाएं, आउटपुट मैनशिफ्ट उतनी ही हो जितनी दूसरे देशों में है, मेकेनाइजेशन हो लेकिन ओवर एंप्लायमेंट न हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि फौलाद ज्यादा बने, गांवों में उद्योग लगें, कोयला सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, खेतों को बिजली सस्ती मिले, उत्पादन बढ़े, यही तरीका है। यही तरीका है, इसको एक बार सदन समझ ले कि इस देश का उत्पादन बढ़े, आप कभी इसके बिना समाजवाद नहीं ला सकते, गांवों में उद्योग नहीं दे सकते यदि

इन्फास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को ही हम हाई कास्ट इंडस्ट्री बना दें और कास्ट बढ़ाते रहें दिन-प्रतिदिन, यह एक बुनियादी चीज है जो मैं अर्ज करना चाहता था ।

अध्यक्ष सहोदय : एम्पलायमेंट तो ज्यादा पैदावार करके ही दे सकते हैं, नकली नौकरी देकर तो हम अनएम्पलायमेंट दूर नहीं कर सकते ।

श्री बसंत साठे : यह बात ठीक है कि खाली नौकरियां देकर अन-एम्पलायमेंट दूर नहीं हो सकती है । उत्पादन बढ़ाओ और सैल्फ एम्पलायड उद्योग गांवों में लगाओ तभी अन-एम्पलायमेंट दूर होगी । जैसा मैंने बड़े दुःख के साथ कहा कि 150 मिलियन टन कोयला बनाकर, जहां चाइना 750 मिलियन टन बना रहा है, हम मुकाबला नहीं कर सकते । जापान 110 मिलियन टन बनाता है तो हम 9 मिलियन टन फौलाद बनाकर मुकाबला नहीं कर सकते । हमको यह बात सोचनी पड़ेगी । मैं, आपकी मार्फत बड़ी नम्रता से इन बातों को सदन में बताना चाहता हूं ।···(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : नौ अप्रैल को आल सेंटर ट्रेड यूनियन द्वारा स्ट्राइक की गई थी, वह स्ट्राइक बहुत पीसफुल थी । लेकिन कोल इंडिया मैनेजमेंट बहुत सी चार्जशीट दे रहा है । राष्ट्रीय मजदूर कोल इंडिया जो हम लोगों से संबंधित है, उनको बहुत चार्जसीट दी जा रही है । इस चार्जशीट को आप स्टाप करेंगे या नहीं क्योंकि इससे वर्कर्स बहुत सफर करेंगे । यह पीसफुल स्ट्राइक थी और आल सेंटर ट्रेड यूनियन ने सपोर्ट की थी ।···(**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : मैंने कल यह बताया था कि यह स्ट्राइक करके हमने क्या लाभ किया··· (**व्यवधान**) दस करोड़ उत्पादन का घाटा हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : देश को तो एक बात से ताल्लुक है कि बाबा, घर आना चाहिए चाहे दरवाजे से ला दो चाहे छत फाड़कर ला दो । हमें तो उत्पादन करके दिखाओ ।

कुमारी ममता बनर्जी : पीसफुल स्ट्राइक थी ।

श्री बसंत साठे : ठीक है, पीसफुल थी । कल मैंने यह बात बताई थी कि खुद ट्रेड यूनियन के नेताओं ने यह कहा था कि जो एसेन्शियल सर्विसेज हैं, उन जगह के मजदूर स्ट्राइक नहीं करेंगे । बहुत सी जगह एसेन्शियल सर्विसेज के कारण स्ट्राइक नहीं की लेकिन कुछ जगह एसेन्शियल सर्विस के लोगों ने भी स्ट्राइक की । ऐसे ही लोगों को "शो-काज" दिया गया है । तमाम सात लाख मजदूरों को नहीं दिया गया है । उनके खिलाफ हम कार्यवाही करने की नहीं सोच रहे हैं । उनको ताकत बतानी थी, वह बता दी । एक दिन की तनख्वाह का उनका नुकसान हुआ और देश का नुकसान हुआ । अगर सब मिलकर देश को घाटे में करने के लिए बैठ जाएं तो क्या हो सकता है । मैं यह कह रहा था कि जितने पबलिक सैक्टर हैं जिसमें चालीस हजार करोड़ की लागत की गई है, मैं यह मानता हूं कि कोई वजह नहीं है कि कोई भी पबलिक सैक्टर हमारा घाटे में क्यों चले ।

[अनुवाद]

(**व्यवधान**)

हमें उत्पादकता, जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण प्राधिकार वाली एक नई कार्य व्यवस्था करनी होगी, जिसमें प्रबन्ध तथा श्रमिकों की पूर्ण भागीदारी होगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : केवल श्रमिकों के लिए ?

श्री बसंत साठे : मैं पूर्ण प्रबन्ध व्यवस्था की बात कर रहा हूं । श्रमिक इस व्यवस्था में भाग लेंगे और उनमें यह भावना उत्पन्न होगी कि वह इस व्यवस्था से सम्बन्धित हैं ताकि वे सरकारी उपक्रम में उत्पादन की लागत में कमी लाने के प्रति अपनी रवैय्या बदलें और सरकारी उपक्रम में उत्पादन में सुधार हो सके । देश में हमारे लोगों के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा । अत: यदि इस प्रकार का रवैय्या अपनाया जाये तो मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि हम माफिया गिरोहों पर नियंत्रण कर सकते हैं । आखिरकार वे भी मनुष्य हैं । यदि आप सही व्यवस्था करते हैं तो माफिया व इसी प्रकार की अन्य सभी बातों पर नियंत्रण किया जा सकता है । वास्तव में माफियावाद उस आतंकवाद से भिन्न नहीं है जैसा कि हम अन्यत्र देखते हैं । वे भी मनुष्य हैं लेकिन जब मनुष्य पागल हो जाता है तो उस पर नियंत्रण करने का केवल यही रास्ता है और मैं संस्कृत की एक कहावत के साथ अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं (**व्यवधान**) ।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : अध्यक्ष जी ने मुझे पूछने के लिए परमीशन दी है । अभी आप बता रहे थे कि बाहर की कन्ट्रीज के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते । उसके लिए क्या आप कोई उपाय सोच रहे हैं, कोई ऐसा उपाय आपके मन में है, क्या सरकार के पास कोई योजना है जिससे हम उनके साथ बराबर का मुकाबला कर सकें ।

श्री बसन्त साठे : सारी रामायण सुनने के बाद, आप यहां नहीं आए थे, यही तकलीफ है । आपका तो वही हुआ पूरी रामायण सुनने के बाद कह दिया राम की सीता कौन थी···

श्री बी० तुलसीराम : ऐसा बताने से क्या, आपने कोई पर्टिकुलर योजना बनाई है···

श्री बसंत साठे : हां, वही बताया है ।

(**व्यवधान**)

श्री बी० तुलसीराम : आप हर समय गड़बड़ करती हो···

श्री बसन्त साठे : आप में तुलमी भी है और राम भी है, फिर भी आप पूछ रहे हो राम की सीता कौन थी ।

श्री बी० तुलसीराम : मुझे पता है राम की सीता कौन थी । आप कोई कदम उठा रहे हैं या नहीं ।

श्री बसन्त साठे : उठा रहे हैं । श्रीमन् एक कहावत है—

गुरूवा बाल वृद्धोवा ब्राह्मणोवा बहुश्रुतम्
आतातायिनम् आयाता हन्याद् एवा विचारचन्

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मेरा आपसे अनुरोध

है कि अभी आधे घंटे की जो चर्चा की जानी है, उसे किसी और दिन के लिए स्थगित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक हैं। मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी।

6.02 म०प०

पंजाब की ताजा स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू करेंगे। श्री इन्द्रजीत जी गुप्त आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, आज प्रातः माननीय गृह मंत्री द्वारा सभा में जो वक्तव्य दिया गया है, उस पर विचार करने के लिए मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है। दिन में हमें बताया गया था कि वाद-विवाद का समय 4 बजे की बजाय 6 बजे हो सकता है और हमें यह भी बताया गया था कि शायद समय में इस परिवर्तन के कारण मंत्री महोदय नवीनतम स्थिति अथवा जानकारी के बारे में और अधिक बता सकें। इससे पहले कि मैं अपना भाषण शुरू करूं, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई बात है जो पर्याप्त रूप से स्थिति को प्रभावित करती हो अथवा ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में वह अब सभा को जानकारी दे सकते हों। वह चर्चा शुरू होने से पहले ऐसी जानकारी दे सकते हैं। वह संक्षिप्त रूप से बता सकते हैं।

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : इस बहस में हमें कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें लगभग एक घंटा लग सकता है।

एक माननीय सदस्य : दो घंटे भी लग सकते हैं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : यदि यह बहस दो घण्टे चलेगी तो यह बेहतर रहेगा कि मैं इस समय बोलने की अपेक्षा दो घण्टे बाद ही बोलूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो मैं इस बहस का समय तीन घण्टे भी कर सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ सदस्यों ने राय प्रकट की है, कि इस प्रकार की चर्चा करना अभी उचित नहीं है क्योंकि इससे स्वर्ण मन्दिर में बैठे लोगों, जिन्होंने यह घोषणा की है, को अधिक महत्त्व मिलेगा और हमें उन्हें अधिक महत्त्वपूर्ण बनाने में अनावश्यक सहायता नहीं करनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरा इन पांच व्यक्तितों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि वे अधिक महत्त्वपूर्ण हों। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि वे पांच पागल व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं कि उन पांच व्यक्तियों में से कम से कम तीन व्यक्ति घोषित अपराधी हैं जिनकी हत्या सहित

अत्यंत गम्भीर आरोपों में तलाश है। लेकिन हम इन पांच व्यक्तियों के बारे में चिंतित नहीं हैं। वस्तुत: मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर चर्चा करने से अथवा इस वाद-विवाद का प्रचार करने से ही केवल उनका महत्त्व नहीं बढ़ेगा अपितु यदि उनको बिना किसी रोकटोक के अब जहां वे बैठे हुए हैं वहां से उन्हें घोषणाएं करने देने और यदि देश यह समझता है कि कोई भी व्यक्ति उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इस बात से भी निश्चित रूप से उनका महत्त्व बढ़ेगा। यहां पर वाद-विवाद के कारण नहीं। सम्पूर्ण देश के बारे में और जो अधिक चिंताजनक बात है उसके सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहते हैं···

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : नहीं, श्रीमान्।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इससे वाद-विवाद को संक्षिप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि आपके पास वास्तव में कोई महत्त्वपूर्ण बात है तो वह आप हमें बताइए। इसके लिए आप हमें दो घण्टे इन्तजार करने के लिए कह रहे हैं। क्या ऐसा ही है? (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : आपके भाषण के जवाब में।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह कह रहा था कि देश के लिए जो अत्यन्त चिन्ताजनक बात है, वह ये पांच व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण बात है वह उस स्थान से सम्बन्धित है जहां वे बैठे हुए हैं और जहां से वे इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि शायद सिख समुदाय के सभी पवित्र स्थानों में से यह स्थान सबसे ज्यादा पवित्र है और परिक्रमा के कमरा संख्या 46 से—जहां उन्होंने पत्रकारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया था—यह घोषणा की थी, जिसे हम सबने पढ़ा है। महोदय, केवल कुछ दिन पहले, एक लम्बे समय के बाद राष्ट्रीय एकता परिषद ने अपनी बैठक की और उस परिषद् के उद्घोषणा वक्तव्य में निम्न वाक्यांश कहे गए :—

> "पूजा स्थलों के दुरुपयोग का अन्त होना चाहिए, विशेषरूप से विध्वंसकारी तत्वों द्वारा स्वर्ण मन्दिर के कुछ भागों में गैर-कानूनी कब्जे का जिन्होंने उसकी पवित्रता को नष्ट किया है।"

उस दिन राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में यही बात कही गई थी। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने क्या किया है। ये लोग अब क्या कह रहे हैं इन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद की घोषणा का उपहास उड़ाया है। अत: वह स्थान जहां से ये लोग अपनी कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसकी एक पृष्ठभूमि है। इसका एक इतिहास है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि पहले उस स्थान से क्या कुछ हुआ है।

दूसरे, मैंने उन घोषणा की विषय सूची को देखा है। जैसी कि प्रेस में प्रकाशित हुई है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मेरे पास इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई साधन नहीं है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह समाचार पत्रों में दी गई जानकारी से अधिक है या थोड़ी। प्रश्न यह है कि उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि खालिस्तान की उत्पत्ति के लिए यह युद्ध की शुरूआत है और खालिस्तान का यह स्वप्न अब वास्तविकता में परिणत होगा। मैं हैरान हूं कि इस प्रकार की घोषणा के लिए उन्होंने यह विशेष समय क्यों चुना है। इस क्षण का क्या महत्व है? क्या कोई नई बात हुई है? अथवा क्या विदेशों में बैठे खालिस्तान के परामर्शदाताओं, जिनके बारे में हम जानते है

कि वे पीछे से इन आतंकवादियों का संचालन कर रहे हैं और खालिस्तानी गतिविधियों के समर्थक हैं, ने विशेष अवसर को चुना है। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही अमरीकी सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने हमारे देश और हमारी सरकार को करीब-करीब एक अपमान भरे ढंग से यह कहकर फटकारा है कि "इस देश ने, जिसकी हम ने आतंकवाद को रोकने में इतनी सहायता की है", लीबिया में अमरीकी कार्यवाही का प्रतिरोध करने का साहस किया है। आप जानते हैं कि दूसरे दिन क्या कहा गया था। मैं समझता हूं कि यदि बलिराम भगत यहां होते तो वे और स्पष्ट रूप में बताते कि क्या कहा गया था। मैं इस बात के लिए हैरान हूं कि क्या लीबिया में अमरीकी कार्रवाई को चुनौती देने की धृष्टता करने के परिणामस्वरूप यह हमारे देश के प्रति किसी प्रकार का प्रतिशोध है। इसके बाद ये लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि वे आतंकवाद से लड़ने में हमारी मदद कर हैं। इस सभा में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि वे अपने देश में किस प्रकार आतंकवाद के लिए स्कूल चला रहे हैं; जहां हमारे लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब वही लोग कह रहे हैं कि वे आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं। कुछ भी हो, मैं यह नहीं जानता कि इस विशेष क्षण का सही रूप में क्या महत्व है, इन पांच व्यक्तियों ने, चाहे वे पागल हों अथवा अपराधी हों, अथवा वे चाहे जो कुछ भी हों, यह कहने का साहस कैसे किया है कि युद्ध शुरू होने जा रहा है। समाचार पत्रों के अनुसार उन्होंने यह भी कहा है कि 4 जून, 1984 की सुबह 4 बजकर 22 मिनट पर खालिस्तान की नींव रखी गई थी। हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। निस्सन्देह वे परस्पर-विरोधी व्यक्ति हैं—स्वतो विरोधी हैं—क्योंकि अन्य स्थान पर उन्होंने यह कहा है कि सिख राज्य की प्रभुसत्ता के लिए वास्तविक लड़ाई 1947 से अर्थात् विभाजन से जारी है।

यहां पर वेइसे आपरेशन ब्लूस्टार से निर्धारित कर रहे हैं। कभी-कभी वे कहते हैं कि इसके लिए वे 1947 से लड़ रहे हैं।

अब वे कहते हैं कि अकाल तख्त से एक समानान्तर सरकार की घोषणा की जाएगी। सीमाएं, मंत्रिमण्डल, प्रधानमंत्री और अन्य बातों की घोषणा बाद में की जाएगी लेकिन इस दौरान दिल्ली के लाल किले से खालिस्तानी झण्डा लहराएगा। सिख नियमों पर आधारित एक अलग संविधान की घोषणा की जायेगी।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मित्रवत विदेशी सरकारों, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, चीन, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, बर्मा, भूटान और बंगला देश तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से थी—और वास्तव में उनका बड़ा अहसान है कि—भारत से भी, मान्यता प्राप्त की जायेगी। प्रेस के अनुसार उन्होंने गुप्त रूप से यह धमकी भी दी है कि खालिस्तान राज्य की अलग स्थापना के प्रयास का जो भी विरोध करेगा "उन्नहा दी सफाई कीती जावेगी" (उनकी सफाई की जाएगी)। इस प्रकार के सभी लोगों की सफाई कर दी जाएगी।

अत: अब यह केवल पांच लोगों की बात नहीं है। इसका सम्बन्ध इस बात से है कि वे कहां से कार्य रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं, वह विदेशी हाथ जो स्पष्टतया उनके पीछे कार्यरत है और ऐसी घोषणा करने के समय से है।

अत: सरकार से जो मैं नम्रता से कहना चाहूंगा, वह यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि इन महीनों में उनके पास क्या कोई योजना थी, यदि विशेष परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उससे निपटने के लिए क्या कोई आकस्मिक योजना है। मैं नहीं जानता और न ही हमको बताया गया है। जब से अकाली नेतृत्व ने स्वर्ण मन्दिर को छोड़ने का निश्चय किया तथा स्वर्ण मन्दिर को इन लोगों के हाथों में छोड़कर आनन्दपुर साहिब में सरबत खालसा का आयोजन करने के लिए गए—ये दमदमी टकसाल के तथा अन्य लोग अब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे और इन स्थानों को उस समय से इन लोगों के हाथों में छोड़कर—यद्यपि आनन्दपुर साहिब में इस बात की घोषणा की गई थी, कि इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि इन लोगों से स्वर्ण मन्दिर को वे मुक्त कराएंगे, लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि किसी भी प्रकार की मुक्ति के लिए अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया गया है।

लेकिन जहां तक हमारी सरकार, केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इसका बहुत कुछ दाव पर लगा है। सारे देश का बहुत कुछ दाव पर लगा है। यह केवल पंजाब से सम्बन्धित कोई अकेला मुद्दा नहीं है। सारे देश की एकता और अखंडता इससे जुड़ी हुई है। मैं इन युक्तियों को समझ सकता हूं कि हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि पंजाब सरकार कार्यवाही करे। इसी प्रकार के जवाब हम लोगों को अभी तक दिए गए हैं। सरकार इन्हीं युक्तियों को अपना रही है और वह सभी प्रकार के साधन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने हमारे अर्द्ध सैनिक बलों को वहां भेजा है। लेकिन स्पष्ट रूप से वे इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को प्रेरित करें।

इसलिए यदि कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है तो पंजाब सरकार कार्यवाही करे या न करे, क्या सरकार के पास कार्यवाही के लिए कोई आकस्मिक योजना थी? यदि पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार एक दूसरे से तालमेल करके कार्यवाही करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि पंजाब सरकार स्वयं कोई कार्यवाही करती है तो कुछ खास अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी आकस्मिक योजना के तहत, अपनी इस प्रकार की गतिविधि को और आगे न जारी रहने देने के लिए, कुछ नहीं किया गया, तो वहां बैठे इन स्वयं भू खालिस्तानी लोगों का महत्व लोगों की निगाहों में और समस्त संसार की निगाहों में हर वक्त बढ़ता जा रहा है।

मुझे याद है वह दिन जब काफी समय पूर्व स्वर्ण मन्दिर के भीतर से प्रसाद लेकर के निकल रहे डी०आई०जी० अटवाल की दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और वह खून से लथपथ वहां दो घण्टे पड़े रहे थे। इस प्रकार का आतंक था उस समय कि किसी ने सामने आकर के उनके शरीर को उठाने का साहस नहीं किया था। उस समय मैंने सुना था कि कार्यवाही करने के लिए एक प्रकार का विचार एक प्रकार की योजना है क्योंकि इससे अधिक और क्या आप चाहते हैं। पुलिस का उपमहानिरीक्षक की मन्दिर में पूजा करने के पश्चात, हाथ में प्रसाद लेकर मन्दिर से बाहर निकलते समय हत्या कर दी गई। वह एक हिन्दू नहीं था। वह एक सिख अधिकारी था। लेकिन वह क्षण आया, वह अवसर आया और चला गया। कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद मन्दिर में क्या घटित हुआ हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं कि काफी संख्या में हमारे सिख भाई व बहन अनुभव करते हैं कि जून 1984 में धार्मिक स्थल की पवित्रता को भंग किया गया था। अब इस धार्मिक स्थल की पवित्रता को क्या हो गया है। अब उस मन्दिर और धार्मिक स्थल में किस प्रकार

का अपवित्रीकरण हो रहा है ? जिस प्रकार की गतिविधि ये लोग मन्दिर के अन्दर कर रहे हैं, कोई भी पूजा का स्थान इसके लिए नहीं होता है । मैं आशा करता हूं कि जहां तक सिख समुदाय और अकाली नेतृत्व का सम्बन्ध है उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है । निस्सन्देह जो कुछ बरनाला ने कल कहा उसका मैं स्वागत करता हूं । उन्होंने इसको धर्म विरोधी गतिविधि बताया है । उन्होंने इसे बेतुका और मूर्खतापूर्ण कहा है । उन्होंने कहा है कि समय अब आ गया है कि इन गतिविधियों की मात्र निन्दा करनी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उनका सामना करना चाहिए । मैं नहीं जानता कि इससे उनका क्या तात्पर्य है लेकिन यह एक साहसी वक्तव्य है । केवल निन्दा करने का कोई अर्थ नहीं है हमें उनका सामना करना है यह कल श्री बरनाला ने कहा था । हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इन वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, किसी कार्यवाही की योजना वास्तव में बनाई जा रही है या नहीं या कोई कार्यवाही की जा रही है या नहीं । मैं महसूस करता हूं कि यदि इस बार भी केन्द्र और राज्य सरकारें कोई कठोर कदम उठाने में असफल रहती हैं तो इन सरकारों की बची हुई विश्वसनीयता पूर्णतया समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार की गलती को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी ।

अत: संक्षेप में, जैसाकि मैंने सुबह कहा था । हम यहां इस घटना के प्रभाव से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्रीमान् जी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम सरकार को भी यह आश्वासन देना चाहेंगे कि उनके द्वारा उठाये गए किसी भी कठोर कदम से सम्पूर्ण सदन और मैं सोचाता हूं कि सम्पूर्ण देश उनके साथ होगा । हम श्री बरनाला और उनके मित्रों को भी यह बताना चाहते हैं कि उन्हें साहस जुटाना चाहिए । उन्हें आनन्दपुर साहब में हुए सरबत खालसा को लागू करने का प्रयास करना चाहिए और देश ऐसा करने में उनके साथ होगा ।

जब आप कहते हैं कि इन लोगों का कोई महत्व नहीं है, वे वहां बैठे कुछ पागल लोग जो कि लोगों से पूर्णतया अलग-थलग हैं, तब उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए । इसलिए यदि आप कार्यवाही नहीं करते हैं तो पूरे देश के लिए स्थिति बहुत ही गम्भीर हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी । "आपकी" का तात्पर्य आपकी नहीं; यह जिम्मेदारी सरकार की होगी । यदि स्थिति और खराब होती है क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं और यदि सरकार बिना किसी योजना के और बिना किसी दृढ़ निश्चय के कार्य करती है, तो हम जानते हैं जिस तरह से भी कार्य करना है, उसके कुछ लाभ होंगे और वास्तव में कुछ कठिनाइयां भी होंगी जिनका कि मुकाबला करना पड़ेगा । इसको हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं । हम सरकार को परेशान करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं या सरकार को उस स्थिति में पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जहां पर कि स्थिति विनाशकारी हो । लेकिन अब क्या किया जा सकता है ? यहां पर एक बड़ा षडयंत्र रचा जा रहा है । मेरा ऐसा विश्वास है कि ये पांच लोग अपने भरोसे इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं । उनके पीछे एक विशेष प्रेरणा है उनके पीछे विदेशी सहायता है और वे जान बूझकर देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे कि लोग यह महसूस कर सकें कि सरकार पूर्णतया असहाय है और कुछ भी नहीं कर सकती है ।

उन दिनों जब भिण्डरावाले को तीन बार गिरफ्तार किया गया था और तीन बार छोड़ दिया गया गया था तब भी लोगों ने यह महसूस किया था कि वह इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि उसे जेल में रखने का साहस सरकार के पास नहीं है। और आप जानते हैं कि अन्त में क्या हुआ, उसी घटनाक्रम में हमने देश का प्रधान मन्त्री खो दिया, लौंगोवाल जैसे महान आदमी को खो दिया और यदि इन लोगों को इसी प्रकार पागलपन करने की छूट दी गई। तो मैं नहीं जानता कि अब हम किसे खोने जा रहे हैं। अत: मैं यह कहकर समापन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता कि अब सरकार के लिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार कार्यवाही करे और हमारा कार्य परदे के पीछे रहकर उनकी सहायता करना है। यदि वे कार्यवाही करते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं इसका स्वागत करता हूं। जिस बात की जरूरत है वह पुलिस की कार्यवाही है। यदि आप कहते हैं कि अनेक कारणों की वजह से पंजाब पुलिस ऐसी कार्यवाही करने में अक्षम है, तब आपको तय करना है कि क्या किया जाय। किन्तु यदि श्री रिबैरो के अधीन पंजाब पुलिस को लाया गया है जो कि एक सक्रिय नये पुलिस प्रमुख के रूप में वहां भेजे गये हैं; आपने वहां एक नया राज्यपाल यह कहते हुए भेजा है कि वे एक बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। इसलिए, इन सभी बातों को देखते हुए देश में यह आशा बंधी है कि अब सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। महोदय, मेरा विश्वास है कि दूसरे सदन में जो कुछ कहा गया वह यह है कि हम राज्य सरकार पर इस बात के लिए निर्भर कर रहे हैं कि वह कुछ करे तथा हम उसे निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे। यह फार्मूला अब और काम करने वाला नहीं है क्योंकि कार्रवाई करने में असफलता का मतलब होगा कि मन्दिर के भीतर रहने वाले लोग तथा उन्हें सहायता देने वाले विदेशी लोग यह महसूस करने लगेंगे कि यह सरकार कोई निश्चित कार्रवाई करने में बिल्कुल कमजोर, ढुलमुल तथा अनिश्चित-सी है और तब इसके जो परिणाम होंगे, वे अब तक हुई घटनाओं से बहुत ज्यादा गम्भीर होंगे। अत: मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय अन्तत: सदन को विश्वास में लेंगे और थोड़ा प्रोत्साहन, थोड़ा भरोसा दिलायेंगे कि जब इस प्रकार का खेल खेला जा रहा हो, तो हम मात्र निश्चेष्ट दर्शक नहीं रहेंगे।

श्री आर०एस० स्पैरो (जालन्धर) : आज का वाद-विवाद और विषय वास्तव में जटिल तथा भावात्मक प्रकार का है। मैं समस्याओं के बाह्य स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा। मैं इस समस्या, जिस रूप में आज यह हमारे सामने विद्यमान है को स्पष्ट करने के लिए केवल तीन प्रमुख बातों पर चर्चा करूंगा।

इस समस्या का पहला कारण है दुश्मन की वृहत योजना जिसका समीक्षाधीन अवधि के दौरान मैंने विश्लेषण करने का प्रयास किया है। दुश्मन की मुख्य योजना भारत को अस्थिर करने तथा कमजोर बनाने की रही है। हर कोई जानता है कि कौन-सी शक्तियां सांठ-गांठ करके आंतरिक एवं बाह्य तरीके से इस काम को करने की कोशिश कर रही हैं। अब यह स्फटिक की तरह साफ पता लग चुका है। इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति काफी कुछ कह सकता है किन्तु इसका प्रासंगिक उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा।

इस बहत् योजना से सम्बन्धित उनकी प्रथम वरीयता भारत के सीमावर्ती संवेदनशील राज्य अर्थात् पंजाब और इससे सटे हुए राज्य जम्मू और कश्मीर में अस्थिरता पैदा करना है। अपने

दृष्टिकोण को संकुचित करते हुए यदि कोई भी व्यक्ति योजना बनाने की थोड़ी भी क्षमता रखता है तो उसे इस बात का मूल्यांकन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि दुश्मन का दिमाग किस ओर काम कर रहा है। मैं इसे दुश्मन उस दृष्टि से कह रहा हूं क्योंकि उसका रवैया हमें चोट पहुंचाता है। यह जानना रोचक होगा कि चरणवार चलाई जा रही यह पद्धति इसी प्रकार चलती जा रही है। और यह एक भलीभांति विदित विधि-तन्त्र है कि जब आप किसी को अस्थिर करना चाहते हैं, तो आपको चरणबद्ध कार्य करना है।

इस विशेष मामले में, जब हम पंजाब के बारे में विशेष रूप से बात कर रहे हैं, जो खेल खेला जा रहा है, उसका पहला चरण है उपर्युक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकांशत: सिख युवकों को मदद पहुंचाना, उकसाना, रिश्वत देना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना जिसके बारे में अभी मैंने कहा है।

किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए हमेशा एक पद्धति होती है। उसके पश्चात् रुढ़िवादी विचार एवं सांप्रदायिक घृणा का प्रचार करके सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने के लिए पवित्र स्थानों का केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जा रहा है जिनका उपयोग जहां तक सिख इतिहास का सम्बन्ध है, ऐसे कार्यों के लिए कभी नहीं किया गया। सांप्रदायिक घृणा को फैलाने का तो कभी प्रश्न ही नहीं था। कभी नहीं। गुरू गोविन्द सिंह महाराज और सभी गुरुओं के पुजारी सभी धर्मों के मानने वाले लोग—मुसलमान, हिन्दू, सिख और हरिजन थे। सभी धर्मों के लोग थे। हर व्यक्ति था। इस प्रकार की बात जो अभी हो रही है, पहले कभी नहीं हुई थी। यह जो प्रशिक्षण, प्रलोभन, धन, बन्दूकें, मोटर साईकिलें और अन्य चीजें दी जा रही हैं, यह एक तैयार की हुई सुनियोजित योजना है। और एक बार इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाने के बाद पवित्र स्थानों का प्रयोग उग्रवादियों को आश्रय देने के लिए, हथियार एकत्र करने के लिए तथा निर्दोष लोगों और विभिन्न अन्य निशानों पर आक्रमण करने की योजना बनाने के लिए किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। इस प्रकार काल क्रमानुसार चरण तैयार किए गए हैं और कार्यान्वित किए जा रहे हैं। केवल यही नहीं, धनराशि और निधि की गठरियों के प्रयोग से ऐसा किया जा रहा है। एक दृष्टि से, जोकि समाचार पत्रों में केवल लगभग एक महीना पहले ही आया है कि उग्रवादियों के प्रयोग के लिए पंजाब में 15 लाख रुपए भेजे गए, जो एक विक्षोभकारी बात है। किन्तु मैं जानता हूं कि आदि आप किसी को अस्थिर करने के लिए अथवा अपनी अथवा देश की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहें तो लगभग कुछ करोड़ रुपया फैंकना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे में से बहुत से मन्त्री आदि रह चुके हैं। लाखों रुपये की धनराशि उनके अपने विवेकाधीन होती है। और यदि यह किसी देश का प्रश्न हो तो करोड़ों रुपये क्यों नहीं दिए जा सकते। यह किया जा सकता है। इसलिए, पूरी बात की मूल जड़ यही है। पैसा बहुत कुछ खरीद रहा है, विशेषकर युवकों को। हमला उनके विरुद्ध हो रहा है। रुढ़िवादी किस्म का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसे यह नहीं पता कि प्रशिक्षण कहां दिया जा रहा है, भीतर या बाहर? केवल यह ही नहीं फिर साम्प्रदायिक दंगे आदि भड़काए जाते हैं। फिर गृह-युद्ध का चरण आता है। फिर यह गृह युद्ध विद्रोह और क्रान्ति का रूप धारण कर लेता है। वही समय होगा जब आबाध-प्रवेश किया जाएगा—सशस्त्र प्रवेश, किसी भी दृष्टि से सशस्त्र बल का प्रयोग। इसकी कोई बात नहीं है। संवेदनशीलता के बारे में हम जानते हैं कि वे कौन-कौन

से स्थान हैं जहां से कोई आ सकता है, वर्दी में अथवा बिना वर्दी के। सीमा के पार कभी-कभार गोलियां चलती हैं आदि-आदि। प्रवेश किया जाता है। फिर क्या होता है कि सही समय पर आपको कदम उठाना पड़ेगा। तब आपको घोषित करना पड़ेगा कि क्या-क्या है। इतने हिस्से को पक्के शब्दों में खालिस्तान घोषित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जैसा आज घोषित किया गया है—मैं उस बात पर एक मिनट पश्चात् आऊंगा—और इतना-इतना क्षेत्र उस-उसके पास जाएगा। उचित समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद आ जाती है और यह कहना शुरू कर देती है : इधर देखिए, युद्ध विराम सही उत्तर है। क्या इससे पहले आबाध प्रवेश नहीं हो चुका ? 25000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र किसी के लिए अधीन है। जम्मू काश्मीर का एक तिहाई पहले से ही किसी के अधीन है। इसलिए, वह स्थिति तैयार कर ली गई है। क्या इसे हम रोकने जा रहे हैं अथवा नहीं, मैं उस पर एक मिनट में आऊंगा। अतः, यह प्रथम बात है जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था।

दूसरी बात है कि शत्रु की भारी योजना खटाई में पड़ गई। और मुझे सरकार को, प्रधान मंत्री को, समग्र रूप से सदन को और समग्र रूप से दलों को, किसी एक दल के नहीं बल्कि सभी दलों को धन्यवाद देना है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। हम सभी लोग इसे किसी न किसी रूप में समझते रहे हैं और आज हम इस स्थिति में हैं। मैं इसकी व्याख्या करूंगा। अखिल भारतीय सिख छात्र संघ से अलग हुए छोटे से समूह द्वारा खालिस्तान के विषय में की गई घोषणा के फलस्वरूप यह बात बहुत साफ हो गई है कि पंजाब को अस्थिर करने की दुश्मन की योजना बुरी तरह से असफल हो गयी है। मैं उसकी व्याख्या करूंगा। दुश्मन की बड़ी योजना अब और अधिक कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने प्रयत्न किया लेकिन किसी भी प्रकार से यह सफल नहीं हुई। वह राजनीतिक रणनीति, जिस पर उन्होंने कार्य करने का प्रयास किया, चल नहीं पाई। मुख्यतया क्यों ? मुझे इसको सदन में बताना चाहिए। पंजाब समझौता के प्रारम्भ से ही माननीय प्रधान मन्त्री ने पहल की थी और पहल ने आज स्पष्ट रूप से किसी न किसी रूप में फल दिया है। कैसे ? मैं इसे बतलाऊंगा। उदाहरणार्थ—स्थिति अब इस सीमा तक आ गई है कि उग्रवादी मानसिक रूप से या अन्य प्रकार से पंजाब के लोगों से, जोकि बहुमत में हैं, अलग-थलग पड़ गये हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए और जैसाकि आप जानते हैं कि अनेक वर्षों से विभिन्न स्वरूपों, जैसे किसान मजदूर दल के सभापति, भूतिपूर्व सैनिक लोग के सभापति, पंजाब के एक मन्त्री के रूप में मैं गांव-गांव घूमा हूं। अतः मैं नाड़ी पहचानता हूं। मैं अपने लोगों को जानता हूं। मैं उनकी प्रतिभाओं एवं कमजोरियों जो जानता हूं अब मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ उग्रवादियों को छोड़कर, मानसिकरूप से बहुमत में कोई भी खालिस्तान के समर्थन के लिए उत्सुक नहीं है। नहीं, वे इसके समर्थन में नहीं हैं। वे सब इसके विरुद्ध हैं। जैसाकि आप जानते हैं सिखों का सबसे बड़ा दल यहां बैठा है उसमें से 7 अकाली दल के माननीय संसद सदस्य यहां हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। महोदय, जैसाकि आपने कहा है किस सीमा तक और किस प्रकार की कार्यवाही हमें करनी चाहिए। वास्तव में यही वह बात है जिस पर मैं बात करूंगा। लेकिन तथ्य यह है पंजाब के 12,968 गांवों में सभी जगह घूमा हूं। उनमें से एक भी खालिस्तानी होने का इच्छुक है। वे इसे नहीं चाहते हैं। और वास्तव में इन अखबारों के पन्नों में से आपने देखा होगा कि गांव वालों ने उनको पकड़ना और पीटना शुरू कर दिया है। इस प्रकार के भी कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। अतः यह दूसरा कारण है जहां तक पंजाब की जनता का सम्बन्ध है। आखिरकार 85 लाख से 90 लाख तक सिख हैं

और बाकी अन्य लोग हैं, जो एक करोड़ 40 लाख या इसके आस-पास हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि सिखों का प्रबल बहुमत है। हां, अकाली दल की एक दुःखद कहानी है। वे अनेक घटकों में विभाजित हो रहे हैं। लेकिन, उसका कोई महत्व नहीं है। प्रबल बहुमत अपराधियों के विरुद्ध और उनका सामना करना पड़ेगा। तब क्या चीज बची रहती है? जैसाकि गुप्ता जी कह रहे थे कि अपराधियों की पहचान और उनके विरुद्ध कार्यवाही करना बाकी है। अन्यथा हम लोग बाहर के लोगों की योजना, जोकि हमें अस्थिर करना चाहते हैं, को बाधित करेंगे। अब यह समझने के लिए हम लोग बिल्कुल सशक्त हैं। और मुझे विश्वास है कि सीमाओं पर, सीमाओं के अन्दर और सीमाओं के द्वितीय चरण में उत्कृष्ठ प्रबन्ध पूर्णरूप से किए हैं और हमें इस भावना परकोई शक, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कोई इसे अस्थिर करने जा रहा है। नहीं महोदय, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा यदि एक व्यक्ति को भी खड़े होकर लड़ना पड़े तो भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।

अन्त में महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा। एक या दो छोटी-छोटी अपीलें आपसे करने के बाद मैं चुप हो जाऊंगा। मेरा प्रथम अनुरोध जो मैं सदन से और विपक्षी दलों तथा भारत से करना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रीय समस्या होने की वजह से हमें इसे बिना किसी हिचक के पूरा समर्थन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यही वे सब लोग कर रहे हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो : केन्द्रीय सरकार और विशेषरूप से पंजाब सरकार को समर्थन करना चाहिए। यह हमारी स्थिति है। और उस पर भी आपने संकल्प ले रखा है। हम लोग डांवाडोल होने नहीं जा रहे हैं। अपराधियों के विषय में मुझे एक शब्द कहना है। उग्रवादियों, विशेष रूप से नौ-जवानों से मैं एक शब्द कहना चाहूंगा। भारत का अहित चाहने वाले विदेशों के कहने पर उन्हें उग्रवादी तरीका अपनाना बन्द कर देना चाहिए। यह उनकी खुद की भारत माता है और अपनी माता को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें भारत माता की रक्षा करनी चाहिए जैसाकि ऐतिहासिक रूप से सभी सिखों ने अभी तक किया है। हम कैसे उसका जीवच्छेदन होने दे सकते हैं। उन्हें सोचना चाहिए और अपने हथियार डाल देना चाहिए। यदि गौरव के साथ ऐसा किया गया तो उदारता से उनको साफ कर दिया जाएगा। यह मेरा उनसे भी विनम्र अनुरोध है। आखिरकार वे कौन हैं? वे भी हमारे लोगों में से हैं। इसलिए उनको भी ऐसा अनुभव करना चाहिए। विदेशी तत्वों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। पैसे के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। यही सबसे अच्छा उपाय है जिसकी कि हम उन्हें अनुसरण करने की सिफारिश कर सकते हैं।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अर्जुन सिंह (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में 'पंजाब की स्थिति पर चर्चा हो रही है जिसको कि हम सभी ने बहुत अधिक पसन्द किया होता यदि यह न होती। मैंने माननीय सदस्य श्री गुप्त जी के भाषण का समापन अंशसुना। जो कुछ उन्होंने कहा उससे यदि पूरी स्थिति स्पष्ट होती है, तो मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि यह एक ऐसी समस्या है जिस पर कि हम विभाजित दृष्टिकोण या किसी भी स्थिति में किसी सन्देह से विचार नहीं कर सकते हैं। मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। उनमें से एक तो यह है क्या एक व्यक्ति है, क्या पांच व्यक्ति हैं या 500 व्यक्ति हैं। यह बात

महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई देश की सम्प्रभुता एवं अखंडता को चुनौती देने का साहस करता है या कोई इस देश की एकता या अखंडता को खतरा पैदा करने का साहस करता है, इस सम्माननीय संसद को, इस देश के लोगों को और हम सभी को उनका सामना करना है और उन्हें कुचल देना है। हमारे पास अब केवल यही विकल्पक बचा है।

यह अच्छा है और मैं सोचता हूं कि यदि मैं ऐसा कह सकूं कि यह एक बहुत उत्साही लक्षण है। इस मुद्दे पर इस देश में बिना किसी अपवाद के संपूर्ण राजनीतिक विचार धारा, अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों एवं देश की एकता को खतरा पैदा करने वाली ताकतों के विरुद्ध संगठित है। इसके लिए इन दलों को श्रेय दिया जाना चाहिए और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मैं फिर भी कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस देश के नेता के रूप में इस देश में इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दे में राष्ट्रीय सहमति बनाने में प्रधान मंत्री की बहुत ही निर्णायक एवं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में, जैसी कि उत्पन्न हो गई है, मैं जानता हूं कि यह कह देना एक आसान बात है कि फलां-फलां व्यक्ति ने यह कार्य किया है। अमुक व्यक्ति इसके लिए दोषी है। मैं कह सकता हूं कि हिंसा की प्रत्येक वारदात, हो हल्ला मचाने के लिए किया गया प्रत्येक प्रयास कभी भी न्याय-संगत सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता और इन कार्यों की सदैव भर्त्सना की जाती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के उस भाग में दुर्भाग्यवश यह हुआ है कि कुछ थोड़े से लोगों ने मुख्य रूप से राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हिंसा और आंतकवाद को अपना साधन बनाया और अब उनकी वास्तविक योजना का भंडा फूट गया है और यह ऐसी काई बात नहीं है जो सविधान के ढांचें के अन्तर्गत प्राप्त की जा रही है लेकिन एक विदेशी शक्ति के उकसाने पर, राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल तथा देश के उस भाग में अत्यंत स्पष्टरूप से अलगाववाद का समर्थन करने के उद्देश्य से अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि सभा में कतिपय बातों पर विचार किया जाए क्योंकि इतिहास की प्रगति में अक्सर हम घटनाओं के महत्व को और शक्तियों के स्वरूप-परिवर्तन को भूल जाते हैं। जो कभी एक का पत्र लेती हैं और कभी दूसरे का।

अध्यक्ष महोदय, हम बड़े दुःख से इस बात को याद करते हैं कि केवल दो वर्ष पूर्व पंजाब में क्या हुआ। आज जो कुछ हो रहा है वह करीब-करीब-वैसा ही है और हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक यह उसी की पुनरावर्ती है। लेकिन यहां एक भारी गुणात्मक अन्तर है और हमें इस अन्तर के महत्व को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इससे वे उत्तम और महान चीजें सामने आई हैं जो भारतीय गणतंत्र प्रस्तुत कर सकता है। आज हम देखते हैं—मैं पंजाब के बारे में कह रहा हूं, देश में जो हो रहा है उसके अलावा—वे सभी शक्तियां, वे सभी लोग, वे सभी राजनैतिक दल जो उभयभावी, मूक और शायद दो वर्ष पहले जो कुछ हो रहा था उसका मूक समर्थन करते थे, आज न केवल खुल्लम-खुल्ला विरोध कर रहे हैं बल्कि मैं समझता हूं कि वे इन शक्तियों का सामना करने को तैयार हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है वह देश के हित में नहीं है और धर्म सिद्धांत के रूप में वे इस देश की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करेंगे और मैं समझता हूं कि दो वर्ष पूर्व जो हुआ और जो कुछ आज हो रहा है उसी संदर्भ में आज स्थिति में एक भारी अन्तर है। एक महत्वपूर्ण बात जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए वह यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद अर्थात सरकार के बनने के बाद इसे

समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों पर ही, चाहे जैसे भी लोग उन्हें निर्वाचित करें—सारा भार पड़ता है। अतः, पंजाब सरकार को इस मुख्य उत्तरदायित्व को निभाना है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हाल में हमने विगत में जो अनिश्चितता और कमियां देखी हैं, कम से कम इस संकटकालीन स्थिति में पंजाब सरकार और पंजाब के लोग इन लोगों का सामना करने के लिए एकजुट होकर खड़े हुए हैं और वे पूर्णतया इन लोगों को उन्मूलन कर देना चाहते हैं।

समाचार पत्रों और टेलीप्रिन्टर समाचारों के अनुसार यह बात स्पष्ट हो गई है कि वास्तव में सुरक्षा बलों द्वारा स्वर्ग मंदिर परिसर में कुछ कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है। आपकी इजाजत से, मैं उन बहादुर लोगों के लिए सफलता की कामना करता हूं जो संतुलन को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं और जो उन तत्वों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की प्रभुसत्ता और अखंडता से टकराने अथवा उसे चुनौती देने का साहस किया है। क्योंकि इस स्थान को पूर्णरूप से सुरक्षित बनाया गया है और जिन्होंने इसको चुनौती देने का साहस किया है उनका पूर्णरूप से उन्मूलन किया गया है।

इसका एक राजनैतिक पहलू भी है। जैसा कि मैंने शुरू-शुरू में कहा है, यह बात रिकार्ड करने वाली है कि प्रधान मंत्री—मैं इस बात को यहां दोहराना चाहता हूं—शायद शासन कला की कल्पना-शक्ति से, जैसा कि हमने देखा है, धीरे-धीरे धैर्य, सहानुभूति, दृढ़ता और स्पष्ट उद्देश्य के साथ उन शक्तियों का पता लगाने और उनको पूर्णरूप से अलग-थलग करने में समर्थ हुए हैं जो इस देश के शत्रु हैं। वे इसी बीच सभी प्रयासों के फलास्वरूप पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने में समर्थ हुए हैं और पंजाब में लोकतांत्रिक गठबंधन को मजबूत और दृढ़ करने के लिए और देश में इन लोगों का सामना करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। अन्ततः यह देखने के लिए यह लोकतंत्र की जीत है, भारत की जीत है और जो लोग देश की प्रभुसत्ता और अखंडता को विघटित करने का प्रयास करेंगे उनको इस प्रकार का सबक सिखाया जाएगा कि वे फिर कभी अपना सिर नहीं उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि इस समय सभा हाल में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में अपनी भारी चिन्ता व्यक्त करते हुए उन लोगों के प्रति जो आज विघटनकारी और आतंकवादी शक्तियों का सामना कर रहे हैं अपने अटल संकल्प और वचनबद्धता से सिद्ध करेगी। इस सभा की आवाज, इस सभा का संकल्प उनके संकल्प को दृढ़ करेगा और उनको इस योग्य बनाएगा कि वे अपने कर्तव्य को बेहतर ढंग से निभा सकें।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अर्जुन सिंह जी से सहमत हूं कि इस मामले में सारा हाउस और सारी पार्टियां सरकार का साथ दे रही हैं और हमारी राय यह है कि सब के सब मिलकर इस संकट काल का मुकाबला करें। अच्छा होता अगर श्री अर्जुन सिंह जी के बजाए ये लफ्ज जो अभी आखिर में उन्होंने कहे, होम मिनिस्टर जी कहते तो हमें बड़ी खुशी होती। श्री गुप्ता जी ने भी यह कहा था, यही डिमांड की थी कि बताइए कि क्या हो रहा है, एक्शन जो हुआ है, उसके बारे में बताइए। श्री अर्जुन सिंह जी के मुंह से हम लोगों ने सुना, ठीक है, अच्छी खबर है चाहे श्री अर्जुन सिंह जी के मुंह से सुनें या होम मिनिस्टर के मुंह से, इससे कोई फर्क नहीं

पड़ता, हम जरूर उनका साथ देंगे और हमें बड़ी खुशी है कि इसका कोई हल निकला है, मगर इस बारे में मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात याद आती है—

[अनुवाद]

वह प्रत्येक कार्यवाही जिसे हम कर रहे हैं, पिछली कार्यवाही का अपरिहार्य परिणाम है।

[हिन्दी]

"ब्लू स्टार" हमने किया, मिनी ब्लू स्टार या कुछ भी कहिए, छोटा-मोटा ब्लू स्टार तो करना ही पड़ेगा शायद, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ज्यादा खून-खराबा नहीं होना चाहिए, गोल्डन टैम्पल में खून-खराबा होना कुछ अच्छी बात नहीं है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

बहुत से माननीय सदस्य : तो फिर क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मेरी बात तो सुनिए, थोड़ा सब्र कीजिए। मेरा ख्याल है कि ये जो बातें चल रही हैं यहां पर "राज करेगा खालसा" एम आई राइट सर, "राज करेगा खालसा" यह जहनियत कैसे पैदा हुई, क्या इसका मतलब है कि खालसा ही इस देश में राज करेगा, कैसे करेगा और यहां पर तो गोल्डन टैम्पल तक ही बात नहीं है, रैड फोर्ट पर झंडा लगेगा। इस देश में राज करेगा खालसा ही नहीं, खालसा भी राज करेगा, कुरान भी राज करेगा, गीता भी करेगा, बाइबल भी करेगा।

अध्यक्ष महोदय : उसमें मेरे ख्याल में जो "खालसा" की बात थी वह "शुद्ध राज" की बात थी।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सच्चाई ब्यान कर रहे हैं। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति राज करेगा क्योंकि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी समाज, जाति अथवा धर्म से सम्बन्ध रखता हो उसको इस बात का अधिकार है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत शासन में हाथ बंटा सकता है और ऐसा होकर रहेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वे खतरा पैदा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : यही मैंने अर्ज किया, लेकिन उर्दू में किया। इस देश में खालसा राज करेगा या कोई कुरान राज करेगा, गीता राज करेगा, ये बातें नहीं होनी चाहिए। यह देश सब लोगों का है, सारे लोगों का है, हिन्दुओं का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, सभी ने कुरबानी की है, सबका यह देश है और हमें याद रखना चाहिए कि—

"चिश्ती ने जिस जमीन में पैगामे हक सुनाया,
नानक ने जिस चमन में वहदत के गीत गाए,

नानक ने वहदत के ही गीत क्या गाए थे, आज हम भूल जाते हैं।

तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया,

यही तो हमारा वतन है। हम यह क्यों नहीं समझते हैं? मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ दिन तक हमारे एक मित्र ने वहां कोशिश की, उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, इसका मुझे अफसोस है। वे चाहते थे कि जो भूले-भटके लोग हैं, नौजवान हैं, उनको रास्ते पर लाया जाए। मगर, बहुत हो चुका। उनकी नादानी इतनी बढ़ गई है, मुझे एक बात याद आ रही है। कवि भर्तृहरि ने कहा था—

"फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
मरदे नादां पर, कलासे नर्मी नाजुक बे-असर"

क्या करेंगे आप, कलासे नर्मी से। कलामे नर्मी नाजुक से नहीं बल्कि गरम और सख्त कलम चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : यह कह दीजिए कि मैं देश के साथ हूं और एक कदम आगे हूं। (व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : मुझे उम्मीद है जो भी कदम आज शाम चार-पांच के करीब उठाया गया है।

[अनुवाद]

हम सम्भवत: बाल की खाल निकाल रहे हैं।

[हिन्दी[

जो कुछ एक्शन लिया गया है, उसमें बरनाला जी का और सब लोगों का साथ है और जरूर रहेगा।

श्री अर्जुन सिंह : उन्हीं के द्वारा एक्शन लिया गया है और कोई एक्शन नहीं ले सकता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : बहुत अच्छा है और हम उसका समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि हम सारे हिन्दुस्तान में शान्ति बनाए रखे। शान्ति बनाए रखने में सारे विरोधी दल आपका साथ देंगे।

अध्यक्ष महोदय : ये चाहते हैं कि अधूरा काम न हो, पूरा काम हो।

[अनुवाद[

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं भी आक्रोश के साथ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सदन जो इस देश की प्रभुसत्ता का संरक्षक रहा है, जिसने देश को एकता और अखंडता को बनाए रखा है, आज बैठकर उन्हीं आदर्शों और सिद्धान्तों के प्रति निश्चित खतरे के सम्बन्ध में वाद-विवाद कर रहा है। इस देश का विभाजन करने का प्रयास किया गया है और कोई ठोस कार्यवाही के स्थान

पर केवल चर्चा करने से कुछ मतलब सिद्ध नहीं होगा। चुनौतियां दी गई हैं और कुछ समय से उनमें वृद्धि हो रही है और अन्ततः आज बिगड़ कर स्थिति यह हो गई है। खालिस्तान की घोषणा कर दी गई है और मेरे विचार से जिस बात के होने की सभी को आशंका थी, वह हो चुकी है। यह केवल चिन्ता का ही विषय नहीं है बल्कि समस्त देश को भारी खतरा है और हमें इस पर सोचना पड़ेगा, समस्त सदन को सोचना पड़ेगा क्योंकि सदन भारत के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो इस देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़े हैं और जो इसकी एकता के लिए अभी भी लड़ रहे हैं और इसीलिए इस सदन को पंजाब और अन्य स्थानों पर हो रही ऐसी गतिविधियों की इन चुनौतियों की ओर ध्यान देना होगा।

वे लोग, जिन्होंने इस खालिस्तान की घोषणा की है, मैं यह नहीं कहूंगा कि वे पागल लोग हैं। परन्तु हमें स्थिति की गम्भीरता को कम नहीं समझना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि अब इस टाल-मटोल से काम नहीं चलेगा। चुनौतियां बहुत अधिक हैं और इन्हें हँसी उड़ाने अथवा कम समझने से काम नहीं चलेगा। जिन ताकतों का उल्लेख किया गया है, वे ताकतें जो देश को अस्थिर करने और विभाजित करने में सक्रिय हैं, काफी समय से सक्रिय हैं। श्रीमती गांधी शहीद हो गई हैं। हमेशा वे सदैव सावधान रहने के लिए कहती रहीं और लोगों और देश को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती रहीं। दुर्भाग्यवश हम एक नहीं हो पाए। किसी प्रकार हम अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सफल नहीं हो पाए और श्रीमती गांधी को इस सदन को अभीष्ट उच्चतम आदर्शों अर्थात् भारत की अखण्डता की रक्षा करने के आदर्श के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी। अब प्रश्न यह है कि स्वर्ण मन्दिर की प्रभुसत्ता है अथवा इस भारतीय राष्ट्र की; हम भारत की प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे अथवा एक ऐसे खाली स्थान, जिसे हम पवित्र कहते हैं तथा जो दुर्भाग्यवश ठगों के एक समूह के हाथों में चला गया है, जो शत्रुपोषियों और देश द्रोहियों के समूह के हाथों में चला गया है, उसकी प्रभुसत्ता मानेंगे। उनकी दुरभिसन्धि अथवा बाहरी ताकतों के साथ उनकी दुरभिसन्धि कोई गुप्त बात नहीं है और साम्राज्यवादी शक्तियों का हाथ, जिसका कि सुरक्षा परिषद में लीबिया के सम्बन्ध में वाद-विवाद के दौरान उल्लेख किया गया है जिसके कारण हमें डराया धमकाया गया है,. निश्चित है और मैं और दोनों ओर के मेरे मित्र इस सदन में इन मामलों को उठाते रहे हैं—विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में भारत को दी गई धमकियां, क्योंकि हम साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रहार के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं और यह इस राष्ट्र की एकता के ऊपर प्रहार है। इसीलिये, पूरी स्थिति का मेरा मूल्यांकन उस स्तर का है —क्योंकि वहां केवल पांच व्यक्ति हैं और उन्होंने खालिस्तान की घोषणा कर दी है—मुझे हैरानी नहीं होगी यदि शाम तक हम यह सुनें, कि साम्राज्यवादी शक्तियों, विशेष रूप से अमरीका, के पिछलग्गु देशों द्वारा खालिस्तान को मान्यता दे दी गई है। इसीलिए, हमें अपने मतभेदों को समाप्त करना होगा। यह सबसे गम्भीर चुनौती है जिसका इस गणराज्य को सामना करना पड़ा है और इस देश के समकालीन इतिहास में यह एक महान् चुनौती है। इसीलिए मुझे कई बार अचम्भा होता है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे सदन में मतभेद हो अथवा कोई बात यहां अप्रिय प्रतीत हो। नहीं, मेरा यह अभिप्राय नहीं है। इस एकता को बनाए रखना होगा। परन्तु उस समय, जब राष्ट्र का इतिहास, राष्ट्र की एकता खतरे में हो तो ऐसे अवसरों पर कुछ आत्म-विश्लेषण की आवश्यकता होती ही है। उससे लोगों का काफी भला होता है। गारंटी क्या है ? जिस तरह से स्वर्ण मन्दिर को उनके सुपुर्द कर दिया गया, जिस तरह से हम इन महीनों में उन लोगों के बारे में, जिनके

हाथ में सिख धर्म सत्ता की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वर्ण मंदिर का नियंत्रण है, बताते आए हैं, उस समूह का पंजाब में लोगों की सोचने-समझने की शक्ति, ईमाननारी और वचनबद्धता पर नियन्त्रण है। इन सब के बावजूद भी स्वर्ण मन्दिर को इन्हीं लोगों के नियन्त्रण में रहने दिया गया और गत 3-4 महीने से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। षड्यन्त्र किए गए हैं। सम्पर्क किए गए हैं और यह जानकर मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि दिल्ली और बाहर भी सम्पर्क बनाए रखे गए। इन्हीं सब कारणों से आज की स्थिति और कुछ भी गम्भीर कार्यवाही की जा सकने वाली स्थिति उत्पन्न हुई है। श्री अर्जुजन सिंह जी ने हमें बताया कि कुछ कार्यवाही की जा चुकी है। ऐसी कार्यवाही का सदैव सत्कार किया गया है। हम इस कार्यवाही की मांग करते रहे हैं। परन्तु सरबत खालसा ने, जो सिख धर्म की सबसे ऊंची संस्था है, ने काली सरकार को स्वर्ण मन्दिर तथा अन्य मन्दिरों को इन तत्वों से स्वतन्त्र कराने का निदेश दिया। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्थिति को और बिगड़ने दिया गया। हम सब इस सरकार का समर्थन करते हैं क्योंकि यह प्रजातन्त्रीय प्रणाली द्वारा निर्वाचित सरकार है और यह सरकार हमारे प्रधान मन्त्री, जो सदैव देश के हित की सोचते हैं, के नेतृत्व के माध्यम से बनी है और उसे कार्य करने का अवसर मिला है, और हम यह आशा करते चले आ रहे हैं कि श्री बरनाला के नेतृत्व में कार्य कर रही यह सरकार राष्ट्र के प्रति अपने तात्कालिक संवैधानिक कर्त्तव्यों का पालन करेगी। और मुझे यह कहते हुए खेद है कि वहां कुछ लोगों का एक वर्ग है जो खालिस्तान की मांग करने वालों के प्रति सहानुभूति रखता है। आओ हम एक हो जाएं और संविधान और देश की एकता में पुनः वास्तव में अपनी निष्ठा और विश्वास व्यस्त करें। हम केवल नारे ही लगाते आ रहे हैं। इन धार्मिक कृत्यों से काम नहीं चलेगा।

स्वर्ण मन्दिर के परिसर से खालिस्तान की घोणणा करना एक सुविचारित और पूर्व-नियोजित कार्य है। मुझे, जो हो रहा था और वह सब कैसे हुआ, इसकी हैरानी है। जिस समय यह षड्यन्त्र किया जा रहा था उस समय हमारे आसूचना विभाग को क्या हो गया था? यह कैसे हुआ कि हमें कुछ पता ही नहीं चला? आसूचना विभाग को क्या हो गया था? इस बात का कैसे पता नहीं चला कि खालिस्तान की घोषणा होने जा रही है? हम इसे कैसे नजर-अन्दाज कर सकते हैं? हो सकता है कि पाँच ही लोगों ने इसकी घोषणा की हो। 10, डाइनिंग स्ट्रीट अथवा व्हाइट हाउस के परिसर से कार्य करने वाले खालिस्तान के स्वयंभू नेताओं की बात को हम वह समझ सकते हैं। परन्तु स्वर्ण मन्दिर से, हमारी अपनी मातृभूमि से, पंजाब की उस भूमि से, जो गत पाँच वर्ष से अशान्त रही है, खालिस्तान की घोषणा करना—बरनाला सरकार के गठन के बाद, बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जिन्हें समझने में हम असमर्थ हैं। यह कैसे है कि हमें इन शत्रु पोषियों और देश द्रोहियों के इस समूह की इस निन्दनीय हरकत के बारे में बिल्कुल ही पता न चला कि ये खालिस्तान की घोषणा करने जा रहे हैं? इसका हमें पता क्यों नहीं चला? आसूचना विभाग के लोग क्या कर रहे थे?

ब्लूस्टार आपरेशन के पहले यह कहा जा रहा था कि आसूचना का हमारा पूरा जाल छिन्न-भिन्न हो गया था और हथियारों तथा शस्त्रों को स्वर्ण मन्दिर में पहुंचा दिया गया था तथा स्वर्ण मन्दिर में वस्तुतः एक किले का निर्माण कर दिया गया था। इन सभी अनुभवों और दुःस्वप्नों का सामना करने के पश्चात् और इन सबके होते हुए दुर्भाग्य से यह घटित हो गया। खालिस्तान उनकी कल्पना की वस्तु हो सकती है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में, इसको मिलने वाले प्रचार और

पूरे संसार में अपने संरक्षकों से मिलने वाले प्रोत्साहन के सन्दर्भ में यह एक बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए अभी तक की गई कार्यवाही के अतिरिक्त और अधिक कठोर कार्यवाही करने की जरूरत है और इस सदन को यह घोषणा करनी चाहिए कि यह लड़ाई उनकी समाप्ति तक जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई उदारता नहीं बरती जाएगी और किसी भी परिस्थिति में हम इन साम्प्रदायिक ताकत को, चाहे वे उग्रवादी हों या अन्य दूसरे साम्प्रदायिक समूह हो जो हर प्रकार की धमकियां दे रहे हैं और इस देश के भविष्य के सम्बन्ध में भविष्य वाणियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने देंगे। देश के अन्य भागों में भी लोग हैं जिनको कि पंजाब के उग्रवादियों की गतिविधियों से प्रोत्साहन मिल रहा है और वे चारों तरफ यह कह रहे हैं कि यदि भारतीय सेना द्वारा पंजाब के मुट्ठी भर सिखों को नहीं दबाया जा सकता है, सेना की कार्यवाही के तीस वर्ष के बाद जब नागा नहीं दबाए जा सकते, तो यदि वे विद्रोह करने लगे तब क्या होगा। इसलिए समस्त घटनाक्रम को ध्यान में रखना होगा और इस सदन को उत्तर देना चाहिए···(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : तब आपको मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सम्बन्धी विधेयक को वापस लेने का समर्थन करना चाहिए।

प्रो० के०के० तिवारी : इसलिए मैं कहता हूं कि यह सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे बड़ी खुशी है, सदन के सम्माननीय सदस्यों से ऐसी ही आशा थी। लेकिन उन लोगों पर भी निगाह रखी जानी चाहिए जिनके उग्रवादियों से सम्बन्ध हैं। उन लोगों में से अनेक पंजाब में और बाहर महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। अतः स्थिति का व्यापक आकलन करना होगा और इस बार पंजाब में यदि कार्यवाही शुरू होती है तो कार्यवाही को किसी तर्कसंगत समापन तक पहुंचाना होगा और उग्रवाद, अलगाववाद तथा आतंकवाद को भारत की भूमि से हमेशा के लिए उखाड़कर फेंक देना होगा क्योंकि इसे अपनी स्वतन्त्रता सबसे प्यारी है और इसको बनाये रखने के लिए हमने बहुत बलिदान किए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, जहां तक मेरी सूचना है, समस्त विश्व जानता है कि अर्द्ध सैनिक बलों ने स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश किया है और आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री द्वारा आज सुबह दिया गया वक्तव्य इस विषय में कोई जानकारी नहीं देता है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा उसमें नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें आशा थी कि अब तक कुछ और सूचना प्राप्त हो चुकी होगी। इसी वजह से चर्चा में विलम्ब हुआ है, ऐसा हमें संसदीय कार्य मंत्री श्री भगत द्वारा बताया गया है।

श्री अमल दत्त : केवल इन लोगों को ऐसी बात सबसे बाद में पता चलती है।

श्री वी०पी० नरसिंह राव : मैं यह कहना चाहूंगा कि समाचार एजेंसी, चाहे वह कितनी ही विश्वसनीय क्यों न हो, के आधार पर वक्तव्य देना उचित नहीं होगा। जब मैं बहस का जवाब दूंगा तब अपने स्रोतों से प्राप्त अन्तिम रिपोर्ट के सम्बन्ध में, मैं निश्चित रूप से सदन को विश्वास में लूंगा।

(**व्यवधान**) नहीं, एक कार्यवाही की जा रही है, इसका आंखों देखा हाल तो हमारे पास नहीं है। सूचना प्राप्त करने का एक तरीका है और मैं सूचना प्राप्त करने की सीमा तक आपको विश्वास में लूंगा। मैं नहीं कह सकता कि इस स्थिति तक जो सूचना मेरे पास है, वह पूर्ण है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। अत: चर्चा का मुख्य मुद्दा यह है कि पंजाब सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। अब यहां एक उत्साहजनक सूचना यह है कि उन्होंने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। यदि आप उसमें भी तर्क-कुतर्क करो तब मैं सोचता हूं सम्पूर्ण महत्व समाप्त हो जाएगा। अत: कृपया ऐसा न करो।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखो, एक बार जब उन्होंने आश्वासन दे दिया है, तब आपको उचित समय में पता लग जाएगा। इसके पहले वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। उस वक्त उनके पास कोई सूचना नहीं थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बाहर लोग ऐसा कह रहे हैं। किस आधार पर वे चर्चा कर रहे हैं? घटनाएं घटित हो रही हैं और हम लोग उनके बारे में पूर्णतया अन्धेरे में हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान चौधरी जी, जो कुछ हो रहा है इसको वे पहले नहीं बता सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जो कुछ हो रहा है। अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : उस समय उनको पता नहीं था।

श्री अमल दत्त : हमारे चर्चा शुरू करने से पूर्व समाचार आ चुका था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप गलत जगह से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : यदि वे मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, तो हमें चर्चा बन्द कर देनी चाहिए और उन्हें अपनी बात समाप्त करने देनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : हमें बिना जानकारी प्राप्त किए चर्चा नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब समय उपयुक्त होगा तब वह बताएंगे। उसी वजह से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी वजह से हम लोगों ने चर्चा विलंब से शुरू की थी। यही कारण है जिसे हमें समझना चाहिए। अधीर मत बनो। (**व्यवधान**)

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो व्यवधान नहीं करते।

श्री वसुदेव आचार्य : यह केवल पांच लोगों का कार्य नहीं है। बार-बार वे कहते रहे हैं कि साम्राज्यवादी ताकतें, खालिस्तानी, अलगाववादी आन्दोलन के पीछे हैं। वे हमारे देश को खण्डित करने और अस्थिर करने पर तुली हुई हैं। यह नृशंस घोषणा भी साम्राज्यवादी ताकतों के कहने पर की गई है जो कि हमारे देश को अस्थिर करने पर तुली हैं। यह देश की एकता एवं अखंडता को चुनौती

है और इस घोषणा ने उग्रवादियों जो कि अपनी गतिविधियों को धार्मिक विश्वास की आड़ में छिपाने का प्रयास कर रहे हैं के राष्ट्र विरोधी मंसूबे को स्पष्ट कर दिया है। जो कुछ बल घटित हुआ वह उग्रवादियों द्वारा अपनाये गये रुख की विस्तृति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब 26 जनवरी को उन्होंने सरबत खालसा का आयोजन किया था, तब उन्होंने घोषणा की थी कि सिख भारत के गुलाम हैं और स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से अकाली नेतृत्व ने भी इसे दोहराया है। उन्हें उसी दिन उनको सरबत खालसा के आयोजन की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी जिस दिन उन्होंने भी स्वर्ण मन्दिर में सरबत खालसा के आयोजन का निश्चय किया था। उन्हें स्वर्ण मन्दिर पर कब्जा कर लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिये थी। आनन्दपुर साहिब ने यह घोषित करने के बाद भी कि वे स्वर्ण मन्दिर को बलपूर्वक खाली कराने का प्रयास करेंगे, यह घोषणा मात्र कागजी बन कर रह गई है।

महोदय, धर्म के राजनीति के साथ ऐसे सम्मिश्रण को रोका जाना चाहिए। यह केवल राज्य सरकार का दायित्व नहीं है बल्कि केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों को संयुक्त रूप से स्वर्ण मन्दिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए और यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि भविष्य में इन गुरुद्वारों और धार्मिक स्थलों का प्रयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सशस्त्र विद्रोह के केन्द्रीय स्थलों के रूप में नहीं करने दिया जाएगा।

केन्द्र सरकार को पंजाब समस्या को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं मानना चाहिए। जो समझौता किया गया था उसका सभी राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया था।

श्री संफुद्दीन चौधरी : श्री अरुण नेहरू, यह महत्वपूर्ण है।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन जिस बात की जरूरत थी कि उग्रवादियों को अलग-थलग करने के लिए लोगों को जाग्रत किया जाय, उसे नहीं किया गया।

इसीलिए उग्रवादियों के हाथ मजबूत हो गए और कल उन्होंने खालिस्तान की घोषणा कर दी है। स्वर्ण मन्दिर पर उन्होंने अपना झण्डा फहराया और यह घोषणा की है कि वे भारत सहित विभिन्न देशों से राजनयिक मान्यता देने का अनुरोध करेंगे और अन्य देशों से आर्थिक तथा सामाजिक सहायता का भी अनुरोध करेंगे। पंथ की समिति की बैठक ने भी खालिस्तान का विरोध करने वालों को यह चेतावनी दी है कि उनकी हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। खालिस्तान कमाण्डो दल खालिस्तानी सेना के लिए एक केन्द्रीय शक्ति के रूप में कार्य करेगा। अब लोगों में भावना जाग्रत करने की आवश्यकता है और लोगों को यह बताना आवश्यक है कि हमारे देश के लोगों का वास्तविक शत्रु कौन है। अमरीकी साम्राज्यवादी देश को अस्थिर बनाने और विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये शक्तियां हमारे देश को घेर रही हैं। ये शक्तियां पाकिस्तान में हैं, बंगलादेश में हैं। दीएगो गार्शिया में और श्रीलंका में भी उनका स्थायी अड्डा है। ये अमरीकी साम्राज्यवादी शक्तियां इन देशों में इन सभी उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रही हैं। इंग्लैंड और कनाडा ने भी इन उग्रवादियों को अपने देश में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी हुई है। देश में पाकिस्तान के माध्यम से अस्त्र-शस्त्रों की तस्करी की जा रही है और इन उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने और इनकी गतिविधियों के लिए भी पाकिस्तानी भूमि का प्रयोग किया जा रहा है। साम्राज्यवादी शक्तियां मणिपुर से लेकर पंजाब तक सक्रिय हैं और ये जम्मू और काश्मीर में भी कार्यरत हैं।

इसीलिए, महोदय, लोगों में भावना जाग्रत करनी पड़ेगी और लोगों को यह बता देना चाहिए कि वास्तविक शत्रु कौन हैं। महोदय, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि स्वर्ण मन्दिर पर पुनः कब्जा न कर लिया जाए। यह घटना बार-बार नहीं होनी चाहिए और इसके लिए उग्रवादियों को अलग-थलग करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और केवल प्रशासनिक और पुलिस कार्यवाही ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके साथ उग्रवादी-शक्तियों को अलग-थलग करने के लिए राजनैतिक प्रचार भी आवश्यक है, जो इस समय नहीं किया जा रहा। धन्यवाद।

मानव संसाधन विकास और गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, जैसा कि मैंने अभी वायदा किया है, मैं निम्नलिखित सूचना देना चाहूंगा। अमृतसर के पुराने शहर और स्वर्ण मन्दिर परिसर के चारों ओर 17.00 बजे कर्फ्यू लगाया गया था। पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल गुरु रामदास सराय, गुरु नानक निवास और अकाल रेस्ट हाउस में प्रवेश कर चुकी हैं। तलाशियां जारी हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। परन्तु यह निरन्तर जारी है। अब महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भी कहना है और जितनी भी देर कहना है, क्या करना चाहिए, उसे मैं शान्ति से सुनूंगा, हमारे पास केवल यही सूचना है। मेरे सहयोगी फिर वापिस जा रहे हैं। मैं उनसे और इस सदन से यह आशा नहीं करता कि वे नियन्त्रण कक्ष और संसद भवन के बीच अग्रिम सूचना के साथ चक्कर लगाते रहें।

एक माननीय सदस्य : वे जा सकते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, चूंकि मन्त्री वक्तव्य दे चुके हैं, हमें इस पर बहस जारी नहीं रखनी चाहिए।

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कल से जब हमने तथाकथित खालिस्तान की घोषणा के बारे में सुना है, हम भारी चिन्ता और तनाव से गुजरते रहे हैं। माननीय मन्त्री ने जो घोषणा अभी की है उससे हमें कुछ सीमा तक निश्चित रूप से राहत मिली है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। यद्यपि हम विभिन्न विचार धाराओं के विभिन्न दलों से सम्बन्ध रखते हैं और हमारा मतभेद हो सकता है किन्तु हमारा मतभेद केवल भारत को एक मजबूत भारत और अखण्ड भारत बनाने के लिए ही है। भारत का विभाजन करने के लिए हम कभी नहीं लड़ते। यही कारण है कि पहले जब भी पंजाब के सम्बन्ध में चर्चा हुई है, हमने एक होकर कहा है कि स्थिति का सामना करने और आतंकवाद की स्थिति का सामना करने के लिए श्री बरनाला के समर्थन में हम उनके साथ हैं। यद्यपि हम उनका एकमत होकर समर्थन करते आ रहे हैं, पंजाब में आतंक की घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें नहीं होना चाहिए था।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि इस घोषणा को इस विशेष अवसर पर नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। जैसाकि माननीय तिवारी जी कह रहे थे कि यद्यपि पांच ही सदस्य थे, यह कम बात नहीं है, केवल पांच आदमी यह घोषणा करने की हिम्मत नहीं रखते और आज शाम यह सुनकर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि पंजाब में कहीं पर खालिस्तान रेडियो भी है। इसीलिए, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह सुनने के पश्चात् कि पंजाब सरकार ने पहले

ही कार्यवाही करनी शुरू कर दी है, यह बहुत उत्साहजनक है, परन्तु मैं सरेकार से यह आग्रह करूंगा कि उन्हें इस पर एक मूक दर्शक नहीं होना चाहिए और हमें उन लोगों के विरुद्ध ठोस और कड़े कदम उठाने चाहिएं जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए एक खतरा है और इसके लिए हम सरकार के साथ हैं और इस पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो सूचना माननीय गृह मंत्री जी ने दी मैं समझाता हूं उससे हमको काफी राहत मिली है । यह वैसे बड़ी चिन्ता की बात थी, समूचा राष्ट्र बड़ी गम्भीर चिन्ता में डूब गया था । इस प्रकार से भारत की धरती पर ही उसके विरुद्ध इस तरह की घोषणा की जाए जोकि हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी की यह हिम्मत हो, इस प्रकार के विद्रोह की घोषणा देश की धरती पर करे, वह भी एक पवित्र स्थान से करे यह बात समझ में नहीं आती । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है और मैं समझता हूं इस बात को प्रत्येक राजनीतिक दल के नेताओं को हृदयंगम कर लेना चाहिए कि धार्मिक स्थान का उपयोग राजनीति के लिए कभी नहीं होना चाहिए। अगर किसी धार्मिक स्थान का प्रयोग राजनीति के लिए होगा तो इस तरह की बातें दोबारा हो सकती हैं। इसलिए इस अवसर पर माननीय गृह मन्त्री जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार अकाली शासन आने के बाद जो ढ़िलाई बरती गई है फिर उसकी पुनरावृत्ति न की जाये और अकाली दल से भी मैं कहूंगा कि शासन में बैठकर इस तरह मुलायमपन से काम नहीं चलेगा । इस तरह से इन लोगों में विद्रोह की भावना बढ़ेगी जोकि सत्ता आपसे हथियाना चाहते हैं, जो आपके खिलाफ विद्रोह का झण्डा खड़ा किए हुए हैं, उनके साथ धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर या प्रदेश या क्षेत्र के नाम पर किसी प्रकार की रियायत करेंगे तो इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा और इस देश की जनता भी आपको क्षमा नहीं कर सकती है। इसलिए यह सुनहला मौका है आपकी सरकार को भारत सरकार का ही नहीं सारी देश की जनता का समर्थन प्राप्त है उस समय अगर आपकी सरकार कमजोरी दिखाती है तो कहा जायेगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतया निभाने में असमर्थ हो रहे हैं और यह कलंक आपके माथे पर जो लगेगा वह मिटाए नहीं मिट सकता है। इसलिए मैं अकाली दल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि यह सुनहला अवसर उन्हें मिला है फिर अकाल तख्त, फिर हरमन्दर साहब, फिर अमृतसर के गोल्डेन टेम्पल में देश में विद्रोह का षडयंत्र, देश में बगावत फैलाने, देश में विघटनकारी ताकतों को मदद देने का इस तरह से स्थान नहीं बनना चाहिए, किसी भी कीमत पर उसको रोकना चाहिए—यह इस देश की मांग है । मुझे आशा है जिस हिम्मत और साहस के साथ समझौता किया, चुनाव कराए उसी साहस और हिम्मत के साथ, प्रधान मन्त्री ने वहां पर जो अवांछित गतिविधियां हो रही हैं, बढ़ रही हैं उनको दबाने के लिए कदम उठायेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे यही मेरी आशा है ।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, इस तरह के आन्दोलन पर वास्तव में शुरू में ही नियन्त्रण पा लेना चाहिए था । वास्तव में, जब हम एक हो जाते हैं और जब हम अपने आपमें एका कर लेते हैं, तो मैं सोचता हूं कि कोई विदेशी शक्ति भारत के बारे में कुछ नहीं कर सकती । यह मैं साहसपूर्वक कह सकता हूं कि जो इस प्रकार के आतंकवाद अथवा उग्रवाद अथवा इस प्रकार के

आन्दोलन में शामिल हैं उनके प्रति नाजी अपराधियों जैसा व्यवहार करना चाहिए और उनसे कड़ाई से निपटना पड़ेगा।

7.26 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारे माननीय गृह मंत्री ने अभी कहा है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहमति से जब-तब कार्यवाही की है। यह अभिनन्दनीय है। कानून और व्यवस्था की स्थिति सही है। मैं, उचित कार्यवाही करने के लिए माननीय मंत्री और राज्य सरकार को भी विशेषरूप से श्री बरनाला को, बधाई देता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विरोधी सदस्यों द्वारा अनेक मुद्दों पर बोला जा चुका है और माननीय मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी ने ऐसी कोई गंजाइश नहीं छोड़ी है कि इस वाद-विवाद को और जारी रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से विनम्रतापूर्वक दो बातें कहना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे देश में घटनायें घट रही हैं उसे देखकर हमें अत्यधिक दुःख होता है कि किसी विदेशी शक्ति द्वारा मैं उस विदेशी शक्ति का नाम लेना चाहूंगा, अमरीकी साम्राज्यवादी शक्तियां देश की एक-एक घटना को राष्ट्र के विभाजन के लिए चुना गया और यह स्थिति अभी जारी है। संसद को और माननीय मंत्री महोदय को आज नहीं तो कल और यदि कल नहीं तो अगले सत्र में इस बात का निर्णय करना होगा देश में कहीं भी किसी भी मामले, कैसी भी घटना घटने पर चाहे वह धर्म सम्बन्धी हो अथवा भाषा सम्बन्धी और यदि अकाल तख्त अथवा नाकोदर मस्जिद अथवा काशी हिन्दू मन्दिर में बैठे कुछ कट्टर धर्मपंथी कुछ करने का प्रयास करते हैं या देश का विभाजन करने का प्रयास करते हैं तो क्या इस सम्बन्ध में संसद की इच्छा अभिभावी होगी अथवा उन लोगों की जोकि धार्मिक समुदायों से सम्बन्धित हैं। इस बात का सबसे पहले निर्णय किया जाना चाहिए। यदि इस बात का फैसला नहीं किया जाता है तो अन्ततः हम उन शक्तियों के जाल में फंस जायेंगे और इसका कोई अन्त नहीं होगा।

दूसरे, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि ब्लूस्टार आपरेशन के पश्चात जब अकाली सरकार सत्ता में आई तो ठीक था। मैं अकाली पार्टी अथवा अकाली सरकार को दोष नहीं देता हूं। इस समय हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। हम केवल आपका समर्थन ही नहीं करते हैं अपितु हम इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितना कठिन कार्य कर रहे हैं। आप कठिनाइयों के बारे में जानते हैं और हम यहां पर केवल बोल सकते हैं, लेकिन आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, वह यह कि इस बात की क्या गारन्टी है कि हमारे देश के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों द्वारा आज उन शक्तियों को हटाने के एक महीने बाद वे शक्तियां फिर से प्रवेश नहीं करेंगी ? आप वह कौन-सी मूल प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं जिससे यह देखा जा सके कि खालिस्तान अथवा किसी और नाम में एक भी उग्रवादी अब के बाद स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश नहीं करेगा ? इसके लिए शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए

जिससे शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी किसी भी प्रकार से अपनी कथित धार्मिक भावनाओं को लेकर अति संवेदनशील नहीं हो और सरकार को भी इस सम्बन्ध में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए तथा वह जो कुछ करना चाहे कर सकें। यदि इस सम्बन्ध में अन्तिमरूप से निर्णय नहीं लिया जाता है तो आप इन घटनाओं को नहीं रोक सकते। जब-तब वे कब्जा कर लेंगे और इसी तरह की बातें करेंगे। इन दो मौलिक बातों पर सरकार को अपना निश्चय करना होगा और इस सम्बन्ध में वहां संसद की इच्छा को अभिभावी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब इस बारे में जानते हैं। हम बच्चे नहीं हैं। आज हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की शक्ति को पहचानते हैं। हम साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध गुरुनिरपेक्ष आन्दोलन द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जानते हैं। हम भारत द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक आन्दोलन के उद्देश्य से आ गई हैं। यह उनका अपना मामला है, हमारा नहीं। हमने लीबिया के लोगों का उनकी प्रभुसत्ता के लिए समर्थन किया न कि गद्दाफी नाम के व्यक्ति का। हम जानते हैं कि इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए इन शक्तियों द्वारा यह उपयुक्त समय क्यों चुना गया था। यह घोषणा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे वह पागल हों अथवा उन्होंने बचकाना हरकत की हो, यह यहां बहस करने का विषय नहीं है। लेकिन इन शक्तियों की योजना क्या है ?/जैसाकि श्री स्पैरो साहब ने सही कहा है कि हमें इस बात के बारे में निर्णय करना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है ? आज हमारी दुश्मन अमरीकी साम्राज्यवादी शक्तियां तथा इस सारे उप-महाद्वीप में उनकी योजनायें हैं। और एक समय आएगा जब महत्वपूर्ण संसद को इनका नाम बताते हुए इनके विरुद्ध एक स्पष्ट संकल्प लेना होगा और वह दिन दूर नहीं है जिस ढंग से वे फैल रहे हैं और इस मामलों में यहां बैठे अकाली नेताओं से मेरा केवल यह अनुरोध है कि वे पंजाब के लोगों के लिए एक आन्दोलन चलायें, उनको इस बात की शिक्षा दें कि भगतसिंह ने लड़कर जो आजादी प्राप्त की थी वह अमरीकी साम्राज्यवाद के हाथों में इस राज्य के कुछ लोगों द्वारा बेची जा रही है। यदि आप उन्हें शिक्षित करें और उस राजनैनिक आन्दोलन के प्रति प्रेरित करें तो यह वास्तविक लड़ाई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा नहीं लड़ी जाएगी अपितु यह लड़ाई लोगों के द्वारा लड़ी जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलते हुए मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं कि श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपने चार बेटे इस देश की एकता और अखण्डता और देश की कल्चर को बचाने के लिए शहीद कराए, उन गुरू गोविन्द सिंह महाराज के सिद्धान्त के प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस देश की एकता और अखण्डता को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहां जो लोग स्पीच करते हैं, ठीक है सभी बहुत दिल से करते हैं और मैं शुरू ही में कह दूं कि जो लोग गोल्डन टेम्पिल में बैठकर किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को मारते हैं, देश की एकता को तोड़ते हैं, वे गद्दार हैं मगर जो इस हाउस में खड़े होकर शब्दों की तलवार से दिल को चीरते हैं, वे अपने अन्दर नजर डालें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आज किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। मैं कहता हूं कि आप आगे आइए और मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आम

सिख की बहुत दुर्दशा है । मानसिक तौर पर वह बहुत दुखी है। इसके तीन कारण हैं। नम्बर 1 तो यह है कि जिस हिन्दू के साथ उसके सदियों पुराने बहन, भाई के रिश्ते हैं, उनमें खिलवाड़ डालने के लिए लोग मौत का नाच नचा रहे हैं। यह दुःख की बात है। दूसरा कारण यह है कि सिखों को दुःख इस बात का है कि देश की एकता को कायम रखना और मनुष्यों के भले का जो उनका सिद्धान्त है, आज उस पर प्रहार हो रहा है और तीसरा कारण यह है कि करता कोई है और भरता कोई है। यह सब काम चन्द बदमाश कर रहे हैं मगर मुसीबत और एम्बैरेसमेंट डेढ़ करोड़ लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आज सुबह से ही मेरे पास फोन आ रहे हैं कि बसों में क्या हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, यह वातावरण का दोष है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको गम्भीरता से लीजिए कि हमको क्या करना है। हम एक बात ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि हमने और हमारे पूर्वजों ने हमेशा यह सोचा है कि इस देश के सिवा हमारा कोई नहीं है। यह देश हमारा है और हम इसके हैं। सिखों के मसले हैं और रहेंगे मगर मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि सिखों के मसले जम्हूरिया तरीके से हल होने चाहिए। उनका इलाज इस भारत की धरती पर है और भारत के बाहर बिल्कुल नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज कुछ अच्छी बातों को लिया जाए। आपके पास पूरी इंफारमेशन नहीं है। हमें कहना कि इन्हीं का कसूर है, यह ठीक नहीं है। जैसे आप हमें कह रहे हैं वैसे ही बसों और गाड़ियों में पैसेन्जर कह रहे हैं। आप के पास पूरी इन्फारमेशन नहीं है। मैं ठीक इंफारमेशन देता हूं। हम एबनार्मल सिचुएशन में से गुजर रहे है। आज से 5-6 वर्ष पहले से पोजीशन खराब हुई है। एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि आप ने लोंगोवाल-राजीव एकोर्ड किया। उसमें कुछ कमी रह गई है और उसको आप ठीक करें और दूसरी तरफ हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, जिनके पास हथियार हैं। जिनके खिलफ हम लड़ रहे हैं, हमें गरूर है कि उसमें सारा देश हमारे साथ है और उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं मगर यह भी देख लीजिए कि जिनसे हम लड़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए दुनिया की कुछ ताकतें हैं जो वहां पर हैं और वे हमें और आपको वहां से खदेड़ना चाहती हैं। आप देख लीजिए कि हमारी सिचुएशन क्या है। इसलिए हम बहुत एबनोर्मल सिचुएशन में लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि हम वे दीपक हैं, जो आंधी में जल रहे हैं और तूफान में जल रहे हैं। मुझे फक्र है कि यह दीपक की लौ हमें भारत से मिली है, हमें गुरुओं से मिली हैं, हमें पवित्र गंगा, जमुना, सतलुज, व्यास से मिली है। यह लौ बराबर जलती रहेगी, चाहे कितने भी तूफान आयें। इसे जलाने के लिए हम खून भी देने को तैयार हैं।

मैं विनती करना चाहता हूं कि हमें कुछ अच्छी बातें करनी चाहिएं। संगरूर जिले में एक रानीकेत गांव है। उस गांव में 6 हजार आबादी है। सभी सिख हैं। एक भी हिन्दू नहीं है। चार दिन पहले की बात है। गाडगिल साहब इसे भी ऊंची दीजिए। अखबारों ने नहीं आपके टी०वी०, रेडियो ने खालिस्तान की खबर को फैलाया, यह वैसा ही काम किया कि पांच बेवकूफों की बात को इतने जोरों में कहा जिसकी जरूरत नहीं थी। (व्यवधान) डिसप्रपोरशिनेट इम्पार्टेंस इसको नहीं देनी चाहिए थी। (व्यवधान) मैंने इसको सुना है। मुझे आप पर भरोसा है, आप इसे चैक करवा लीजिए।

(व्यवधान)

रानीकेत गांव में एक मन्दिर है। वहां 6 हजार की आवादी में एक भी हिन्दू बदर नहीं रहता

है। उस मन्दिर में सिख लोग मत्था टेकते हैं, बाहर से आकर भी टेकते हैं। 23 तारीख को चार बदमाश मन्दिर के पुजारी को जख्मी करके दौड़ रहे थे। खेतों में सिख किसान दराती से फसल काट रहे थे। जब वे बदमाश दौड़ रहे थे तो उन सिख किसानों ने कहा कि पुजारी मार दिया। उन सिख किसानों ने उन बदमाशों को घेर लिया। उन बदमाशों ने गोलियां चलाईं। जब उनकी गोलियां खत्म हो गयीं तो सिख किसान उनके ऊपर अपनी दरातियां लेकर टूट पड़े। बदमाशों ने कहा कि जो बोले सो निहाल, सतश्री अकाल। इस पर सिख किसानों ने कहा कि तुम मन्दिर को लूटकर आये हो, तुम कितनी ही बार सो निहाल कहो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन किसानों ने उन बदमाशों को दरातियों से मार दिया। लेकिन यह खबर नहीं छपी, इस खबर को किसी ने नहीं फैलाया। यह खबर पता नहीं कहां गई। आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप इसको आगे बढ़ाइये।

मैं एक और विनती करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना आखिरी तीर भी चला दिया। उनके पास आखिरी तीर खालिस्तान का था। इसके आगे उनके पास कुछ भी नहीं है। इस आखिरी तीर का हम लोगों ने मिलकर मुकाबला कर लिया और कर लेंगे।

एक बात मैं बार-बार कहता हूं कि इसका रिएक्शन देश में न हो। इस पर भी जरा गौर कर लें। अगर देश में थोड़ा-सा भी कहीं सिखों को नुकसान हो गया तो उधर भी मुश्किलात आ जाती है। एक बात मैं और कहता चाहता हूं। एक धर्म के लोगों का एक्सट्रीमिज्म रोकना ठीक बात है। मगर उसके साथ-साथ दूसरे तबके के एक्सट्रीमिज्म को भी रोकना है। हिन्दु शिव सेना का हम में से किसी ने जिक्र नहीं किया जो कि करना चाहिए था। अभी मेरे एक साथी ने—उनका मैं नाम नहीं लेता—गोल्डन टेम्पल के बारे में कुछ लफ्ज कह दिये जोकि उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई साधु किसी चोर की बगल में फंस जाए तो क्या वह चोर हो जाता है? अगर चार बदमाशों ने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया और हमने यह सोच लिया कि भई हाथ नहीं डालना है तो फिर क्या गोल्डन टेम्पल बुरा हो गया? क्या उसको बुरा कहा जाए? इसको ईमानदारी के साथ सोचना चाहिए।

अब मैं एक रिक्वेस्ट, विनती, इल्तिजा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और वार्निंग भी देता हूं कि रोज-रोज गोल्डन टेम्पल पर एक्शन होते रहेंगे तो पांच-दस दिन यह बैठकर भी सोच लिया जाए कि तीन सौ सालों की सिखों की जो हिस्ट्री रही है, पण्डित मदनमोहन मालवीय जी की नजर में, पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी के नजर में, महात्मा गांधी जी की नजर में और देश की हिस्ट्री की नजर में यह सच्चाई है कि सिख देश भक्ति और कुर्बानी के लिए सौ फीसदी, सौ में से सौ नम्बरों में, पास हुए हैं और अब जो सिखों ने यह शुरू किया तो इस पर बैठ कर सोचिये। आप देश के मालिक हैं, आप बैठकर सोचिए कि आने वाले वक्त में ऐसा बिल्कुल न हो, ऐसा क्यों होता है, कहीं कम्युनिकेशन गैप है, मैं आपके सामने दिल की बात रख रहा हूं, कहीं कम्युनिकेशन गैप है, या तो प्रचार में है या बाहर की ताकतों का है या कहीं हम आपको समझने में सफल नहीं हैं या आप समझने में सफल नहीं या हम दोनों में से किसी एक के दिल में पूरी तरह से सफाई नहीं है, यह भी हो सकता है। इसलिए देख लीजिए कि हमने इसको पूरी तरह से खत्म करना है, देश को इकट्ठा रखना है, हम तो चाहते यही हैं। अब किसी ने अखबार में लिखा कि पंजाब अकाड़े के बाद राजीव जी ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट लौंगोवाल जी को दे दी कि अब आपको इसकी जरूरत है, मेरे को नहीं है, ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन ऐसा लिख दिया अखबार में, यह पता नहीं किसने लिखा था।

सारे देश को हमें एक करना है और हमारे में जितनी शक्ति है, हमारी पार्टी में जितनी शक्ति है, अकाली दल और बरनाला जी में जितनी शक्ति है उस सारी शक्ति से मैं यह कहता हूं कि इस देश के माथे पर, देश के शरीर पर हुई छोटी सी तकलीफ भी हमारे लिए मौत जितनी है। इस देश के लिए हम हैं और इसी देश के लिए रहेंगे। मैं आपसे भी कहता हूं कि इस भावना को देश में आगे बढ़ाइए। जहां कहीं कमी है, उसको दूर कीजिए।

इन शब्दों के साथ मैं फिर भरोसा दिलाता हूं कि पंजाब में और देश में हमारा जो फर्ज है, उससे हम एक इंच भी, एक सेन्टीमीटर भी पीछे नहीं रहेंगे, कंधे से कंधा जोड़करे आपके साथ, देश के साथ चलेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रामूवालिया जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने जो भावना व्यक्त की है, उसका स्वागत करता हूं और सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

इस विषय में बहुत बातें आई हैं और इस हाउस के सभी माननीय सदस्यों ने एक ही मन बनाकर अपने विचार रखे हैं। मैं सिर्फ दो बातों के बारे में कहना चाहता हूं। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि खालिस्तान शब्द का प्रयोग या दुरुपयोग बहुत समय से होता रहा है, लेकिन गम्भीरता से इस बात को 26 जनवरी, 1986 को तब लिया गया जब कुछ लोगों ने अकाल तख्त पर कब्जा करके वहां पर खालिस्तान का झण्डा लगा दिया और बदकिस्मती की बात यह है कि तीन महीने तक, 26 जनवरी, 1986 से लेकर आज तक वह झण्डा वहां पर लहरा रहा है। इसके बारे में बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए था कि खालिस्तान का झण्डा वहां क्यों है।

जहां तक इसका सम्बन्ध है कि यह हालत क्यों बनी, इसके बारे में इस महान सदन के सभी सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। हालात ने किस तरह से करवट ली, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और रामूवालिया जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि देश की प्रेस और खासतौर से जालन्धर शहर की प्रेस ने इस बात को बढ़ावा दिया है। वहां इस प्रकार के अखबार निकलते हैं जो दोनों तरफ से हालात को उबाला देते हैं, हालात को और भी गम्भीर बनाते हैं। इसलिए एक तो मेरा सुझाव यह है कि प्रेस पर कन्ट्रोल किया जाए और उस पर कम्प्लीट सेंसर लगाया जाए। यह बात ठीक है, जैसा अभी कहा गया कि साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने वाली खबरों को तो लाइन में छापा जाता है और जिन बातों से हालात बिगड़ते हैं, उनको बहुत लम्बा-चौड़ा करके छापा जाता है और कई कई बार तो प्रेस दूसरे के मुंह में बातें डालती हैं और उससे वे लोग जो कम दिमाग के हैं उनको उछालना शुरू कर देते हैं, उसकी हिमायत शुरू कर देते हैं।

इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा इंटेलीजेंस के बारे में, वैसे तिवारी जी ने काफी जोर दिया इस बात पर कि प्रेस कान्फ्रेंस की, उन 5 लोगों वासन सिंह वगैरह और उनके साथियों की प्रेस को इत्तिला चली गई, लेकिन हमारा इंटेलीजेंस इतना कमजोर था कि सरकार के पास इत्तिला नहीं कर सका कि प्रेस के लोग वहां जाएंगे और खालिस्तान के बारे में डिक्लेयर किया जाएगा। इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अभी हमारे मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे सारे सदन में खुशी हुई और सारे सदन को विश्वास हुआ कि इस मामले को बहुत अच्छे ढंग से टैकल किया जाएगा। मैं अपने सुझाव इस सन्दर्भ में यह रखना चाहता हूं कि इस चीज को बहुत गहराई से लिया

जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी एक तरह से फेल हो चुकी है। सिखों के पांच धर्म स्थान हैं। सिर्फ अकाल तख्त को छोड़कर बाकी टैरोरीस्ट के कब्जे में नहीं है। लेकिन अकाल तख्त के अन्दर असामाजिक तत्वों का रहना और पूरे हथियारों से लैस, वह भी इतनी बड़ी संख्या में तो वह हमारे लिए बहुत चेतावनी का विषय है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी हालात पर कन्ट्रोल नहीं कर सकती इसलिए उसको डिजाल्व किया जाए और हिन्दुस्तान के इम्पारटेंट इंटेलिजैंस सिखों की एक एडहाक कमेटी नियुक्त की जाए जिनका किसी राजनीति से कोई सम्बन्ध न हो। अब सदन में ऐसा विधेयक लाना चाहिए···(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी चुनाव के जरिए आती है। आप तो नए चुनाव के लिए कह दीजिए, तोड़ने के लिए न कहिए।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक: मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप उस एक्ट में अमेण्ड कर दें। एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो बाकायदा एक्ट करे, रेस्ट न करे। रेस्ट करने से काम नहीं चल सकता, अब ऐसे हालात हो चुके हैं। गुरुद्वारा, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर या कोई भी धर्म स्थान हो, उसका सभी मजहब के लोगों को आदर करना चाहिए। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी इन धार्मिक स्थलों पर दुरुपयोग न करे, अपनी कुर्सी की लालच के लिए। इस किस्म का विधेयक लाना चाहिए कि अगर कोई पार्टी इन धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग करे या इनका नाम अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो वह पार्टी डिसक्वालिफाइ होगी। मैं यही सुझाव देना चाहता हू और हाउस के साथ समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहटी): हम सब सदस्यों ने श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा कुछ व्यक्तियों की गतिविधियों के कारण, जिससे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हुआ है, उठाई गई इस चर्चा में बड़े दुख से भाग लिया है। मैं श्री तिवारी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि देश की एकता और अखंडता को यह सबसे भारी चुनौती है। भारतीय राष्ट्र, भारतीय सभ्यता और स्वतन्त्र भारत अनेक बड़े संकटों से गुजर चुका है और हम उन सब पर काबू पाने में सफल हुए हैं। यह ऐसा कोई संकट नहीं है कि जिस पर हम काबू न पा सकें। एक समय मेरा मन यह कहने को हुआ कि इस सभा को इस प्रकार की चर्चा पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि 5 व्यक्तियों ने कहीं 'खालिस्तान' स्थापना की घोषणा की है। घोषणा से उत्पन्न स्थिति का भारत सरकार द्वारा तथा राज्य में अकाली सरकार द्वारा यथेष्ट रूप में सामना किया जा सकता है। लेकिन हमने महसूस किया है कि इस संबंध में चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि, जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, वह स्थान जहां से घोषणा की गई है अर्थात स्वर्ण मंदिर केवल सिख लोगों के पूजा का सबसे ऊंचा स्थान नहीं है अपितु इस स्थान को इस देश के सभी समुदायों द्वारा पूज्य माना गया है। दूसरे, कोई भी व्यक्ति पंजाब में अनिश्चितता की 5 वर्ष की इस पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं कर सकता है, मेरे मन में एक आशंका यह है कि इस प्रकार की अपील अथवा इस प्रकार की घोषणा नवयुवकों को पसंद आ सकती है क्योंकि नवयुवक अक्सर ऐसी स्थिति के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन किए बिना अपनी साहसिक मनोवृति के कारण इस ओर अग्रसर होते हैं।

सिख समुदाय के उन लोगों से भी यह बात ठीक लग सकती है जो यह अनुभव करते हैं कि

भूतकाल की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। हमने अनुभव किया कि यहां इसकी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार माध्यम द्वारा इसे उछाले जाने की सम्भावना है। वास्तव में, बी० बी० सी० और अन्य प्रचार माध्यमों ने इन घटनाक्रमों का पहले ही काफी लाभ उठाया है। ऐसा इस कारण से भी है क्योंकि ये पांच व्यक्ति अकेले या अलग-थलग नहीं हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो कि उनकी सहायता के लिए तैयार हैं और यहां तक कि इस समय भी उनकी सहायता कर रहे हैं।

एक मुद्दा उठाया गया है और मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस पर कुछ जानकारी दें कि इस घोषणा के सम्बन्ध में गुप्तचर एजेंसी के पास क्या कोई सूचना थी क्योंकि यह घोषणा उस समय की गई थी जब श्री बरनाला दिल्ली में थे और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार इस घोषणा से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थी। इस सदन के सभी ओर से यह शिकायत रही है कि स्थिति से निपटने के लिए पंजाब में गुप्तचर व्यवस्था पूर्णतया चुस्त नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति में इच्छित सीमा तक परिवर्तन नहीं हुआ है।

आज, सिख समुदाय और पंजाब के लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है क्योंकि, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि स्वर्ण मन्दिर केवल एक मन्दिर नहीं है, यह भारत की एकता, भारत की अखण्डता और भारत की धर्मनिर्पेक्ष भावना का प्रतीक है और इसीलिए पंजाब के लोगों को इसकी पवित्रता बरकरार रखनी है। बरनाला सरकार एक संकट के दौर से गुजर रही है। बरनाला सरकार के लिए यह केवल संकट का समय ही नहीं है बल्कि सरकार के लिए यह एक सच्चाई का भी समय है। कुछ सैन्य कार्यवाही की गई है लेकिन मेरा विश्वास है और मैं महसूस करता हूं कि बरनाला सरकार, जिसको कि पंजाब के लोगों के विशाल बहुमत का समर्थन प्राप्त है, को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए अब लोगों का समर्थन जुटाना चाहिए। पंजाब के लोगों और समस्त भारतीय लोगों को इसे केवल कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं बताया जाना चाहिए तथा यह भी नहीं कि चिन्ता केवल पुलिस या सैन्य कार्यवाही करने की है। उठाए गए कदमों के लिए जन समर्थन प्राप्त किया जाना चाहिए। महान राष्ट्रीय हितों के लिए उठाए गए कदमों के सम्बन्ध में अपने राज्य में बरनाला सरकार कहां तक व्यापक समर्थन जुटाने में समर्थ होती है यही उसकी सफलता की वास्तविक कसौटी होगी। मैं आशा करता हूं कि परीक्षा की घड़ी में बरनाला सरकार सफल रहेगी।

मैं मानता हूं, जैसा कि श्री दास मुन्शी ने कहा है, कि समय आ गया है कि कुछ हमारे पड़ोसियों, उदाहरणार्थ पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी यह बता दिया जाय कि अपने आन्तरिक मामलों में हम इस प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। लीबिया द्वारा आतंकवादियों को शरण दिये जाने तथा पश्चिम जर्मनी में कुछ आतंकवादी गतिविधियां कराये जाने के आधार पर, अमरीका ने लीबिया पर हमला किया लेकिन यह सत्य है कि पाकिस्तान और अमरीका हमारे देश को अस्थिर करने के लिए प्रयत्नशील आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा विश्वास है कि विदेशी सम्बन्धों के मामले में भी अब समय आ गया है कि भारत सरकार अपनी स्थिति की समीक्षा करे और सभा इस सत्र में न सही अगले सत्र के आरम्भ में भारत की आन्तरिक स्थिति से तालमेल बैठाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करे···(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : इस सत्र में क्यों नहीं ?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं नहीं जानता हूं कि समय है कि नहीं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार द्वारा अपनाये गये रुख का समर्थन करता हूं और मेरा यह दृढ़ विचार है कि भारत की शक्ति इतनी मजबूत है कि इस प्रकार की छोटी चुनोतियां भारत की एकता एवं अखण्डता को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्ण मन्दिर जो इस उप-महाद्वीप में एक प्रभुत्ता सम्पन्न राज्य का काल्पनिक मूल है, में देश द्रोहियों के एक ग्रुप द्वारा की गई असाधारण घोषणा के बारे में आज हम लोग विचार कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रो० तिवारी के विचारों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने इसे भयावह बताया है। क्या यह भयावह है ? नहीं। लेकिन यह काफी अशान्ति पैदा करने वाला है। उन लोगों ने क्या किया है इस सम्बन्ध में हमें चिन्ता नहीं है, जिन्हें कुछ लोगों ने 'पागल' तथा कुछ लोगों ने 'देशद्रोही' बताया है। लेकिन हमें अपनी राष्ट्रीय एक और क्षेत्रीय अखण्डता तथा प्रभुसत्ता की चिन्ता है। एकता और अखण्डता को बनाये रखना इस सभा का उत्तरदायित्व है। अतः, इसके विषय में हमें चिन्ता करनी है, घटना चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो। यह हो सकता है कि संख्या बहुत कम है। यह बताया गया है कि आधा दर्जन या इससे कम इसके सदस्य हैं। यह एक या दो हो सकती है लेकिन आज उन्होंने हमारी क्षेत्रीय अखण्डता और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की संकल्पना को ही चुनौती दे दी है और केन्द्र में तथा राज्य में संवैधानिक तरीके से बनी हुई सरकारों को भी चुनौती दी है। इसलिये यह महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों ने इसे 'पागलपन' बताया है। लेकिन क्या यह 'पागलपन' है? यदि ऐसा है, तब इस पागलपन का एक षडयन्त्र है। और समय पर इसे न देखना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। और यह केवल संकट से निपटने में हमारे मनोबल शक्ति को ही कमजोर करेगा। लेकिन यह स्थिति काफी लम्बी अवधि से चल रही है। इसका इलाज तथा इसकी समाप्ति करनी ही पड़ेगी। इससे समझौता नहीं हो सकता है। और निःसन्देह यदि आवश्यक हुआ तो युद्ध के द्वारा, राजनीतिक लड़ाई के द्वारा और पुलिस तथा प्रशासनिक कार्यों द्वारा कार्यवाही करनी होगी। कार्यवाही का विस्तृत विवरण देने का या जांच करने का यह समय नहीं है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस चुनौती ने स्थिति में परिवर्तन ला दिया है। खालिस्तान देश द्रोहियों के एक छोटे से वर्ग का, जिनमें से अधिकांश विदेश में रहते हैं और कुछ यहां रहते हैं, का नारा था और है। हम इसे पिछले अनेक वर्षों से सुन रहे हैं। हमने झूठे राष्ट्रपतियों और प्रधान मन्त्रियों को भी देखा है। जगजीतसिंह चौहान की तरह मैं नहीं जानता कि वे क्या हैं जो बोल रहे हैं और जैसा कि प्रो० तिवारी ने कहा है कि उन लोगों और ताकतों द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं जिनकी केवल रुचि इस देश को अस्थिर करने में है। केवल इस देश को ही नहीं वरन सम्पूर्ण उप-महाद्वीप और सम्पूर्ण तृतीय विश्व को अशान्त एवं अस्थिर करने में जो केवल रुचि रखते हैं। अपने सैनिक औद्योगिक संकुल के हितों के लिए वे यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनके पास विश्व की सबसे अच्छी सरकार है। लेकिन यह चुनौती भी स्वर्ण मंदिर से की गई है। यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह हमारी गौरवपूर्ण परम्परा और इतिहास का मात्र एक भाग ही नहीं है अपितु यह हमारा एक अपृथक्करणीय भाग है। गंगा और गीता के बिना हम इस देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाराणसी अथवा तिरुपति अथवा जामा मस्जिद या स्वर्ण मन्दिर के बारे में सोचे बिना हम इस देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः महोदय, कुछ देशद्रोहियों द्वारा इस स्थान को अपवित्र करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जैसा कि विगत में किया

गया है। आज मैं इस वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहता लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि उन्होंने यह नारा लगाया है और उन्होंने इस नारे के उद्देश्य को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है और विचार से कतिपय आधे-दर्जन लोगों द्वारा की गई घोषणा का यही महत्व है। जब तक देशद्रोही और अलगाववादी इस योजना के पीछे पंजाब में कार्यशील हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम केवल अपने जोखिम पर अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यार्थ की उपेक्षा कर सकते हैं। ये विदेशी ताकतों की कठपुतलियां हैं। यदि आप इस खेल को समझ नहीं पाते हैं और यदि आप इस राजनैतिक खेल से बिल्कुल बेखबर हैं तो आप पंजाब को नहीं बचा सकते। तब आप राष्ट्रीय अखंडता, प्रादेशिक अखंडता और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की रक्षा नहीं कर सकते। एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि— यह खेल केवल इस देश में अस्थिरता पैदा नहीं कर रहा है अपितु यह सम्पूर्ण तृतीय विश्व के लिए एक चुनौती है यह उस व्यापक विचारधारा का मात्र एक भाग है।

इस प्रस्ताव को पेश करते समय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने लीबिया पर हुए आक्रमण के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। अन्य सदस्यों ने भी इस संबंध में कहा है। लेकिन एक बात हमें दोहरानी होगी। चाहे जो भी परिणाम रहें, इस देश को अपने घुटने नहीं टेकने चाहिएं। यदि हमें लीबिया के संबंध में अपने विचार रखने हैं तो हमें ऐसा करना होगा। केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं अपितु ऐसे देश की ओर से बोलते हुए भी जिसकी शान्ति के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि है, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में एक महत्वपूर्ण आवाज है और जो राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द में एक शक्तिशाली शांक्त के रूप में बना रहेगा। मैं आज इस संबंध में विस्तृत रूप से बात नहीं करना चाहता हूं।

पुलिस तैनात करने के बारे में भी कहा गया है। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि सीमा पार से हथियारों की तस्करी के बारे में हमें जो समाचार मिले हैं, वह चिन्ताजनक हैं। यह इसलिए चिन्ताजनक हैं क्योंकि यह धड़ल्ले से हो रही है और मुझे बताया गया है कि यह तस्करी अब पंजाब से राजस्थान और गुजरात की सीमा तक होने लगी है।

8.00 म० प०

रोजाना दर्जनों दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सीमा पार का एक दृढ़-प्रतिज्ञ शत्रु इन तत्वों के साथ सांठ-गांठ करके वर्तमान स्थिति को गम्भीर करने का प्रयास कर रहा है और हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। इसमें सभी प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं।

कल हमें पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बरनाला साहिब से, जो कि हमारे प्रिय मित्र हैं और जिनके प्रति हम सम्मान रखते हैं, बातें करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि "हम उनका सामना करेंगे", और हमारे मित्र श्री रामूवालिया ने भी अकाली पार्टी और अकाली सरकार के ऐसा करने के दृढ़निश्चय की बात कही है। लेकिन यह सब कैसे होगा? आप पंजाब में प्रशासन तथा पुलिस के हौंसले को कैसे मजबूत करेंगे? उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इस संबंध में उन्हें अभी सकारात्मक परिणाम दिखाने होंगे। मैं यह कहूंगा और मुझे स्पष्ट रूप से यह कहना भी चाहिए क्योंकि मैं अकाली दल का मित्र रह चुका हूं और इस संकटपूर्ण स्थिति से पिछले अनेक वर्षों के दौरान मुझे अकाली नेतृत्व और संत जी के बारे में ऐसा कहने में किसी भी तरह का डर नहीं रहा है और मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि जब हम मन्दिर में बैठे हुए थे

और भिंडरांवाले ने संदेश भेजा तो हमने उनसे मिलने से इंकार कर दिया और कहा कि "आप देशद्रोही हैं और हम आपके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे" वे इस बात को जानते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मैं एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि यद्यपि सिख आकांक्षाओं के प्रति हमारी पूर्ण सहानुभूति और श्रद्धा है तो भी सिख समुदाय, उनकी संस्था, उनके रहन-सहन का तौर तरीका अर्थात् शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति नामक जो संस्था है और जिसे अपनी भूमिका निभाने के लिए कुछ उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना होता है। क्या वह उसे पूरा कर रही है ? यह एक महत्वपूर्ण विषय है और यही समय है जब केवल केन्द्र सरकार को ही नहीं अपितु पंजाब सरकार को, विशेष रूप से अकाली नेतृत्व को, इस स्थिति से कड़ाई से निपटने के लिए शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को इस ऐतिहासिक और चुनौती भरे कार्य को करने की इजाजत देने के लिए पहल करनी चाहिए। यह कार्य कोई और नहीं, पंजाब पुलिस भी नहीं, केवल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ही कर सकती है। यदि आवश्यक हुआ तो इस अधिनियम में संशोधन करना होगा। यह मैत्रिपूर्ण सलाह है, इसमें संशोधन करना पड़ेगा, पंजाब में हमारे मित्रों को इस संबंध में गंभीरतापूर्वक बताना होगा। यह वह स्थान नहीं है जहां आंख मिचौनी का खेल खेला जाए। यह स्थान अपराधियों के लिए शरण-क्षेत्र नहीं हो सकता है, यह वह स्थान है जिससे हमारी कुल परम्परा संबंधित है यह उन लोगों के लिए विरासत मात्र ही नहीं है जो इस मंदिर के प्रभारी हैं। अत: मैं बरनाला साहिब और बादल साहिब और तोहड़ा साहिब जैसे अन्य नेताओं से नम्रतापूर्वक निवेदन और अपील करना चाहूंगा कि वे स्वयं ही इस बात को देखें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति किस प्रकार प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। हम उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम इस खेल को और अधिक समय तक जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। अत: महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कहूंगा कि अन्ततः राजनैतिक स्तर पर हल के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए मैंने भी ब्लूस्टार आपरेशन का विरोध किया था, मेरे जैसे विचारों वाले ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था, मैं अभी भी इसका विरोध करता हूं। लेकिन मैं उन लोगों में से जो उस समय उप-महानिरीक्षक श्री अटवाल की दुर्घटना के सम्बन्ध में कार्यवाही चाहते थे। जो कुछ भी हो, इस सम्बन्ध में विचार करने का यह समय नहीं है। लेकिन हमें, जो कि धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, इस देश में रूढ़िवाद की खतरनाक ढंग से बढ़ती हुई प्रवृति के साथ समझौता भी नहीं करना है चाहे वे बहुमत में हो अथवा अल्पसंख्या में, चाहे वे हिन्दू, सिख अथवा मुसलमान हों।

आज उन सभी को, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों में विश्वास रखते हैं, इन सभी छोटे खतरों से परे भी एक भारी खतरा है और हमारी एकता और अखण्डता को भी यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इस प्रकार की रूढ़िवादिता से अलगाववाद उत्पन्न होता है और अलगाववाद से विघटनवाद का जन्म होता है। मैं राज्यों के अधिकार चाहता हूं, राष्ट्रीयता का अधिकार चाहता हूं, मैं जानता हूं, परन्तु इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और महोदय, यह हमारा कर्त्तव्य है कि रूढ़िवाद की बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति का विरोध करें। इस सदन में हमारे मतभेद हो सकते हैं—राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सैद्धान्तिक मतभेद हो सकते हैं, कार्यक्रम सम्बन्धी मतभेद हो सकते हैं। परन्तु हम इस देश की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता और एकता तथा राजक्षेत्रीय अखण्डता के सिद्धान्त को समर्पित हैं। इसीलिए हम यहां हैं। और हमारी प्रभुसत्ता, वाद-विवाद अथवा

समझौते का विषय नहीं हो सकती। और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रभुसत्ता का विषय बातचीत से परे है।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, समस्त सदन ने उस वक्त चैन की सांस ली थी जब गृह मंत्री ने यह हर्ष का समाचार दिया कि कार्यवाही शुरू कर दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

प्रात: गृह मंत्री ने ठीक ही कहा था कि यह एक गम्भीर मामला है। वास्तव में यही यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि अब तक खालिस्तान की घोषणा विदेशों में ही हुआ करती थी और इस बार इस देश की भूमि पर ही हो गई है। केवल घोषणा ही नहीं की गई बल्कि यह भी कहा गया है कि लालकिले पर उनका झण्डा फहराया जाएगा। और फिर यह भी स्पष्ट किया गया था कि खालिस्तान को मान्यता देने के लिए अनेक अन्य देशों से औपचारिक मान्यता का अनुरोध किया गया था।

अब, महोदय, इस स्थिति में, मैं वास्तव में यह कहूंगा, कि इस मामले में विदेशी हाथ होने का पूरा सन्देह है। हमें इसके संकेत उस समय दिए गए थे जिस समय सुरक्षा परिषद् में लीबिया पर हमले की निन्दा के प्रस्ताव की चर्चा की जा रही थी। यह कहा गया था कि हम आतंकवाद को समाप्त करने और इसका मुकाबला करने के लिए भारत की सहायता कर रहे हैं। और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हमें गुट-निरपेक्ष देशों की इन सभी कार्यवाहियों को नहीं भूलना चाहिए। अब, इन सभी संकेतों पर विचार करते हुए मेरा अपना विचार यह है कि इसके पीछे कोई विदेशी हाथ अवश्य है। अन्यथा, मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे अपने ही देश में बैठे लोग कभी यह घोषणा कर ही नहीं सकते कि उन्होंने इस देश में खालिस्तान की स्थापना कर ली है और वे यह शेखी नहीं बघार सकते थे कि वे अनेक देशों से मान्यता का अनुरोध करेंगे। इसीलिए विचार की इस दृष्टि से सरकार को भी इस स्थिति का गम्भीरतापूर्वक जायजा लेना चाहिए।

अन्त में, मैं केवल यही कहूंगा कि अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में ऐसी यह स्थिति दोबारा उत्पन्न हुई है और हमें कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। इसके पश्चात्, कम से कम, हमें अपनी योजना में संशोधन करना चाहिए जिससे ऐसी कार्यवाही करने की आवश्यकता ही न पड़े और अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। विचार की इस दृष्टि से सरकार को खुद अपने भविष्य में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्त में, मैं तुरन्त कार्यवाही करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि वाद-विवाद के अन्त में गृह मंत्री द्वारा हमें कुछ और अच्छा समाचार दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाबे डिप्टी स्पीकर, इन जजबात का इजहार किए बगैर मैं रह नहीं सकता कि जहां तक मुल्क की सालमियत और यकजहती का ताल्लुक है, अखंडता का सवाल है, इस एवान में दो राय नहीं हो सकती है। जिस विषय पर आज हम इस एवान में डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें मेरी पार्टी इस तमाम एवान के साथ है। पंजाब में जो आतंकवादियों ने बगावत के झंडे बुलन्द किए हैं, सिसैशन का नारा दिया है, इसकी हम दिलोजान से मजम्मत करते हैं।

सरकार का यह फर्ज है, क्योंकि इस स्थान ने उसको ताकत दी है कि इस मुल्क की सालमियत को इसकी दिफा को और इसके बार्डर्स के प्रोटैक्शन को और इस मुल्क के अन्दर अमनो-अमान कायम रखने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं, उसके लिए मैं समझता हूं कि पूरी अपोजिशन आपके साथ रहेगी।

जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब की जो इस वक्त की समस्या है, मेरा तो ख्याल यह है कि पंजाब में जिन आतंकवादियों ने वहां का निजाम तबाह करने की कोशिश की है, और मुल्क के टुकड़े करने की एक जबर्दस्त साजिश की, वह अब अपने मकसद में नाकामयाब हो रहे हैं। इस फ्रस्ट्रेशन के आलम में, इन्तहा किस्म की नाकामी जो उन्हें मिल रही है, जो वहां का अवाम और वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन चौकस चौबन्द है और उन ताकतों का मुकाबिला कर रहा है उससे खौफजदा होकर आतंकवादियों ने यह नारा दिया है। वह समझते हैं कि दरबार साहब के अन्दर ऐसा नारा देकर वह हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं और इस तरीके से हमारे लिए कोई न कोई प्राबलम खड़ी करने की कोशिश में हैं। मैं समझता हूं कि इसमें भी उनको कामयाबी नहीं होगी। यह हमारा पिछले वक्त का तजुर्बा है कि पंजाब में, मैं बिल्कुल वाजेह अल्फाज में कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया कई साल के बाद, जो वहां परेशानी और जो वहां खून खराबा होता रहा, लेकिन आर्मी रूल के बाद प्राइम मिनिस्टर ने और अकाली दल ने आपस में एक समझौता किया पंजाब एकार्ड के नाम से, उसने इस सारी मुसीबत का मुकाबिला किया है। जो मुसीबत वहां पिछले तीन साल से हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी उसका इस तरह से हल हुआ है कि पंजाब के एकार्ड के तहत वहां एलेक्शन हुए और वहां जो अवामी सरकार कायम हुई उस अवामी सरकार ने आज अवाम के बलबूते पर आतंकवादियों को नाकामयाब कर दिया है। मैं उन वाकयात में नहीं जाना चाहता लेकिन पिछले एक दो महीने से हम देख रहे हैं कि कितनी तरक्की उस मैदान में हो रही है जहां पर कि आतंकवादियों को पनाह नहीं मिल रही है, जहां पर लोग उन्हें बिलकुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बरसअरेाम उनका कत्ल हुआ, वरसरेआम उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया।

अब इस सारी सिचुएशन में आतंकवादियों की यह कोशिश है कि इसको बैनुल अकवामी मसला बना कर हमारे लिए कोई समस्या खड़ी करें। इससे हमें इस कदर खौफजदा नहीं होना चाहिए। ताहम, सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए, ताहम, सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और आतंकवादियों का खात्मा कर पंजाब में पीसफुल, पुरअमन हालात को फिर कायम करना चाहिए। यह इस सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें अपोजीशन इतना कर सकता है कि आप को पूरा-पूरा सहयोग देगा।

लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मुल्क में पंजाब से हमारी आंखें खुलनी चाहिएं। पंजाब में जो वाकयात हुए उससे यह चीज अब समझ में आ गई है कि अगर इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा है तो फिरकावाराना आपस की तकरार से है, मजहब के नाम पर लोगों को तक्सीम करने की कोशिश से है। इस मुल्क में कांस्टीच्यूशन बना, सेक्युलरिज्म जिसकी बुनियाद बनी है, मैं चाहता हूं इस सेक्युलरिज्म के आदर्शों को मजबूत करने के लिए हम तमाम जितनी ऐसी साजिशें हो रही हैं या मुल्क के अन्दर जो फिरकापरस्ती बढ़ रही है, चाहे वह अकलियत की फिरकापरस्ती हो, चाहे

अकसरियत की फिरकापरस्ती हो, दिलोजान से उसका मुकाबिला करना चाहिए और उसका खात्मा करना चाहिए।

मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि मेजारिटी कम्यूनिटी पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। इस मुल्क के अन्दर जो बाकी अकलियतें हैं उनमें एक फीयर साइकोसिस है, उसको खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि जो मेजारिटी कम्यूनिटी है उन पर भी यह जिम्मेदारी है कि वे इस किस्म का माहौल न बनने दें। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो इस मुल्क के अन्दर ये फिरकावाराना फसादात हो रहे हैं और जो आए दिन हो रहे हैं ये चीजें मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुल्क को टुकड़े-टुकड़े कर सकती हैं। इसका मुकाबिला सिर्फ इसी तरह से हो सकता है कि सही बुनियाद पर सेक्युलरिज्म को मजबूत किया जाय और सही तरीके से इस किस्म की चीजों का मुकाबिला किया जाय।

[श्री अब्दुल रशीद काबली (सरी नगर)]: जनाब डिप्टी स्पीकर। इन जज्बात का इजहार किये बगैर मैं रह नहीं सकता कि जहां तक मुल्क की सालमियत और एकजहती का तअल्लुक है अखंडता का सवाल है इस ऐवान में दो राय नहीं हो सकती हैं। जिस दौर से आज हम इस ऐवान में डिसकस कर रहे हैं इसमें मेरी पार्टी इस तमाम ऐवान के साथ है। पंजाब में जो आतंक वादियों ने बगावत के झंडे बुलंद किये हैं सेसेशन का नारा दिया है उसकी हम दिल व जान से मजम्मत करते हैं।

सरकार का यह फर्ज है कि इस ऐवान ने उसको ताकत दी है कि इस मुल्क की सालमियत को उसकी दफाअ को और इस के बार्डरस के प्रोटेक्शन को और इस मुल्क के अन्दर अमन व अमान कायम रखने के लिए जितने भी कदम उठाये जायें इस के लिए मैं समझता हूं कि पूरी अपोजीशन आपके साथ रहेगी।

जहां तक पंजाब का तअल्लुक है पंजाब की जो इस वक्त की सिचुएशन है मेरा तो ख्याल यह है कि पंजाब में जो आतंक वादियों ने वहां का निजाम तबाह करने की कोशिश की है। और मुल्क के टुकड़े करने की एक जबरदस्त साजिश थी वह अब अपने मकसद में नाकामयाब हो रहे हैं। इस फ्रस्ट्रेशन के आलम में इंतहा किस्म की नाकामी जो इनको मिल रही है जो वहां की अवाम और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज हुआ है और इन ताकतों का मुकाबला कर रहा है इस से खौफजदा हो कर आतंक वादियों ने यह नारा दिया है। वह समझते हैं कि दरबार साहब के अन्दर ऐसा नारा दें कि वह हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं,

اور اس طریقے سے ہمارے لئے کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کرنے کی کوشش میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا پچھلے وقت کا تجربہ ہے کہ پنجاب میں مَیں بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قدم اُٹھایا گیا۔ کئی سال کے بعد جو وہاں پریشانی اور جو وہاں سے خون خرابہ ہوتا رہا لیکن آرمی رول کے بعد پرائم منسٹر نے اور اکالی دل نے آپس میں ایک سمجھوتہ کیا پنجاب ایکارڈ کے نام سے اس نے ساری مصیبت کا مقابلہ کیا ہے۔ جو مصیبت وہاں پچھلے تین سال سے ہمارے لئے ایک بڑی مصیبت بن چکی تھی اس کا اس طرح سے حل ہوا ہے کہ پنجاب ایکارڈ کے تحت وہاں الیکشن ہوتے اور وہاں جو عوامی سرکار قائم ہوئی اس عوامی سرکار نے آج عوام کے بَل بوتے پر آتنک وادیوں کو ناکامیاب کر دیا ہے۔ میں ان واقعات میں نہیں جانا چاہتا لیکن پچھلے ایک دو مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ترقّی اس میدان میں ہو رہی ہے جہاں پر کہ آتنک وادیوں کو پناہ نہیں مل رہی ہے۔ جہاں پر لوگ انہیں بالکل برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ برسرِعام ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔

اب اس ساری سچویشن میں آتنک وادیوں کی یہ کوشش ہے کہ اس کو بین الاقوامی مسئلہ بنا کر ہمارے لئے کوئی سمسیا کھڑی کریں۔ اس سے ہمیں اسقدر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیئے تاہم سرکار کو چوکنّا رہنا چاہیئے تاہم سرکار کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیئے اور آتنک وادیوں کا خاتمہ کر پنجاب میں پھر نُل پُر امن حالات کو پھر قائم کرنا چاہیئے۔ یہ اس سرکار کی ذمّہ داری ہے اور اسمیں اپوزیشن اتنا کر سکتا ہے کہ آپکو پورا پورا سہیوگ دیگا۔

لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ملک میں پنجاب سے ہماری آنکھیں کھُلنی چاہیئے۔ پنجاب میں جو واقعات ہوئے اس سے یہ چیز اب سمجھ میں آگئی ہے کہ اگر اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو فرقہ وارانہ آپس کی ٹکراؤ سے ہے مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش سے ہے۔ اس ملک میں کانسٹی چیوشن بنا سیکولرزم جس کی بنیاد ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سیکولرزم کے آدرشوں کو مضبوط کرنے کے لئے ہم تمام جتنی ایسی سازشیں

हो रही हैं या मुल्क के अन्दर जो फिरकापरस्ती बढ़ रही है चाहे वह अक़लियत की फ़िरकापरस्ती हो चाहे अक्सरियत की फ़िरकापरस्ती हो दिल व जान से उसका मुकाबला करना चाहिये और उसका खात्मा करना चाहिये।

मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि मेजारिटी कम्युनिटी पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। अगर मुल्क के अन्दर जो बाकी अक़लियतें हैं उनमें एक फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है उसको खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि जो मेजारिटी कम्युनिटी है उन पर भी यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसा माहौल न बनने दें। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो इस मुल्क के अन्दर फिरकावाराना फसादात हो रहे हैं और जो आए दिन हो रहे हैं यह चीजें मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। इसका मुकाबला सिर्फ इस तरह से हो सकता है कि सहीह बुनियाद पर सैकुलरिज्म को मजबूत किया जाए और सहीह तरीके से इस किस्म की चीजों का मुकाबला किया जाए।]

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर-द्वार) उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी सदस्य पंजाब सरकार के साथ हैं, बरनाला सरकार के साथ हैं क्योंकि यह एक चुनौतीपूर्ण समय रहा है और क्योंकि बरनाला सरकार अपने ही लोगों के विरुद्ध अघोषित युद्ध जारी रखे हुए है। उनके लिए यह एक दुष्कर कार्य है। हमें उनके कार्य को पूरी सहानुभूति से समझना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने इस देश की अखण्डता और एकता को बचाने के लिए बरनाला सरकार की ओर सहायता का हाथ बढ़ाया है। यह बिल्कुल ठीक है।

इस बार प्राप्त शुभ समाचार से समस्त सदन और देश को प्रसन्नता हुई है। सभी ने यह कहा है कि इसके पीछे किसी विदेशी शक्ति का हाथ है और यह भी बताया गया है कि वह विदेशी शक्ति कौन सी है। विदेशी हाथ प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहा। यह किसी ऐसे देश के माध्यम से आ रहा है जो हमारा पड़ौसी देश है। हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार इस देश के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाए रखने के लिए बहुत उत्सुक है। परन्तु सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। कुछ आतंकवादी गतिविधियों के कारण यदि अमरीका, लीबिया को सबक सिखाने के लिए कार्यवाही कर सकता है तो इसका क्या कारण है कि हमारी सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम नहीं है। वही एक मुख्य शत्रु देश है जहां से समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं सरकार के साथ हूं। हमारी सरकार को यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि वह ऐसे देशों को सबक सिखाए और हम अपने देश की एकता और अखण्डता को बचा सकें। धन्यवाद।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस गरिमामय सदन में पंजाब में चल रही गम्भीर स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया। इन परिस्थितियों में यह एक तुरन्त उठाया गया कदम था। मैं, पंजाब की वर्तमान गम्भीर स्थिति का मुकाबला करने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में गृह मंत्री द्वारा अभी दी गई सूचना का स्वागत करता हूं। कल अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर से खालिस्तान के बारे में की गई कथित घोषणा की सर्वाधिक कड़े शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए। इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं हो सकता कि कथित घोषणा भारत की अखण्डता और प्रभुसत्ता पर एक प्रहार है और हमारे देश को अस्थिर करने के लिए यह एक षडयन्त्र है। पंजाब में आज बरनाला सरकार पंजाब के लोगों की प्रतिनिधित्व सरकार है और यह सरकार बहुत ही गम्भीर और संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यही बेतुकी घोषणा कुछ ही उग्रवादियों द्वारा की गई है जो इस देश को ही दाव पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस देश की एकता और अखण्डता को किसी भी स्थान से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने में ढिलाई नहीं बरत सकते। इस पर पर्याप्त, प्रभावी और फुर्ती से कार्यवाही करनी पड़ेगी। इस समय, मैं पंजाब में विद्यमान स्थिति की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता। आज अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बरनाला सरकार के साथ पूर्ण एकता दिखाई जाए और पंजाब में स्थिति का सामना करने के लिए वहां के मुख्य मंत्री को सभी प्रकार का समर्थन दिया जाए। उनके सम्मुख बहुत ही कठिन कार्य है। साथ ही हम उनसे स्थिति का साहसपूर्वक मुकाबला करने की आशा करते हैं और अस्थिर करने वाली और विघटनकारी शक्तियों के षडयन्त्र को विफल करने की आशा भी करते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जहां तक मेरे दल मुस्लिम लीग, का सम्बन्ध है, यह इस देश की एकता और अखण्डता को बचाने और बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। हम अब यह महसूस करते हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यह मानते हुए, मैं बरनाला सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को यह आश्वासन देता हूं कि हमारे देश की एकता और प्रभुसत्ता को किसी भी प्रकार के खतरे का मुकाबला करने के लिए आज समस्त देश एक आदमी की तरह खड़ा रहेगा। मैं अकाली दल के श्री रामूवालिया जी द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार, यह देश और यह सदन उनके द्वारा व्यक्त विचारों पर गम्भीरता से विचार करेगा। मैं आशा करता हूं कि इस चुनौती का सामना करने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, हम गहरे आक्रोश के साथ इस वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं। अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर से कल खालिस्तान की घोषणा निश्चित ही एक चुनौती है और इससे हमारे देश की एकता और अखण्डता को खतरा है। तथापि, माननीय मंत्री ने इस सदन में कहा है कि कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हम इससे प्रसन्न हैं। महोदय, यह एक राजनैतिक समस्या है और केवल कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है, और राजनैतिक समस्या का हल राजनैतिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। पंजाब में, एक राज्यपाल का स्थानान्तरण करके उसके स्थान पर दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति करने से समस्या का हल नहीं होगा। यदि आप इस समस्या का हल चाहते हैं तो आपको इस पर गहराई से विचार करना होगा क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इसके पीछे विदेशी हाथ है। हम भली-भांति जानते हैं कि

पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा और सभी अन्य साम्राज्यवादी देश इसके पीछे हैं। यह एक उचित समय है कि अब पाकिस्तान को चेतावनी दी जाए। हम पाकिस्तान के साथ मैत्री चाहते हैं। परन्तु पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि हम अपनी प्रभुसत्ता के बदले में उनकी मित्रता नहीं चाहते। यह एक उचित समय है कि अब ब्रिटेन को भी चेतावनी दी जाए। हम मानते हैं कि ब्रिटेन ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बहुत से सम्बन्ध हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। परन्तु उसी देश में हुआ कि प्रथम खालिस्तान सरकार की स्थापना की गई। मेरे ख्याल से यह 1980 में, जून के महीने में की गई थी। (व्यवधान) डा० जगजीत सिंह चौहान द्वारा खालिस्तान की घोषणा की गई थी। (व्यवधान) लन्दन में ही खालिस्तान भवन ने कार्य करना शुरू किया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : खालिस्तान पाकिस्तान एक है, भूलो मत।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : श्री रामूवालिया बिल्कुल सही कह रहे थे कि···(व्यवधान) हिन्दू कट्टरपंथी को प्रोत्साहित करके सिख कट्टरपंथी को समाप्त नहीं किया जा सकता। माननीय गृह मंत्री को मैं यह बताना चाहूंगा।

हिन्दू रूढ़िवाद को बढ़ावा देकर आप सिख रूढ़िवाद को रोक नहीं सकते हैं। चाहे वह सिख रूढ़िवाद हो, हिन्दू रूढ़िवाद या मुसलमान रूढ़िवाद। प्रत्येक रूढ़िवाद को रोका जाना चाहिए क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के विरुद्ध है। हमें एकजुट होना चाहिए और देश की अखण्डता बनाए रखने के लिए हम सभी को एक हो जाना चाहिए।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय, कम से कम 15 सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं और कुछ अच्छे सुझाव देने के लिए मैं उनका आभारी हूं। उसमें से कुछ विषय से बाहर बोले थे और कुछ लोग विषय पर बोले थे लेकिन फिर भी उनके विचारों का अपना महत्त्व है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक कहा था कि हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहां जो चिन्ताजनक प्रश्न था वह था—कार्य करने की इच्छा शक्ति और सरकार की विश्वसनीयता। महोदय, अब उन प्रश्नों का उपयुक्त ढंग से उत्तर दे दिया गया है। स्वाभविक ही है कि अभी बहुत कुछ किया जाना है और सदस्यों द्वारा कुछ निश्चित मामलों में दिए गए सुझावों की बहुत विस्तृत जांच करनी होगी, लेकिन उन सभी की जांच उपयुक्त समय पर होगी। इस वक्त तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि पंजाब सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही को इस सदन के सभी पक्षों की ओर से, दूसरे सदन की ओर से तथा भारत के लोगों की ओर से पूरा समर्थन मिला है। भारत की सम्प्रभुता को रक्षा करने और अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों, जो कि दुर्भाग्यवश यदा-कदा पंजाब में कार्य करती रहती हैं, से लड़ने में पंजाब सरकार जो कुछ करना चाहती है, उसमें इसी भावना से सहायता, मदद और समर्थन दिया जाएगा।

जैसा कि मैंने कहा है, कुछ अन्य मामलों के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन कम से कम एक महत्वपूर्ण मामला यह है कि पवित्र स्थानों का अपवित्र उद्देश्यों के लिए प्रयोग एक गम्भीर मामला है। ऐसा पहले भी हुआ है और हमें पूरी गम्भीरता से सोचना चाहिए कि ऐसा फिर और न होने दें।

एस० जी० पी० सी० अधिनियम के बारे में कतिपय उल्लेख किए गए थे। इन बातों की जांच करने की आवश्यकता है। स्वाभविक ही है कि पंजाब सरकार के इन मामलों को अवश्यमेव देखना होगा और हम लोग उनकी मदद, और समर्थन करने के लिए हैं। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि वातावरण के विद्वेष से कैसे मुक्त रखा जाए। श्री रामूवालिया यहां नहीं हैं लेकिन मैं उनको और सदन को सूचित करना चाहूंगा कि इस समाचार के प्राप्त होने के पश्चात् कल प्रधान मंत्री ने जो प्रथम कार्य किया था वह यह था सौभाग्य से जो मुख्य मंत्री दिल्ली में थे, उनसे सम्पर्क करके यह बात कही थी कि इस समाचार को दृष्टिगत रखते हुए अपने-अपने राज्यों में सुरक्षा के कदम उठाएं जिससे कि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना न घटे। आठ मुख्य मंत्रियों से उन्होंने मेरे सामने बात की और मुझे विश्वास है कि दूसरे अन्य लोगों में से भी प्रत्येक से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात की होगी। अत: सरकार का, प्रधान मंत्री का पहला कार्य यह था। तब हमने वास्तव में पंजाब पर ध्यान दिया।

अत: इस प्रकार यह सब हुआ। श्री बरनाला यहां थे। जैसे कि सम्माननीय सदस्य जानते हैं उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। जैसा कि हम सभी लोग आशा रखते थे वह बहुत ही स्पष्ट रूप से बोले और केवल यही नहीं, इसके पश्चात् उन्होंने बहुत स्पष्ट निदेश जारी करते हुए इसका अनुपालन किया। तब वह अपने राज्य वापस गये।

यह सभी कुछ होता रहा, पनपता रहा, संगठित होता रहा, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि आधिकारिक विवरण प्राप्त होने से पहले मैं विस्तृत जानकारी देने की स्थिति में नहीं था। अत: मैंने ब्यौरा दे दिया है और मैं कहना चाहूंगा कि यह अध्याय आशापूर्वक अब समाप्त है या समाप्त हो जाएगा। हम ऐसी घटनाओं को नहीं होने देंगे।

मैं समझता हूं कि उनके लिए यह एक सबक होगा जिनके अनुसार भारत में अस्थिरता पैदा करना एक खेल है। हर ऐसा नहीं होने देंगे। पिछले कुछ दिनों में इस चुनौती, इस खतरे का सामना करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए सारे कदमों के पीछे सम्पूर्ण देश, सम्पूर्ण राष्ट्र, संसद, सभी राजनीतिक दल और सभी समुदाय हैं।

इसको मैं अनुचित महत्व नहीं दूंगा और न ही मैं यह कहूंगा कि इसे अनदेखा किए जाने की जरूरत है। हमें इसको एक संकेत, एक लक्षण के रूप में लेना है और इसके बारे में वास्तव में हम आत्म संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमारे नियंत्रण में जो भी निगरानियां हैं उनका प्रयोग हम निश्चित रूप से करेंगे और हम समय पर कार्यवाही करेंगे।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में अनेक मुख्य मंत्रियों ने और अनेक सदस्यों ने श्री बरनाला को याद दिलाया था कि स्वर्ण मन्दिर में क्या हो रहा है। उन्होंने सहमति व्यक्त की थी कि ऐसा हो रहा है लेकिन उन्होंने बताया कि इससे निपटने की उनकी अपनी योजना है। अत: बरनाला मौके

पर हैं और हमने उन पर विश्वास किया है और उन पर व उनकी सरकार पर, जैसी स्थिति बनती है उससे निपटने के लिए अभी भी हम विश्वास करते हैं। हम यह नहीं सोच रहे हैं कि तुरन्त सब कुछ शान्त हो जाएगा। जो हताश है वह निश्चित रूप से यहां और वहां हिंसा बढ़ाएंगे। यही स्थिति बुझने से पहले एक दीपक की होती है। यह अचानक चमकता है। यह उसी तरह की एक चमक हो सकती है लेकिन हम हर तरह से इन सभी का सामना करेंगे और आज तक अमृतसर में जो कुछ प्राप्त किया जा चुका है उसे हम मजबूत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा शुक्रवार, 2 मई, 1986 को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.31 म० म०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 2 मई, 1986/12 वैशाख, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।